This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 04 मई, 2026 / 14 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला, 2026 ,अप्रैल 21

संख्या: एस.जे .ई.-ए-ए(4)-2/2016.—लूज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, किशोर न्याय (देख-भाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 काअधिनियम 2) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(iii) "मामला कार्यकर्ता" से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसा कार्य करेगा, जो की बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएँ;

(iv) "बालअध्ययन रिपोर्ट" से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्मतिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;

(v) "समुदाय सेवा" से विधि का उलन्घन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेविओं के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।

(vi) "हित संघर्ष" से "ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति का निजी या व्यक्तिगत हित पर्याप्त रूप से अपने पदीय कर्तव्यों के उदेश्य कार्य को प्रभावित करने के लिए होता है और जहां ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन परिभाषित किसी कानूनी संरचना के साथ जुड़ने के लिए अपात्र होगा।"

(vii) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(viii) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता या पालक माता-पिता के ब्यौरे का उल्लेख हो और इस ब्यौरे में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण और माहौल, तथा स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होगें;

(ix) "व्यक्तिगत देखरेख योजना" किसी बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस बालक की आयु और लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त

पर आधारित हो, जिसे बालक का खोया आत्म-सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उदेश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और तदनुसार, इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी अर्थात—

(क) स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत कोई विशेष आवश्यकताएं भी हैं;

(ख) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ;

(ग) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं;

(घ) अवकाश, सर्जनात्मकता और खेलकूद;

(ङ) सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण ;

(च) बचाव, पुनर्स्थापन और अनुवर्ती कार्रवाई;

(छ) सामाजिक मुख्यधारा में लाना और पुनर्वास, और;

(ज) जीवन कौशल प्रशिक्षण।

(x) "देश में दतकग्रहण" से भारत में निवास कर रहे भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी बालक का दतकग्रहण अभिप्रेत है;

(xi) "चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट" से किसी विधिवत अनुज्ञप्ति-धारी चिकित्सक द्वारा दी गई बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(xii) "भारसाधक व्यक्ति या अधीक्षक" से बाल देखरेख संस्था के नियंत्रण और प्रवंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xiii) "यौ.अ. बा. सं. अ." से यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है;

(xiv) "पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी" से प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में बच्चों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(xv) "चयन समिति" से इन नियमों के नियम 87 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(xvi) "सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट" से विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालकी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई बालकी पृष्ठभूमि की जानकारी काउल्लेख हो;

(xvii) "सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट" से किसी बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें उस बालक की परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार उसकी परिस्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी और उन पर सिफारिशें का उल्लेख हो;

(xviii) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सामाजिक कार्य या समाज-विज्ञानं या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो या बाल शिक्षा और विकास से सम्बंधित मामलों में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक और जिसे बालक की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट या व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट, भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता या पालक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के उपरांत सेवाएं प्रदान करने और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को सौंपे गए अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए किसी बाल देखरेख संस्था द्वारा नियुक्त किया गया हो या जिला बालसंरक्षण इकाई या राज्य बालसंरक्षण सोसायटी या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की अर्हताएं अधिनियम की धारा 4 के अनुसार होंगी।

(xix) "विशेष शिक्षक" का वही अर्थ होगा, जो कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में अर्थ है;

(xx) "राज्य बाल संरक्षण सोसायटी" से अधिनियम की धारा 106 के अधीन गठित सोसायटी अभिप्रेत है, और;

(xxi) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वहीअर्थ होंगे जोअधिनियम मेंअर्थ है।

अध्याय2

किशोर न्याय बोर्ड

3. बोर्ड.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा।

4. किशोर न्याय बोर्ड की संरचना.—(1) बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो और उसे बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट अनिहित किया जाएगा, तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे।

(2) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की अधिसूचना की तारीख को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य

करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज-विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।

(4) बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव, दो भिन्न- भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।

(5) बोर्ड के सभी सदस्य जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं, को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान और संवेदनशील किया जाएगा।

5. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल.—(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकते हैं।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(5) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों की बावत के सिवाय मामलों में आवश्यक जांच कराएगी; न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को कार्रवाई हेतु उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाएंगी।

(6) राज्य सरकार दो माह की अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी और एक माह के भीतर समुचित कार्रवाई करेगी।

(7) यदि संबंधित सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जांच करने और मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात या जो उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए लंबित जांच के लिए सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगी ।

6. बोर्ड की बैठकें-।.—(1) बोर्ड अपनी बैठकें किसी संप्रेक्षण गृह में अथवा संप्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा, और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागार परिसर में अपनी बैठक आयोजित नहीं करेगा।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा, जिसका उस मामले से कोई सबंध ना हो।

(3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उस/ उन व्यक्ति/ व्यक्तियों को ही बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बालक सहज महसूस करे।

(4) बोर्ड अपनी बैठकें बालकों के अनुकूल परिसरों में आयोजित करेगा तथा वे परिसर किसी भी स्तिथी में न्यायालय जैसे नहीं दिखेगें और बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि बोर्ड बालक से आमने-सामने बात कर सके।

(5) बालक से बात करते समय, बोर्ड अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेगा और बालक को संबोधित करते हुए, शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे और आवाज के संदर्भ में बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएगा।

(6) बोर्ड के सदस्यों के आसन ऊँचे मंच पर नहीं होंगे और बोर्ड तथा बालक के मध्य साक्षियों के कटघरे या अवरोध जैसी कोई बाधाएं नहीं होगी।

(7) बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिला में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो।

"(8) बोर्ड, विधि संघर्ष करने वाले अधिकथित बालक या अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों के शारीरिक परिवर्तन को सीमित करने वाले अपराधियों के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठकों का आयोजन कर सकेगा।

परंतु बच्चे के मामले में किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक या परामर्शदाता या शारीरिक देखरेख की आवश्यकता हो, तो बैठक नियम 6 के उप-नियम (1) में यथा उपबंधित परिसर में की जाएगी।

(9) जब बोर्ड की बैठक न हो तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के किसी एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन के लिए, बोर्ड का एक सदस्य किसी आपातकालीन मामले का संज्ञान लेने के लिए सैदेव उपलब्ध या पहुंच में रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। प्रधान मजिस्ट्रेट उन सदस्यों का ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुटटी के दिनों सहित हर दिन इस प्रकार उपलब्ध और पहुंच में रहेंगे। यह रोस्टर अग्रिम में सभी पुलिसथानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आपातकालीन स्थिति के किसी भी मामले पर संज्ञान लेने के लिए उपलब्ध या पहुंच में रहेगा, को उस दिन का बैठक भत्ता प्रदत्त किया जाएगा, किंतु सदस्य को प्रदत्त किए गए कुल बैठक के दिवस भारत सरकार द्वारा यथाविहित किसी माह में नियमित बैठक सहित बीस दिनों से अधिक नहीं होगें।

(10) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 2000 रुपये दिए जायेगें, जिसके अंतर्गत बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता भी है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।बैठक की रकम राज्य बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में उपलब्ध निधि, या किशोर न्याय अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि अथवा अन्य निधि से प्रदत्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाए।

(11) बोर्ड को अवसरचना और कर्मचारीवृंद राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

7. बोर्ड के कृत्य.—(1) बोर्ड निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्य करेगा, अर्थात्:—

(i) जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड एक अनुवादक या दुभाषिया या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराएगा, जिसे प्रतिदिन कम से कम 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा और अनुवादक के मामले में, प्रतिपृष्ठ अधिकतम 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा।उक्त

प्रयोजन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई अनुवादकों, दुभाषियों और विशेष शिक्षकों का पैनल रखेगा और इस पैनल की जानकारी बोर्ड को देगा।अनुवादक, दुभाषियाऔरविशेष शिक्षक की अहर्ताएं वही होंगी, जो यौ.अ. बा. सं. अ. अधिनियम, 2012 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की गई हैं;

(ii) जहां कहीं अपेक्षित हो, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए प्ररूप14 में पुनर्वास कार्ड जारी करना;

(iii) जहां कहीं अपेक्षित हो, वहां उस स्कूल में बालक का पुनः दाखिला करने या शिक्षा जारी रखने के लिए समुचित आदेश पारित करना, जहाँ बालक को जांच के लंबित रहने या कितनी भी समयावधि के लिए किसी बाल देखरेख संस्था में रहने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने को अनुज्ञात किया गया हो;

(iv) बालक को विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जांच और निपटान से सुकर बनाने को अन्य जिलों में बोर्डों से संपर्क करना, जिसके अंतर्गत किसी अन्य जिले या राज्य में किसी बोर्ड को जांच या पुनर्वास के प्रयोजन के लिए भेजना भी है;

(v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों संबंधी बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण करना, ध्यान दिए जाने योग्य किन्ही त्रुटियों के मामलों में निर्देश जारी करना, सुधारों के सुझाव देना, अनुपालन की मांग करना और कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करते पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट को करना;

(vi) बोर्ड के परिसरों या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, और इन पेटिकाओं का प्रचालन प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम निर्देशती करेगा;

(vi) (क) सुझाव या शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का सृजन भी किया जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा पहुंच किया जा सके;

(vii) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बाल समितियों का सहज कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि ऐसी बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;

(viii) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की प्रत्येक निरिक्षण के दौरान समीक्षा करेगा और बच्चोंबेहतरी के निर्धारण हेतु बच्चों की समस्याओं और मुद्दों को समझने के लिए बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत करेगा और तदनुसार इन बाल देखरेख को सूचना और सिफारिशें देगा।

(ix) यह सुनिश्चित करना कि जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य या जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण में कार्यरत विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी बालक को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करें; और

(x) यदि आवश्यक हो, तो अर्ध- विधिक और अन्य कार्य, जैसे कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के माता-पिता से संपर्क करने, बालक के विषय में संगत सामाजिक और पुनर्वास संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए छात्र स्वयंसेवियों या गैर-सरकारी संगठन के स्वयंसेवियों की सेवाओं लेना ।

अध्याय 3

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाले कार्रवाई।.—(1) जिन मामलो में बालक द्वारा जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात् प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और जहां कहीं लागू हो, बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा:

परंतु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालक के सर्वोतम हित में न हो। छोटे-मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहां बालक के हित में उसका पकड़ा जाना आवश्यक न हो , पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरुप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा और उस बालक के माता-पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सोंपेगा, जो तत्काल इन सबको को सूचित करेगा:—

(i) बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है ;

(ii) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो ; और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी:—

(i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जब तक उसे बोर्ड के समक्ष

प्रस्तुत नहीं कर दिया अर्थात् उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों भीतर के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकते है;

(ii) बालक को हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेडी नहीं पहनायेगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल प्रयोग नहीं करना करेगा ;

(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता-पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाये गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी ;

(iii) (क) अधिनियम और नियमों के अधीन बालक के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में तुरंत बालक या माता-पिता या संरक्षक को भी सूचित करेगा ;

(iii) (ख) बालकों के अधिकारों को प्रत्येक पुलिस थाने और संप्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों, सुरक्षित स्थान में प्रमुख स्थानों पर भी लगाएगा ;

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सा सहायता, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता या एसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहाँ बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता-पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं;

(vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा; और

(vii) बालक को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा ।

(5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालकी सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी को प्ररूप 1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जाएगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए बालक के माता-पिता या संरक्षक से संपर्क करना आवश्यक होगा।

(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयंसेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइल्डलाइन सेवाओं की सूची और उनके संपर्क के ब्योरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जायेंगे ।

(7) जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोड़ा जाता है, जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता न हो, तब माता-पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर- न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

(8) राज्य सरकार उन स्वैछिक या गैर- सरकारी संगठनो या व्यक्तियों का पेनल रखेगी, जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हों और जिन्हें बालक को चौबीस घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैछिक या गैर- सरकारी संगठनो या व्यक्तियों के पेनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी ।

(9) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़े गए या उनकी देखरेख में रखे गए बालकों के उनके साथ रहने के अवधि में लिए उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी।

9. विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.—(1) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर, बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत बालक को संप्रेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजना भी है।

(2) (क) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पोर्टल पर अपलोड की गई है।

(3) जहाँ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाल अधिनियम की धारा 78और धारा 83 के अधीन आता हो, जिसके अंतर्गत वह बालक कभी है जिसको अभ्यर्पित किया गया शामिल है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उस बालक को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रुप में आवश्यक कार्यवाही तथा/अथवा पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए समिति को भेज सकता है जिसके अंतर्गत इस कार्यवाही अथवा निर्देश में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यत-प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश जो उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी, तथा बालक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी है।

(4) जहां विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक पकड़ा न गया हो और इस विषय में जानकारी पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को भेजी हो, वहां बोर्ड, बालक से यथाशीघ्र अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा करेगा, ताकि, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां पुनर्वास के उपाय शुरू किए जा सकें, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) यदि बोर्ड की बैठक में न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक की अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के नियम 69 घ के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी।

10. प्रस्तुत किए जाने के बाद बोर्ड की प्रक्रिया.—(1) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसे गिरफ्तार किए जाने की परिस्थितियों तथा उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के उस बालक की प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और बोर्ड, बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे। इस आदेशों में अधिनियम की धारा **17** और **18** के अनुसार पारित किए जाने वाले आदेश शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं :—

(i) यदि बालक की पहली पेशी के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेख पर विचार करने पर उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किए जाने का अभिकथन निराधार प्रतीत हो या जहां बालक द्वारा छोटे-मोटे अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया हो, वहां मामले का निपटान करना;

(ii) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, वहां बालक को समिति के पास भेजना;

(iii) बालक को प्ररुप 3 में आदेश के माध्यम से, यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण या अभिरक्षा में इस निर्देश के साथ छोड़ना कि बालक अगली तारीख पर जांच के लिए प्रस्तुत हो या प्रस्तुत किया जाए; और

(iv) प्ररुप 4 में आदेशानुसार जांच के लंबित रहने के समय यदि आवश्यक हो तो बालक को जैसा भी उपयुक्त हो बाल देखरेख संस्था में रखे जाने के निर्देश देना।

(2) जांच के लंबित रहने के समय छोड़े जाने के सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख अधिसूचित करेगा, जो कि पहली संक्षिप्त जांच की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिन बाद होगी और प्ररूप 5 में आदेश के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी से या परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने के मामले में बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी करेगा।

(3) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बाल जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है और उसकी ओर से पेशी से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसे पेशी से छूट देने के लिए कोई पर्याप्त कारण न हो तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी को बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करेगा।

(4) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी बालक की बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो बोर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) किसी ऐसे बालक द्वारा अभिकथित जघन्य अपराध किए जाने के मामलों में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि में जांच के दौरान अपने द्वारा अभिलिखित किए गए गवाहों के कथन और तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी एक प्रति बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी।

(6) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना की तारीख से अधिकतम दो मास की समयावधि में बोर्ड के समक्ष दायर की जाएगी, सिवाए उन मामलों के, जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में सन्लिप्त व्यक्ति कोई बालक था, जिस मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड द्वारा समयावधि बढ़ाई जा सकती है।

(7) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक, से संबंधित जांच में परीक्षा के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने के समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच कार्य पूर्णतः कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि बालक से परिप्रश्न किए जा सके और उसके पक्ष में उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके।

(8) अधिनियम की धारा 14 के अधीन जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड, बालक से बाल अनुकूल नीति से सवाल-जवाब करेगा, ताकि वह बालसहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा या उसके साथ जो अपराध हुए हों, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(9) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड, उस बालक के पकड़े जाने परिस्थितियां और उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी या स्वैछिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करेगा।

10 क. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण.—(1) बोर्ड**,** प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है**;** यदि नहीं तो बोर्ड, अधिनियम की धारा **14** के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड**,** मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है**,** जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकती है**,** जिनकी सहायता बोर्ड ले सकता हो या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता हो।

(3) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने के उपधारणा की जाएगी**,** यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(4) जहां बोर्ड**,** अधिनियम की धारा **15** के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

11. जांच की समाप्ति.—(1) बालक द्वारा अभिकथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का

निर्णय लेता है वहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 18 में यथा विनिर्दिष्ट निपटान आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा।

(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड अपने आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की जाएगी।

(4) जिन मामलों में बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि किसी बालक को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं उसके हित में और न ही अन्य बालकों के हित में है, उन मामलों में, बोर्ड उस बालक को सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जिस प्रकार बोर्ड को उपयुक्त प्रतीत हो।

(5) जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या सामुदायिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का निर्देश भी जारी करेगा।

(6) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस बालको छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को प्ररूप 8 में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह बालक का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।

(7) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को प्ररूप 9 में मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।

(8) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह उस बालक के माता-पिता या संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो, सिवाय उन मामलों के जिनमें ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखता है या जहां बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश भी दे सकेगा कि उस बालक को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, जो प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्टे प्रस्तुत करेगा और ऐसी निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड, संबंधित बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे सकेगा और निगरानी का शेष अवधि के लिए उस बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(11) किसी भी मामले में, किसी बालको विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (छ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होगी।

12. जांच का लंबित रहना.—(1) अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड प्ररूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का "मामला निगरानी पत्र" रखेगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय-समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा । जहां तक प्ररूप 11 में उल्लिखित जांच कार्य की प्रगति का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा:—

(i) मामले के निपटान की समय-सीमा सुनवाई की पहली तारीख से निर्धारित की जाएगी;

(ii) जांच कार्य की प्रगति के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण सम्पन्न करने होंगे।

(2) बोर्ड मामलों के लंबित रहने, गृहों के दौरे इत्यादि के विषय में तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 12 में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:—

(i) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट।

(3) जिला न्यायाधीश हर तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड का निरीक्षण करेगा और बोर्ड की कार्यवाहियों में बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

13. बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया.—(1) बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त हो जाने पर, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि क्या वयस्क अथवा बालक के रूप में बालक के विचारण की आवश्यकता है और उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(2) जिस मामले में बालक की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(3) जिस मामले में बोर्ड द्वारा किए प्राथमिक निर्धारण के निष्कर्षों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां बाल न्यायालय, अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(5) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण किया जाना चाहिए, वहां बाल न्यायालय, बोर्ड से फाइल मंगवाएगा और इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(6) बाल न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के समय इस बात के कारण अभिलिखित करेगा कि बालक का विचारण वयस्क के रूप में या बालक के रूप में किया जाना है।

(7) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामले का निर्णय स्वयं करेगा, वहां:—

(i) बाल न्यायालय जाँच कार्य इस प्रकार कर सकेगा, जैसे कि न्यायालय बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान कर सकेगा।

(ii) बाल न्यायालय जाँच कार्य करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन वाले मामले में विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(iii) कार्यवाही बंद कमरे और बालक के अनुकूल माहौल में की जाएगी तथा विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक का विचारण किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा, जो कि बालक नहीं है।

(iv) साक्षियों को परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने के समय बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच कार्य पूर्णता प्रतिकूल कार्यवही के रूप में न किया जाए तथा न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बाल न्यायालय, बालक से बाल अनुकूल रीति में सवाल-जवाब करेगा, ताकि वह बालसहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(vi) बाल न्यायालय द्वारा पारित निपटान आदेश में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार के विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।

(vii) ऐसे मामलों में बाल न्यायालय, अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) व (2) के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित कर सकेगा।

(8) जहाँ बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता है, वहाँ:—

(i) बाल न्यायालय, सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और बालक के अनुकूल माहौल बनाए रखेगा।

(ii) बाल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में, बालक के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।

(iii) जहाँ बालक को अपराध में संलिप्त पाया गया है, वहाँ बालक को इक्कीस वर्ष की आयु तक के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।

(iv) बालक के सुरक्षित स्थान पर रहने के समय बालकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्ररूप 13 में वार्षिक समीक्षा करेगा और रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जाएगी।

(v) बाल न्यायालय व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन के लिए बालक की प्रगति और संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक रूप से और हर तीन माह में कम से कम एक बार बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दे सकेगा।

(vi) जब बालक की आयु इक्कीस वर्ष हो जाए और उस संस्था में रहने की अवधि पूरी करनी हो तब बाल न्यायालय:—

(क) यह मूल्यांकन करने के लिए बालसे विचार-विमर्श करेगा कि उसमें सुधारात्मक बदलाव आए हैं या नहीं और क्या वह बालसमाज का योगदानकारी सदस्य बन सकता है।

(ख) यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई बालक की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों पर विचार करेगा और यदि संस्थागत व्यवस्था अपर्याप्त हो तो आगे सुधार के निर्देश देगा।

(ग) मूल्यांकन करने के बाद बालन्यायालय:

(ग) (क) बालकों को तुरंत छोड़ने;

(ग) (ख) अच्छे व्यवहार के लिए बालकों प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति के मुचलका निष्पादित करने पर छोड़ने;

(ग) (ग) बालक को छोड़ने और परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण**, प्रशिक्षुता**, रोजगार, परामर्श और अन्य उपचारात्मक कार्यों के विषय में निर्देश जारी करने;

(ग) (घ) बालक को छोड़ने और उसके संस्था में रहने की शेष **विनिर्दिष्ट** अवधि के लिए निगरानी प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर सकेगा। जिस मामले में निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जाए, उस मामले में वह प्राधिकारी बालक के लिए पुनर्वास कार्ड प्ररूप 14 में रखेगा।

(vii) इस नियम के उप नियम (vi) (ग) (गघ) के प्रयोजन के लिए :—

(क) परिवीक्षा अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी उपयुक्त व्यक्ति को निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे व्यक्तियों की सूची रखेगी, जिन्हें निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और यह सूची द्विवार्षिक अद्यतनीकरण के साथ बालन्यायालय को भेजी जाएगी।

(ग) छोड़े जाने के बाद पहली तिमाही में बाल**पाक्षिक** आधार पर या बाल न्यायालय के निर्देशानुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा। निगरानी प्राधिकारी बालक से परामर्श करके ऐसी बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करेगा। निगरानी प्राधिकारी बालकी प्रगति के विषय में अपनी टिप्पणियां मासिक आधार पर बालन्यायालय को भेजेगा।

(घ) पहली तिमाही समाप्त होने पर निगरानी प्राधिकारी बालक के लिए आगे अपेक्षित अनुवर्ती प्रक्रिया के विषय में सिफारिशें करेगा।

(ङ) जहां छोड़े जाने के बाद, बालक को अपराधिक कार्यकलाप में प्रवृत्त होते या अपराधिक पुर्ववृत वाले लोगों से मेलजोल रखते हुए पाया जाए, वहां बालक को अगले आदेशों के लिए बालन्यायालय के समक्ष लाया जाएगा।

(च) यदि यह पाया जाए कि अब बालक की और निगरानी किए जाने की आवश्यकता नहीं है तो निगरानी प्राधिकारी सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट बालन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और बाल न्यायालय निगरानी को समाप्त किए जाने या आगे जारी रखे जाने के लिए निर्देश जारी करेगा।

(छ) पहली तिमाही के बाद बालनिगरानी प्राधिकारी द्वारा पहली तिमाही के अंत में की गई सिफारिशों के आधार पर बालन्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा और निगरानी प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट बालन्यायालय को भेजेगा, जो कि हर तिमाही में उसकी समीक्षा करेगा।

14. अभिलेखों को नष्ट किया जाना.—विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दोष-सिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने या सात वर्ष, जो भी अधिक हो, तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और उनके बाद उन्हें यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बालन्यायालय द्वारा नष्ट किया जाएगा:

परंतु यह कि **जघन्य** अपराध के मामले में जहां अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करते पाया जाए, वहां ऐसे बालक की दोष-सिद्धि के संगत अभिलेखों को बालन्यायालय अपने पास रखेगा।

अध्याय 4

बाल कल्याण समिति

15. बाल कल्याण समिति के सदस्यों की संरचना और अर्हताएँ.—(1) प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक समितियां होंगी, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किया जाएगा।

(2) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों में नियम 87 के अधीन चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किंतु पैसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी और जिनके पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव हो या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यावसायिक वृत्तिक डिग्री है ।

(4) समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे:—

(4) (क) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म 49 के अनुसार शपथपत्र जमा करना होगा। जिसमें अधिनियम के धारा 27 की उपधारा 4 क में अधिकथित किसी भी शर्त से आवेदक को वर्जित न किया गया हो समुचित सरकार मानदंड अनुसार उसका सत्यापन करेगी ।

(4) (ख) विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) (ग) किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव

होता हो उनमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा

स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है

(क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ख) घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले;

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

(4) (घ) यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्रवाई करेगी।

(4) (ङ) राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना समिति के किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(4) (च) यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल बिना जाँच के लंबित करते हुए, उचित अवधि के लिए, या जांच करने के पश्चात और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निलंबित कर सकती है

(5) चयन होने पर सभी व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि में नियम 89 के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(6) अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

16. समिति के नियम एवं प्रक्रिया.—(1) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए लेकिन यह भत्ता प्रत्येक बैठक के लिए 2000 रूपये से कम नहीं होगा ।

(2) समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था के दौरे को समिति की बैठक माना जाएगा।

(3) समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित की जाएंगी।

(4) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जब सत्र जारी हो तब मामले से न जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा

(5) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केवल उन व्यक्तियों को बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बालसहज महसूस करे।

(6) समिति का कम से कम एक सदस्य किसी आपात्कालिक मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध रहेंगे। यह रोस्टर सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी आपातकालीन स्थिति का संज्ञान लेने के लिए उपलब्ध या पहुंच में रहेगा, को उस दिन का बैठक भत्ता प्रदत्त किया जाएगा, किंतु सदस्य को प्रदत्त किए गए कुल बैठक के दिवस भारत सरकार द्वारा यथाविहित किसी माह में नियमित बैठक सहित बीस दिनों से अधिक नहीं होगें। बैठक की रकम राज्य बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में उपलब्ध निधि, या किशोर न्याय अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि अथवा अन्य निधि से प्रदत्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाए।

(7) समिति सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप कम से कम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगी, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और संबंधित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी न किया होः

परंतु राज्य सरकार जिले में लंबित मामलों की संख्या, जिले के क्षेत्र या भू-भाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है।

(8) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बाल या बालकों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि बाल अथवा बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति, बाल अथवा बालकों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बाल अथवा बालकों हेतु सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।

(9) बालक से बात करते समय, समिति के सदस्य अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेंगे।

(10) समिति अपनी बैठकें बालक के अनुकूल परिसर में आयोजित करेगी, जो कि किसी भी प्रकार से न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा और बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समिति बालक से आमने-सामने बात कर सके ।

(11) समिति ऊंचे उठे हुए आसन पर नहीं बैठेगी और वहां कोई बाधाएं, जैसे कि साक्षियों का कठघरा या समिति और बालकों के बीच शलाका नहीं होंगी

(12) राज्य सरकार द्वारा समिति को अवसंरचना और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

17. समिति के अतिरिक्त कृत्य और उतरदायित्व.—अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपने कृत्यों और उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, समिति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कृत्य करेगी, वे इस प्रकार होंगे:—

(i) समिति जिस भी मामले में कार्य करेगी, उस प्रत्येक मामले के सार के साथ-साथ दस्तावेज तैयार करना और मामले के विस्तृत अभिलेख प्ररूप 15 में रखना;

(ii) समिति के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का संचालन जिला मजिस्ट्रेट या उसके अभिहित द्वारा किया जाएगा;

(iii) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अपनी अधिकारिता में चलाई जा रही बाल देखरेख संस्थाओं में बालसमितियों का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि उक्त बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;

(iii) (क) अधिनियम की धारा 109 के अधीन निगरानी के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 30 के खंड (viii) के अधीन किए गए निरीक्षण की त्रैमासिक रिपोर्ट, जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत की जाएगी

(iv) बाल देखरेख संस्थान में प्रत्येक निरीक्षण के दौरान, बाल सुझाव और शिकायत पुस्तिका की समीक्षा करेगा और उनकी बेहतरी के निर्धारण और तदनुसार बाल देखरेख संस्थाओं को सूचनाएं और सिफारिशें प्रदान करने के लिए बच्चों की समस्याओं और मामलों को समझने हेतु बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत भी करेगा;

(v) स्वयं को प्राप्त हुए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विषय में तिमाही सूचना प्ररूप 16 में मामलों के निपटान के स्वरूप, लंबित मामलों और ऐसे मामलों के लंबित रहने के कारणों के विषय में समस्त संगत ब्यौरे के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजना;

(v) (क) अधिनियम की धारा 40 की उप धारा (4) के प्रयोजनों के लिए समिति, राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वापस लाए गए, मृत या भागे हुए बच्चों के संबंध में प्ररूप 16 में त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत करेगी;

(vi) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उन बालकों की पुनर्वास कार्य प्ररूप 14 में जारी करना;

(vii) रजिस्टर में आगे दर्शाए गए अभिलेखों को रखना:—

(क) किसी दिन सूचीबद्ध मामलों और अगली तारीख की प्रविष्टियां तथा समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों की दैनिक मामला सूची तैयार करना;

(ख) समिति के समक्ष लाए गए बालकों की प्रविष्टियां और विवरण तथा जिन बालदेखरेख संस्थाओं में बालकों को रखा गया उन संस्थाओं के ब्यौरे तथा जिन स्थानों पर बालकों को भेजा गया उन स्थानों के पते;

(ग) बंधपत्रो का निष्पादन;

(घ) संस्थाओं के दौरे सहित जाने -आने का विवरण;

(ङ) दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए गए बालक;

(च) प्रायोजन में रखे गए या रखे जाने के लिए अनुशसित बालक;

(छ) व्यक्तिगत या सामूहिक पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बालक;

(ज) किसी अन्य समिति को भेजे गए या किसी अन्य समिति से प्राप्त हुए बालक;

(झ) बालक, जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है;

(ञ) पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए बालक;

(ट) समिति का निरीक्षण अभिलेख;

(ठ) समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख;

(ड) प्राप्त हुए और भेजे गए पत्र;

(ढ) अन्य कोई अभिलेख या रजिस्टर, जिसकी समिति को आवश्यकता हो।

(vii) (क) कम से कम पांच साल तक मामलों का रिकॉड रखे ।

(viii) इस नियम के खंड (vii) में सूचीबद्ध समस्त जानकारी का अंकनीय किया जाए और साफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए जितना कम से कम पांच साल के मामले का रिकॉर्ड रखा जाता है

(ix) यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी विधिक संरक्षक वाले बालकों को उनकी आयु पर विचार किए बिना शीघ्रतिशीघ्र अधिनियम, नियमों तथा विनियम में यथा-उपबंधित समय-सीमा के भीतर दतकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है;

(x) बिना संरक्षक वाले और कई वर्षों में अपने संरक्षकों के संपर्क में न रहने वाले बालकों के साथ बातचीत करेगी तथा बालक, देखरेख और दतकग्रहण सहित परिवार आधारित देखभाल के लाभ के लिए उन बालकों की परामर्श देगी;

(xi) यथास्थिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशिष्ट दतकग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्था को निर्देश देते हुए और दतकग्रहण के लिए बालक की विधिक स्थिति को घोषित करने की प्रक्रिया में बालक के प्रस्तुतिकरण के मामले में वास्तविक और वर्चुअल दोनों तरीके से सभी संबधित के साथ बातचीत करेगी;

अध्याय 5

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया

18. समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.—(1) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों कार्य समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु जहाँ बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां स्वत: समिति बालक तक पहुंचने के लिए ऐसे बालक के स्थान तक जाएगी।

(1) (क) उन असाधारण स्थितियों में, जब बालक और समिति किसी असम्भाव्य परिस्थितियों के कारण एक दुसरे तक पहुंचने में निर्बाधित हो वहां बालक को वर्चुअल तरीके से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और समिति पहले ही अवसर में बालक के साथ आमने सामने बातचीत करेगी ।

(2) जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह प्ररूप 17 में रिपोर्ट करेगा, जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होते ही इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) बालक से विचार-विमर्श करने के बाद समिति उस बालको उसके माता-पिता या संरक्षक के पास या जिस समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया गया हो, उस समिति के निकट बाल गृह होने पर ऐसे बालगृह में उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने की दशा में उस बालक को किसी उपयुक्त संस्था में रखे जाने के निर्देश जारी कर सकेगी।

(5) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य बालक को बालगृह में रखे जाने के आदेश **प्ररूप 18** में जारी करेगा।

(6) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए बालक की तात्कालिक चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होने पर ऐसी जांच के आदेश जारी करेंगे।

(7) परित्यक्त या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जांच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी करने से पहले समिति यह देखेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।

(8) समिति यथास्थिति जांच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय, उसके माता-पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखने के लिए **प्ररूप 19** में आदेश करते हुए ऐसे माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को **प्ररूप 20** में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी।

(9) जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है, तब जांच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के **प्ररूप 18** में जारी किए गए आदेश की प्रति बाल देखरेख

संस्था और बालक के माता-पिता, संरक्षक और पिछले अभिलेख के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजी जाएगी।

(10) समिति यह सुनिशिचित करेगी कि इस नियम में निर्दिष्ट बालक से सम्बंधित सूचना केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये, पोर्टल पर अपलोड की गई है

19. जांच की प्रक्रिया,—(1) समिति उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनमें बालक को प्रस्तुत किया गया है, और तदनुसार ऐसे बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आगे जांच कार्य लंबित रहने के समय समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से प्रथमद्रष्टया - बालक की आयु अवधारित करेगी।

(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति **प्ररूप 21** में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला किसी सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन को सौंपेगी।

(4) बालक को गैर-संस्थागत देखरेख में रहने के मामले में, समिति प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने कि लिए सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश देगी और संस्थागत देखभाल के मामले में प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने हेतु सम्बंधित बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन को निदेश देगी जिसमें पुनर्वास योजना भी शामिल है

(4) (क) प्रत्येक बालक के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना, चाहे वो संस्थागत देखरेख में हो या गैर-संस्थागत देखरेख में, को बालक के इतिहास, परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए गैर-संस्थागत देखरेख में दत्तक ग्रहण शामिल नहीं होता है।

(5) जाँच कार्य में नैसर्गिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता-पिता या संरक्षक की जानकारी-प्राप्ति भागदारी सुनिश्चित होगी। बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों को उल्लेख किया जाएगा।

(6) समिति बालक से संवेदनशील और बालक के अनुकूल तरीके से सवाल जवाब करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

(7) समिति प्ररूप 19 के अनुसार बालक को उसके सर्वोत्तम हित में नियुक्त या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्टों के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी।

(7) (क) समिति मामले का निपटारा करते हुए सस्था मे बालक को रखते यह सुनिश्चित करेगी की वह सस्था अधिनियम की धारा 41 के अधींन एक पंजीकृत बाल देखरेख सस्था हो या अधिनियम की धार 51 के अधीन घोषणा उचित सुविधा हो ।

(8) सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर-सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी या जिला बाल सरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण प्ररूप 22 के अनुसार होगा और इसमें बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिये तथा लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये की क्या बालक के परिवार को उसका प्रत्यवर्तन उस बालक के सर्वोतम हित में होगा ।

(8) (क) जिला बाल सरक्षण इकाई पद्रह दिन के भीतर सामाजिक अन्वेषक पूरा करने के पश्चात,बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे ।

(9) बालक को नियुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता – पिता अथवा संरक्षक को परामर्शदाता के पास भेज सकेगी ।

(10) समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेगी जिनमे चिकित्सीय रिपोर्टे, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट , कोई अन्य रिपोर्ट (र्टे) और बालक के विषय मे समिति द्वारा पारित आदेश शामिल होंगे ।

(11) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को पेशी की अगली तारीख की जानकारी पिछली तारीख के बाद अधिकतम 15 दिनों की अवधि में देगी और ऐसी प्रत्येक तारीख को जांच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी।

(12) जांच कार्य के दौरान लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किए जाने की पहली तारीख से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्देश उस व्यक्ति या संस्था को देगी, जिसके पास बालको को रखा गया है।

(13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन, समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

(14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए अभिहित सदस्य उपस्थित होगा ।

(15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेलपूर्ण ढग से कार्य करेगी और इसलिय अपनी कोई उप-समिति गठित नहीं करेगी।

(16) जहां किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या देश में प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहां समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी, जैसे कि अनापति प्रमाणपत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यलयों और विदेशी मंत्रालय से संपर्क करना, किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक सगठन से संपर्क करना, जहां बालको को भेजा जाना है।

(17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर-सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी या जिला बाल सरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की गई ऐसी बालकी व्यक्तिगत देख – रेख योजना को शामिल करेगी।

(18) मामले का अंतिम निपटान करते समय , समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि मे बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह माह की अवधि तक मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, हर तीन माह में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी।

(19) जहां बालक किसी अन्य जिले का हो, वहां समिति आयु सबंधी घोषणा और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना संबंधित जिले की समिति को भेजेगी, जो कि व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन इस प्रकार करेगी जैसे कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो।

(20) व्यक्तिगत देखरेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 14 में जारी किए गए पुनर्वास कार्ड द्वारा की जाएगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करने वाली समिति के अभिलेख में शामिल होगा। ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(21) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक से संबंध मे समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

(22) जब कोई मातापिता या सं-रक्षक अधिनियम की धारा 35 की उप) धारा-1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता या संरक्षक प्ररूप पिता-23 में समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिस मामले में ऐसे मातापिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर - पाएं, उस मामले में समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विधिक सहायता परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करेगी। अभ्यर्पण विलेख **प्ररूप 24** के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा 3 के अधीन जांच शीघ्रतापूर्वक कराएगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता-पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो समिति उस बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(25) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखरेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में, ऐसा बालक चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) **प्ररूप 17** में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालप्राप्त हुआ और बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देखरेख आदेश **प्ररूप 18** में जारी करेगी।

(27) समिति अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए, यह अभिनिश्चित करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है।

(28) समिति जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोत्तम हित में उसके जन्मदाता माता-पिता या विधिक संरक्षक(कों) का पता लगाने के प्रयोजनार्थ बालक प्राप्त होने के समय में बहत्तर घंटे की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

(29) समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के बाद परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला आदेश **प्ररूप 25** में जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी।

(30) जहां बालक के माता-पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 82 के अनुसार होगी।

20. मामलों का लम्बित रहना.—(1) समिति प्रत्येक मामले का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगी और यदि किसी मामले में एक से अधिक बालक हों तो प्रत्येक बालक के लिए पृथक-पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। यह मामला निगरानी पत्र **प्ररूप 26** में होगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय-समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहां तक **प्ररूप 26** में उल्लिखित 'जांच कार्य की प्रगति का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं पर विचार किया जाएगा:—

(i) मामले के निपटान की समय-सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;

(ii) 'जांच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे।

(2) समिति लंबित मामलों की समीक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही रिपोर्ट **प्ररूप 16** में प्रस्तुत करेगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक तिमाही में एक बार निरीक्षण सहित समिति के कार्यकरण की समीक्षा और समिति की कार्यवाहियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन भी करेगा तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6

पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन

21. बाल देखभाल संस्थानों के रजिस्ट्रीकरण का तरीका(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाएं चलाने वाली सभी संस्थाओं,

चाहे वे संस्थाएं सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हों, को अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, चाहे वे संस्थाएं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति-प्राप्त हों।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं अपने नियमों, उप-नियमों, संगम-ज्ञापन, शासकीय निकाय की सूची, पदाधिकारियों, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र, संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई सामाजिक या जन सेवा के पिछले रिकॉर्ड के विवरण और व्यक्ति या संगठन से यह घोषणा कि उनका कोई पूर्व दोषसिद्ध का रिकॉर्ड नहीं है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुर्व्यवहार के कार्य या बाल श्रम के रोजगार में शामिल नहीं रहे हैं या उन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, की प्रति सहित प्ररूप 27 में आवेदन करेंगे;

(3) राज्य सरकार पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, प्ररूप 46 क में जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें मंगवाने के लिए आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजेंगे।

(4) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जिले में आवश्यकता की तुलना में प्राप्त होने वाले अनुरोधों की जांच कर सकेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट बाल देखरेख संस्था और अभिकरण या संस्था को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता, पृष्ठभूमि और पिछले रिकॉर्ड की जांच करेगा और विचार हेतु राज्य सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करेगा।

(6) सिफारिशें करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन का पंजीकरण;

(ii) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाएं, स्वच्छता और साफ-सफाई मनोरंजन सुविधाओं और पोषण योजना का ब्यौरा;

(iii) विगत तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित विवरण सहित संगठन की वित्तीय स्थिति और दस्तावेजों का रखरखाव;

(iv) संस्था या मुक्त आश्रय के संचालन के लिए शासकीय निकाय का संकल्प;

(v) नए आवेदकों के मामले में बच्चों के लिए सेवाएं जैसे कि चिकित्सकीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना;

(vi) संरक्षा, सुरक्षा और परिवहन और दिव्यांग बच्चों की सहायता और पहुंच की व्यवस्था;

(vii) संगठन द्वारा चलाए जा रहे अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;

(viii) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के अधीन यथा-विहित ऐसे क्षेत्र पडोसी सीमा के भीतर किसी विद्यालय के पास की संस्था;

(ix) बालकों को आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने पर अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, निगम तथा अन्य समुदाय आधारित अभिकरणों के साथ सहलगन और नेटवर्किंग का ब्यौरा;

(x) मौजूदा कर्मचारियों का उनकी अर्हता तथा अनुभव सहित ब्यौरा;

(xi) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पंजीकृत तथा उपलब्ध निधियों यदि कोई हों, का ब्यौरा;

(xii) व्यक्ति या संगठन की ओर से यह घोषणा कि उनका कोई पिछला दोषसिद्धि का रिकॉर्ड नहीं रहा है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुरुपयोग के किसी कार्य या बाल श्रम के नियोजन में शामिल नहीं रहे हैं;

(xiii) राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित कोई अन्य मानदंड;

(xiv) सिफारिश करते समय, जिला मजिस्ट्रेट वर्तमान संस्थाओं के कब्ज़ा स्तरों तथा अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रशिक्षणों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संस्थाओं की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा ताकि वे अधिनियम के अधीन उपबंधों के साथ बाल देखरेख संस्थाओं के अनुपालन को सुनिश्चित कर सके;

(xv) इस संबंध में प्रमाण कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और नियमों का अनुपालन कर लिया गया है।

(7) राज्य सरकार, अधिनियम और नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास सुविधाओं, रोजगार सुविधाओं और पुनर्वास के लिए संस्थान में मौजूद प्रावधानों का सत्यापन करने के पश्चात् तथा जिले की मांगों और आवेदक संस्थान के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सिफारिश की जांच करने के पश्चात् प्ररूप 28 में अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन ऐसी संस्थान को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।

(8) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय, निम्नलिखित पर विचार करेगी, अर्थातः—

(i) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें;

(ii) इस बात की पुष्टि करेगी कि सभी पात्रता शर्तों को अधिनियम के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

(iii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित किसी अन्य मानदंड का पालन कर लिया गया है।

(9) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंतरिम पंजीकरण की अनुमति नहीं देगी और राज्य सरकार आवेदन की प्राप्ति की तारीख

में एक मास की समाप्ति के पूर्व यह आदेश जारी करेगा कि संस्था, अंतरित पंजीकरण का भी हकदार नहीं है।

(10) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के अधीन पंजीकृत जिले के सभी संस्थानों का विस्तृत वार्षिक निरीक्षण करेगा और ऐसा निरीक्षण प्ररुप 46 के अधीन यथा उपबंधित फॉर्मेट में दिया जाएगा।

(11) यदि निरीक्षण और वार्षिक समीक्षा में यह पता चलता है कि अधिनियम और नियमों के अधीन यथा अधिकथित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और एकीकरण सेवाओं तथा संस्थान के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन संतोषजनक रूप से नहीं हुआ है या फिर सुविधाएं पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार किसी भी समय संस्था के प्रबंधन को नोटिस जारी करेगी और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यह घोषणा करेगी कि संस्था या संगठन का पंजीकरण नोटिम में विनिर्दिष्ट तारीख में वापस ले लिया जाएगा या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख में संस्था को अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी।

(12) यदि कोई संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहता है या वह उक्त उपबंध में निर्धारित समय मीमा के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है वा उसे अंतरिम पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है तो उक्त संस्था का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा या उसमें रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(13) सभी संस्थाएं पंजीकरण की अवधि के समाप्त होने से तीन माह पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने के लिए बाध्य होगी और संस्था के पंजीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने में उनकी असफलता के मामले में संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगा और इस नियम के उप-नियम (8) के उपबंध लागू होंगे।

(14) किसी संस्था के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(15) पंजीकरण के नवीकरण पर विनिश्चय नवीकरण की अपेक्षा वाले वर्ष में प्ररुप 46 क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए बार्षिक निरीक्षण पर आधारित होगा।

(16) केंद्रीय सरकार, आवेदन की प्राप्ति और प्रक्रिया या पंजीकरण देने या उसके रद्द करने के लिए मॉडल ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने को सुकर बनाएगी और इस बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद प्रणालियां जारी रहेगी।।

"21 क समूह पालक देखरेख के पंजीकरण का तरीका:

(1) प्रत्येक समूह पालक देखरेख को इन नियमों के अधीन यथाविहित तरीके में अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी पालक परिवार जो समूह पालक देखरेख के अधीन बालकों की देखरेख करने के इच्छुक हैं, राज्य सरकार को आवेदन करेंगे। आवेदन के समय, पालक परिवार किसी भी पिछले दोषसिद्धि रिकॉर्ड या किसी अनैतिक कार्य में शामिल होने या बाल शोषण या बाल दुर्व्यहार के किसी कार्य में शामिल होने या इसे राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने के संबंध में भी प्ररुप 50 के अधीन घोषणा करेगा।

(3) समुचित सरकार, तब पालक परिवार के घोषणा पत्र का सत्यापन करेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो पालक परिवार दांडिक कार्रवाई और तत्काल अनर्हता के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, आवेदन को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को समूह पालक देखरेख का निरीक्षण करने और अपनी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार ने निफारिश की मांग प्राम होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निरीक्षण करेगा और प्ररुप 47 के अनुसार अपनी सिफारिश भेजेगा।

(6) जिला मजिस्ट्रेट समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए अपनी सिफारिमें करते समय यह जांच करेगा कि समूह पालक देखरेख में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, अर्थात्:—

(क) पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आश्रय तथा शिक्षा प्रदान करना;

(ख) बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, सहायता और उपचार प्रदान करना,

(ग) शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) मनोरंजन, खेल, संगीत, नृत्य, नाटक, कला, और इसी तरह की पाठ्येतर गतिविधियों के लिए आयु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना;

(ड.) बालक के हितों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;

(च) व्यक्तियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन,

(छ) पिछले तीन वर्षों के लिए व्यक्तियों की आयकर विवरणी;

(7) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने और यह सत्यापित करने के पश्चात् कि बालकों की देखरेख और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए प्रावधान मौजूद हैं, राज्य सरकार प्ररुप 48 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।

(8) जिला मजिस्ट्रेट संस्था के पंजीकरण के पश्चात् प्ररुप 47 में बार्षिक समीक्षा हेतु विस्तृत निरीक्षण करेंगे।

(9) अधिनियम की धारा 44 के अधीन अनिवार्य रूप में, बाल कल्याण समिति प्ररुप 47 के अनुसार समूह पालक देखरेख का मानिक निरीक्षण करेगी।

(10) सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निरीक्षण समितियों और बाल कल्याण समितियों की निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साझा की जाएगी।

(11) जहां कहीं जिला मजिस्ट्रेट या निरीक्षण समितियां या बाल कल्याण समिति समूह पोषण देखरेख को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती हुई पाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या समिति

सुविधा के पंजीकरण को रद्द करने की राज्य सरकार को सिफारिश करेगी और निम्नलिखित सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए बालकों को सुविधा से तत्काल स्थानांतरित करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, पंजीकरण कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रद्द होगा।"

22. मुक्त आश्रय गृह.—(1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आश्रय गृह स्थापित कर सकेगी।

(2) मुक्त आश्रय गृह स्थापित करने को इच्छुक या पहले से मुक्त आश्रय गृह चला रहे सभी संगठन और व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार को **प्ररूप 27** में आवेदन करेंगे।

(3) आवेदक मुक्त आश्रय गृह खोलने की आवश्यकता की रिपोर्ट और उसके साथ उस स्थान पर बालकों की संख्या दर्शाने वाली बालकों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे, जिस स्थान पर मुक्त आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। समुचित पुलिस सत्यापन और यथावश्यक अन्य जान्च कार्य के बाद उस संगठन या व्यक्ति का चयन मुक्त आश्रय गृह चलाने के लिए किया जा सकता है।

(4) मुक्त आश्रय गृहों का रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप 28 में किया जाएगा।

(5) मुक्त आश्रय गृहों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़े धोने और शौचालय सुविधाओं तथा राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य सुविधा सहित दिवस देखरेख और रेन बसेरा सुविधाएं शामिल की जा सकेंगी ।

(6) किसी मुक्त आश्रय गृह की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उसमें एक बार में पच्चीस बच्चों को रखा जा सके और उसमें रसोईघर, भोजन परोसने की सुविधाएं, स्नानगृह और शौचालय, लॉकर और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

(7) जिन मामलों में मुक्त आश्रय गृह की प्रभारी एजेंसी यह पाए कि किसी बालक को अल्पकालिक देखरेख और संरक्षण से बढ़कर चौबीस घंटे से अधिक के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो ऐसे बालक को आगे उपयुक्त उपायों के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(8) मुक्त आश्रय गृह देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी भी बालक को किसी भी समय प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे ।

(9) प्रत्येक मुक्त आश्रय गृह अपने यहां सेवाएं पाने वाले बालकों के विषय में मासिक सूचना प्ररूप 29 में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को भेजेगा।

23. पालन पोषण देखरेख.—(1) राज्य सरकार देखरेख और सरंक्षण के ज़रूरतमंद बालकों को समिति के आदेश के माध्यम से संक्षिप्त या विस्तृत अवधि के लिए सामूहिक पालन पोषण देखरेख सहित पालन पोषण देखरेख में रख सकेगी ।

(1क) बालकों का पोषण देखरेख में रखते समय, राज्य सरकार वरीयता क्रम में निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी,अर्थात—

i. बालक को एक सामान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखा गया है;

ii. पहली वरीयता बालक के विस्तारित परिवार को दी जाएगी, जिसमें बालक के जैविक या दत्तक माता-पिता सम्मिलित नहीं हैं;

परन्तु परिवार का कोई भी तत्काल या विस्तारित सदस्य बालक पर दुर्व्यवहार का कथित आरोपी/अपराधी न हो।

iii. दूसरी वरीयता बालक के ज्ञात गैर-रिश्तेदार परिवार को दी जाएगी।

iv. गैर-रिश्तेदार पोषण परिवार को तीसरी वरीयता दी जाएगी ।

v. समूह पोषण देखरेख को चौथी वरीयता दी जाएगी।

(2) किसी जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल प्राधिकरण होगी।

(3) किसी बालक को पालन पोषण देखरेख में रके जाने से सम्बंधित सभी निर्णय समिति द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर लिए जाएंगे। छह वर्ष या इससे अधिक आयु-वर्ग के बालकों को इन नियमों के नियम 44 के उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा । जहाँ तक संभव हो सके, छह वर्ष से कम आयु के बालकों को दत्तकग्रहण में रखा जाएगा

(4) समुदाय में रह रहे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को भी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्ररूप 31 में तैयार की गई बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(5) समिति पालन पोषण देखरेख के स्वरूप का निर्धारण करने से पहले बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना और बालक की आयु और परिपक्वता को विधिवत ध्यान में रखते हुए उसकी राय पर विचार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक को सूचित और तैयार किया जाएगा।

(6) बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देखरेख अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है। अल्पकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(7) दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी। यह अवधि पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले माता-पिता या सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के साथ बालक की अनुकूलता के निर्धारण के आधार पर बालक की आयु अठारह वर्ष हो जाने तक समिति द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

(8) प्रत्येक बालक के पारिवारिक परिवेश में बढ़ने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए, यदि संभव हो सके तो बालक को उसके जन्मदाता माता-पिता से पुनः मिलाने हर संभव प्रयास किया जाएगा।

(9) बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने से पहले समिति जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट प्ररूप 30 में प्राप्त करेगी।

(9) (क) जिला बाल संरक्षण इकाई निर्देश के दिन से 30 दिन के भीतर समिति को यानि पोषण देखरेख परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(10) विशेष जरूरत वाले बालकों को या तो पोषक परिवार या सामूहिक में पालन पोषण देखरेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा, परंतु यह कि पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट में उस परिवार की उपयुक्तता का समर्थन किया गया हो या सामूहिक देखरेख व्यवस्था में ऐसे बालकों की देखरेख की सुविधाएं मौजूद हों।

(11) किसी भी दिए गए समय में पोषण देखरेख के अधीन रखे गए बालकों की संख्या पोषण परिवार के जैविक बालकों छोड़कर दो बच्चों (भाई-बहन के सिवाय) से अधिक नहीं होगी और समूह पोषण देखरेख के अधीन बालकों की संख्या पोषण देखरेख से जैविक बच्चों सहित आठ बच्चों से अधिक नहीं होगी।

(12) पोषक परिवार का चयन करते समय जिला बाल संरक्षण इकाई जिन मानदंडों पर विचार करेगी, वे इस प्रकार होंगे:

(i) पोषक माता-पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए;

(ii) पोषक माता-पिता उस बालक का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक होने चाहिए;

(iii) पोषक माता-पिता की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए;

(iv) आमतौर पर पोषक माता-पिता की आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वे बालक की जरूरतों की पूर्ति कर सकें;

(v) पोषक परिवार के परिसरों में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्टे प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी), तपेदिक (टीबी) और हेपेटाइटिस बी इत्यादि शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं; और

(vi) पोषक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए |

(13) जिला बाल संरक्षण इकाई, जब समूह पोषण देखरेख तय करने का चयन कर रही हो, निम्नलिखित दृष्टान्त रूप मानदंडों पर विचार करेगी, अर्थात् :—

(i) समूह पोषण देखरेख सेटिंग इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत होगी और समूह पोषण देखरेख सेटिंग का निरीक्षण इन नियमों के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार संचालित होगा;

(ii) इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत समूह पोषण देखरेख सेटिंग, अधिनियम और इन नियमों के अधीन दिए गए मानदंडों और मानकों का पालन करेंगे तथा इन नियमों के अधीन अधिकथित मानदंड और मानक समूह पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के अनुसार लागू होंगे, जो पोषण देखरेख करने वाले व्यक्तियों के जैविक बालकों सहित अधिकतम आठ बालकों की संख्या होगी;

(iii) बाल संरक्षण नीति का अस्तित्व;

(iv) बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और उचित सुख सुविधाएं;

(v) आठ बालकों से अधिक आवासन की कोई सुविधा जिसके अंतर्गत समूह पालन पोषण देखरेख में जैविक बालक भी हों, बाल देखरेख संस्था के रूप में पंजीकृत की जाएगी;

(vi) परिसरों में निवास कर रहे समूह पालन पोषण देखभालकर्ता के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट जिसमें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्षय रोग और हेपेटाइटिस बी आदि के लिए रिपोर्ट भी है, यह अवधारण करने के लिए कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं, प्राप्त की जाएगी।

(14) केंद्रीय सरकार गैर-संस्थागत देखरेख के लिए मोडल दिशानिर्देश जारी करेगी जिसमे पालन पोषण देखरेख और समूह पालन-पोषण देखरेख हामिल है, जिसके आधार पर पालन पोषण देखरेख और सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सर्कार द्वारा अधिसूचना की जाएगी |

(15) समिति बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने का अंतिम आदेश प्ररूप 32 में पारित करेगी, जिसमे बालक को पालन पोषण देखरेख में रखे जाने की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(16) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता बालक का की पालन पोषण देखरेख के लिए प्ररूप 33 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

(17) जिला बाल संरक्षण इकाई पालन पोषण देखरेख में रखे गए प्रत्येक बालका अभिलेख प्ररूप 34 में रखेगी।

(18) समिति पोषक परिवारों या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाताओं का मासिक निरिक्षण प्ररूप 35 में करेगी, ताकि बालकी भलाई सुनिश्चित की जा सके।

(19) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता निम्नलिखित प्रदान करेंगे:

i. पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना;

ii. बालक के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, तथा उपचार उपलब्ध करना;

iii. शोषण, दुर्व्यवहार, क्षति, उपेक्षा और दुरूपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना;

iv. आय के अनुसार उपयुक्त मनोरंजन, पाठ्येत्तर कार्यकलापों, जैसे की खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कला इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराना;

v. बालक की रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

vi. बालक की निजता और उसके जैविक परिवार या संरक्षक का आदर करना और यह स्वीकारना की उनके विषय में प्रदान की गयी कोई भी जानकारी गोपनीय है तथा बिना पूर्वसहमति के किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी-;

vii. आपात परिस्थितियों में उपचार कराना तथा समिति और जैविक परिवार को इस बात की जानकारी देना, जो कि आवश्यक होने पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी;

viii. बालक के सर्वोत्तम हिट को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श से बालक और उसके जैविक परिवार के बीच सहायता संपर्क;

ix. बालक की प्रगति के विषय में जानकारी समय समय पर समिति तथा बालक के जैविक परिवार को प्रदान करना तथा उनसे विचार-विमर्श करना तथा समिति के निर्देशानुसार बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, और;

x. यह सुनिश्चित करना की बालक कि स्थिति हमेशा ज्ञात रहे, जिसमे पते, छुट्टी की योजनाओं में बदलाव और बालक के भाग जाने की घटनाओं की सुचना समिति को देना शामिल है।

(20) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख को पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से काली सूची में डाल दिया जायेगा और अधिनियम के अधीन बच्चे को दत्तक लेने के लिए भी पात्र नहीं होगा:—

i. यदि पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों को नैतिक नीचता वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, और इस तरह की सजा को पलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गयी है;

ii. यदि किसी जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज बाल शोषण या मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत को साबित किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक काली सूची में डाला गया पोषक परिवार या सामूहिक पोषक परिवार पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

24. प्रायोजन.—(1) राज्य सरकार प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसमे निम्नलिखित शामिल हो सकते है:—

i. व्यक्तिगत व्यक्ति से व्यक्ति का प्रायोजन;

ii. सामूहिक प्रायोजन;

iii. सामुदायिक और संगठनात्मक प्रायोजन;

iv. प्रायोजन के माध्यम से परिवारों को सहायता; और

v. बालगृहों और विशेष गृहों में सहायता।

vi. सार्वजनिक या निजी संस्थानों, कंपनियों या निगमों के माध्यम से प्रायोजन;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के उद्देश्य हेतु प्रायोजन को परिवार या रिश्तेदार या संरक्षक को बच्चे को वापस करने के उद्देश्य के लिए परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) जिला मेजिस्ट्रेट हितधारकों के साथ परामर्श से जिले के लिए प्रायोजकता योजना बनाएगा, सार्वजनिक और निजी योगदानों के माध्यम से संसाधनों का सृजन करेगा कि जिले में संवेदनशील बच्चों को उनकी अपेक्षा के अनुसार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाए।";

(2) (क) जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे के प्रायोजन में रूचि रखने वाले व्यक्तियों या परिवारों या संगठनों का पैनल तैयार करेगा।

(3) इस पैनल में शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रूचि के क्षेत्रों तथा प्रायोजित के स्वरुप के अनुसार प्रायोजकों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई प्ररूप 36 में प्रायोजन के अंतर्गत बच्चों को रखने के लिए समुचित आदेश पारित करने हेतु बोर्ड या समिति या बच्चों के न्यायालय के पैनल को भेजेगी।

(5) जिला बाल संरक्षण इकाई, व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में प्राथमिक रूप से माता द्वारा बालक के नाम से परिचालित किया जाने वाला खाता खोलेगा और धन को जिला बाल संरक्षण इकाई से बच्चे के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(6) प्रायोजन की अवधि बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार होनी चाहिए जिसमें अठारह वर्ष तक की आयु की अवधि शामिल हो सकेगी और यह बच्चे के पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम तक भी विस्तारित हो सकेगी।

25. संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बालकों की पश्चात्वर्ती देखरेख .—(1) जिन बालकों को अठारह वर्ष की आयु हो जाने पर बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़कर जाना पड़ता है, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करके, उन्हें रोजगार के योग्य कौशल सिखाकर तथा समाज की मुख्यधारा में उनके पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए उन्हें रहने का स्थान उपलब्ध कराकर उनके लिए कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार तैयार करेगी।

(2) बाल देखरेख संस्था को छोड़कर जाने वाले किसी भी बालक को यथास्थिति समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के प्ररूप 37 के अनुसार आदेश पर इक्कीस वर्ष की आयु होने तक तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इक्कीस वर्ष की आयु हो जाने पर और दो वर्ष तक पश्चात्वर्ती देखरेख प्रदान की जा सकेगी।

"(2) (क) जिला मजिस्ट्रेट उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों, शिक्षा के लिए ऋण या बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बच्चों के लिए छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रवृत्तियों को सुगम बना सकता है और सरकारी स्कीमों या निजी व्यव्सायिओं के साथ अभिसरण को इस उद्देश्य के लिए खोजा जा सकता है।

(2) (ख) जिला मजिस्ट्रेट इस शर्त के अधीन कि यह कारबार या उद्योग या अभिकरण बच्चों के अनुरूप हो और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के अधीन अधिदेशित अनुसार बाल संरक्षण नीति के अनुकूल हो स्थानीय कारबार और उद्योग के सहयोग से कैम्पस प्लेसमेंट और शिक्षुता समनुदेशन को सुगम बना सकता है।

(2) (ग) जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने कि बच्चों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों की मदद से इन व्यवस्थाओं पर निगरानी रख सकेगा।"

(3) जिला बाल संरक्षण इकाई शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रुचि के क्षेत्र के अनुसार पश्चात्वर्ती देखरेख प्रदान करने को इच्छुक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी व रखेगी तथा उस सूची को बोर्ड या समिति और सभी बाल देखरेख संस्थाओं को उनके अभिलेख में रखे जाने के लिए भेजेगी।

(4) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामले का कार्यकर्ता निर्मुक्ति पश्चात योजना तैयार करेगा और उस योजना को बोर्ड या समिति को तब भेजेगा जब बालक द्वारा बाल देखरेख संस्था छोड़े जाने में दो मास का समय शेष हो तथा इस योजना में बालक की आवश्यकतानुसार ऐसे बालक के लिए पश्चात्वर्ती देखरेख की सिफारिश की जाएगी।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय निर्मुक्ति पश्चात योजना की निगरानी करते समय पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बालक द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे।

(6) पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में रखे गए बालकों को राज्य सरकार उनके आवश्यक खर्चों के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी; ऐसी निधियां सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएंगी।

(7) पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकेगा:—

(i) छह से आठ व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास;

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और व्यक्ति को रोजगार मिलने तक सहायता का उपबंध करना;

(iii) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक स्थापनाओं में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करना;

(iv) ऐसे व्यक्तियों से उनकी पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले परामर्शदाता की व्यवस्था करना;

(v) उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से पार पाने में उनकी सहायता करने के लिए सर्जनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना;

(vi) पश्चात्वर्ती देखरेख में रखे गए और उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना के आकांक्षी व्यक्तिओं के लिए ऋणों या सहायकी व्यवस्था ; और

(vii) राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवनयापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

26. बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंधन और मानीटरी करना.— (1) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्मिकों की संख्या दायित्वों, पदों, कार्यसमय और जिन बालकों के लिए उन कार्मिकों को कार्य करना है-, उन बालकों की श्रेणी के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) बाल देखरेख संस्था के कर्मचारी प्रभारी व्यक्ति के नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होंगे, जो अधिनियम और इन नियमों की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आदेश द्वारा उनके विशिष्ट दायित्व तथा जिम्मेदारियां अवधारित करेगा।

(3) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या संस्था की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा संस्था की क्षमता में वृद्धि के अनुपात में यह संख्या भी बढ़ेगी।

(4) यदि बाल देखरेख संस्थाओं में बालिकाएं रह रही हों तो केवल महिला प्रभारी और कर्मचारी नियुक्ति की जाएगी।

(5) बाल देखरेख संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो या अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी न रहा हो।

(6) पुलिस के सत्यापन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी बाल देखरेख संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही कार्य करेगा।

(7) सौ बालकों की क्षमता वाली संस्था में कर्मचारियों संबंधी सुझावपरक मानक इस प्रकार होंगे:

क्र. स.	**कार्मिक/कर्मचारीवृंद**	**संख्या**
1.	प्रभारी व्यक्ति (अधीक्षक)	1
2.	परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता (गैर-सरकारी संगठन) किसी बाल कल्याण अधिकारी को पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी अभिहित किया जा सकेगा	3
3.	परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक/ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ	2
4.	हाउस मदर / हाउस फादर	4
5.	शिक्षक/ट्यूटर	2 (अंशकालिक)
6.	चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)	1 (बुलाए जाने पर)
7.	अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारी/ स्टाफ नर्स/नर्सिंग अर्दली	1
8.	स्टोर कीपर- सह-लेखाकार	1
9.	कला और शिल्प और कार्यकलाप अध्यापक	1 (अंशकालिक)
10.	पीटी अनुशिक्षक-सह-योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)
11	रसोइया	2
12.	सहायक	2
13.	हाउस कीपिंग	2
14.	वाहन चालाक	1
15.	माली	1(अंशकालिक)

(8) जिन संस्थाओं में शिशुओं को रखा गया है, उन संस्थाओं के मामले में आवश्यकतानुसार आयाओं और अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

(9) बाल देखरेख संस्था के स्वरूप और अपेक्षा के अनुसार बालकों की संख्या, आयुवर्ग-, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध की श्रेणी के आधार पर पृथक्करण सुविधा और संस्था की संरचना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

(10) नियुक्त या तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कार्मिक संवेदनशीलता वाले बालकों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अभिमुखीकृत होंगे तथा अधिमानतः पूर्व-सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिक या पुनस्थापन महानिदेशालय के माध्यम से होंगे।

(11) सुरक्षा कार्मिकों के पास शस्त्र या बंदूकें नहीं होंगी लेकिन वे आपात परिस्थिति से निपटने, हिंसा पर काबू पाने और बालकों को संस्था से भागने से रोकने, तलाशी और खोज तथा सुरक्षा निगरानी कार्यकलाप चलाने के लिए प्रशिक्षित और विशेष कौशलों से संपन्न होंगे।

27. उपयुक्त सुविधा.—(1) बोर्ड या समिति सरकार या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था या संगठन से आवेदन प्राप्त होने पर उस सुविधा को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे, परंतु यह कि उस सुविधा का प्रबंध विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए किसी बालक को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से इच्छुक हो।

(2) मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियम, उप-नियम, संगम-ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति **प्ररूप 38** में भेजी जाएगी।

(3) उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता के लिए कोई सुविधा:—

(i) बालक की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति करेगी;

(ii) अपने पास रखे गए बालक को आधारभूत सेवाएं प्रदान करेगी;

(iii) अपने पास रखे गए किसी बालक से किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होने देगी; और

(iv) बोर्ड या समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करेगी।

(2) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित निरीक्षण और जांच के बाद कि इन नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के विशेष संदर्भ में प्रावधान संस्था में मौजूद हैं तथा यथा उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार के आधार पर ऐसी संस्था या संगठन को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता **प्ररूप 39** में प्रदान कर सकेंगे:

परंतु यह कि ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो।

(3) बोर्ड या समिति किसी संस्था या संगठन की मान्यता के आवेदन पर निर्णय वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि में लेंगे।

(4) उपयुक्त सुविधा के रूप में किसी संस्था या संगठन की मान्यता आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे इन नियमों के उप-नियम (4) के अनुसार आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) यदि बोर्ड या समिति प्रदान की जा रही देखरेख और संरक्षण, या उस सुविधा में मौजूद दशाओं, या अधिनियम के अधीन मान्यता-प्राप्त संस्था या संगठन के प्रबंधन के मानक में संतुष्ट न हो तो या अधिनियम की धारा 54 के अधीन नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट पर या किसी अन्य कारण से वे किसी भी समय कारण सहित आदेश द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में उस संस्था या संगठन की मान्यता को बोर्ड या समिति के आदेशों में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत कर सकेंगे और वह संस्था या संगठन अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपयुक्त सुविधा नहीं रहेगी।

(6) जहाँ बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रत्याहृत कर ली गई हो, वहाँ इस तथ्य की सूचना जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई, को भेजी जाएगी तथा ऐसी संस्था या संगठन के पास रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा या किसी अन्य बाल देखरेख संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

(7) बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की सूची कार्यालय में रखी जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को भेजी जाएगी।

(8) किसी संस्था या संगठन को आगे दर्शाए गए प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, जो कि इस प्रकार होंगे::

(i) अल्पकालिक देखरेख;

(ii) चिकित्सकीय देखरेख उपचार और विशिष्टीकृत उपचार;

(iii) मनश्चिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख;

(iv) नशामुक्ति और पुनर्वास;

(v) शिक्षा;

(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास;

(vii) गवाह संरक्षण; और

(viii) सामूहिक पालन पोषण देखरेख

(9) उपयुक्त सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार होंगी:—

(i) भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता और साफ-सफाई;

(ii) परामर्श सहित मानसिक स्वास्थय कार्यकलाप;

(iii) प्रथमोपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता;

(iv) सेतु शिक्षा और निरंतर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा; तथा

(v) मनोरंजन, खेलकूद, ललित कलाएं और सामूहिक कार्यकलाप ।

(10) किसी बालक को उपयुक्त सुविधा में उतनी अवधि के लिए रखा जाएगा, जितनी अवधि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को उपयुक्त प्रतीत हो ।

28. उपयुक्त व्यक्ति.—(1) वह व्यक्ति जो आवश्यक अवधि के लिए किसी बच्चे को देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो, बोर्ड अथवा समिति द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में पता लगाया जाएगा ।

(2) बोर्ड अथवा समिति बच्चे को लेने के लिए उनकी साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यवसायिक अर्हताएं, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उनकी इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल को अभिज्ञात करे तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगाए :

परन्तु एसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न नहीं होना चाहिए ।

(3) बोर्ड अथवा समिति भी ऐसे व्यक्ति की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहाँ कहीं संभव हो , ऐसे किसी व्यक्ति पर कराए गए पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात किसी बच्चे अथवा बच्चों के लिए आवश्यकता आधार पर एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

(4) बोर्ड अथवा समिति, यदि उपलब्ध कराई गई देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किसी अन्य कारण से असंतुष्ट होने पर , किसी भी समय , बोर्ड अथवा समिति के आदेश पर विनिर्दिष्ट तारीख से एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता को वापस लेने के तर्कसंगत आदेश के द्वारा वापस ले सकता है।।

(5) जहां किसी उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता बोर्ड द्वारा अथवा समिति द्वारा वापस ली जाती है, इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट , जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय, तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजी जाएगी और ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गए बच्चे को बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जाए।

(6) बोर्ड अथवा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बोर्ड तथा समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय में रखी जाएगी तथा जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को भेजी जाएगी।

(7) जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में बच्चे को एक उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख सकता है।

(8) उपयुक्त व्यक्ति:—

(i) बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा; तथा

(ii) बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(9) बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति के परामर्श से बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय बच्चे की उस अवधि को निर्धारित करेंगे जिसमें बच्चा उपयुक्त व्यक्ति के पास रहेगा।

(10) बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रखा जाएगा तथा ऐसे मामलों में जहां बच्चे को और अधिक देखभाल की जरूरत है, वहां समिति बच्चे के पालन-पोषण देखरेख प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है अथवा बच्चे के लिए अन्य आवास विकल्पों पर विचार करे। ऐसे मामलों में जहां बच्चे की प्लेसमेन्टअवधि 30 दिन से ज्यादा हो बोर्ड अथवा बाल न्यायालय बच्चे के संबंध में अगले आदेशों के लिए मामले को समिति को भेजे।

29. भौतिक अवसरचना.—(1) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा, अर्थात्:—

(i) संप्रेषण गृह:

(क) लड़कियों तथा लड़कों के लिए पृथक संप्रेषण गृह;

(ख) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनके आयु वर्ग अधिमानत: 7-11 वर्ष, 12-16 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण तथा पृथक्किकरण;

(ii) विशेष गृह:

(क) 10 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों तथा 11 से 15 और 16-18 वर्ष के आयु वर्गों के लड़कों के लिए पृथक विशेष गृह;

(ख) बच्चों की आयु और अपराध की प्रकृति तथा उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण तथा पृथक्करण;

(iii) सुरक्षा का स्थान:

(क) जघन्य अपराध करने के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए, जिनकी जांच लंबित है;

(ख) जांच के समापन पर जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए;

(ग) 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के आरोपी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, जिनकी जांच लंबित है;

(घ) जांच पूरी होने पर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए;

(ङ) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन बोर्ड के आदेशों अनुसार बालकों के लिए;

(iv) बाल गृह:

(क) जबकि 10 वर्ष से कम आयु के बाल और बालिकाऐ एक ही गृह में रखे जा सकतें है, 5-10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक स्नान करने और सोने की सुविधाएं रखी जाएंगी;

(ख) 7-11 वर्ष और 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक बाल गृह;

(ग) शिशुओं के लिए उचित सुविधाओं के साथ छह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए पृथक सुविधाएं;

(2) बाल देखभाल संस्थाएं बाल अनुकूल होंगी तथा वे किसी भी प्रकार के कारावास अथवा हवालात जैसी नहीं दिखेंगी।

(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था स्टाफ और इनमें रह रहे बालकों दोनों के उपयोग के लिए इस अधिनियम की एक प्रति तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रखेगी।

(4) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा गृह में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(5) कानून तोड़ने वाले बालकों के लिए तथा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए बाल देखभाल संस्थाएं प्रतिपादित मानदंड के अनुसार पृथक परिसरों में कार्य करेंगी |

(6)50 बालकों वाली प्रत्येक संस्था में भवन अथवा आवास हेतु सुझाए गए मानदंड इस प्रकार हो सकते है:—

(i)	2 शयनशाला (डोरमेटरी)	25 बालकों के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग फुट की अर्थात् 2000 वर्ग फुट
(ii)	2 कक्षाएं	25 बालकों के लिए 300 वर्ग फुट अर्थात 600 वर्ग फुट।
(iii)	रोगी कक्ष /प्राथमिक उपचार कक्ष	प्रत्येक 10 बालकों हेतु 75 वर्ग फुट अर्थात् 750 वर्ग फुट

(iv)	रसोईघर	250 वर्ग फुट
(v)	भोजन कक्ष	800 वर्ग फुट।
(vi)	भंडार गृह	250 वर्ग फुट।
(vii)	मनोरंजन कक्ष	330 वर्ग फुट।
(viii)	पुस्तकालय	500 वर्ग फुट।
(ix)	5 स्नान घर	प्रत्येक 25 वर्ग फुट अर्थात 125 वर्ग फुट।
(एक्स)	8 शौचालय	प्रत्येक 25 वर्ग फुट यानी 125 वर्ग फुट।
(xi)	कार्यालय कक्ष	(क) 300 वर्ग फुट (ख) प्रभारी व्यक्ति कक्ष 200 वर्ग फुट
(xii)	परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष	120 वर्ग फुट।
(xiii)	कार्यशाला	प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फुट की दर से 15 बालको के लिए 1125 वर्ग फुट ।
(xiv)	प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास	(क) प्रत्येक 250 वर्ग फुट के 2 कक्ष (ख) रसोई 75 वर्ग फुट (ग) स्नानघर सह शौचालय 50 वर्ग फुट
(15)	किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति हेतु 2 कक्ष	प्रत्येक 300 वर्ग फुट अर्थात 600 वर्ग फुट।
(xvi)	खेल का मैदान	कुल बालको की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र
	कुल	**8495 वर्ग फुट।**

(7) प्रभारी व्यक्ति संस्था में रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि वह विधि मान्य कारणों से बाल देखभाल संस्था में रहने में समर्थ नही है, तो संस्था का कोई अन्य वरिष्ठ स्टाफ सदस्य संस्था में रहेगा और बालकों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने तथा किसी संकट अथवा आपातकाल के मामले में निर्णय लेने की स्थिति में होगा।

(8)दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित या फिसलन रहित फर्श रखने होंगे ।

(9)उचित प्रकाश, सर्दियों में परिसर को गरम रखने और गर्मियों में ठंडा करने के प्रबंध, वातायन, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई वाले और जेंडर सुलभ और आयु अनुसार उचित तथा निशक्तता अनुकूल शौचालय तथा वार्वड तार की वार्ड वाली उंची दीवारें होंगी।।

(10) इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएं:—

(i) प्राथमिक उपचार किट, रसोई घर में अग्निशामक, मनोरंजन कक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, शयनागार, भंडार कक्ष तथा परामर्श कक्ष का प्रावधान करेंगी;

(ii) इलेक्ट्रिकल स्थापनाओ की आवधिक जांच करेंगे;

(iii) उचित भंडारण तथा खाद्य वस्तुओं की जांच सुनिश्चित करेंगी; तथा

(iv) जल भंडारण तथा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए उद्यत प्रबंध सुनिश्चित करेंगी।

(11) पृथक रूप से सक्षम बालकों को विशेष अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सुविधाएं तथा उपकरण विशेषज्ञों अथवा अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में डिजाइन किए जाएंगे।

(12) अन्य संभार और कार्यत्मकआवश्यकताएं, जिन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, में निम्नलिखित शामिल होगा:

(i) कम्प्यूटर सेट;

(ii) फोटो कॉपियर;

(iii) प्रिंटर, स्कैनर-सह फैक्स;

(iv) इंटरनेट सुविधा सहित दूरभाष;

(v) वेब कैमरा;

(vi) पदाधिकरियों हेतु फर्नीचर, अभिलेख रखने की अलमारियां, वर्क स्टेशन, पहिएदार कुर्सी तथा चिकित्सा कक्ष के लिए स्ट्रेचर्स;

(viii) अध्ययन और भोजन हल हेतु कुर्सियां तथा मेज;

(viii) प्रोजेक्टर।

30. कपड़े, बिस्तर, टॉयलेट्रीज तथा अन्य वस्तुएं.—(1) कपड़े तथा बिस्तर मापदंड और जलवायु की पारिस्थितियों अनुसार होंगे। प्रत्येक बालकी आवशयकताओं तथा कपड़ो और बिस्तर हेतु न्यूनतम मानक इस प्रकार होंगे:—

क. बिस्तर		
क्र. सं	**वस्तु**	**प्रत्येक बाल को उपलब्ध करे जाने वाली प्रमात्रा**
1.	गद्दा	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष बाद 1
2.	सूती दरी	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात 2 वर्ष बाद 2
3.	बिछाने की सूती चादरें	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात 6 मास बाद 1
4.	तकिया (सूती)	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात 1 वर्ष बाद 1
5.	तकिया कवर	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात 1 वर्ष बाद 1
6.	सूती कंबल/खेस	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात 2 वर्ष बाद 1
7.	रुई भरी हुई रजाई	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात 1 वर्ष बाद 1,(ठंडे क्षेत्र में कंबलों के अलावा)
8.	मच्छरदानी	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात 6 मास बाद 1
9.	सूती तौलिए	प्रवेश के समय 2और तत्पश्चात प्रत्येक 3 मास बाद 1

ख. लड़कियों के लिए कपड़े		
क्र. सं	**वस्तु**	**प्रति बाल प्रमात्रा**
1.	स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज अथवा ब्लाउज और पेटीकोट सहित हाफ साड़ी	आयु तथा क्षेत्रीय वरीयताओं पर निर्भरकरते हुए लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 5 सेट
2.	उचित आयु के अनुसार अंतरीय	प्रति तिमाही में 3 सेट।
3.	सेनेटरी टावल्स	बड़ी लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 12 पैक्स
4.	ऊनी स्वेटर्स (पूरी बाजु वाले)	प्रति साल में 2 स्वेटर
5.	ऊनी स्वेटर्स (आधी बाजु के)	प्रति साल में 2 स्वेटर
6.	ऊनी शाल	प्रति वर्ष 1
7.	रात्रि में पहनने के कपड़े	प्रति 6 मास में 2 सेट
ग. लड़कों के लिए कपड़े		
क्र. सं	**वस्तु**	**प्रति बालप्रमात्रा**
1.	कमीज़	प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात प्रत्येक 6 मास के बाद 1
2.	निकर	प्रवेश के समय 2 तथा छोटे बालको के लिए तत्पश्चात प्रत्येक 6 मास के बाद 1
3.	पैंट	प्रवेश के समय 2 तथा बड़े बालको के लिए प्रत्येक 6 मास में 1
4.	आयु अनुसार उचित अंतरीय	प्रति तिमाही 3 सेट
5.	ऊनी जर्सियां (पूरी बाजू की)	वर्ष में 2
6.	ऊनी जर्सियां (आधी बाजू की)	वर्ष में 2
7.	ऊनी टोपियाँ	एक वर्ष में 1
8.	रात्रि में पहनने के लिए कुर्ता पायजामा	प्रत्येक 6 मास 2 सेट।

घ . विविध वस्तुएँ		
1.	स्लीपर	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात प्रत्येक छह माह बाद
2.	खेल के जूते	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात प्रत्येक एक वर्ष बाद 1 जोड़ी
3.	स्कूल वर्दी	स्कूल जाने वाले बालकों हेतु प्रत्येक छह माह 2 सेट
4.	स्कूल बैग	स्कूल जाने वाले बालकों के लिए प्रति वर्ष 1

5.	स्कूल के जूते	स्कूल में प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात प्रत्येक छह माह के बाद 1 जोड़ी
6.	रूमाल	प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 माह के बाद 2।
7.	जुराबें	प्रत्येक छ: मास में 3 जोड़ी
8.	लेखन सामग्री	आवश्यकतानुसार।

(2) उक्त विर्निद्रिष्ट कपड़ो के अतिरिक्त, समारोह के अवसरों पर उपयोग करने हेतु प्रत्येक बालको तीन वर्षों में एक बार, एक सफेद कमीज, निकर अथवा पैंट एक जोड़ी, एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते तथा एक ब्लेज़रउपलब्ध कराया जाएगा । लड़कियों के मामले में, एक सफ़ेद हाफ साडी अथवा एक सलवार कमीज अथवा एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज़, एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते तथा ब्लेज़र उपलब्ध कराया जाएंगा।

(3) संस्था से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल में, जहाँ भर्ती रोगियों की चारपाई का प्रावधान है, निम्नलिखित मानदंडो का अनुपालन किया जाता है :–

क्र.सं.	रात्रि के कपड़े तथा बिस्तर	आपूर्ति हेतु मानक
1.	गद्दा	3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
2.	बिछाने की सूती चादरें	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
3.	तकिया	प्रति दो वर्ष में प्रति बिस्तर एक
4.	तकिया कवर	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
5.	ऊनी कंबल	प्रति 2 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
6.	पायजामें तथा ढीली कमीजें (लड़कों हेतु अस्पताल की प्रकार की)	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
7.	लड़कियों के लिए स्कर्ट और ब्लाउजअथवा सलवार कमीज	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
8.	सूती दरी	प्रत्येक 3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक

(4) टॉयलेट्री **:** बाल देखभाल संस्था के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री जारी की जाएगी :

क्र.सं.	मद	प्रति बालक जारी की जाने वाली मात्रा
1	बालों के बनावश्रृंगार के लिए बालों का तेल	प्रति माह 100 एमएल
2	प्रसाधन साबुन/हैंडवाश	प्रति माह 100 ग्राम की दो टिकिया
3	टूथ ब्रश	प्रति 3 माह में 1
4	टूथ पेस्ट	प्रति माह 100 ग्राम की (ट्यूब)
5	कंघा	प्रत्येक 3 मा में 1
6	शेम्पू सैशे	माह में 8 (10 मिलीग्राम/प्रति सैशे)
7	बालों की क्लिप/ बैंड	3 माह में 2 पैक
8	मॉइस्चराइज़र रिचर्स अथवा कोल्डक्रीम (सर्दियों में	माह में 250 मिलीग्राम

(5) कपड़े और तौलिया, बिछाने वाली चट्टाई आदि धोने के लिया निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे:—

(i) धुलाई का साबुन: एक माह के लिए 3 साबुन (125 ग्राम) अथवा समकक्ष कपडे धोने का पाउडर;

(ii) केवल सफेद कपड़ों के लिए अपेक्षित सीमा में कपड़ों को सफेद करने अथवा विरंजित करने का पाउडर।

अस्पताल के कपड़े धुलाई के समय अन्य कपड़ों के साथ मिलाएं नहीं जाने चाहिए तथा यदिआवश्यक हो, तो अधीक्षक अस्पताल सा कपड़ो की धुलाई के लिए अलग से उक्त मदें जारी कर सकता हैं। अधीक्षक यथापेक्षित कपड़े धोने की मशीनें लगवा सकता हैं।

(6) बाल देखभाल संस्थानों को स्वास्थ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चीजें उपलब्ध कराई जाएगी:—

क्र. सं	मद	आपूर्ति का मापदंड
1.	झाड़ू	संस्था के क्षेत्र पर निर्भर रहते हुए प्रति माह 25 से 40
2.	कीटनाशक स्प्रे	संस्था के चिकित्सा की सलाह पर।
3.	खटमल मरने की कारगर दवा	यथापेक्षित।
4.	फिनाइल और साफ -सफाई का एसिड	संस्था के चिकित्सक की सलाहनुसार (दैनिक) साफ किए जाने वाले प्रक्षालन पात्रके क्षेत्र पर निर्भर
5.	मच्छर विकर्षक मशीनें	पर्याप्त पटीटका वाला प्रति माह प्रतिदर्श 2

31. स्वच्छता और साफ़- सफाई.—(1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं होगी, नामत—

(i) रसोई घर, शयनागार मनोरंजन कक्षों आदि जैसे आसानी से पहुंचने वाले परिसरों में अनेक स्थलों पर पर्याप्त उपचारित पयजल, जल शोधक लगाये जायंगे।

(ii) नहाने और कपड़े धोने , के परिसर के रखरखाव और साफ -सफाई के लिए गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी की व्यवस्था;

(iii) नियमित रखरखाव सहित समुचित जल निकास प्रणाली;

(iv) कचरे के निस्तारण की व्यवस्था;

(v) मच्छरदानी अथवा विकर्षक उपलब्ध कररा कर मच्छरों से सरक्षण;

(vi) वार्षिक कीट नियंत्रण;

(vii) सात बालको के लिए कम से कम एक शौचालय के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार स्नानागार की पर्याप्त संख्या;

(viii) दस बालको के लिए कम से कम एक स्नानागार के अनुपात में पर्याप्त रोशनी और हवादार स्नानागार की पर्याप्तसंख्या;

(ix) कपड़ों की धुलाई और उनके सूखने के लिए पर्याप्त स्थान;

(x) धुलाई मशीन जहाँ संभव हो;

(xi) साफ और मक्खियों के प्रवेश रहित रसोई और बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;

(xii) प्रत्येक मास में दो बार बिस्तरों तथा नियमित आधार पर कपड़ों को सुखाना;

(xiii) चिकित्सा केंद्र में साफ सफाई का रख रखाव;

(xiv) घर के सभी फर्शों की प्रतिदिन झाडना व पोंछना;

(xv) प्रतिदिन शौचालयों और स्नानघरों को दो बार साफ करना अथवा धोना;

(xvi) सब्जियों और फलों की उचित धुलाई तथा भोजन बनाने का स्वच्छ तरीका;

(xvii) प्रत्येक भोजन बनाने के उपरांत रसोई स्लैब, फर्श और गैस की सफाई;

(xviii) प्रत्येक खाद्य वस्तु और अन्य आपूर्तियों की देख रेख के लिए साफ और कीटरहित भंडार;

(xix) वर्ष में कम से कम एक बार बिस्तरों को संक्रमण रहित करना ;

(xx) सांसर्गिक अथवा संक्रमण रोग के मामले में प्रत्येक रोगी को चुटी मिलने के उपरांत रोगी कक्ष अथवा पृथक क्ष का धुर्मिकर्ण;

(xxi) चिकित्सा केंद्र में साफ सफाई।

32. दिनचर्या.—(1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श से किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ-साथ नियमित और अनुशासित जिंदगी, व्यक्तिगत साफ-सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण,सुव्यवस्तिथ मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गान और रविवारों और छुट्टियों तथा राष्ट्रीय छुट्टियों, त्योहारों, जन्म दिवसों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

33. पोषण एवं आहार मानक.—संस्था, निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण करेगा, अर्थात् :—

(i) बालकों को नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा।

(ii) संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी।

(iii) प्रत्येक संस्था नीचे यथा-विनिर्दिष्ट निर्धारित न्यूनतम पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगी।

क्र.सं.	आहार वस्तुओं के नाम	प्रति दिन प्रति बालक मानक
1.	चावल/गेहूं/रागी/ज्वार	600 ग्राम (16-18 वर्ष की आयु वर्ग को 700 ग्राम), जिसमें से कम से कम या तो गेहूं, रागी, ज्वार या चावल हो ।
2.	दाल/ राजमा/ चना	120 ग्राम।
3.	खाद्य तेल	25 ग्राम।
4.	प्याज	25 ग्राम।
5.	नमक	25 ग्राम।
6.	हल्दी	05 ग्राम।
7.	धनिया बीज चूर्ण	05 ग्राम।
8.	अदरक	05 ग्राम।
9.	लहसुन	05 ग्राम।
10.	इमली/आम चूर्ण	05 ग्राम।
11.	दूध (नाश्ते में)	150 मिली.
12.	सूखी मिर्च	05 ग्राम।
13.	पत्तेदार सब्जियां, पता रहित सब्जियां	100 ग्राम. 130 ग्राम.
14.	दही या छाछ	100 ग्राम/मिलीलीटर।
15.	सप्ताह में एक बार चिकन अथवा अंडे चार दिन	115 ग्राम।
16.	गुड़ और मूंगफली अथवा पनीर (केवल शाकाहारी को)	सप्ताह में एक बार प्रत्येक 60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम)।
17.	चीनी	40 ग्राम।
18.	चाय कॉफी	5 ग्राम।
19.	सूजी/पोहा	150 ग्राम।
20.	रागी	150 ग्राम।
	प्रतिदिन 50 बच्चों के लिए निम्नलिखित मदे प्रति दिन	
21.	काली मिर्च	25 ग्राम।
22.	जीरा के बीज	25 ग्राम।
23.	काली चना दाल	50 ग्राम।
24.	सरसों बीज	50 ग्राम।
25.	अजवाइन	50 ग्राम।
	10 किलो चिकन चिकन दिवस के लिए	
26.	गरम मसाला	10 ग्राम।
27.	कोपरा	150 ग्राम।
28.	खसखस	150 ग्राम।
29.	मूंगफली का तेल	500 ग्राम।

	बीमार बालको हेतु	
30.	ब्रेड	500 ग्राम।
31.	दूध	500 ग्राम
32.	खिचड़ी	300 ग्राम।
	अन्य मदें	
33.	केवल कुकिंग हेतु एल पी गैस	

(2) बालकों को अवकाशों, त्यौहारों, खेलकूद और सांस्कृतिक दिवस तथा राष्ट्रीय उत्सव समारोहों पर विशेष भोजन कराया जाएगा।

(3) शिशुओं और बीमार बालकों को उनकी आहारिय अपेक्षा पर चिकित्सक की सलाहानुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा।

(4) लौह और फोलिक एसिड सम्पूरकों की आवश्यकता सहित प्रत्येक बालक की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा।

(5) दिन के लिए व्यंजनों की सूची बाल समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा भोजन कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी।

(6) आहार में भिन्नता मौसमी तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार हो सकती है, सुझायी गई आहार किस्में नीचे दी गई हैं :—

(i) तूर (अरहर), मूंग (हरा चना) तथा चना (काबुली चना) अर्थात दाल की किस्में वैकल्पिक रूप से दी जाएं;

(ii) गैर-शाकाहारी दिनों पर शाकाहारी बालकों को या तो 80 ग्राम गुड़ और लड्डू के आकार में प्रति व्यक्ति 60 ग्राम मूंगफली या प्रत्येक अन्य स्वीट डिश या 100 ग्राम पनीर दी जाएगी;

(iii) मेथी (फेनुग्रीक), पालक (स्पिनच), सरसों (सरसों की पत्तियां), गोंगूरा थोतकुरा अथवा कोई अन्य साग आदि जैसी पत्तेदार सब्जियां भी सप्ताह में एक बार दी जा सकती हैं। यदि किसी संस्था में कोई किचन गार्डन सम्बन्ध है तो पत्तेदार सब्जियां उगाई तथा दी जानी चाहिए तथा अधीक्षक को सब्जियों के विभिन्न किस्में देने की कोशिश करनी चाहिए तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि सब्जियां कम से कम एक सप्ताह में दोहरायी नहीं जाएं;

(iv) मौसमी फल पर्याप्त मात्रा में गैर-दोहराव तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे;

(v) प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत मामलों में जब उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए अथवा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर इस शर्त के अध्यधीन की निर्धारित मानक अधिन नहीं हैं आहार के मानदंडों में अस्थायी विकल्प बना सकता है।

(7) भोजन का समय तथा सूची :—

(i) नाश्ता – 7.30 बजे (पूर्वाह्न) से 8.30 बजे पूर्वाह्न

(क) उपमा, गेहूं अथवा रागी से बनी चपातियां या अन्य कोई आहार;

(ख) गोंगूरा या ताजा करी पत्ता या ताजा धनिया या नारियल की चटनी तथा पुदीनादाल आदि, दाल या सब्जी एक डिश के रूप में दी जा सकती;

(ग) दूध;

(घ) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल

(ii) दोपहर का भोजन 12.30 बजे से 1.30 बजे अपराह्न तथा रात्रि का भोजन – 7.00 अपराह्न – 8.00 अपराह्न

(क) चावल या चपातियां या दोनों का संयोजन;

(ख) सब्जी करी;

(ग) सांभर या दाल,

(घ) छाछ या दही।

(8) अन्य:—

(i) मौसम पर निर्भर करते हुए, प्रभारी व्यक्ति को खाद्य के वितरण के समय में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा;

(ii) संस्था के चिकित्सक की सलाह पर या प्रभारी व्यक्ति के विवेकाधिकार पर, प्रत्येक रोगी बाल जिसे नियमित भोजन लेने से मना किया जाता है, उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, रोगी बालक के लिए मानदण्ड अनुसार चिकित्सा आहार जारी किया जा सकता है;

(iii) दूध, अंडे, चीनी तथा फलों जैसे पोषण का अतिरिक्त आहार नियमित आहार के अलावा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर जारी किया जायेगा। वजन बढाने अथवा अन्य स्वास्थय कारणों के लिए तथा दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों दिन में दिए जाने वाले निर्धारित आहार से बाहर रखा जायेगा।

(iv) राष्ट्रीय त्योहारों तथा त्योहारों के अवसर पर समय-समय पर बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दर पर बाल देखभाल संस्था में बालको विशेष दोपहर का भोजन अथवा रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिसके अंतर्गत:

(क) गणतंत्र दिवस(26 जनवरी);

(ख) स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त);

(ग) महात्मा गांधी का जन्मदिवस (2 अक्तूबर);

(घ) बाल दिवस (14 नवंबर);

(ङ) राष्ट्रीय त्यौहार;

(च) स्थानीय त्यौहार;

(छ) बाल देखभाल संस्था का वार्षिक दिवस भी है।

(ज) बाल देखरेख संस्था में 18वां बालक का जन्मदिन।

34. चिकित्सा देखभाल.—(1) सभी बाल देखभाल संस्थायों में, एक चिकित्सा अधिकारी बालकी नियमित चिकित्सा जांच और उपचार हेतु जब कभी आवश्यक होगा कॉल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) सभी बाल देखभाल संस्थाओं में नर्स या परा चिकित्सीय 24 घंटे उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था:—

i. प्रवेश के 24 घंटों के भीतर या विशेष मामलों में चिकित्सा आपातकाल के दौरान , तुरंत, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्था में दाखिल प्रत्येक बालकी चिकित्सा जांच की वयस्था करेगी।

ii. तबादले से पूर्व 24 घंटों के भीतर तबादले के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालकी चिकत्सा जाँच की व्यवस्था करेगी।

iii. मासिक चिकित्सीय जाँच के आधार पर प्रत्येक बालका चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी।

iv. यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा अभिलेखा में वजन और लम्बाई का अभिलेख , बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख शामिल हों।

v. दन्तों की जाँच, आँखों की जाँच तथा त्वचा समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग तथा बालकों के उपचार सहित त्रेमासिक चिकित्सा जाँच की सुविधाएं रखेगी।

V (क) निकटतम सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की सहायता से प्रत्येक बच्चे की आवधिक चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच की जाएगी;

vi. प्राथमिक उपचार किट रखने के लिए प्रत्येक संस्था तथा समस्त स्टाफ को प्राथमिक उपचार करने में प्रशिक्षित किया जायेगा;

vii. बालकों के प्रतिरक्षण टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी ;

viii. सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी ;

ix. बीमार बालकों को स्थिर चिकिसा पर्यवेक्षक के अधीन रखेगी;

x. बालक के माता-पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता-पिता को ढूंड पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी बालकी स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलम्ब होने से बालको अनावश्यक पीड़ा, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचने की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना उसका शल्य उपचार नहीं करेगी।

xi. संस्था प्रत्येक बालक को नियमित परामर्श प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी या ऐसी सेवाएं, जिसके अंतर्गत संस्था के परिवार में परामर्श सत्रों के लिए पृथक कमरे भी हैं, विशिष्ट मानसिक स्वस्थ्य सेवा कार्यकर्मो को सुनिश्चित करेगी।

xii. ऐसे बालक को, जिन्हें विशेष नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरुरत है, को अर्हता प्राप्त कर्मियों द्वारा चलाये जा रहे उपर्युक्त केन्द्रों या मंत्रालय या विभाग की किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत चलाये जा रहे केन्द्रो में भेजेगी, जहाँ इन कार्यक्रमों में सम्बन्धित बालक की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देशो को अपनाया जायेगा।

(4) पूर्ण रक्त गणना(सीबीसी), यूरिन रूटीन, एचआईवी, विडीआरएल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जांचे तथा एलर्जी या नशीले पदार्थो की लत का आधारभूत अन्वेषण बालकी जाँच करने के बाद चिकित्सक के सुझाव अनुसार संस्था में प्रवेश के समय सभी बालकों के लिए आयोजित किया जायेगा।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपेक्षित होगी तो गर्भावस्था या यौनिक अपराधो के पीड़ितो की बीमरियों की जाँच ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, यदि आवश्यक हुआ तो गर्भवस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुसाध्य बनाएगी।

(6) मुख्य या जिला चिकत्सा अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर अनुवांशिक समस्याओं, प्रतिरक्षण समझौता बीमारियों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं जैसी विशेष समस्याओं के निदान किए गए बालकों हेतु व्यवस्था करेगी। ये बाल विशेष देखभाल गृहों अथवा अस्पतालों में रखे जायेंगे तथा आवश्यक चिकित्सकीय/मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सहायता या उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

6 (क) राज्य सरकार में जिले में पर्याप्त सुविधाएं न होने की स्थिति में संपर्क कर सकेगी और सम्बन्धित राज्य सरकार सभी ऐसे मामले में आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

(7) कौमार्यता प्राप्त कर चुकी सभी लड़कियों में लौह की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो आहारीय योजना और दवाएं, विशेषज्ञ तथा नियुक्त चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(8) प्रत्येक बालकी मानसिक सामाजिक रूपरेखा का बाल देखभाल संस्था द्वारा रखरखाव किया जायेगा तथा इसे प्रत्येक मास अद्यतन किया जायेगा। जब आवश्यक होगा विशेष प्रेक्षणों का अभिलेख रखा जायेगा। संस्था का प्रभारी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि की गई अनुशंषा का विधिवत अनुपालन हो।

35. मानसिक स्वास्थ्य.—(1) किसी संस्था में माहौल शोषण से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि बाल अपनी परिस्थितियों का सामना कर सके तथा वे फिर से आत्मविश्वास प्राप्त कर सके।

(2) किसी संस्था में बालकों की देखभाल में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को ऐसे अनुकूल बनाने में अनिवार्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का प्रवंध करेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे

(3) दोनों प्रकार के परिवेश आधारित अन्तःक्षेप, जो बालकों के लिए समर्थ परिवेश और व्यक्तिगत चिकित्सा तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

(4) स्वाथ्य मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत राज्य या जिला स्तर पर सम्बंधित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वाथ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, परिवेश अंतःक्षेप पुनः निरोग होने की एक प्रक्रिया है, जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने के लिए प्रारम्भ होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालकी योग्यतायों का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिन्दगी के संबध में निर्णय लेने का अधिकार है और इस प्रकार, वे विश्वास करते हैं तथा अपने नकारात्मक अनुभवों से परे अपना विकास और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

(5) व्यक्तिगत चिकिस्ता एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक सवास्थ्य अन्तः क्षेत्र की व्यवस्था करेगी।

(6) प्रत्येक संस्था बालक के लिए विशेषीकृत तथा नियमित व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बालमार्गदर्शन केन्द्रो, मनोविज्ञान और मनः चिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों से भी प्राप्त की जा सकती है।

(7) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंषाओं को रखा जायेगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देखबाल योजना में समिलित किया जायेगा।

(8) किसी भी बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मनोवेज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थय समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी।

(9) केवल प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारिवृंद द्वारा बालकों को दवाएं दी जाएगी तथा न कि गृह के अन्य किसी स्टाफ द्वारा।

36. शिक्षा.—(1) प्रत्येक संस्था सभी बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार, आवश्कतानुसार, संस्था के भीतर या बाहर, शिक्षा प्रदान करेगी।

(2) शैक्षणिक अवसर, जिनमे विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा जहाँ आवश्यकता हो, विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा शामिल है उपलब्ध कराए जायेंगे।

(3) जहां कहीं आवश्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रशिक्षण केन्द्रो से संपर्क करके प्रदान की जाएगी।

(4) विशेषीकृत प्रशिक्षों और विशेषज्ञों को शारीरिक अथवा मानसिक विशेष जरूरतों वाले बालकों की शेक्षणिक जरूरतों की पूर्ति करने हेतु नियुक्त किया जायेगा। व्यक्तिगत देखभाल योजना में सिखने की विकृति की पहचान की जाएगी और मूल्यांकन किया जायगा तथा सुचना दी जायेगी। प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा बालको और सहायता दी जायेगी।

(5) शिक्षा कार्यक्रम और बालकों की उपस्थिति विनियामकता सुनिश्चित की जाएगी।

(6) बालकों को छात्रवृत्ति, अनुदान, और स्कीमे तथा प्रायोजकता प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

37. व्यावसायिक प्रशिक्षण.—(1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था बालकों को बाल देखभाल संस्था के भीतर अथवा बाहर, उनकी आयु, प्रकृति, अभिरुचि और योग्यता के अनुसार लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक चिकित्सा, कौशल और अभिरुचि आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के समापन पर उपयुक्त प्लेसमेंट करना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले वरीय रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान पाठ्यक्रम के समापन पर एक प्रमाणपत्र देंगे।

(3) जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण बाली देखभाल संस्था के परिसर से बाहर देने की पेशकश की जाती है. वहां बालकों, विशेषकर उन बालको को, जो जोखिम में है, उचित सुरक्षा आयोजना और सेवाओं के साथ ऐसे कार्यक्रमों हेतु मार्गरक्षण किया जाएगा।

(4) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बालकों का अभिलेख रखा जाएगा तथा प्रत्येक बाल द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट, तीमाही आधार पर जिला मजिस्ट्रेट प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट बालकों के कौशल और रोजगार प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के विद्यमान कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित कर सकेगा।

(6) बाल देखरेख संस्थान या गैर-संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक को कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण का विकल्प दिया जा सकता है।

38. मनोरंजन सुविधाएं.—(1) मनोरंजन सुविधाओं में इंडोर खेल और आउटडोर खेल, योग तथा ध्यान लगाना, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और बाहर ले जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागबानी और पुस्तकालय आदि शामिल किए जाएं।

(2) आउटडोर खेल-कूदों और खेलों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) पिकनिक और बाहर घूमने जाने में शिक्षा मेला अथवा विज्ञान मेल, संग्रहालय, तारामंडल, वनस्पति बगीचा, जीवजन्तु बगीचा आदि शामिल किए जाएं।

(4) त्योहारों पर अथवा राष्ट्रीय उत्सवों पर प्रतिभा दिखाने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

(5) पुस्तकालय में बाल अनुकूल वातावरण रखा जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें, अखबार, बालकों की पत्रिकाएं, पहेली पुस्तकें, तस्वीर पुस्तकें, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, ऑडियो और वीडियो उपकरण आदि होंगे।

(6) बालकों को एक माली द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी के साथ बागवानी के लिए घर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रत्येक बालक को स्वस्थ करने वाली प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए मनोरंजन कार्यकलापों की सूची में संगीत, नृत्य और कला चिकित्सा को समिलित किया जा सकता है।

(8) कार्यकलापों की नियमितता को, यदि आवश्यक हो तो संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से बनाए रखा जाएगा तथा यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को तिमाही आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

39. प्रबंधन समिति.—(1) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा प्रत्येक बालक की प्रगति के मानीटरी करने के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(2) व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के अनुसार उचित देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के संबंध में, बालकों का, उनकी आयु, अपराध की प्रकृति अथवा अपेक्षित देखभाल की प्रकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा देखभाल में रहने की अवधि के आधार पर समूह बनाया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति में निम्नानुसार शामिल होंगे.—

i. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) – **अध्यक्ष**

ii. भार साधक व्यक्ति-**सदस्य सचिव**

iii. परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता – **सदस्य**

iv. चिकित्सा अधिकारी- **सदस्य**

v. मनोचिकित्सक अथवा परामर्शदाता –**सदस्य**

vi. कार्यशाला पर्यवेक्षक अथवा व्यावसायिक अनुदेशक-**सदस्य**

vii. अध्यापक-**सदस्य**

viii. बोर्ड अथवा समिति के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य- **सदस्य**

ix. प्रत्येक बाल समिति से दो बाल प्रतिनिधि-**सदस्य**

x. अध्यक्ष की सहमति से कोई अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति।

(4) प्रबंधन समिति की, निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करने तथा समीक्षा के लिए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी:—

i. संस्था में देखभाल, आवास, कार्यकलाप के क्षेत्र तथा पर्यवेक्षेण के प्रकार अर्थात् अपेक्षित अंतःक्षेप:

ii. चिकित्सा सुविधाओं और उपचार;

iii. भोजन, पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थितियां:

iv. मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप,

v. बालको की अलग-अलग समस्याओं तथा संस्थागत समायोजन,

vi. व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं की तिमाही समीक्षा,

vii. विधायी सहायता सेवाओं का प्रावधान

viii. रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अवसर

ix. शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम,

x. सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, समूह कार्य कार्यकलापों, मार्गदर्शन और परामर्श देनाः

xi. आवासीय कार्यक्रमों की बालकों की जरूरतों के लिए प्रगति, समायोजन और उपातरण,

xii. पश्च देखभाल सेवाओं के सहयोग से दो वर्षों की अवधि में निर्मुक्ति पश्चात् अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् पुनर्वासः कार्यक्रम की योजना तथा यथास्थिति अनुवर्ती कार्रवाई:

xiii. निर्मुक्ति पूर्व अथवा पुनर्स्थान पूर्व तैयारी,

xiv. निर्मुक्ति अथवा पुनर्स्थान

xv. निर्मुक्ति पश्चात अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई

xvi. उपलब्ध अवंसरचना और सेवाओं सहित देखभाल के न्यूनतम मानक,

xvii. दैनिक दिनचर्या

xviii. शिक्षा व्यावसायिक क्रियाकलापों मनोरंजन और अभिरूचि जैसी बालक के आवासीय जीवन में सामुदायिक भागीदारी तथा स्वैच्छिक प्रतिभागिता

xix. इस अधिनियम और नियमों के अधीन विधिवत हस्ताक्षरित या मोहरयुक्त यथापेक्षित सभी रजिस्टरों को संस्था द्वारा रखरखाव करना, तथा मासिक बैठको में रजिस्टरों की जांच करना तथा सत्यापित करना,

xx. बालकों की समितियों से संबंधित मामले; और

xxi. अन्य कोई विषय जिसे भारसाधक व्यक्ति उठाना चाहे।

(5) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में एक शिकायत और निवारण तंत्र की स्थापना करेगी तथा कार्यालय सेट-अप से पृथक बालकों की सुगमता से पहुंच वाले स्थान पर तथा बालकों के आवास अथवा कमरों अथवा शयन कक्ष के नजदीक प्रत्येक संस्था में बालकों के लिए सुझाव पेटिका लगाई जाएगी।

(6) बालकों की सुझाव पेटिका की चाबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा बान समितियों के सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसकी जांच की जाएगी।

6 (क) जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रबंधन समितियों की सिफारिशें तथा जिले में सभी बाल देखरेख संस्थाओं से सुझाव पेटी से मासिक आधार पर बालकों से प्राप्त होने वाले सुझावों, इस पर की गई कार्यवाई का संकलन करेगी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि कोई समस्या अथवा सुझाव हो, जिस पर तुरंत ध्यान देना अपेक्षित हो, तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष इस पर विचार-विमर्श करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति की आपात बैठक बुला सकता है।

(8) आपातकालीन बैठकें करने का कोरम बाल समितियों के दो सदस्य, यथास्थिति, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, बोर्ड या समिति का सदस्य तथा बाल देखभाल संस्था का भारसाधक व्यक्ति सहित पांच सदस्य होंगे।

(9) संस्था के भारसाधक व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप अथवा शिकायत के मामले में, वह आपातकालीन बैठक का हिस्सा नहीं होगा तथा प्रबंधन समिति का अन्य उपलब्ध सदस्य, उसके स्थान पर बैठक में सम्मिलित किया जाएगा।

(10) सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त सभी सुझाव तथा आपातकालीन बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों में विचार- विमर्श तथा पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।

(11) प्रत्येक संस्था जहां प्रबंधन समिति द्वारा शिकायत तथा की गई कार्रवाई विधिवत अभिलेख की जाती है तथा ऐसी कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के उपरांत बाल समितियों को सम्प्रेषित की जाएंगी।

(12) बोर्ड अथवा समिति मास में कम से कम एक बार बालकों की सुझाव पेटिका की पुनर्विलोकन करेगी।

(13) शिकायत पेटिका समिति के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुलभ कराई जाएगी।

40. बाल समिति.—(1) बालकों के लिए प्रत्येक संस्था के प्रभारी व्यक्ति बालकों के 6 से 10, 11 से 15 वर्ष तथा 16 से 18 वर्ष के विभिन्न आयु वर्गों हेतु बाल समितियों की स्थापना को सुकर कराएंगे तथा यह बाल समितियां केवल बालकों के लिए गठित की जाएंगी।

(2) ऐमी बाल समितियां को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:—

(i) संस्था की स्थिति का सुधार;

(ii) अनुपालन की जा रही देखभाल के मानकों की समीक्षा करना;

(iii) दैनिक दिनचर्चा तथा आहार मापदंड तैयार करना,

(iv) शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं का विकास करना;

(v) प्रबंधन संकट में परस्पर सम्मान करना तथा परम्पर सहायता करना;

(vi) समकक्षों और देखभालकर्ताओं द्वारा शोषण की रिपोर्ट करना;

(vii) बाल पेपरों अथवा न्यूजलेटरों अथवा पेंटिग, अथवा संगीत अथवा थियेटर के माध्यम से उनके विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति ;

(viii) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था से संस्था का प्रबंधन।

(3) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि प्रतिमास बाल समिति की बैठक की जाए तथा उनके कार्यकलापों और कार्यवाहियों के अभिलिखित करने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा और इसे मासिक बैठकों में प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(4) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियों को अनिवार्य सहायता तथा सामग्रियां, जिनमें लेखन सामग्री, स्थान तथा कारगर कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन शामिल है, उपलब्ध कराई जाती है।

(5) भारसाधक व्यक्ति जहां तक व्यवहार्य होगा, बाल समितियों की स्थापना करने तथा कार्यकरण हेतु बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों से सहायता मांग मकता है।

(6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन अथवा बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञ निम्नलिखित में बाल समितियों की सहायता मांगेंगे:—

(i) चुनावों को आयोजित करने के लिए आयोजित किए जाने की प्रक्रिया की युक्ति निकालने में तथा उनके नेताओं को चुनना;

(ii) चुनावों और मासिक बैठकों का आयोजन करना;

(iii) बाल समितियों के कार्यकरण हेतु नियम बनाना तथा इनका पालन करना;

(iv) अभिलेखों और बाल सुझाव पुस्तिका तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज का रखरखाव करना; और

(v) कोई अन्य अभिनव कार्यकलाप।

(7) प्रबंधन समिति बाल समितियों की स्थापना तथा कार्यकरण पर भारसाधक व्यक्ति से रिपोर्ट मांगेगा, अपनी मासिक बैठकों में इन रिपोर्टो की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्रवाई करेगा अथवा इन्हें बोर्ड या समिति के समक्ष रखेगा, जहां कहीं आवश्यक हो।

41. निरीक्षण.—(1) राज्य सरकार, राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला मजिस्ट्रेट, जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे।

(2) राज्य निरीक्षण समिति में अधिकतम राज्य सरकार से सात सदस्य अर्थात् बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, चिकित्सा

और अन्य विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठन तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति में राज्य निरीक्षण समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) राज्य निरीक्षण समिति **प्ररूप 46** में राज्य में बाल आवास की अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन यथापरिभाषित बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

(4) राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के हाउसिंग के लिए है, संस्था में रहने वाले बालकों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी।

(5) राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजेगी।

(6) राज्य निरीक्षण समिति, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थाओं के सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट और राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(6) (क) राज्य निरीक्षण समिति का निरीक्षण रिपोर्ट को दौरे के दो सप्ताह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

(7) राज्य निरीक्षण समिति अपने बालकों को कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।

(7) (क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह के भीतर उपर्युक्त कार्यवाही की जाएगी और इसकी अनुपालन रिपोर्ट को दो माह की अवधि में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) जिला निरीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें, अर्थात्:—

(i) अपर जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष;

(ii) बोर्ड या समिति का सदस्य;

(iii) जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में;

(iv) जिले के मुख्य अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक चिकित्सा अधिकारी;

(v) बाल अधिकारों, देखरेख, संरक्षण और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी का एक सदस्य जो किसी बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन या संगठन का भाग न हो या किसी बाल देखरेख संस्था के संगठन में उसका कोई हित न हो

(vi) एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसे बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो; तथा

(vii) समाज से प्रतिष्ठित कोई अन्य व्यक्ति जिसका हितों का टकराव न हो, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझा जाए।"

(9) जिला निरीक्षण समिति **प्ररूप 46** में सभी बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

(10) जिले में आवास सुविधाओं का निरीक्षण प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(11) जिला निरीक्षण समिति, जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बाल देखभाल संस्थाओं में सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगी।

(12) जिला निरीक्षण समिति संस्था में अपने दौरे में बालको का कल्याण सुनिश्चित करने तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगी।

(13) जिला मजिस्ट्रेट जिला निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे।

(14) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को, जिला में कार्य कर रही बाल देखरेख संस्थाओं और उनके सुधार के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट वर्ष में एक बार प्रस्तुत करेगा।'

42. **मूल्यांकन**.—(1) प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सामाजिक कार्य के स्कूल, प्रबंधन संस्थाओं, विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ गठित बहु-अनुशासनात्मक समिति आदि जैसी संस्थाओं तथा अभिकरणों के माध्यम से तीन वर्ष में एक बार केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं, अथवा मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं तथा व्यक्तियों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) उक्त उप-नियम (1) के अनुसार मूल्यांकन के निष्कर्ष विभिन्न संरचनाओं के कामकाज को सुदृढ़ करने तथा सुधार करने के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में शेयर किए जाएंगे।

अध्याय 7

दत्तक ग्रहण

43. दत्तक ग्रहण संबंधी रिपोर्ट करना.—(1) बाल कल्याण समिति दत्तक विनियमों में उपलब्ध प्रारूपों में मासिक आधार पर ऑनलाइन प्राधिकरण के निर्णय हेतु लंबित मामलों तथा दतक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों से सम्बंधित आंकड़े भेजेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाईओं की सहायता से सम्बंधित राज्य दतक ग्रहण में संसाधन अभिकरणों को भी ये आंकड़े उपलब्ध करायेगी|

(2) उप-नियम (1) में दी जाने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप 16क में प्रदान की जाएगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति द्वारा प्ररूप 16क में प्रस्तुत रिपोर्ट के पुनरावलोकन के पश्चात, दतक के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों को दतक लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

44. बालक जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किए गए हैं, पोषण देखरेख के लिए पात्र होंगे.—(1) बालकों के निम्नलिखित प्रवर्गों का निम्नलिखित परिस्थियों में पोषण देख रेख के लिए विचार किया जायेगा:

(क) दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त समितियों द्वारा विचार किए जा रहे 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों तथा उन बालकों जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया

गया है, को जहां तक संभव होगा। पोषण देखरेख के लिए रखने पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बालक जिसे देश में दत्तकग्रहण या अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए परिवार नहीं मिलता है और उसे दत्तकग्रहण के लिए कठिन श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या समिति द्वारा सिफारिश पर पालक देखरेख में रखा जाने का पात्र होगा।

(ग) जहां बालक दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख के स्थान पर न्यूनतम दो वर्ष तक किसी परिवार पोषण देखरेख में रहा है, पोषण देखरेख करने वाला परिवार दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है तथा उस बालको दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित होने के बाद तथा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण होने के बाद दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाल दत्तक ग्रहण करने को वरीयता दी जाएगी।

45. जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व प्रक्रिया.—(1) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पाधिकृत) से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण विनियम में उपल्बध कराई जाएगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, दत्तक के आदेश हेतु आवेदन के उदेशय के लिए , अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) न्यायालय के समक्ष लंबित दत्तक ग्रहण मामलों से सम्बन्धित सभी मामले इन नियमों के लागू होने की तिथि से जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

46. आवेदन के निपटारे की अवधि.—(1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पाधिकृत अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन अथाउबन्धित है , आवेदन दाखिल करने की तारिक से दो महीने की अवधि के भीतर दत्तक के आदेश के लिए आवेदन का निपटारा करेगा।

(2) बालक की पहचान को अनावृत करते हुए दत्तक ग्रहण संबंधी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कोई सूचना या दत्तक ग्रहण आदेश दत्तक ग्रहण विनियम में नियत को छोड़कर निजी किसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी ।

47. दत्तक बालक के सरंक्षण के लिए विशेष उपबंध.—दत्तक बालक के साथ किए गए किसी अपराध के मामले में अन्य बालकों पर लागू विधि के अनुसार निपट जाएगा ।

48. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण से बाल देखरेख संस्थाओं का संपर्क.—दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ बाल देखरेख संस्थाओ का संपर्क इस अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों प्रावधानों तथा दत्तक ग्रहण विनियम द्वारा शासित किया जाएगा ।

49. प्राधिकरण के अतिरिक्त कृत्य.—(1) प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्य के अलावा निम्नलिखित कृत्यों के अनुपालन को निष्पादित करेगा, अर्थात्:

(क) प्राधिकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनितिक मिशन के माध्यम से किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारत के विदेशी नागरिक अथवा विदेश में रहने वाले विदेशी से आवेदन प्राप्त करना तथा इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन प्रक्रिया करना;

(ख) इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (12) के संबंध में किसी विदेशी अथवा एक वर्ष अथवा इससे अधिक प्रणाली भारत में रह रहे भारत के विदेशी नागरिक तथा जो भारत से किसी बालकों दत्तक ग्रहण में रुचि रखता हो , से आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को आगे प्रक्रियाधीन करना,

(ग) देश के भीतर दतक ग्रहण के सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;

(घ) देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल सरंक्षण और सहयोग पर 1993 में हेग अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण मामले में पुष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी करना;

(ङ) भारत के अप्रवासन प्राधिकरण तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण मामलों के बारे में बालक के प्रापक देश को सूचित करना;

(च) दत्तक ग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली का रखरखाव करना ;

(छ) जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों तथा दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, अभिज्ञता दौरों, परामर्शों, सम्मेलनों, सेमिनारों तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ज) राज्य सरकारों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों और जिला मजिस्ट्रेट में समन्वय करना तथा उन्हें दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों में सलाह देना;

(झ) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक तथा संकेतक स्थापित करना—

i. अनाथ, परित्यक्त और छोड़े गए बालकों तथा नातेदारी दत्तक ग्रहण से संबंधित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया;

ii. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों में गुणवत्तापरक बाल देखभाल मानक;

iii. सेवा प्रदाताओं का प्रभोधन तथा पर्यवेक्षण;

iv. दत्तक ग्रहण के मामले में दस्तावेजों का मानकीकरण;

v. दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदनों सहित सुरक्षापाय और नैतिक पद्धतिया ।

(ञ) दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन निकालना ;

(ट) दत्तक ग्रहण के उद्देश्य के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल बनाए रखे ;

(ठ) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली में दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों तथा दतकग्राही माता-पिता से संबंधित व्यापक केंद्रित आंकड़ा आधार का रख रखाव करना ;

(ड) स्वयं द्वारा अथवा इससे संबद्ध निकायों के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए परासमर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यकलापों का निष्पादन करना;

(ढ) हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय के अधीन जहां कहीं आवश्यक हो, विदेशी केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय करार करना; और

(ण) अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के विदेशी नागरिकों अथवा भारतीय बालकों के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता के आवेदनों की प्रक्रिया में लाने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करना।

50. प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें.—(1) प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्य के रूप में चयनित अथवा नामनिदृष्ट किए जाने वाले व्यक्तियो की निमानलिखित पात्रताए होगी :

. भारतीय नागरिक होना;

. उसकी आयु 25 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो तथा इस अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (ड़) के अनुसार दत्तकग्राही सदस्य के लिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी;

. प्रवृत समय में किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष अथवा डंडादृष्ट न हो; और

. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में किसी निकाय अथवा निगम से हटाया अथवा पदाचयूत न किया गया हो।

(2) इस अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (घ) में सदस्य चक्रानुक्रम आधार पर विभिन्न अचलों से लिए जाएंगे ।

(3) संचालन समिति के सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ शामिल अचल और राज्य समय समय पर अंतर-राज्य परिषद तथा पूर्वोंतर परिषद द्वारा बनाए गए समूह के अनुसार होंगे। किन्ही आंचलिक परिषदों में समिलित न किए गए राज्य औधोगिक सामिप्य में आने वाले अंचल में समिलित किए जाएंगे ।

(4) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से सदस्य का निम्नलिखित के आधार पर विचाराधीन अंचल के राज्य से चयन किया जाएगा:

(i) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा आयोजित विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निरीक्षणों की संख्या;

(ii) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों की त्रैमासिक बैठके आयोजित करने तथा दत्तक के उद्देश्य से बच्चों और भावी माता-पिता से संबंधित केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल में ऐसी बैठकों के कार्यवृतों को अपलोड करने में नियमितता ;

(iii) संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाइयों के माध्यम से विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों द्वारा रखे गए आंकड़ा सत्यनिष्ठा का स्तर ;

(iv) हितधारकों की क्षमता निर्माण राज्यों में दत्तक ग्रहण के सवर्धन हेतु राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के प्रचार जागरूकता कार्यकलाप ;

(v) राज्य में अन्य हितधारकों तथा प्राधिकरण के साथ समन्वय का स्तर।

(5) चयनित राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण का राज्य सरकार के विभाग के सचिव द्वारा संचालन समिति में प्रति निर्धारित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी का रेंक उप – सचिव अथवा सयुक्त निदेशक, राज्य सरकार से कम नहीं होना चाहिए ।

(6) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों के सदस्यों बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में उपलब्ध निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तथा प्राधिकरण में उपलव्ध अभिलेख के अनुसार चयन किया जाएगा:

(i) दत्तक ग्रहण में दिए गए बालकों की संख्या;

(ii) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली में निष्पादन और आकडा सत्यनिष्ठा;

(iii) दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों की प्रगति का अनुवर्तन ;

(iv) अभिलेख रखना तथा दस्तावेजीकरण ;

(v) बाल देखभाल मानक; तथा

(vi) अभिकरण के विरुद्ध कदाचार की शिकायत का सिद्ध न होना ।

(7) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों का उनके यथास्थिति प्रधान अथवा अध्यक्ष अथवा महासचिव अथवा सचिव अथवा प्रबंधकर्ता न्यासी अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

(8) परिवार विधि में अधिवक्ता अथवा प्रोफेसर की श्रेणी के सदस्यों का चयन विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से प्राप्त प्रत्येक प्रवर्ग से दो नामों के साथ , चार नामों के संयुक्त पैनल से किया जाएगा ।

(9) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (ड़) और (च) के अधीन चयन समिति के सदस्यों का किसी समिति द्वारा चयन अथवा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी

(i) सचिव , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में;

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्राधिकरण के प्रभारी अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव सदस्य के रूप में;

(iii) महिला और बाल विकास की मंत्री द्वारा यथानामित बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक अतिरिक्त विशेषज्ञ सदस्य के रूप में; और

(iv) सदस्य संयोजक के रूप में, संचालन समिति का सदस्य सचिव।

(10) पदेन सदस्यों से भिन्न संचालन समिति के सदस्य महिला और बाल विकास मंत्री के अनुमोदन से नियुक्त किए जाएंगे ।

(11) पदेन सदस्य से भिन्न, संचालन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, यदि सदस्य ने त्यागपत्र न दिया हो अथवा उसे हटाया न गया हो, अथवा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर को छोड़कर उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष का होगा ।

(12) एक गैर-पदेन सदस्य द्वितीय अवधि के लिए पात्र नहीं होगा ।

(13) किसी रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार से उसी प्रवर्ग से कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट अथवा चुना जाएगा।

(14) प्राधिकरण की संचालन समिति का गैर-पदेन सदस्य एक सदस्यता से विरत हो जाएगा यदि:

(i) वह सदस्य के रूप में त्यागपत्र देता है, अथवा

(ii) उस पर जिसमें उसने सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया है , के आधार पर स्थिति रखने से विरत हो जाता है, अथवा

(iii) उसे निम्नलिखित आधारों पर हटाया गया हो :

(क) दिवालिया के रूप में विनिर्णीत होने परः अथवा

(ख) नैतिक चरित्रहीनता के आपराधिक मामले में दोषी होने परः अथवा

(ग) संचालन समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना संचालन समिति की तीन निरंतर बैठकों में भाग लेने में विफल रहने पर, अथवा

(घ) प्राधिकरण की रूचियां, दत्तकग्रहण कार्यालय के उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करता हुआ पाया जाने तथा यथा लागू विनियमनों का पालन न करता पाया जाने परः अथवा

(ङ) मीडिया अथवा किसी अन्य अभिकरण को अध्यक्ष की पूर्व सूचना अथवा प्राधिकार के बिना संचालन समिति की बैठकों में विचार-विमर्शों अथवा कार्य अथवा किसी दस्तावेज के किसी लेनदेन अथवा इम प्रयोजनार्थ उनकी सूचना देने में संलिप्त पाया जाने पर, अथवा

(च) किसी स्रोत जो प्राधिकरण के कार्यों और उद्देश्यों के प्रतिकूल स्थितियों व दायित्वों में अंतर्वलित है, से दान स्वीकार करते हुए पाया जाने पर।

(15) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अलावा कोई भी गैर-पदेन सदस्य संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार प्रति बैठक दो हजार रुपये से कम न हो बैठक शुल्क, इकोनॉमी क्लास के हवाई जहाज के किराये का यात्रा भत्ता, होटल आवास तथा भोजन पर हुए व्यय को लेने का पात्र होगा।

51. प्राधिकरण की संचालन समिति के कार्य का लेनदेन.—(1) प्राधिकरण की संचालन समिति की मास में एक बार बैठक की जाएगी ।

(2) संचालन समिति के कार्य का संव्यवहार अत्यावश्यकता के मामले में परिपत्र द्वारा या वेब के मध्ययम से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है तथा कार्य के ऐसे संव्यवहार का वही प्रभाव होगा जो औपचारिक बैठक में कार्य संव्यवहार हुआ था।

(3) संचालन समिति की बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जाएगी

(4) बैठक की सूचना बैठक की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा सूचित की जाएगी।

(5) संचालन समिति की अत्यधिक सामान्य बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(6) बैठक के कोरम में संचालन समिति के पांच सदस्य होंगे।

(7) बैठक की इसके अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा एक सदम्य नामनिर्दिष्ट अथवा अभिहित किया जाएगा।

(8) संचालन समिति में सभी निर्णय विशेष आमंत्रित व्यक्तियों यदि कोई हो, को छोड़कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे।

(9) मतों के बराबर होने पर, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा।

(10) बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत सदस्य सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(11) संचालन समिति के कारबार के संचालन के सम्पादन से संबंधित कोई अन्य विषय जब कभी आवश्यक होगा, संचालन समिति द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया द्वारा शासी होगा ।

52. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट.—(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी की ओर से वित्तीय वर्ष जिससे रिपोर्ट सबंधित है का अनुसरण करते हुए 30 जून को अथवा इसमे पूर्व अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

53. प्राधिकरण के लेखा-जोखा एवं लेखापरीक्षा.—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी जिमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान हुए व्यय तथा होने की संभावना वाले व्यय की तिमाही समीक्षाएं केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के लेखाओं के रखरखाव, वित्तीय विवरण तथा विवरणियों के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा तथा साथ सुनिश्चित रहेगा कि प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ नियंत्रक और महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अपेक्षित और महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण की सभी लेखाबहियों, संबंधित वाउचरो और अन्य दस्तावेज तथा कागजात, उस कार्यालय के निपटान पर रखता है ।

(4) प्राधिकरण के लेखाओं का समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा विहित रूपविधानों में रखरखाव किया जाएगा ।

(5) लेखाओं की वार्षिक विवरणी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणीत किया जाएगा।

(6) प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक विवरणी अनुवर्ती वर्ष जिससे लेखा सम्बन्धित है, 30 जून को अथवा इससे पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) प्राधिकरण ,लेखापरीक्षा, इसमे उलिखित किसी चूक अथवा अनियमितता की प्राप्ती के तीस दिनों के भीतर अथवा इसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय आठ

बालकों के विरुद्ध अपराध

54. बालकों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रक्रिया.—(1) किसी बालक के विरुद्ध अपराध की शिकायत बालक, परिवार, सरंक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है ।

(2) किसी बालक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (प्रा.सू.रि.) दर्ज करेगी।

(3) किसी बालक के विरुद्ध गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस को दैनिक बही में प्रविष्टि करेगी जिसे तुरंत सबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की उप-धारा (2) के अधीन सीधी उचित कार्रवाई करेगा ।

(4) बालक के विरुद्ध अपराधों के सभी मामलों में, बालकल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिबद्ध अपराध यथास्थिति विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति अथवा बोर्ड, सहित, किसी बाल देखभाल संस्था द्वारा किया जाता है, तो बाल देखभाल संस्था अथवा किसी अन्य बाल देखभाल संस्था में विशेषीकृत दतकग्रहण अभिकरण अथवा विशेषीकृत दतकग्रहण अभिकरण में पूर्व में रखे गए बालकों के साथ रखने तथा ऐसी संस्था अथवा अभिकरण की

मान्यता को हटाने तथा रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए उपर्युक्त आदेश कर सकता है।

(5क) यथास्थिती राज्य सरकार समिति या बोर्ड की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करेगी ।

(5ख) जिला बाल संरक्षण इकाई राज्य सरकार को सूचित करते हुए यथाशीघ्र बच्चों का स्थानांतरण सुनिश्चित करेगी।

(6) जहां इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए (प्रा.सू.रि.) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखभाल संस्था, में कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की जाती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बालकों सहित प्रत्यक्ष रूप में काम से निकाला जाएगा ।

(7) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा दोषी पाया गया हो उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जाएगा ।

(8) किसी भी मामले में किसी बालक को पुलिस हवालात अथवा जेल में बंद नहीं किया जाएगा ।

(9) बालक और उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन परा –विधिक स्वयंसेवक सुलभ कराए जाएंगे ।

(10) भोजन, कपड़े, आपातकालीन चिकित्सा सेवा , परामर्श ,मनोचिकित्सक सहायता की जरूरतों के संबंध में बालक की तात्कालिक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इन्हें पुलिस स्टेशन में बालक को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा ।

(11) जब कोई बालयौनिक शोषण के अध्यधीन हो, बालक को नजदीक के यथास्थिति जिला अस्पताल अथवा वन - स्टाप क्रासिस सेंटर स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, भेजा जा सकता है।

(12) बालको की प्रतीक्षा के लिए तथा अपना बयान और साक्षात्कार देने वाले बालकों के लिए पृथक स्थल की सुविधा सहित प्रत्येक न्यायालय परिसर में विशेष बालकक्षः पृथक प्रवेश, जहां संभव हो जहा कहीं संभव हो बालकों से बातचीत के लिए वीडियो कानफ्रेंसिंग पुस्तकों, खेलों आदि जैसे बालकों के मनोरंजन का प्रावधान किया जाए। पीडित बालकों की सुनवाई अथवा साक्ष्य के अलावा बयान और साक्षात्कार बालकक्ष में बालअनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से अभिलिखित किए जाएंगे।

(13) निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित व्यक्ति/साक्षी बालक का कथन अथवा साक्षात्कार लिया जाएगा:

(i) मजिस्ट्रेट बालक के कक्ष अथवा यदि संभव हो, गृह अथवा संस्था जहां वह रह रहा है बालक के आवास स्थल में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन बालक का कथन अभिलिखित करेगा ।

(ii) बालक द्वारा दिए गए अनुसार कथन अक्षरशः अभिलिखित किया जाएगा ।

(iii) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , ऑडियो-विडिओ साधनों द्वारा भी कथन अभिलिखित किया जा सकता है।

(iv) माता-पिता अथवा सरंक्षक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता बालक के साथ होंगे ।

(14) विधिक सेवा प्राधिकरण सुनवाई पूर्व परामर्श देने बालक के कथन को अभिलिखित करने हेतु एक सहायक व्यक्ति अथवा परा-विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध करा सकता है तथा बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए बालक का साथ देने हेतु जो अग्रिम रूप में न्यायालय तथा न्यायालय पर्यावरण से बालक को परिचित कराएगा, तथा जहां बालक को न्यायालय आने के अनुभव में व्याकुल हुआ पाया जाता है तो सहायक व्यक्ति अथवा परा-विधिक स्वयंसेवक अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक की ओर से दिए गए आवेदन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

(15) यदि बालपीड़ित अथवा साक्षी जिले अथवा राज्य अथवा देश से संबंधित नहीं है, बालक का कथन अथवा साक्षात्कार अथवा अभिसाक्ष्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिलेख किया जा सकता है।

(16) जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग संभव नहीं है, सभी आवश्यक आवास, बालक के लिए यात्रा व्यय तथा बालक का साथ देने के लिए संरक्षक को राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथार्थ के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(17) बालसाक्षी गवाहों के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक न्यायालय परिसर में अतिसंवेदनशील साक्षियों के लिए पृथक कमरे अभिहित किए जाएंगे ।

(18) जहां तक संभव होगा, बालक से संबंधित सुनवाई के दौरान, बालअनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा ।

(i) माता-पिता अथवा संरक्षक (कों) हर समय (क्योंकि बालक के सर्वोत्तम हित में है) बालक के साथ रहेंगे। यदि उक्त व्यक्ति हितों की अनदेखी करता है, तो बालक की पसंद पर अन्य व्यक्ति अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा अभिज्ञात उपयुक्त संस्था का प्रतिनिधि अथवा समिति अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त मनोचिकित्मक न्यायालय के अनुमोदन मे हर समय बालक के साथ रहेगा।

(ii) जहां कहीं आवश्यक होगा बालक को मनोचिकित्सकीय परामर्श को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(iii) ऐसी स्थित्ति में जहां माता-पिता अथवा संरक्षक अपराध में लिप्त हैं अथवा जहां बालक ऐसे किसी स्थान पर रह रहा हो जहां बालक को और अधिक आघात लगने का जोखिम हो, तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बालक को ऐसी अभिरक्षा अथवा देखभाल से बाहर लाए जाने अथवा ऐसी स्थिति से निकालने के लिए निर्देश देगा तथा बालक को तुरंत समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीड़ित की आयु के निर्धारण हेतु, अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड तथा समिति हेतु अधिदेशित इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा ।

(v) उपयोग की गई भाषाओं से बालक को परिचित कराया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो अनुवादक तथा विशेष शिक्षा देने वाले उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(vi) बालक का बयान अभिलेख करने से पूर्व, न्यायालय सुनिश्चित करें कि बालस्वैचिछक बयान देने में समर्थ है ।

(vii) एकमात्र, बालक की आयु के आधार पर सुनवाई में साक्ष्य के रूप में बालक के किसी बयान की उपेक्षा न की जाए।।

(viii) बालक के साक्षात्कार में अनुमेय इमेज अथवा बयान बालक के मानसिक अथवा शारीरिक हित के प्रति नुकसानदायक नहीं होने चाहिए ।

(ix) साक्षात्कार में अनुमेय प्रश्न, साक्षात्कार का समय बालक को भारस्वरूप न लगे तथा बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो ।

(x) छोटे बालकों अथवा अन्यत्र अक्षम बालक के मामले में, बातचीत के वैकल्पिक तौर तरीके तथा साक्ष्य संग्रहण जिसमें डॉट-डपट करना कम हो, अंगीकार किए जाने चाहिए ।

(xi) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर बालक दोषी के सम्मुख न आए ।

(xii) गवाए गए दिनों हेतु स्कूल से विशेष अनुमति तथा उपचारात्मक कक्षाओं के लिए प्रबंध स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किए जाएं ।

(19) बालक को , जैसा की मामला हो, का प्रतिनिधित्व :

(i) उसकी पसंद के वकील, अथवा ,

(ii) पब्लिक प्रोसिक्यूटर,अथवा

(iii) विधायी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अथवा पैनल में रखे गए वकील द्वारा।

(20) न्यायालय के समस्त कार्मिकों तथा संबंधित अन्य में बालकों की विशेष जरूरतों तथा बालअधिकारों पर संचेतना पैदा की जाए।

(21) सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत :

(i) बालक अथवा संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के निर्णय तथा इसके प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिए।

(ii) बालक अथवा संरक्षक को उनके विधायी विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

55. अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया.— (1) इस अधिनियम की धारा 75 और इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता समझा जाएगा। विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) के अधीन कोई अधिकारी बालक को उपयुक्त निर्देशों तथा पुनर्वास उपायों के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) जहां किसी बालक के साथ क्रूरता का कार्य किसी बाल देखरेख संस्था, अथवा किसी स्कूल में अथवा बालक को रखे गए किसी देखभाल और संरक्षण के किसी स्थान पर होता है तो बालक के सर्वोत्तम हित को समझते हुए बालक तथा अथवा माता-पिता अथवा संरक्षकों से परामर्श के उपरांत बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय बालक के लिए वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध कराएगा ।

(3) तुरंत चिकित्सा अवधान की अपेक्षा बाल अधिनियम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध में बोर्ड अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी अस्पताल अथवा क्लीनिक अथवा सुविधा के अधीन

निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में हुई विफलता जिसके कारण गंभीर चोट, अनिवर्त्य क्षति अथवा जीवन जाने की आशंका अथवा मृत्यु हुई हो बालक के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही समझा जाएगा तथा विस्तृत जांच के बाद बोर्ड अथवा समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा 75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य होगा

(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की प्रासंगिक धाराएं या तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि , अधिनियम की धारा 75 के अधीन दिए गए अपराधों के लिए लागू होंगी।

55क – अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध के मामले की प्रक्रिया –

(1) जब भी किसी बच्चे को नियोजित करने या भीख माँगने के उद्देश्य से उपयोग किया पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा तत्काल अन्वेषण किया जाएगा और जहाँ अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध किया गया हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाएगी।

(2) यदि माता-पिता ने अपने बच्चों को भीख मांगने में लगाया है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले अधिनियम की धारा 76 के अधीन अन्वेषण किया जाएगा।

(3) यदि भीख मांगने में लगा हुआ बच्चा दुर्व्यापार का शिकार पाया जाता है, जो एक संज्ञेय अपराध है तो अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) और धारा 370 भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबंध भी लागू होंगे।

(4) यदि भीख मांगने वाला बच्चा बाल श्रम का शिकार पाया जाता है जो संज्ञेय अपराध हैं, तो इस मामले में बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अधिनियम के उपबंध भी लागू होंगे।

(5) यदि भीख मांगने में लिप्त बच्चे का भी भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण किया गया पाया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 359 से 369 के अधीन एक संज्ञेय अपराध है, इस मामले में भी लागू होगा।

56. अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया.—(1) जब कभी कोई भी बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में, बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित, पाया जाता हो तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक किस प्रकार में ऐसे मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदाथों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में आया अथवा लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया है अथवा इनके प्रभाव में आया पाया जाता है, उसे या तो बोर्ड या समिति, यथास्थिति, के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास तथा नशे को छुडाने के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी ।

(3) यदि कोई बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पादों का आदि पाया जाता है, बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए, अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानांतरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।

(4) यदि कोई बालमदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है, तो बालक को तुंरत बोर्ड या

समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा। केवल उन मामलों को छोडकर जहां बालबोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किए जाने की स्थिति में न हो तथा तुरत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो

(5) बोर्ड स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत पर प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगा ।

(6) बोर्ड अथवा समिति उन परिस्थितियां, जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देखभाल संस्था में प्रविष्ट हुए तथा बालक तक पहुंच के बारे में जांच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदाधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।

(7) यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति बालक को किसी दूसरी बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरण, जैसा भी मामला हो, के लिए भी निर्देश जारी करेगी ।

(8) मदान्ध करने वाली शराब, तम्बाकू उत्पाद बेचने बाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब या तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का सक्षम कारावास तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(9) सभी तम्बाकू उत्पाद और मदान्ध करने बाली शराब पर अवश्य ही संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशे के पदार्थ अथवा मन:प्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

57. अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया.—(1) जब भी कोई बालमदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाएं या मन:प्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक पर कैसे और किसके संग मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाओं अथवा मन:प्रभावी पदार्थो की लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभिकथित है, उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जायेगा, यदि बाल देखभाल और सरंक्षण का ज़रूरतमंद है तो उसे बोर्ड, समिति के पास भेजेगा।

57क – अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अपराध के मामले में प्रक्रिया –

(1) यदि कोइ बच्चा बाल श्रम के रूप में रोज़गार में लाया गया पाया जाता है तो इन मामलों में पुलिस द्वारा तुरन्त अन्वेक्षण किया जाएगा और यदि अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो इस मामले में तुरंत ही प्रथम सुचना रिपोर्ट रजिस्टर की जाएगी।

(2) यदि कोई बालक बाल श्रम का पीड़ित पाया जाता है तो बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61), जो कि एक संज्ञेय अपराध हैं, के उपबंध भी लागू होंगे।

(3) यदि बाल श्रम के रूप में संलग्र कोई बच्चा मानव दुर्व्यापार का पीड़ित पाया जाता है, तो इस मामले में अनैतिक दुर्व्यापार व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 370, जो कि संज्ञेय अपराध हैं, के उपबंध भी लागू होंगे।

58. अधिनियम की धारा 80 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया.—(1) जहाँ कोई अनाथ, परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में यथा प्रदत प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किए बिना दतकग्रहण के प्रयोजनार्थ पेश अथवा लिया जाता है तो पुलिस स्व-प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक, जिसे दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया गया है, को तुरंत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे बालकों को किसी विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखने सहित बालक के पुनर्वास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी।

(3) जहां कहीं किसी मान्यताप्राप्त विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा ऐसे किसी अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा **80** के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति किसी अन्य बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखे गए बालकों को विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में रखने हेतु भी उचित आदेश पारित कर सकती।

59. अधिनियम की धारा 81 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया.—(1) किसी बालक को बेचने अथवा खरीदने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस अविलंब प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तकग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुमति प्राप्त को छोड़कर दत्तकग्रहण के विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता-पिता (ओ) अथवा बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देखभाल संपत्ति के विषय में कोई भुगतान अथवा परितोषिक देना या देने पर सहमत होना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(3) बेचने अथवा खरीदने के अधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस बालक के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी ।

(4) जहाँ किसी माता – पिता अथवा के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले बालक के अभिरक्षक द्वारा इसअधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है। समिति यथास्थिति, किसी बाल देखभाल संस्था अथवा उपयुक्त संस्था अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ, बालक को रखने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) जहां विशेषीकृत दत्तकग्रहण अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा ऐसी किसी संस्था अथवा अभिकरण से संबंध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बालदेखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गए अन्य बलकों को यथास्थिति किसी अन्य बालदेखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह, में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है।

(5क) समिति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इन बच्चों और इनके पुनर्वास के संबंध में की गई कार्यकारी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जिला मजिस्ट्रेट सात दिन के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों को स्थानांतरित करने तथा संस्थान को बंद करने में संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा राज्य सरकार को अभिकरण के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश करेगा।

(6) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से अनुशंसा करेगा कि लागू समय के लिए किसी विधि के अधीन ऐसे अभिकरण या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या मान्यता या ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या मातृत्व गृह या ऐसे संबध व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस भी वापस लिया जायेगा और राज्य सरकार पन्द्रह दिन के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी।

(7) बेचे गए और मानव दुर्व्यापार किये गए बच्चे के मामले में , अनैतिक दुर्व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) तथा भारतीय न्याय सहिंता 2025 की धारा143 के उपबंध भी लागु होंगे।

60. इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया.—(1) इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दंड देने की शिकायत, बालक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक बालक देखभाल संस्था शारीरिक दंड की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटिका रखेगी ।

(3) शिकायत पेटिका मास में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

(4) ऐसी सभी शिकायतें बाल देखभाल संस्था के नजदीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी तथा तत्संबंधी प्रतियां बोर्ड या समिति को भेजी जाएंगी।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से मामले को जांच के लिए देगा तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित उपाय करेगा ।

(6) बोर्ड या समिति, बालक जिसने शिकायत की है अथवा जो शारीरिक दंड के अध्यधीन रहा है, के सर्वोत्तम हित में, उसे अन्य बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है ।

(7) जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धरा 82 की उपधारा (3) के अधीन जांच में सहयोग अथवा न्यायालय के आदेशो का पालन नहीं कर रहा है, वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र.सू.रि. के रजिस्ट्रीकरण का निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

(8) जहां बोर्ड अथवा समिति अथवा राज्य सरकार बालदेखभाल संस्था में शारीरिक दंड की किसी घटना के संबंध में संस्था के प्रबंधन को कोई निर्देश जारी करती है, प्रबंधन इनका पालन करेगा ।

(9) गैर-अनुपालन के मामले में, बोर्ड स्वयं या समिति या जिला मजिस्ट्रेट की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन प्र.सू.रि. का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रीकरण करेगा।

(10) जहां अथवा इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 21 (2) के अधीन कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत अथवा बलकों के साथ सीधे कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, बालक को शारीरिक दंड देने के

अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से निर्हित होगा |

अध्याय 9

विविध

61. बाल देखभाल संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्तव्य.—(1) भारसाधक व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी बाल देखभाल संस्था का रखरखाव करना तथा बालकों को देखभाल और संरक्षण उपलब्ध कराना है।

(2) भारसाधक व्यक्ति जब किसी बालकों या कर्मचारीवृंद द्वारा अपेक्षित होगा उपलब्ध कराये जाने वाले परिसर में रहेगा तथा जहाँ परिसर में आवास की सुविधा नहीं होगी वहां उसे बाल देखभाल संस्था में ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाने तक, बाल देखभाल संस्था के अत्यधिक सामीप्य वाले स्थान पर रहेगा।

(3) प्रभारी व्यक्ति के साधारण कर्तव्य और कृत्य मे निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन कराये गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) बालकों को घर जैसा माहौल देना तथा प्यार, स्नेह, देखभाल और उनकी चिंता करना;

(iv) बालकों का विकास और कल्याण का प्रयास करना;

(v) बालकों और स्टाफ के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और प्रबोधन करना;

(vi) यथास्तिथि , प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों अथवा सुधारात्मक कार्यकलापों, सहित सभी कार्यकलापों, कार्यालयों तथा आप्रेशनों की योजना बनाना,कार्यान्वयन तथा समन्वय करना और कार्यों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनका समन्वय करना;

(vii) संस्था के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगी से पीड़ित किसी बालक को पृथक रखना;

(viii)जहाँ कहीं अपेक्षित हो किसी बालक को अलग पृथक रखना;

(ix)दैनिक दिनचर्चा, कार्यकलापों का प्रेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(x) गृह में स्थानीय तथा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करना;

(xi) बालकों के लिए दौरे या सैर अथवा पिकनिक आयोजित करना;

(xii) प्रत्येक सप्ताह यथास्तिथि, बोर्ड अथवा समिति को, बाल देखभाल संस्था प्ररूप 40 में बालकों की सूची भेजना तथा यदि किसी बालक को बोर्ड अथवा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोई तारीख नहीं दी जाती है तो इसे बोर्ड अथवा समिति के ध्यान में लाना;

(xiii) कार्मिकों को कर्तव्यों का आवंटन;

(xiv)बाल देखभाल संस्था में देखभाल के मानकों का रखरखाव करना**;**

(xv) उचित भंडारण तथा भोजन और परोसे गए भोजन का निरीक्षण करना;

(xvi) बाल देखभाल संस्था के भवनों और परिसरों का रखरखाव करना;

(xvii) गृह में उचित साफ-सफाई बनाए रखना;

(xviii) परिसर में दुर्घटना और अग्निशामक उपाय, आपदा प्रबंधन उपलब्ध कराना तथा साथ ही प्राथमिक उपचार किट रखना;

(xix) पानी के भंडारण, पावर बैकअप, इनवर्टरो , जनरेटरो के लिए अतिरिक्त प्रबंध करना;

(xx) उपकरण की सावधानीपूर्वक हैंडलिंग सुनिश्चित करना;

(xxi) उपयुक्त सुरक्षा उपाय नियोजित करना;

(xxii) बाल देखभाल संस्थाओं के दैनिक निरीक्षण और दौरों सहित आवधिक निरीक्षण आयोजित करना;

(xxiii) आकस्मिकताओं की पूर्ति करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करना;

(xxiv) सभी अनुशासनिक मामलों की शीघ्र, दृढ़ और पर्याप्त हैंडलिंग सुनिश्चित करना;

(xxv) मामलों फाइलों का उचित तथा समय से रखरखाव सुनिश्चित करना;

(xxvi) इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव करना;

(xxvii) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना;

(xxviii) इन नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;

(xxix) इन नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति द्वारा सभी अभिलेखों तथा रजिस्टरों का मासिक सत्यापन सुनिश्चित करना;

(xxx) जब कभी आवश्यक हो, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क बनाना, समन्वय तथा सहयोग करना।

xxxi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालक को विधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला अथवा राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण के विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी के साथ समन्वय;

(xxxii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के समक्ष ऐसी उपस्थिति की तारीख को बालक की प्रस्तुति को सुनिश्चित करना तथा सुनिश्चित करना कि उक्त प्रयोजनार्थ तारीखे अभिलिखित की जाती हैं।

(xxxiii) प्रतिदिन बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की जाँच करें और तत्काल शिकायतों के बारे में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति या बोर्ड को सूचित करे ;

(xxxiv) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका में प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखे ।

(4) भारसाधक व्यक्ति जितना संभव होगा बाल देखभाल संस्था का निरीक्षण करेगा, परंतु किसी दिन में दो बार से अन्यून। वह अपने निरीक्षण के समय का अभिलेख रखेगा तथा साथ ही इस प्रयोजनार्थ विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में रखी गई एक पृथक पुस्तिका में अपनी टिप्पणियाँ भी दर्ज करेगा:

(i) साफ-सफाई तथा स्वच्छता का रखरखाव;

(ii) आदेश का अनुरक्षण ;

(iii) भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा;

(iv) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य प्रदायों की साफ-सफाई का अनुरक्षण;

(v) चिकित्सा केंद्र में साफ-सफाई तथा चिकित्सा देखभाल के प्रावधान;

(vi) बालकों तथा कर्मचारीवृन्द का व्यवहार;

(vii) सुरक्षा प्रबंधन, और

(viii) फाइलों, रजिस्टरों तथा पुस्तकों का रखरखाव।

(5) भारसाधक व्यक्ति की जानकारी में आने वाली किसी भी अनियमितता की जाँच की जाएगी और समाधान किया जाएगा तथा की गई कार्रवाई की तारीख, समय और प्रकृति पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

(6) जहाँ तात्कालिक प्रकृति की कोइ समस्या का दो दिवसों मे कोई समाधान नही किया गया हो, तो बोर्ड अथवा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि भारसाधक व्यक्ति अवकाश पर है अथवा उपलब्ध न हो, भारसाधक व्यक्ति का कर्तव्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा यथा अभिहित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

62. बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता के कर्तव्य.—(1) प्रत्येक बाल कल्याण अधिकारी अथवा बाल देखभाल संस्था में मामला कार्यकर्ता, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा किये गए निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा।

(2) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता, बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारी संस्था किसी बालक को लेने के लिये बाल देख भाल संस्था मे उपलब्ध मामला कार्यकर्ता उसे मित्र बनाने और उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लिये गये बालक के साथ बातचीत करेगा तथा बालक प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा।

(4) पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर अथवा बाल देखभाल संस्था में बालक के पहुँचने पर, बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता बाल व्यक्तिगत साक्षात्कारो के माध्यम से तुरंत बालको की सामाजिक जाँच करना और उसके परिवार, सदस्यों, सामाजिक अभिकरणों तथा अन्य स्रोतों से पूर्ववर्ती तथा बालक का परिवार इतिहास की जाँच करता है तथा जो भी प्रासंगिक सामग्री हो, ऐसी अन्य सामग्री को एकत्र करता है तथा 15 दिन के भीतर बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को सामाजिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) बाल देखभाल संस्था में सभी बालक बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता मामला को सौंपा जायेगे तथा ऐसा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता बालक की देखभाल और विकास अथार्त सभी पहलुओं, बालक के बारे मे बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बाल संस्था मे बाल अभिलेखों का रखरखाव करने मे उसको सौपे गये बालक के लिये जिम्मेदार होगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को बालक को सौंपे जाने पर, बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) बालक की मामला फाइल तैयार करना ;

(ii) सरक्षात्मक अभिरक्षा कार्ड का रख रखाव करना ;

(iii) बालक का चिकित्सा अभिलेख तैयार करना और उसका रख रखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा उपेक्षित न हो;

(iv) बालक की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करने; बाल देख रेख संस्था मे जीवन के साथ समंजन के लिये बालक की सहायता करने के लिये बालक से प्रतेक दिन मिलना । नए लिये गये बालक के साथ दिन में एक बार से अधिक बार मुलाकात की जाएगी।

(v) बालक की शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति, और कौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए शुरुआत के पांच दिनों में बालक के बारे में सूचना एकत्र करना;

(vi) जरूरी चिकित्सा और मानसिक जांच करना, बालक का मुल्यांकन और परीक्षा कराना;

(vii) रिपोर्टों का अध्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से, लंबित जांच की अवधि के दौरान बालक की केस फाइल में लगाने के लिये **प्ररूप 7** में व्यक्तिगत देख रेख योजना तैयार करना। बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता, जेसा भी वह इस संबंध में उचित समझे, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या ऐसे अन्य व्यक्ति से परामर्श कर सकता है;

(viii) व्यक्तिगत देखरेख योजना के मुताबिक, बालक के लिए एक दिनचर्या तैयार की जाए और बालक को समझा दी जाये;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि बालक तैयार की गई दिनचर्या की गतिविधियों का अनुपालन करे और इस संबंध में देखभाल कर्ताओ से समय पर रिपोर्ट लेना ;

(x) व्यक्तिगत देख रेख योजना के कार्यान्वयन और कारगरता की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, प्रबंधन समिति के अनुमोदन से **प्ररूप 7** में व्यक्तिगत देख रेख योजना और/या दिनचर्या में उचित आशोधन करना;

(xi) बालक की समस्याओं को हल करना और गृह में जीवन में उनकी कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान करना ;

(xii) बालक से संबंधित अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी करना और उन्हें सौंपे गए बालकों के संबंध में स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों में उपस्थित करना;

(xiii) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना और सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराना और सभी रिपोर्ट जिनकी माँगी की गई हो दाखिल करना;

(xiv) आयु की घोषणा का आदेश प्राप्त होने पर, बालक की आयु के सम्बन्ध में अभिलेख में, यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करना और बालक की मामला फाइल में उक्त आदेश की प्रति लगाना;

(xv) रिहाई-पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी करना और बालक की संपर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो रिहाई के बाद बालक को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकता;

(xvi) बालक की रिहाई के बाद उनसे संपर्क बनाए रखना और उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना;

(xvii) उनके पर्यवेक्षण के अधीन बालक के आवास का और ऐसे बालक के नियोजन के स्थान या स्कूल जिसमे वह पढ़ाई कर रहा हो, का भी नियमित दौरा करना और पाक्षिक या अन्यथा जेसा भी निर्देश दिया गया हो रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xviii) बालक को जहाँ कही भी संभव हो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय से जेसा भी, बाल देखरेख संस्था तक बालक के साथ जाना;

(xix) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष बालक को पेश करने या चिकित्सा उपचार की अगली तारीख का अभिलेख रखना और यह सुनिश्चित करना कि उक्त तारीख को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष या चिकित्सा उपचार के लिये बालको को पेश किया जाए।

(xx) समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों का रखरखाव करना;

(xxi) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(7) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता, जिसे बाल देखरेख संस्था के परिसर की दैनिक सफाई को जांचने का कार्य सौंपा गया है, ऐसी जाँच दिन में दो बार करेगा, पहली सुबह की सफाई के बाद और दूसरी शाम की सफाई के बाद। बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता गृह-व्यवस्था रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।

(8) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता, जिसे दैनिक खाना पकाने के कार्य को जांचने का कार्य सौंपा गया है, प्रत्येक आहार के बारे में आहार रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।

63. गृह माता या गृह पिता के कर्तव्य।.—(1) प्रत्येक गृह पिता या गृह माता प्रभारी व्यक्ति के निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

(2) गृह पिता या गृह माता के साधारण कर्तव्य, कार्य और उतरदायित्व निम्नलिखित होंगे:

(i) बाल देखरेख संस्थान में प्रत्येक बालक के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना ;

(ii) बालक की उचित देखभाल करना और उसका कल्याण को सुनिश्चित करना;

(iii) प्रत्येक बालक को उसकी प्राप्ति पर कपड़ो, प्रसाधन सामग्री और दैनिक उपयोग के लिए अपेक्षित ऐसी अन्य वस्तुओं जेसी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(iv) मानक और बालक की जरूरतों के अनुसार खाद्य आपूर्ति और सामान की पुनःपूर्ति करना;

(v) बालकों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि बालव्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता बनाए रखें;

(vii) अनुरक्षण और सफाई की देखभाल करना और आसपास स्वछता बनाये रखना ;

(viii) प्रत्येक बालक की दैनिक दिनचर्या का दक्षता पूर्वक रीति से कार्यान्वयन और इसमें बालकों की सहभगिता सुनिश्चित करना ;

(ix) बाल देखभाल संस्थान में सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करना;

(x) बालकों का, वे जब कभी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष पेश होने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से बाल देखरेख संस्था से बाहर जाते है, मार्गरक्षण कराना;

(xi) प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना और बाल कल्याण अधिकारी को सौंपे गए बालक के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करनाः;

(xii) उनके कर्तव्यों से संबंधित रजिस्टरों का रखरखाव करनाः और

(xiii) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

64. परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य.—(1) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के अधीन पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी बालक की उन परिस्थितियों की जांच करेगा जो बोर्ड द्वारा जांच पर प्रभाव डालती हैं और बोर्ड को प्ररूप 6 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में उत्तेजक और गंभीरता कम करने वाले कारकों सहित जोखिम का मूल्यांकन जिसमें उन परिस्थितियों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो जिनमें अवैध व्यापार करने वाले या दुरुपयोगकर्ताओं, वयस्क गिरोहों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का पड़ोस में रहना, हथियारों तथा नशीली दवाओं तक पहुंच, आयु अनुचित व्यवहार और सूचना तथा सामग्री के प्रति अरक्षितता की जानकारी दी जाएगी।

(3) परिवीक्षा अधिकारी, बोर्ड द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा:

(i) **प्ररूप 6** में बालक का सामाजिक अन्वेषण करना ;

(ii) बोर्ड और बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षित हो , रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) बालक की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना;

(iv) अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना;

(v) बालक और भारसाधक अधिकारी के बीच सहयोग और समझदारी स्थापित करना;

(vi) बालक को परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;

(vii) रिहाई-पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेना और बालक को ऐसे संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो बालक को रिहाई के बाद भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं;

(viii) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने, पर्यवेक्षण और अनुवर्तन के लिए अन्य जिलों और राज्यों के परिवीक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करनाः ।

(ix) बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने और आवश्यक अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों से संपर्क स्थापित करना;

(x) बालक की रिहाई के पश्चात् नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी को समर्थ और सुकर बनाना;

(xi) बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना और रिहाई पश्चात् योजना तैयार करना;

(xii) परिवीक्षा में रखे गए बालकों का व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार पर्यवेक्षण करना

(xiii) उनके पर्यवेक्षणाधीन बालक के आवास और नियोजन के स्थान या ऐसे विद्यालय का जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है, नियमित दौरा करना और प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xiv) जहां कही संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान या उपयुक्त सुविधा तक बालक के साथ जाना;

(xv) सुरक्षा के स्थान में बालकों की प्रगति का आवधिक आधार पर मूल्यांकन करना और मनो-सामाजिक सहित रिपोर्ट तैयार करना और उसे बाल न्यायालय को अग्रेषित करना;

(xvi) निगरानी प्राधिकारी के रूप में , जहां कहीं बाल न्यायालय द्वारा ऐसी नियुक्ति की गई हो , कार्यों का निर्वहन करना;

(xvii) उसके दैनिक कार्यकलापों जैसे कि उसके द्वारा किए गए दौरों, उसके द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उनके द्वारा किया गया अनुवर्तन और उसके द्वारा तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्टों का अभीलेख रखने के लिए एक डायरी या रजिस्टर का रखरखाव करना;

(xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्प अभिनिर्धारित करना और बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना और

(xix) सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

65. पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी।.—(1)सभी बाल देखरेख संस्थाओं में, सुरक्षा के स्थान सहित, पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी अभिहित किया जायेगा|

(2) पुनर्वासस्थापन अधिकारी के पास समाज कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री -सह- और पुनर्वास, रोजगार सृजन और संसाधन संघटन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।।

(3) पुनर्वास स्थापन अधिकारी-सह-निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा :

(i) उपयुक्त तंत्र के माध्यम से और बाल कल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, परामर्शदाता और व्यावसायिक अनुदेशक के साथ परामर्श से बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापन किए गए बालकों के कौशल और अभिक्षमता की अभिनिर्धारित करना;

(ii) ऐसी सभी अभिकरण को जो पाठ्यक्रम के अंत में कार्य स्थापन के साथ व्यावसायिक और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती हैं, अभिनिर्धारित करना और उनसे संपर्क विकसित करना;

(iii) स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता प्रायोजित करने के लिए संसाधनों को संघटित करने के लिए व्यक्तियों , कॉर्पोरेटो, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों का नेटवर्क बनाना;

(iv) बाल देखरेख संस्थाओं में आयु, अभिक्षमता, रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, कॉरपोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों की सहायता करना और उनके साथ समन्वय करना;

(v) व्यावसायिक अनुदेशकों को घटित करना जो बाल देखरेख संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं;

(vi) स्वरोजगार के लिए उद्य-मशील कौशल विकसित करना और वित्तीय और विपणन समर्थन सुकर बनाना;

(vii) अपराध की प्रकृति और बालकी निजी विशेषताओं को ध्यान में रखकर पुनर्वास योजनाएं तैयार करना;

(viii) प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड का रखरखाव करना और बालक द्वारा की गई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना और प्रबंधन समिति को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ix) शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बालको सुगम बनाना;

(x) प्रत्येक पात्र और प्रशिक्षित बालक का उपयोगी स्थापन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना;

(xi) केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध पुनर्वास कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करना, और ऐसी स्कीमों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और पहुंच सुकर बनाना;;

(xii) बालकों को उपयोगी और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल विकास, सामंजस्य कौशल, तनाव प्रबंधन और अन्य व्यावहारिक कौशलों पर कार्यशालाएं आयोजित करना; और

(xiii) बालकों की नियमित निगरानी करने और यथापेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए उन अभिकरणों का नियमित दौरा करना जहाँ उनका स्थापन किया गया है ।

66. कार्मिक अनुशासन.—(1) कर्तव्य की कोई उपेक्षा, नियमों और आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारसादक व्यक्ति द्वारा गलती करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी या कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

(2) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के भीतर किसी अनधिकृत स्थान पर उपस्थित नहीं होगा।

(3) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी संस्था में कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लगाएगा।

(4) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी, भले ही उस समय वह ड्यूटी पर हो अथवा न हो, बाल देखरेख संस्था के परिसर में शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसा कोई व्यसनकारी पदार्थ अथवा कोई अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा अथवा किसी मादक पदार्थ के नशे में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेगा। ।

(5) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी किसी भी बालक को कोई वस्तु नहीं बेचेगा या लाभ के लिए किराए पर नहीं देगा या ऐसे बालक या उसके मातापिता के साथ कोई व्यवसाय नहीं करेगा।- ।

(6) बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देखरेख संस्था के परिसर में अपमानजनक या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा या आयु-अनुपयुक्त विषय पर चर्चा नहीं करेगा या अश्लील सामग्री नहीं देखेगा या अश्लील साहित्य नहीं पड़ेगा ।

67. सुरक्षा उपाय.—(1) बाल देखरेख संस्था में रखे गए बालकों की श्रेणी, बालकों के आयु वर्ग, बाल देखरेख संस्था का प्रयोजन और बालकों और बाल से जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेगा।

(2) सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते समय, पुनर्वास महानिदेशक के माध्यम से या उनके द्वारा अनुसंशित अभिकरणों द्वारा भर्ती किए गए भुतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) लड़कियों को रखने वाली बाल देखरेख संस्था में, बाल देखरेख संस्था के भीतर महिला सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे और पुरुष सुरक्षा गार्डों को बाहर से सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा।

(4) किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिजर्व में भी रखा जाएगा।

(5) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं :

(i) सुरक्षा भारसाधक और विभाग के परमर्श में भारसाधक व्यक्ति द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने वाले सभी स्थानों पर अलगकिए अलग पालियों में पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात-जाएंगे ।

(ii) कोई भी बालक जो रात में चिकित्सा समस्या या किसी अन्य समस्या की शिकायत करता है, संबंधित देखरेखकर्ता को रिपोर्ट करेगा। देखरेखकर्ता यथा अपेक्षित ऐसे आवश्यक उपाय करेगा और आपात स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति को, जैसी भी आवश्यकता हो, सूचित करेगा जो तत्काल उपयुक्त उपाय करेगा।

(iii) भारसाधक व्यक्ति द्वारा ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा और बाल देखरेख संस्था परिसर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक देखरेखकर्ता या गृह का अन्य कर्मचारी, यदि उसे बालकों में अशांति की किसी घटना या संभावना का पता चलता है, उसे बिना समय गंवाए, भारसाधक व्यक्ति के संज्ञान में लायेगा जो स्थिति आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपाय करेगा और ऐसी सूचना या घटना की जानकारी के साथसाथ - लिखित में उनके द्वारा किए गए उपायों की जानकारीबोर्ड या समिति को देगा ।

(7) भारसाधक व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का रात में, जितने अंतराल पर संभव हो सके, लेकिन सप्ताह में एक बार से अन्यून नहीं, औचक निरीक्षण करेगा। वह इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर में अपने निरीक्षण के समय को अभिलेख करेगा और अपनी टिप्पणियां भी लिखेगा ।

(8) बाल देखरेख संस्था के बाहर अशांति के मामलों में, पाली प्रभारी तत्काल सम्बंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देगा ।

(9) बाल देखरेख संस्था के भीतर हिंसा या अशांति के मामले में, पाली भारसाधक, भारसाधक व्यक्ति की अनुमति से पुलिस की सहायता लेगा। पाली भारसाधक पहले बालकों को चेतावनी जारी करेगा ।

(10) प्राकृतिक आपदा या आग या ऐसी किसी दुर्घटना के मामले में, पाली भारसाधक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं के लिए यथा विकसित आपदा प्रबंधन नवाचार के अनुसार बालकों के निकास और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

(11) उक्त उपायों का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों, बालकों और गार्डों को तैयार करने के लिए भारसाधक व्यक्ति पूर्व में नोटिस दिए बिना मास में एक बार व्यवहारिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।

(12) बालकों की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए बाल देखरेख संस्था के सभी प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं, स्वागत कक्ष, गलियारों, रसोई, रसोई-भण्डार या भण्डार- कक्ष, शयनागार, शौचालयों के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं जैसे प्रमुख बिंदुओं पर बंद परिपथ टेलीविजन कैमरों को लगया जाए ।

(13) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं।

68. तलाशी और अभिग्रहण.—(1) प्रभारी व्यक्ति और गृह के प्राधिकृत अधिकारी यदि आवश्यक हो, तलाशी लेगा और निषिद्ध वस्तुओं को, यदि पाई जाती हैं, अभिग्रहण करेगा।

(2) अभिग्रहण के मामले में निम्न प्रक्रिया होगी:

(i) तलाशी के दौरान पाई गई कोई भी निषिद्ध वस्तु भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की जाएगी और ऐसी जब्ती की सूची तैयार की जाएगी;

(ii) बालक से या शयनागार में हथियार, शस्त्र, हथियार के रूप में उपयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं या आपराधिक गतिविधियों के लिए औजार या मादक पदार्थ पाए जाने के मामले में भारसाधक अधिकारी ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति और ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जाँच करेगा;

(iii) भारसाधक अधिकारी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट देगा और शीघ्रातिशीघ्र बोर्ड या समिति को सूचित करेगा;

(iv) बोर्ड ऐसी रिपोर्ट या समिति द्वारा अग्रेषित की गई रिपोर्ट पर अभिग्रहण की गई वस्तुओं के निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर सकता है या;

(v) जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध, यदि ऐसा व्यक्ति बाल देखरेख संस्था का अधिकारी है, या उस अभिकरण जिसके द्वारा वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है या बाल देखरेख संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगी;

(vi) जिम्मेवार बालक के संबंध में कार्रवाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, इस बात की संतुष्टि होने के बाद कि अभिग्रहण की गई वस्तुओं की किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी जाँच या विभागीय कार्यवाही के लिए या किसी आपराधिक अन्वेषण और कार्यवाही में जरूरत नहीं होगी, सक्षम न्यायालय के आदेश पर नष्ट या निस्तारित कर दिया जाएगा।

69. बालकों का संस्थागत प्रबंधन.—क. (1) प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था के अधिकारी या बालक को प्राप्त करने के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे प्राप्त करता अधिकारी कहा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा ।

(2) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक की पहचान के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और किसी भी संदेह की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी तुरंत प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा जो अविलंब बोर्ड या समिति को सूचित करेगा और बालक को बिना किसी देरी के बोर्ड या समिति के समक्ष पेश करेगा।

ख. बाल देखरेख संस्था में आवास के प्रकार- (1) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास तीन प्रकार के हैं :

(i) संरक्षणात्मक अभिरक्षा;

(ii) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;

(iii) पुनर्वास आवास।

(2) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास दो प्रकार के हैं :

(i) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;

(ii) पुनर्वास आवास।

ग. संरक्षणात्मक अभिरक्षा)-1) ऐसे आवास के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ **प्रपत्र 41** में संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड या बाल न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ अभिरक्षा वारंट अपेक्षित होता है ।

(2) ऐसे आवास की अवधि बोर्ड या बाल न्यायालय यथा निदेशित या उनके द्वारा समय समय पर - यथा विस्तारित होगी ।

(3) ऐसा आवास जांच के लंबन के दौरान होगा।

घ. रात भर का संरक्षणात्मक आवास (1)**-**ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है।

2) ऐसा आवास रात के 20:00 बजे के बाद और अगले दिन 14:00 बजे तक हो सकता है।

3)प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए भेज गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल देखरेख संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जाएगी। आवेदन के साथ उन परिस्थियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति होगी।

4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकार द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा । प्ररूप की एक प्रति बाल देखरेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जायेगी, एक प्रति बाल कल्याण अधिकारी को दी जायेगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जायेगी ।

(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जायेगी।

(6) यदि बाल कल्याण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट क साथ बालको संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यह टिप्पणी करते हुए कि बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है, बालक के ब्यौरा, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे ।

(8) बालक की शरीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा ।

(9) बालक को, यदि वह भूखा है, तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा।

(10) बालक को यथास्थिती स्वागत शयनागार या पृथक्करण इकाई में, रात क लिए रखा जाएगा ।

ड़ पुनर्वास आवास-(1) बालको ऐसे आवास के लिए समिति द्वारा बाल गृह में और बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा ।

(2) बालक को प्रपत्र 14 में पुनर्वास कार्ड जारी किया जाएगा जिसमे बालक के आवास की अवधि का उल्लेख होगा जब तक कि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा उस सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश के द्वारा अवधि को कम न किया गया हो ।

च. बालक को प्राप्त करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-(1) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा:

(i) बालक का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा। पुनर्वास आवास के मामले में, बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी;

(ii) बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता और सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी व्यक्तिगत सामान का इन नियमों के **नियम 72** में यथा उल्लिखित रीति से निपटान किया जाएगा। बालिका की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जाएगी;

(iii) बालक को, यदि वह भूखा है, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा;

(iv) बालक को खराब स्वास्थ्य, चोट, मानसिक बीमारी, रोग या व्यसन जिसके लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाएगी:

(v) बालक को विशेष रूप से चिह्नित शयनागार या बार्ड या अस्पताल में, यदि उसके ऐसे संक्रामक या संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावना है जिसके लिए विशेष देखरेख और सावधानी की जररूत है, विलग किया जाएगा:

(vi) बालक से परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति होना, परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा इसके बारे में एक टिप्पणी या यह तथ्य कि ऐसी कोई जरूरूत नहीं है, लिखा जाएगा और बाल कल्याण अधिकारी मामला कार्यकर्ता जिसको बाल सौंपा गया है, प्रस्तुत करेगा। वही टिप्पण बालकी केस फाइल में भी रखा जाएगा।

(2) बाल देखरेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले चौदह दिनों तक इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए शयनागार में या पृथक्करण इकाई में रखा जाएगा ताकि बालक, बाल देखरेख संस्था के जीवन में समंजित हो सके।

छ. बालक को प्राप्त करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया) .1) यदि बालक रात में प्राप्त किया जाता है, उसी दिन या अगले दिन निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(i) बालक का फोटो लिया जाएगा। एक फोटो बालक की केस फाइल में रखा जाएगा और दूसरा बालक के ब्यारे के साथ सूचक कार्ड में चिपकाया जाएगा। एक प्रति क्रमाकित एलबम में रखी जाएगी और फोटो की एक प्रति बोर्ड या समिति को भेजने के साथसाथ - जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी

(ii) बालक को स्नान कराया जाए और उसे साफ कपड़े प्रदान किए जाएं। देखरेखकर्ता इन नियमों के **नियम 30** के अनुसार बालक को प्रसाधन वस्तुएं, कपड़ों का नया सैट, बिस्तर और अन्य सामग्री एवं उपकरण देगा, जिनकी एक सूची उसकी केस फाइल में रखी जाएगी। सामानों की इन नियमों के **नियम 30** के अनुसार समय पूर्ति समय पर पुनः -की जाएगी;

(iii) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता नए भर्ती किए गए प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था और इसके कार्यकरण से, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों से परिचित कराएगा-:

(क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;

(ख) बाल देखरेख संस्था का अनुशासन और आचरण संहिता:

(ग) दैनिक नियमित कार्यकलाप और सहजात बार्तालापऔर :

(घ) बाल देखरेख संस्था में अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य ।

(iv) बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति और उसके शरीर पर कोई घाव या चिह्न और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, को अभिलिखित करेगा और जिसकी एक प्रति बालक के चिकित्सा अभिलेख में रखी जाएगी:

(v) प्रभारी अधिकारी द्वारा बालको बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता समानुदेशित करेगा।

ज. बालक को प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) नियत बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जितनी बार संभव हो सके, बाल से वार्तालाप करेगा।

(2) बालक को प्राप्त करने के दो दिन के भीतर, यदि अपेक्षित हो, उसके लिए पुनर्वास योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए उसके व्यक्तित्व और जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी व्यसन स्थिति समझने के लिए चिकित्सकों के पैनल द्वारा उसकी जांच की जाए।

(3) बालक को समानुदेशित किया गया बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के परिवार के सदस्यों के साथ भी, जहां कहीं उपलब्ध हैं, वार्तालाप करेगा। एक मामला पूर्ववृत्त **प्ररूप 43** में तैयार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में रखा जाएगा। इसके लिए जानकारी बालक के मातापिता- या अभिभावकों, घर, स्कूल, मित्रों, नियोक्ता और समुदाय सहित सभी संभव और उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की जाएगी।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता अन्य तकनीकी कर्मचारियों की सहायता से आयोजित की गई परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आधार पर बालक के शैक्षिक स्तर और उसकी व्यावसायिक अभिरुचि का मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में, बाहरी विशेषज्ञों और समुदाय आधारित कल्याण अभिकरणों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, बाल मार्ग दर्शन चिकित्सालयों, अस्पतालों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित किए जाएंगे।

झ. पहले चौदह दिन की समाप्ति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) बालक को नियमित शयनागारों में से एक में स्थनांतरित किया जाएगा और शयनागार में एक विशिष्ट बिस्तर, अलमारी और अध्ययन मेज दी जाएगी।

(2) शयनागार का समानुदेशन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:

(i) आयुः

(ii) बालक द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध की प्रकृति;

(iii) बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति;

(iv) बालकों को जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत है, अलग शयनागार में रखा जाएगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा बालक के मामला पूर्ववृत्त, शिक्षा एवं व्यावसायिक अभिरुचि के आधार पर **प्ररूप 7** बालक में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी। पुनर्वास आवास के मामले में, देखरेख योजना आवास की संपूर्ण अवधि के लिए निरूपित की जाएगी और पुनर्वास के लिए सेतु पाठ्यक्रम, औपचारिक, अनौपचारिक या सतन् शिक्षा सहित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा दिया गया कोई या सभी निदेश आवश्यक रूप से शामिल किए जाएंगे।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा करेगा और अपनी स्वयं की टिप्पणियों, बाल और उसके शिक्षकों या अनुदेशकों के साथ वार्तालाप और गृह पिता या गृह माता से प्राप्त फीडबैंक के आधार पर **प्ररूप 14** में पुनर्वास कार्ड में अपना मत लिखेगा।

(5) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बाल देखरेख संस्था में बालक के सामने आई कोई भी कठिनाई का कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख भी रखेगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता उसी प्रकार बाल देखरेख संस्था में सुविधाओं के बारे में बाल द्वारा की गई शिकायत के साथसाथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण के साथ - अभिलेख रखेगा।

(7) व्यक्तिगत देखरेख योजना की शुरुआत के तीन मास में प्रत्येक पखवाड़े में और उसके बाद प्रत्येक मास में समीक्षा की जाएगी। उसकी कारगरता और अपर्याप्तता के बारे में ऐसे मत के कारणों के साथ रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

ञ. तीन मास बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया. —(1) बालकी व्यक्तिगत देखरेख योजना में लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों के विशेष संदर्भ में बालक की प्रगति की जांच की जाएगी। बालक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और **प्ररूप 14** में पुनर्वास कार्ड में लिखी जाएगी।

(2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट को प्रबंधन समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति द्वारा विचारविमर्श के बाद-, व्यक्तिगत देखरेख योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। बालक की दिनचर्या और बालक के पुनर्वास के प्रति उपागम में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। ऐसी संशोधित देखरेख योजना और दिनचर्या का अभिलेख बालक की केस फाइल में रखा जाएगा। प्रगति की समीक्षा की जाएगी और **प्ररूप 14** में पुनर्वास कार्ड में रिकार्ड की जाएगी।

ट. रिहाई . पूर्व योजना-(1) रिहाई पूर्व योजना का सु विचारित कार्यक्रम और बाल गृहों-, विशेष गृहों और सुरक्षा के स्थान से छुट्टी किए गए मामलों का अनुवर्तन बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशों के अनुसार सभी संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा।

(2) बालक द्वारा बिना अनुमति के बाल देखरेख संस्था छोड़ने या संस्था के भीतर कोई अपराध करने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस और परिवार को, यदि पता हो, सूचना दी जाएगी और बालक को खोजने के लिए किए गए प्रयासों सहित, यदि बालक लापता है, परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को जैसा भी मामला हो, भेजी जाएगी।

ठ. बाल देखरेख संस्था में दिनचर्या) -1) प्रत्येक बालक, बाल देखरेख संस्था के किसी भी अधिकारी या गृह के प्रतिनिधि के आदेश का पालन करेगा और हमेशा अनुशासित रहेगा।

(2) प्रत्येक संस्था में बाल समिति के परामर्श से तैयार की गई एक दिनचर्या होगी जिसे संस्था में विभिन्न स्थानों पर विशिष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) दिनचर्या में अन्य बातों के साथसाथ विनियमित और अनुशासित जीवन-, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई, शारीरिक व्यायाम, योगा, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगठित मनोरंजन एवं खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक कार्यकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवार और छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे।

ड. बालक का व्यवहार.-) 1) बाल देखरेख संस्था में बालक अच्छे व्यवहार के नियमों और मानकों का अनुपालन करने के लिए अभिविन्यस्त और प्रशिक्षित होंगे।

(2) प्रत्येक अस्वीकार्य व्यवहार का बाल कल्याण समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए बाल से स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा। बालसमिति उचित कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी को अनुशंसा कर सकती है। प्रभारी अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट की प्रति जिसमें घटना का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई समाविष्ट होगी, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति की आयोजना बनाने के लिए प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।

(3) रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित बालक की केस फाइल में रखी जाएगी।

(4) प्रभारी अधिकारी बालसमिति की अनुशंसाओं और बालक की सुरक्षा और सम्मान पर पूरा ध्यान देते हुए उल्लंघन के मामलों से उपयुक्त रूप से निपटेगा।

(5) प्रभारी अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए परामर्शदाता या वाल कल्याण अधिकारी या कैस बर्कर, बाल देखरेख संस्था से संबद्ध किसी गैर सरकारी संगठन की सहायता ले सकता है।-

(6) असाधारण अच्छा व्यवहार दर्शाने वाले बालक पर प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त पुरस्कार और प्रसुविधा देने के लिए विचार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में इसके बारे में टिप्पण रखा जाएगा।

ढ़ अस्वीकार्य व्यवहार से निपटने की रीति.-) 1) की गई कार्रवाई उल्लंघन की प्रकृति और मात्रा और बालक की आयु के अनुरूप होगी और निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है:

(i) औपचारिक चेतावनी:

(ii) गृह व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपना;

(iii) लेखन आरोपण अर्थात् बारबार यह लिखना कि वह व्यवहार की पुनरावृत्ति न करे और-

(iv) विशेषाधिकारों अर्थात टेलीविजन देखने की अनुमति, बाहरी कार्यकलापों के लिए जाने की अनुमति, खेल और मनोरंजन और अन्य मुख्य कार्यकलाप का समपहरण।

(2) कोई भी बालक शारीरिक दंड या बालक के सम्मान को प्रभावित करने वाले अपमानजनक व्यवहार सहित किसी भी मानसिक उत्पीड़न से दण्डित नहीं किया जाएगा।

ण. असाधारण अच्छा व्यवहार-निम्नलिखित को अच्छा व्यवहार माना जाएगा, अर्थात्:

(i) एक माह से अधिक की अवधि में आंका गया, अनुशासन के नियमों का पालन करना और दिनचर्या का अनुपालन करना;

(ii) किसी अन्य बालक को अस्वीकार्य व्यवहार करने से रोकना या हिंसा का निवारण करना।

(iii) चेतावनी देकर कोई दुर्घटना घटित होने से रोकना, आपदा के मामले में अन्य बालकों को निकालना।

(iv) व्यवस्था बनाए रखने में बाल देखरेख संस्था के किसी अधिकारी की सहायता करना।गृह प्रतिनिधियों के लिये ऐसी परिस्थितियों में जो आपात स्थिति में विकसित हो सकती है, चेतावनी देने से पहले के व्यव्हार पर विचार किया जायेगा;

(v) अशांति फैलाने या भाग जाने की किसी योजना के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचना देना।

(vi) कोई प्रतिषद्ध या निषिद्ध वस्तु के बारे में प्रभारी अधिकारी को सूचना देना या;

(vii) अभिघात से बाहर निकलने में दुसरे बाल की सहायता करना।

(viii) अपनी शिक्षा जारी रखने की परीक्षा, या व्यावसायिक या पुनर्वास पाठ्यक्रमों में असाधारण प्रदर्शन करना।

(ix) सकारात्मक और अनुकूलनीय व्यवहार;

(x) कोई अन्य अच्छा व्यवहार जो प्रभारी अधिकारी द्वारा असाधारण पाया गया हो।

त. असाधारण व्यवहार बनाये रखने के लिये पुरस्कार और प्रसुविधा.— प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली दरो पर पुरस्कार बाल को अच्छे कार्य और अच्छे व्यवहार के लिये प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जायेगा और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस बाल को लेने के लिए आने वाले उसके माता-पिता अथवा अभिभावक या बाल को स्वयं रसीद प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा।

70. प्रतिषिद्ध वस्तुएं।.—(1) कोई भी व्यक्ति बाल देखरेख संस्था में प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं लाएगा, अर्थात्:—

(क) किसी भी प्रकार की स्वापक वस्तुएँ, मनःप्रभावी पदार्थ, शराब, गांजा, भांग,अफीम, स्मैक आदि;

(ख) सभी विस्फोटक, जहरीले पदार्थ, तेजाब और रसायन, चाहे वह तरल या ठोस किसी भी रूप में हों;

(ग) सभी आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र या हथियार, चाकू और कटाई के सभी उपकरण और वस्तुएँ जो किसी भी प्रकार के हथियार के रूप में उपयोग लाई जा सकती हैं;

(घ) सभी अश्लील सामग्री;

(ङ) डोरी, रस्सी, जंजीर और किसी भी प्रकार के सामान जो डोरी या रस्सी या जंजीर के रूप में उपयोग लाया जा सकता हो;

(च) लकड़ी, बाँस, डंडा, लाठी, सीढ़ी, ईंट, पत्थर तथा किसी भी प्रकार की मिट्टी;

(छ) ताश और जुआ खेलने की अन्य सामग्री;

(ज) तंबाकू से बनी वस्तुएँ, पान मशाला या इसी प्रकार की वस्तु;

(झ) दवाइयाँ जो विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्टित नहीं की गई हैं।

(ञ) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्टित अन्य कोई वस्तु।

(2) सभी सोना-चाँदी, धातु, सिक्के, आभूषण, गहने, मुद्रा नोट, प्रतिभूतियाँ और मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, आई-पैड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएँ सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की जाएँगी।

(3) प्रतिषिद्ध वस्तुओं का निपटान इन नियमों के **नियम 72** के अनुसार किया जायेगा।

71. तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएं।—(1) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक बाल की तलाशी ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए और उसके पास पाए गए किसी धन या मूल्यवान वस्तु को उस प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। बालिकाओं की तलाशी के मामले में, महिला कर्मचारी द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। किसी भी बालक के पास पाए धन, बहुमूल्य वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में "व्यक्तिगत सामान रजिस्टर" में रखा जाएगा जिसमें वस्तुओं का विवरण अन्तिर्विष्ट होगा।

(2) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में प्रत्येक बालक के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थिति मे बाल को पढ़कर सुनाई जाएंगी और ऐसी प्रविष्टयों के सही होने के प्रतीक के रूप में साक्षी के हस्ताक्षर लिये जाएंगे और इन प्रविष्टियों पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएगे।

72. वस्तुओं का निपटान।—(1) बालक के धन या मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति से निपटान किया जाएगा, अर्थात्:

(क) संस्था में बालक को प्राप्त करने पर, प्रभारी अधिकारी बालक की धनराशि को बालक के खाते में जमा कराएगा,

(ख) मुल्यवान और अन्य वस्तुए, यदि कोई है, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी;

(ग) जब ऐसे बालक को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता है, तब उसका धन, मुल्यवान और अन्य बस्तुएं, संपूर्ण और सही विवरण के साथ, बालक के साथ उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को स्थनांतरित किए जाएंगे, जिसमें उस बालक का स्थानान्तरण किया गया है।

(घ) ऐसे बालक की रिहाई समय, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को सौपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और माता-पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ङ) जब संस्था में किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक के माता-पिता या अभिभावक को सौंपी जाएगी;

(च) ऐसे व्यक्ति में ऐसी धनराशि मूल्यवान और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की रसीद ली जाएगी; और

(छ) यदि बालक की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो बालक की मुल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम से जमा धनरानि का इन नियमों के नियम 39 के अधीन प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा ।

73. मामले की फाइल का रखरखाव.—(1) बाल देखरेख संस्था में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई प्रत्येक बालक की मामला फाइल गोपनीय होगी।

(2) मामला फाइल को बोर्ड या ममिति या बान न्यायालय के अवलोकन के लिए पेशी की प्रत्येक तारीख पर बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्ततु किया जाएगा।

(3) मामला फाइल में निम्नलिखित जानकारी होगी अर्थात्;

(i) पुलिस रिपोर्ट सहित बोर्ड या नमिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपार्ट;

(ii) बालक के द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट या रोजनामचे की प्रति;

(iii) फोटो पहचान पत्र, यदि उपलब्ध हो;

(iv) मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का आदेश;

(v) मामला इतिवृत्त प्रपत्र,

(vi) बालक की किसी तातकालिक जरूरत की रिपोर्ट,

(vii) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बालकल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और मामला कार्यकर्ता की रिपोर्टः

(viii) किसी पिछली संस्था में रखी गई बाल की केस फाइल, यदि कोई हो तो;

(ix) बालक से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी और विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी;

(x) बालक, उसके परिवार आदि के बारे में आगे की जानकारी का स्रोतः

(xi) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट,

(xii) चिकित्सा अधिकारी में प्राप्त यथास्थिति नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट,

(xiii) मनो-सामाजिक प्रोफाइलिग, नियमित परामर्श रिपोर्टे, जहां कही लागू हो, मानसिक स्वास्थ अंतक्षेप की कोई अन्य;

(xiv) बुद्धिलब्धि (आई. क्यू.) परीक्षा रिपोर्ट, अभिरुचि परीक्षा रिपोर्ट, ज्ञानात्मक मूल्यांकन, शैक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षाओं की, यदि आयोजित की गई है, रिपोर्ट:

(xv) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम और विशेष सावधानिया रखे जाने के संबंध में अनुदेश,

(xvi) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर की प्रति;

(xvii) बालक की आयु घोषित करने वाले आदेश की प्रति;

(xviii) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार;

(xix) पुनर्वास कार्ड

(xx) तिमाही प्रगति रिपोर्ट:

(xxi) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, समिती का आदेश, स्कीमों से जुड़ाव यथा विहित रिहाई-पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना और अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना और उनमें आशोधन,

(xxii) देखरेख योजना की कारगरता के बारे में पाक्षिक और मासिक रिपार्ट,

(xxiii) बालक के सामने आ रही कठिनाइयों का अभिलेख और उनका समाधन,

(xxiv) बालक की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड,

(xxv) बालक द्वारा दिया गया फीडबैक,

(xxvi) छुट्टी और पर्यवेक्षणाधीन रिहाई,

(xxvii) ऐसे मुलाकाती की रिपोर्ट जो बालक में मुलाकात करते समय आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाया गया हो

(xxviii) ऐसी वस्तुएं रखने के बारे बालक की रिपार्ट और इस बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट:

(xxix) किसी अस्वीकार्य व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;

(xxx) किसी असाधारण व्यवहार एव परिणाम की रिपोर्ट;

(xxxi) विशेष उपलब्धिया और नियमों का उल्ल्थन, यदि कोई हो;

(xxxii) बालक को पुरस्कार या उसके उपार्जन का टिप्पण और बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक की प्राप्ति,

(xxxiii) रिहाई या वापसी आदेश;

(xxxiv) अनुरक्षण आदेश, यदि कोई हो,

(xxxv) पुनर्वास अंतःक्षेप आवास के अंतर्गत बालकों के मामले में रिहाई की अनुपालना रिपोर्ट:

(xxxvi) रिहाई नही किए जा रहे बालकी रिपोर्ट और बालकी गैर-रिहाई के संबंध में जारी किए गए निदेशों की अनुपलना रिपार्ट;

(xxxvii) अनुवर्ती रिपोर्ट;

(xxxviii) वार्षिक फोटो,

(xxxix) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशानुसार रिहाई उपरांत मामलों की अनुवर्ती रिपोर्ट;

(xl) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा बस्लक के मामले में मांगी किसी अन्य रिपोर्ट की प्रति, और

(xli) टिप्पणियों, यदि कोई हो।

(4) बालक के चिकित्सा अभिलेख में उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, व्यसन की स्थिति और उपचार आदि के बारे में बालक की सभी रिपोर्टे और अभिलेख अंतर्विष्ट होंगे।

(5) केस फाइल के रखरखाव का उत्तरदायित्व बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित मामला कार्यकर्ता का होगा।

(6) संस्था द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइले कम्प्यूटरीकृत की जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए उचित प्रक्रिया विकसित करेगी ।

74. बालकों से मिलना और उनसे सूचना का आदान प्रदान करना.—(1) बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक बालको उसके रिश्तेदारों से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति होगी:

परंतु विशिष्ट मामलों में, जहां माता-पिता या अभिभावक दूसरे राज्य या जिला में लंबी दूरी की यात्रा करके आए है, प्रभारी अधिकारी ऐसे माता-पिता या अभिभावकों को, उनकी पहचान की पुष्टि होने पर और उनके बारे में बालक के साथ दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में उनकी संलिप्तता की कोई रिपोर्ट नहीं है, परिसर में प्रवेश करने और उनके बच्चों से अन्य दिनों में मिलने की अनुमति दे सकता है।

(2) नए प्राप्त किए गए बालको उसके माता-पिता या अभिभावक या परिवार के सदस्य में उनके पहले भ्रमण पर किसी भी दिन मिलने की अनुमति होगी।

(3) ऐसे माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को जहाँ ऐसे आगंतुकों की बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के लाने में संलिप्तता पाई गई है, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अनुमति के सिवाए और जब ऐसी मुलाकात बालक के परामर्शदाता द्वारा विशेषरूप से निर्देशित नहीं की गई हो, मिलने की कोई अनुमति नहीं होगी।

(4) प्रत्येक बालको अपने माता-पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को सप्ताह में दो पत्र लिखने की अनुमति होगी। आवश्यक लेखन और डाक सामग्री प्रभारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) प्रभारी अधिकारी बाल द्वारा या बालको लिखे गए किसी भी पत्र को पढ़ सकेगा और ऐसे कारणों से जिन्हें बालकी केस फाइल में लिखा जाएगा, पत्र को सुपर्द करने या आगे भेजने से मना कर सकेगा। इसकी रिपार्ट तैयार की जाएगी और प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति केस फाइल में रखी जाएगी और दुसरी प्रति बोर्ड या बाल न्यायालय या समिति को भेजी जाएगी।

(6) प्रत्येक बालको यथास्थिति बोर्ड या ममिति या बाल न्यायालय में जैसा भी मामला हो, देने के प्रयोजन में कोई भी लिखित संप्रेषण लाने की अनुमति होगी और इसके लिए उसे लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) प्रभारी अधिकारी, बालकल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में बालको सप्ताह में एक बार दूरभाष पर उसके माता-पिता या अभिभावकों से बातचीत करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे कालो का विधिवत् अभिलेख रखा जाएगा।

(8) बाल से मुलाकात करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति मुलाकात में पहले प्रमाण के साथ अपना नाम व पता बताएगा जिसे आगंतुक पुस्तिका में लिखा जाएगा और आगंतुक द्वारा उसमे हस्ताक्षर किए जाएंगे। आगंतुक के पते एवं फोटो पहचान पत्र की प्रति मुलाकात से पहले ली जाएगी और संस्था द्वारा रख ली जाएगी। यदि आगंतुम अपना विवरण प्रकट नहीं करता है, उसे मुलाकात करने से मना कर दिया जाएगा।

(9) आगंतुक मुख्य द्वारा पर तलाशी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा, महिला आगंतुक की तलाशी केवल महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी।

(10) प्रत्येक मुलाकात बार देखरेख संस्था के कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी जो होने वाली किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेवार होगा और जो इस प्रकार उपस्थिति रहेगा कि वह पक्षों के बीच गुजरने वाली किसी भी आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु को देखने और रोकने में समर्थ है।

(11) प्रत्येक बालक की मुलाकात से पहले और बाद में आगंतुक की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक तलाशी ली जाएगी। बालक के पास मुलाकात के लिए जाने से पहले कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए।

(12) यदि बैठक में पहले ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु पाई जाती है.

(i) उक्त बस्तु जब्त कर लिया जाएगा;

(ii) प्रभारी व्यक्ति बालक तक वस्तु को पहुंचाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति (यो) का पता लगाने के लिए जांच करेगा;

(iii) यदि जिम्मेवार व्यक्ति बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों में से है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी; और

(iv) जांच की विस्तृत रिपोर्ट और इसका परिणाम विभाग और बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(13) यदि बैठक के बाद ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्ध वस्तु पाई जाती है तो;

(i) वस्तु जब्त कर ली जाएगी,

(ii) किसी गैर-कानूनी वस्तु के पाये जाने के मामले में, जिसमे कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत हो, वस्तु और आगंतुक को निरुद्ध कर लिया जाएगा और पुलिस को सूचना दी जाएगी। आगंतुक और ऐसी वस्तु को पुलिस को सौप दिया जाएगा,

(iii) ऐसे आगंतुक के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालकी केस फाइल में रखी जाएगी: और

(iv) घटना की एक रिपोर्ट को बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएग, और

(v) रिपोर्ट की प्रति बालकी केस फाइल में रखी जाएगी।

(14) कोई भी बालक जो मुलाकात के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करता है, ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए प्रभारी अधिकारी निदेश दे सकता है, उस अधिकार में वंचित कर दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट बोर्ड या ममिति या बाल न्यायालय को भेजी जाएगी और इसकी प्रति बालकी केस फाइल में रखी जाएगी।

(15) प्रत्येक बालक को निम्नलिखित के अधीन रखते हुए कानूनी परामर्शदाता से सवाद करने का हक होगाः

(i) तलाशी और जब्ती के नियम सभी कानूनी परामर्शदाताओं पर भी लागू होंगे;

(ii) ऐसा प्रत्येक साक्षत्कार गृह के अधिकारी की नजर में होगा, यद्यपि वह सुरक्षित दूरी पर होगा ताकि वह सुनने के दायरे से बाहर रहे;

(iii) बालक के अधिवक्ता की हैसियत से उसका साक्षात्कार लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा सत्यापित वकालतनामा की एक प्रति के साथ अपना नाम, पता और नामांकन संख्या देते हुए लिखित में आवेदन करेगा;

(iv) किसी भी बालक को जो अधिवक्ता नहीं होने का दावा करता है, विधिक सहायता अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति होगी जो सामान्य कार्य प्रणाली में बाल देख रेख संस्था का दौरा करते हैं।

75. बालक की मृत्यु.—(1) बाल देखरेख संस्था में किसी बालकी मृत्यु होने अथवा आत्महत्या का कोई मामला होने की दशा में निम्ननिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु समीक्षा और शव परीक्षण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए।

(ख) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी बालक की मृत्यु की दशा में, प्रभारी अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा और मृत्यु के बारे में लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, संबंधित बोर्ड या समिति, जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और उस बालक के मातापिता-, अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।

(ग) मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना दी जाएगी और प्रभारी अधिकारी तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मृतक बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।

(घ) यदि बाल देखरेख संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है. तो बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी पुलिस जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल और ऐसे बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को अविलम्ब सूचित करेगा।

(ङ) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियां रिकार्ड करेंगे और संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस, बोर्ड या समिति या बाल

न्यायालय और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल, जिसमें निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच के लिए बालक के शव को भेजा गया हो, एक रिपोर्ट भेजेंगे और प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार, यदि कोई हों, भी अभिलिखित करेंगे और इसे संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस को देंगे।

(च) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य व्यौरों के संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(छ) जैसे ही मृत्यु समीक्षा पूरी हो जाती है, बालक का शव उसके माता-पिता या अभिभावक या रिस्तेदारों को सौंपा जाएगा या किसी दोवदार के उपस्थिति न होने की दशा में भविष्य में संदर्भ के लिए बाल का फोटोग्राफ रखने के बाद उस बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

76. बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण.—(1) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी कि संस्था में किसी भी बालक के साथ कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार न हो और इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार का अर्थ और इनके प्रारंभिक संकेतों को और इन दुर्व्यवहारों से कैसे निपटते हैं, जानते हैं।

(2) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा बालकों की उपेक्षा सहित उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी अर्थात्:

(i) दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल प्रभारी अधिकारी को की जाएगी;

(ii) जब शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के आरोप की जानकारी प्रभारी अधिकारी को होती है, बोर्ड या समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो परिणामस्वरूप, विशेष अन्वेषण का आदेश देगी;

(iiI) यौन शोषण का मामला रजिस्टर होने की स्थिति में, लैंगिक अपराधो से बालको के संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 ऑफ 32) की धारा 19 के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

(iV) बोर्ड या समिति ऐसे मामले की दर्ज करने, ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने के लिए स्थानीय पुलिस थानो या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी।

(V)बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेंगी कि जांच पूरी हो और पीड़ित बालक को विधिक महायता के साथ-साथ परामर्श उपलब्ध कराए जाएं;

(vi)बोर्ड या समिति ऐसे बालक को किसी अन्य सुरक्षा के स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थनांतरित करेगी;

(vii)संस्था का प्रभारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(viii)संस्थाओं में बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में, बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिय थाना या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी

(ix) बोर्ड या समिति दुर्व्यवहार और शोषण के तथ्यों की जांच करने के लिए प्रत्येक संस्था में गठित बाल समिति से परामर्श करने के साथ-साथ संस्था में बालकों के दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों से निपटने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकार के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों या संकट मध्यक्षेप केंद्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

77. रजिस्टरों का रखरखाव.—कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्तंभ (2) में रजिस्टर और प्रपत्रों का रखरखाव करेंगे, जिनके संरक्षक स्तंभ (4) में उल्लिखित व्यक्ति होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

सारणी

क्र.सं. (1)	रजिस्टर और प्ररूप (2)	द्वारा रखरखाव किए जाएगा (3)	अभिरक्षक (4)
1.	प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर जो अभिरक्षा की प्रकृति में परिवर्तन संसूचित करेगा	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता/प्राप्तकर्ता अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
2.	कर्मचारियों और बालकों की उपस्थिति रजिस्टर	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
3.	बजट विवरण फाइल।	प्रभारी व्यक्ति	प्रभारी अधिकारी
4.	प्रत्येक बालक की केस फाइल।	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
5.	रोकड़ बही।	लेखा अधिकारी/खजांची	प्रभारी अधिकारी
6.	बालक का सुझाव या शिकायत पुस्तिका	बाल समिति	प्रभारी अधिकारी
7.	परामर्श रजिस्टर।	परामर्शदाता	प्रभारी अधिकारी
8.	नशामुक्ति कार्यक्रम में नामांकन और प्रगति का रजिस्टर।	बाल कल्याण अधिकारी/ केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
9.	प्रभार सौंपने का रजिस्टर	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
10.	गृह व्यवस्था और सफाई रजिस्टर	गृह माता-पिता	प्रभारी अधिकारी
11	निरीक्षण पुस्तिका।	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
12.	विधिक सेवा रजिस्टर।	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी

13.	पुस्तकालय रजिस्टर।	शिक्षक	प्रभारी अधिकारी
14.	लोग बुक	चालक	प्रभारी अधिकारी
15.	भोजन रजिस्टर/पोषण आहार फाइल	गृह माता-पिता	प्रभारी अधिकारी
16.	प्रत्येक बालक की चिकित्सा फाइल	स्टाफ नर्स	प्रभारी अधिकारी
17.	बैठक पुस्तिका	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
18.	बाल समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
19.	प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
20.	आदेश पुस्तिका	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
21.	व्यक्तिगत का सामान रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
22.	प्रस्तुति रजिस्टर	परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/ केस कार्यकर्ता	प्रभारी अधिकारी
23.	कर्मचारी संचालन रजिस्टर	सुरक्षा प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
24.	स्टॉक रजिस्टर	स्टोर कीपर-सह-लेखाकार	प्रभारी अधिकारी
25.	आगंतुक पुस्तिका	सुरक्षा गार्ड	मुख्य द्वारपाल

78. खुलापन और पारदर्शिता.—समस्त देख रेख संस्थाओं को बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी की अनुमति से आगंतुकों के लिए खोला जाएगा । बोर्ड या समिति प्रभारी अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं" चिकित्सकों, शिक्षा विदों को अंदर आने की अनुमति दें सकते हैं और उसी तरह ऐसे अन्य व्यक्तियों को, प्रबंधन समिति बालकों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझे ,अनुमति दे सकती है।

(2) जहा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अनुमति प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाती है, वह राज्य यथा स्थिति बाल संरक्षण सोसायटी बौर बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, के लिए भी ऐसी अनुमति की मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें बोर्ड या समिति में प्राप्त आदेश शामिल होंगे।

(3)बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी संस्था में स्थितियों में सुधार करने या बालक की सहायता करने के लिए स्थानीय समुदाय और निगमों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(4)प्रभारी अधिकारी आगतुकों की टिप्पणियों का अभिलेख रखने के लिए आगंतुक पुस्तिका रखेंगे।

(5)प्रभारी अधिकारी बालकों की गरिमा बनाने के लिए आगंतुकों को सूचित को करने के सभी उपाय करेगा।।

79. बाल देखरेख संस्था से बालक की रिहाई.—(1) बाल देखरेख सस्था का प्रभारी अधिकारी बोर्ड वा समिति या बाल न्यायालयः द्वारा यथा आदेशित आवास की अवधि की समाप्ति पर रिहा किए वाले बालकों के मामलों का रोस्टर रखेगा।

(2) बालक की रिहाई और रिहाई की सही तारीख की समयोचित सूचना बालक के माता-पिता या अभिभावक को दी जाएगी और माता-पिता या अभिभावक को उस तारीख को बालक का प्रभार लेने के लिए बाल देखरेख संस्था में बुलाया जाएगा और यदि आवश्यक हो, माता-पिता या अभिभावक की दोनों ओर की यात्रा और बालक की बाल देखरेख संस्था से यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान बालक की रिहाई के समय प्रभारी अधिकारी द्वारा माता-पिता या अभिभावक को किया जाएगा।

(3) यदि माता-पिता या अभिभावक, नियत तारीख को आने में और बालक का यथास्थिति प्रभार लेने में असफल रहते हैं, बालक को बाल देखरेख संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा, और बालिका के मामले में, उसे महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उसके माता-पिता/अभिभावक की अभिरक्षा में सौंपेगी।

(4) रिहाई या छुट्टी के समय, बालक को उपयुक्त कपड़ों का सैट और आवश्यक प्रसाधन सामग्री दी जा सकेगी।

(5) जब बालक अठारह वर्ष की आयु का हो जाता है, उसका स्थापन, यदि वह पात्र है, बालक की सहमति और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन के अध्यधीन, परवर्ती देखरेख कार्यक्रम में किया जा सकेगा।

(6) यदि रिहाई की तारीख रविवार या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन पड़ती है, तो बालक को उससे पूर्वगामी दिन छुट्टी दे दी जाएगी और छुट्टी रजिस्टर में इस संबंध में एक प्रविष्टि की जाएगी।

(7) बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी उपयुक्त मामलों में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर यथास्थिति निर्वाह धन और रेल और/या सड़क किराया, का भुगतान कर सकेगा

(8) जहाँ किसी बालक,जो अठारह वर्ष से कम आयु का है के पास रिहाई के बाद जाने का कोई स्थान नहीं होता है और वह आवास की अवधि की समाप्ति के बाद भी बाल देख रेख संस्था में रुकने का अनुरोध करता है, तो प्रभारी अधिकारी,बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन के अध्यधीन, सीमित समय के लिए जब तक उस बालिका द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नही कर ली जाती है , उसके आवास को अनुमति दे सकेगा ।

(9) जहां अठारह वर्ष से अधिक उम्र की बलिका को बाल देखरेख संस्थान से रिहा कर दिया गया है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसे तब तक कामकाजी महिला छात्रावास या ऐसी अन्य सरकारी सुविधाओं में आवास प्रदान किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा रहने के लिए कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है।

80. ऐसे रोंगों से जिनके अनुमोदित स्थान में दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की जरूरत होती है, पीड़ित बाल और बाल का स्थानान्तरण जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाईयों का आदी है.—(1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालक को जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाओं या किसी अन्य मादक पदार्थ का आदी है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, ऐसी अवधि या उसके आवास की शेष अवधि के लिए जो ऐसे बालक को उपचार के लिए यथा आवश्यक है, उपयुक्त सुविधा में भेजेगा जिसे चिकित्सा

अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया गया हो या प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा अनुशंसा की गई हो।

(2) जब बाल रोग या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ठीक हो गया हो, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालकों को देखरेख में जहाँ से उसे उपचार के लिए हटाया गया था, वापस रखे जाने का आदेश देगा और यदि उन बालकों को अधिक समय तक देखरेख में रखा जाना आवश्यक नहीं है, तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय उसकी छुट्टी करने का आदेश कर सकेगा। ।

(3) राज्य सरकार व्यसनी बालकों के लिए उपयुक्त आयु समूहों के आधार पर अलग समेकित पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करेगी ।

81. बालक का स्थानांतरण.— (1) जांच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान का है, तो बोर्ड या समिति बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी और आदेश की एक प्रति जिसमें ऐसे स्थानांतरण के कारणों एवं परिस्थितियों को लेखबद्ध किया जाएगा, राज्य सरकार और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(2) तदनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई:-

(i) उपयुक्त बोर्ड या समिति को, जिसके कार्यक्षेत्र में वह क्षेत्र आता है जहाँ बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानांतरण का आदेश किया गया है, स्थानांतरण की सूचना भेजेगी; और

(ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को जहाँ बालक को स्थानांतरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(3) बालक का स्थानांतरण आदेश में यथा विनिर्दिष्ट स्थान या व्यक्ति तक सरकारी व्यय पर किया जाएगा और दैनिक आधार पर यात्रा भत्ते का निर्धारण बोर्ड या समिति द्वारा किया जाएगा जिसका भुगतान राज्य की उस जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाएगा जिसमें बालक का स्थानांतरण किया है।

(4) ऐसे स्थानांतरण पर, बालक की केस फाइल और उसके अभिलेख बालक के साथ भेजे जाएंगे।

(5) यदि बालक किसी अन्य देश का नागरिक है तो बालक को बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड या समिति जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी और जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के समुचित विभाग के माध्यम से और यथास्थिति गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्रातिशीघ्र बच्चे की वापसी की प्रक्रिया को शुरू करेगा।

(5क) जिला मजिस्ट्रेट पुनः वापसी किए जाने वाले बालकों की एक सूची तैयार करेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इसे निगरानी प्राधिकरण (यथास्थिति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को भेजेगा |

(5ख) निगरानी प्राधिकरण बालक की पुनःवापसी करवाने के लिए संबंधित सरकार या निजी अभिकरणों के साथ मामले को उठाएगा। ।

(5ग) इसके पश्चात् निगरानी प्राधिकरण, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को पुनःवापसी किए जाने वाले बच्चों की प्रास्थिति रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्यावर्तन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित रहने की अवधि के दौरान, बालक को बालक देखरेख संस्था में रखा जाएगा।

(7) दूसरे देश में बालक के प्रत्यावर्तन का व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ।

82. वापस भेजा जाना और अनुवर्तन.—1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक और उसके माता पिता या अभिभावक की सुनवाई के बाद और माता पिता या अभिभावक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद बाल देखरेख संस्था में रखे गए बालक की रिहाई के लिए प्ररूप 44 में आदेश देगी |

(2) बालक को वापस भेजे जाने का आदेश पारित करते समय, बोर्ड या समिति या बाल न्यायलय उपयुक्त मामले में बोर्ड या समिति या बाल न्यायलय के निदेश पर तैयार की गयी गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता की रिपोर्टों और बोर्ड या समिति या बाल न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य प्रसंगिक दस्तावेज या रिपोर्ट पर विचार करेगा |

(3) वापस भेजे जाने के आदेश में परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की व्यक्तिगत देखरेख योजना सम्मिलित की जाएगी |

(4) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक को वापस भेजे जाने का निदेश देते समय, जहाँ कहीं आवश्यक है, प्ररूप 45 में मार्ग्रक्षण के लिए आदेश पारित करेगा |

(5) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड या समिति, बालक को परिवार में वापिस भेजे जाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी |

(6) बालिकयों के मामले में, बालिका को महिला अभिरक्षा दल के साथ भेजा जायेगा |

(7) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा वापिस भेजे जाने के आदेश की प्रति के साथ-साथ मार्ग्रक्षण आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी जो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित बालक को वापिस भेजे जाने के लिए राशी प्रदान करेगी |

(8) जब कोई बालक परिवार में वापस जाने की अनिच्छा प्रकट करता है , तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायलय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ वार्तालाप करेगा और इस बात को दर्ज करेगा और बालक को परिवार में वापस जाने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही समझाया जाएगा | बालक को ऐसी स्थिति में भी परिवार में वापस नही भेजा जाएगा जहाँ बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर –सरकारी संगठन यह सिद्ध करता हो कि बालक का परिवार में वापस जाना उसके हित में नहीं है | बालक को ऐसे परिवार में भी वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ माता –पिता या अभिभावक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार करते हैं | ऐसे सभी मामलों में, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय पुनर्वास के वैकल्पिक साधन प्रदान करेगा |

(9) व्यक्तिगत देखरेख योजना के भाग के रूप में परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर –सरकारी संगठन द्वारा एक अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी |

(10) अनुवर्ती रिपोर्ट मे बालक को वापस भेजने के बाद उसकी स्थिति और बालक की असुरक्षा में आगे और कमी लाने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख होगा |

82क . विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुन:वापसी और अनुवर्तन –: (1) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने के पश्चात और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बालक को छोड़ने के लिए प्ररूप 44 में आदेश दे सकेगा।

(2) बालक की पुन:वापसी के लिए आदेश देते समय, बोर्ड या बाल न्यायालय, उपर्युक्त मामलों में बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी या नामनिर्दिष्ट अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्टों और बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष लाए गए किसी संबंधित दस्तावेज यह रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।

(3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो बोर्ड या बाल न्यायालय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातचीत करेगा और इसे रिकॉर्ड करेगा तथा बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही मनाया जाएगा।

(4) बालक को उसके परिवार के पास तब भी वापस नहीं भेजा जाएगा जब बालक के माता-पिता या संरक्षक उस बालक को वापस स्वीकार करने का इनकार कर देते है और इस प्रकार के सभी मामलों में, बोर्ड या बाल न्यायालय पुनर्वास के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान करेगा।

(5) इसके अतिरिक्त, बालक को उसके परिवार के पास वापस नहीं भेजा जाएगा यदि परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के नामनिर्दिष्ट अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि बालक को उसके परिवार के पास वापस भेजा जाना बालक के हित में नहीं होगा।

(6) पुन:वापसी के आदेश में परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना भी शामिल होगी।

(7) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक की पुन:वापसी का निर्देश देते समय, जहाँ आवश्यक हो, प्ररूप 45 में एस्कॉर्ट के लिए आदेश जारी कर सकता है।

(8) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड बालक को उसके परिवार से पुनः मिलाने के लिए जिला बाल सुरक्षा इकाई से सहयोग मांग सकता है।

(9) बालिकाओं के मामले में, बालिका के साथ महिला सहायक भी अनिवार्य रूप से जाएगी।
(10) महिला सहायक के लिए आदेश की प्रति सहित पुनः वापसी के आदेश की प्रति को बोर्ड पर बाल न्यायालय द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी जो यात्रा तथा अन्य आकस्मिक व्यय सहित बालक की पुनः वापसी के लिए निधियां प्रदान करेगी।

(11) बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग के रूप में एक अनुवर्तन योजना तैयार की जाएगी।

(12) इस अनुवर्तन रिपोर्ट में पुनः वापसी के बाद बालक की प्रास्थिति और बालक की संवेदनशीलता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख किया जाएगा।

82 ख. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए पुनर्वापसी और अनुवर्तन :- (1) समिति बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बच्चे को छोड़ने के लिए प्ररुप 44 में आदेश दे सकेगी।

(2) बालक की पुनःवापसी के लिए आदेश देते समय, समिति उपर्युक्त मामलों में समिति के निदेश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन का नामनिर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट और समिति के समक्ष लाए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज या रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

(3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छुकता व्यक्त करता है तो समिति इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातचीत करेगी और इस बातचीत को रिकार्ड करेगी और बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए ना तो विवश किया जाएगा और ना ही मनाया जाएगा।

(4) यदि कोई बालक परिवार में वापस जाने से इनकार करता है या परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण बालक को वापस लेने से इनकार करता है तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा **45** के अधीन बच्चे के सर्वोत्तम हित में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अधिनियम की धारा **105** के अधीन किशोर न्याय निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि या कोई अन्य योजना सहित प्रायोजन के सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रदान करने की सभी संभावनाओं का पता लगाएगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, परिवार की वित्तीय क्षमता का पता किसी भी आय दस्तावेज जैसे पिछले एक वर्ष के बैंक विवरण या पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न या परिवार के संपत्ति पंजीकरण या आय प्रमाण पत्र या जो भी उपलब्ध हो के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

(5) बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित भी नहीं किया जाएगा, जहां माता-पिता या संरक्षक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं और समिति, ऐसे सभी मामलों में पुनर्वास के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान कर सकेगी।

(6)बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा, जहां यथास्थिति, बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी या बालक देखरेख संस्था का प्रबंधन द्वारा तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्ट यह स्थापित कर देती है कि परिवार को प्रत्यावर्तन बालक के हित में नहीं होगा।

(7) जिला बालक संरक्षण इकाई पात्र बालक के लिए प्रत्यावर्तन और उसके कार्यान्वयन के लिए योजना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट, बालक के प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उसमें हस्तक्षेप करेगा।

(8) प्रत्यावर्तन आदेश में बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार व्यष्टि देखरेख योजना सम्मिलित होगी।

(9) समिति, जहां आवश्यक हो, बालक के प्रत्यावर्तन का निदेश देते समय, प्ररुप 45 में अनुरक्षक के लिए एक आदेश पारित कर सकेगी।

(10) समिति, प्रत्यावर्तन के लिए बालक को परिवार में वापस करते समय पुलिस के अलावा जिला बालक संरक्षण इकाई का सहयोग ले सकेगी।

(11) बालिका की दशा में उसके साथ आवश्यक रूप से महिला अनुरक्षक होगी।

(12) अनुरक्षक के लिए आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावर्तन आदेश की प्रति, जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अग्रेषित की जाएगी, जो यात्रा और आनुषंगिक व्ययों के साथ बालक के प्रत्यावर्तन के लिए निधियां प्रदान करेगी।

(13) यदि किसी बालक को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया तो बालक को उसके संरक्षक वा रिश्तेदारों, यदि वे समिति द्वारा स्वस्थ पाए जाते हैं तो, के पास वापस भेजे जाते के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(14) जिला मजिस्ट्रेट, सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजिक स्कीमों के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए सभी संभावनाओं की खोज करेगा, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 45 के अधीन प्रायोजन और अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि भी है।

(15**)** बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यष्टि देखरेख योजना के भाग के रूप में अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी।

(16) अनुवर्ती रिपोर्ट में प्रत्यावर्तन पश्चात् बालक की स्थिति और बालक की और भेद्यता को कम करने के क्रम में आवश्यक उपाय का कथन होगा।"

83. किशोर न्याय निधि.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि नामक निधि का सृजन करेगी।

(2) राज्य सरकार किशोर न्याय निधि के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगा ।

(3) किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधि, चाहे किसी विशेष प्रयोजन के लिए या बिना किसी विशेष प्रयोजन के प्राप्त कर सकेगी और ऐसी निधि सीधे किशोर न्याय निधि में जमा की जाएगी।

(4) किशोर न्यायनिधि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा अर्थात्:-

(i) बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और संचालन;

(ii) बाल देखरेख संस्थाओं में बालकों के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता,;

(iii) विधिक सहायता और समर्थन का सुदृढ़ीकरण ;

(iv) उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रतिक्षण प्रदान करना;

(v) अठारह वर्ष की आयु का होने पर बाल देखरेख संस्था छोड़कर जा रहे बालकों का एक मुस्त निर्वहन सहायता प्रदान करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने संस्थागत देखरेख में अठारह वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन की समर्थन देने के लिए छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देखरेख सुविधाएं और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना:;

(vii) पालन-पोषण देखरेख, प्रायोजनकर्ता और परवर्ती देखरेख प्रदान करना;

(viii) उग्रवादी समूहों और वयस्क समूहों से छूटे बच्यों महित विशेष परिस्थितियों में रह रहे बालकों का पुनर्वास;

(ix) बालक को विचारण और वापस भेजे जाने के लिए यात्रा के व्यय को वहन करना, पुलिस सहित मार्गरक्षकों के व्यथ सहित;

(x) बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों , न्यायालयों और समितियों का सृजन करना;

(xi) बालकों की जरूरतों को समझने के लिए माता-पिता और देखरेखकर्ताओं की क्षमता निर्माण;

(xii) बालअधिकारों और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर जागरुकता विकास कार्यक्रम;

(xiii) बालकों के विरुद्ध अपराधों को पहचानने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना :

(xiv) इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों के लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि प्रदान करना;

(xv) बाल देखरेख संस्थाओं में रहनेवाले बालकों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों को मनोरंजन सुविधाएं और उनके लिए पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त कार्यकलाप :

(xvi) कैंसर से पीड़ित बालकों को प्रशामक देखरेख और उनके माता-पिता को ठहरने की सुविधाएं ; और

(xvii) इस अधिनियम और इन नियमों में शामिल किए बालक के समग्र संवृद्धि, विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम या कार्यकलाप

(5) किशोर न्याय निधि का रखरखाव और संचालन इस नियम से सम्बंधित राज्य सरकार के विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार अनुमोदन से राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी किशोर न्याय निधि के उपयोग का नियमन करने के लिए वितीय नियमो को अंगीकार करेगी।

(7) जिला मजिस्ट्रेट इस नियम के अधीन उल्लिखित किन्ही क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जिले में बालको के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य किशोर न्याय निधि से निधियां मांगने के लिए प्रस्ताव प्रस्तु कर सकेगा ।

84. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी।.—(1) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी केवल राज्य सरकार की पदाधिकारियों के अंतवृष्ट होगी और यह निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:

i. राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के अधीन अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और उन्हें मानीटर करना

ii. बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित बाधाओं मुद्दों और शिकायतों को हल करना;

iii. यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम और इन नियमो की अधीन स्थापित सभी संस्थाए अपने स्थान पर है और उन्हें सौंपे गये कर्तव्यो का निर्वहन कर रही है।

iv. विभिन्न जिलों में संस्थाओं के कार्यकरण पर विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटो से प्राप्त रिपोटों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक है, बालकों के संरक्षण को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई करना और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के कार्यकरण को मानीटर करना

v. पालन-पोषण देखरेख, प्रायोजकता और परवर्ती देखरेख के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

vi. बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट मंगाना और सिफारिशें करना;

vii. राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य बाल संरक्षण सोसाटियों से अंतर-विभागीय समन्वय और संपर्क सुनिश्चित करना;

viii. इस अधिनियम और इन नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे सिविल समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना;

ix. संस्थागत देखरेख और परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख में सभी बालकों का राज्य स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और इसका तिमाही आधार पर अद्यतनीकरण करना;

x. राज्य स्तर पर बालदेखरेख संस्थाओं, विशेष दतक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता-पिता, प्रायोजकों, परवर्ती देखरेख संगठनों और अन्य संस्थाओं के डाटा बेस का रखरखाव :

xi. राज्य स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव;

xii. राज्य सरकार द्वारा स्थापित किशोर न्याय निधि को मानीटर करना और संचालित करना जिसमें यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, और पुलिस थानों को निधियों का संवितरण शामिल है।

xiii. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गई सभी निधियों जैसे कि किशोर न्याय निधि, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत निधिया , के लिए अलग- अलग बातों का रखरखाव करना और उनकी लेखा परीक्षा कराना

xiv. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषकर विद्यमान संस्थागत ढांचों, पुनर्वास उपायो, शास्तियों, बालकों के बेहतर संरक्षण की प्रक्रियाओं के बारे लोगों में जागरुकता विकसित करना

xv. पक्षकारो के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना

xvi. बाल संरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम कराना

xvii. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि महाविद्यालयों के साथ समन्वय करना और

xviii. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य कार्य।

(2) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का सदस्य-सचिव राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारी होगा।

84क . राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण –(1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 और दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों से व्यव्हार करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय की अध्यक्षता राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार के विभाग का दत्तकग्रहण से व्यव्हार करने वाला निदेशक, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का सदस्य सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

85. जिला मजिस्ट्रेट और जिला बाल संरक्षण इकाई।.—(1) जिला बाल संरक्षण इकाई जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:

a. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों का रख रखाव;

b. बच्चों के लिए व्यक्तिगत या समूह परामर्श और सामुदायिक सेवाओ की व्यवस्था करना;

(ii क) बोर्ड या समिति के निर्देशानुसार प्रत्येक बालक के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाना ।

(iii) जघन्य अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले सोलह से अठारह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बाल न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन करना :

(iv) सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेषित करना;

(v) ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें मानीटर प्राधिकारी के रूप नियुक्त किया जा सकता है सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची को बाल न्यायालय को भेजना जिसका प्रत्येक दो वर्ष पर अद्यतनीकरण किया जाएगा।

(vi) बाल देखरेख संस्थाओं से भाग गए बालकों का अभिलेख रखना :

(vii) जोखिम में रह रहे परिवारों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना;

(viii) कठिन परिस्थतियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थतियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप का मानीटर करने के लिए जिला-विशिष्ट डाटा बेस तैयार करना,

(ix) संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय-समय पर समितियों और बोडों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना;

(x) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और परवर्ती देखरेख सहित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाना :

(xi) बालकों के परिवार में उनकी वापस भेजे जाने के सभी स्तरों पर बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाना,

(xii) अंत्तर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य की राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क बनाना :

(xiii) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना;

(xiv) बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट मंगाना और और कार्रवाई करना और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xv) बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना;

(xvi) बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना;

(xvii) संस्थागत देखरेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना और मुक्त आश्रयों की सुविधा ने रहे बालकों और पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना

(xviii) जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता-पिता, परवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं आदि के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोडों या समितियों या बाल न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, और राज्य बाल सरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना:

(xix) जिला स्तर पर चिकित्मा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला , ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोडों या समितियों या बाल न्यायालय और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना;

(xx) जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदात्ता, मनोवैज्ञानिकों या मनोसमाजीक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोडों या समितियों या बाल न्यायालयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को अग्रेषित करना:

(xxi) जागरुकता विकसित करना और अधिनियम के अधीन पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xxii) अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठकें आयोजित करना ;

(xxiii) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और जिला मजिस्ट्रेट को मामिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना :

(xxiv) बोर्ड या समिति में रिक्त पदों के बारे में, ऐसे पद रिक्त होने से छह माह पूर्व राज्य सरकार को सूचित करना;

(xxv) जांच समितियों की रिपोटों की समीक्षा करना और पक्षकारों के चीच समन्वय करके उठाए गए मुद्दों को हल करना।

(xxvi) समितियों और बोर्डों को सचिवालयी कर्मचारी प्रदान करना;

(xxvii) बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए समुदाय और निगमों के साथ संपर्क सहित अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य।

(xxviii) अधिनियम के अधीन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के समनुदेशन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार करना;

(xxix) यह सुनिश्चित करना कि बालकों के अधिकारी को विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और ऐसे अन्य स्थानों जहां अक्सर बालक आते-जाते रहते हैं, प्रदर्शित किए जाते हों

(2) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में नोडल अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को पदाभिहित कर सकेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिले में बालकों से संबंधित मुद्दों पर विमर्श के लिए पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सुसंगत पणधारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा ।

86. विशेष किशोर पुलिस इकाई.—(1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा ।

(4) नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।

(5) बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।

(6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके में बात करेगा और बाल की गरिमा और उसका आत्म सम्मान बनाए रखेगा।

(7) जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने है जो बाल को असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।

(8) जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालकों को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(9) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।

(10) विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी:

(i) इसके विधिवन क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, और

(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों।

(11) विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क ब्यौरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(12) विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

(13) विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी

87. चयन समिति और इसका गठन.—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित से अंतर्विष्ट चयन समिति का गठन करेगी, अर्थात्

(i) पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) पदेन सदस्य सचिव के रूप में अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे विभाग का एक प्रतिनिधि जो निदेशक के स्तर से नीचे का न हो;

(iii) दो अलग-अलग प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, जो क्रमशः बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष से कार्य कर रहे हो लेकिन किसी भी बाल संस्था का प्रबंधन या संचालन नहीं कर रहे हो, के दो प्रतिनिधि;

(iv) शैक्षणिक निकायों या विश्वविद्यालयों, अधिमानतः समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि संकाय से दो प्रतिनिधि जिनके पास बालकों संबंधित मुद्दों पर काम करने का विशेष ज्ञान या कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो; और

(v) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक प्रतिनिधि।

(2) समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकतम तीन मास की अवधि तक बनी रहेगी, जिस समय तक नई समिति गठित हो जाएगी।

(3) यदि चयन समिति में कोई पद रिक्त होता है तो सदस्य सचिव अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग के सचिव को सूचित करेगा, जो शेष अवधि के लिए रिक्त पद भरने के लिए शीघ्रतिशीघ्र कारवाही करेगा ।

(4) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों से कम नहीं होगी ।

(5) चयन समिति का सदस्य सचिव चयन समिति की बैठकें ऐसे समय पर आहूत करेगा जो चयन समिति के कार्यों को सुकर बनाने और करने के लिए आश्यक हो ।

(6) सदस्य सचिव चयन प्रक्रिया और चयन समिति की अन्य सभी बैठकों के कार्यवृत्तों को रखेगा।

(7) चयन समिति के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित बैठक शुल्क और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

(8) चयन समिति के कार्यकरण और कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य सचिव के कार्यालय को संबोधित किए जाएंगे जो उन्हें चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(9) चयन से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

88. बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन.— (1) चयन समिति का सदस्य सचिव पदधारी द्वारा पदभार छोड़ने के छह माह पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा:

परंतु यदि पद समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो ' चयन समिति का सदस्य सचिव ऐसे रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगा।

(2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए, राज्य सरकार चयन समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों और अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी ।

(3) सदस्य सचिव प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी ।

(5) चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य:

(i) ऐसा पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए , जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो ;

(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बाल देखभाल संस्था से जुड़ा न हो ।

(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक पद का पदाधिकारी न हो

(iv) दिवालिया न हो।

(6) जहां चयन समिति को बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता हो, उस मामले में चयन समिति आगे दर्शाये गए मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी, अर्थात्:

(i) विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए सदस्य के नियमित तिमाही निष्पादन मूल्यांकन, जिनकी प्रति सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलबध कराई जाएगी;

(ii) कार्यकाल के विस्तार का आवेदन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चयन समिति को यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो वह शिकायत; और

(iii) ऐसे आवेदक के साथ विचार-विमर्श ।

(7) चयन समिति बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर पैनल में से नामों का चयन और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी ।

(8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्यों और बोर्ड के सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करेगी।

(9) चयन समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(10) अंतिम रूप से निर्धारित नामों की सूची पर चयन के समय मौजूद चयन समिति के सभी सदस्य विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और सदस्य सचिव अंतिम रूप से तैयार सूची को नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्थिति एक या एक से अधिक बोर्डों या समितियों का गठन चयन समिति की सिफारशों की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी ।

(11) ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो ऐसी अवधि में बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान या तो चयनित व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति की तारीख से निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होने के कारण या अन्यथा रिक्त पदों को भरने के लिए नामों पर विचार करने के लिए पैनल में दिए गए नाम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे जिसे छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जहां पर नया पैनल उस समय तक तैयार नहीं किया गया है।

(12) यदि बोर्ड या समिति में कोई पद रिक्त होता है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(13) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों के पेनल के आधार पर रिक्त पदों को भरेगी।

89. बालकों से ब्यौहार कर रहे कार्मिकों का प्रशिक्षण.— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्ठित कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी ।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना;

(ii) बाल कल्याण, देखरेख, संरक्षण और बालअधिकार पर अभिविन्यास;

(iii) नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण

(iv) पुनशचर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखीकरण और अच्छी पद्धतियों की साझेदारी; और

(v) सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाए ।

(3) कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को कम से कम पंद्रह दिन का प्रशिक्षण लेना होगा अर्थात्:

क्रमांक	कार्मिक
1.	बाल न्यायालयों के कर्मचारी और किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट
2.	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य
3.	बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
4.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के अन्य पुलिस अधिकारी
5.	राज्य बाल संरक्षण सोसायटियों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कार्यक्रम प्रबंधक और
6.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के कर्मचारी
7.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अंतर्गत कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारी और बाल देखभाल संस्थानों में परिवीक्षा अधिकारी
8.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण समिति के कर्मचारी
9.	बाल देखभाल संस्थानों (खुले आश्रयों सहित) के प्रभारी व्यक्ति

(4) राज्य सरकार या जिला प्रशासन अन्य कार्मिकों को जैसे की सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण अधिकारीयों, केस वर्करों, पुनर्वास सह स्थापना अधिकारिओं, देखरेखकर्ताओं, बाल देखरेख संस्थाओं के गृह पिताओं और गृह माताओं, बाल देखरेख संस्थाओं के सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेतु पाठ्यक्रम के शिक्षकों,पहुंच कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों, विशेष दतक ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष दतक ग्रहण अभिकरणों के निदेशकों या प्रभारियों, अधिनियम के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं को चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों के मुख्य कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मानसिक रोगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधिक सेवा के अधिवक्ताओं, अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों के अधीन गठित समितियों और सोसायटीओं के सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी ।

(5) राज्य सरकार, राज्य या जिला स्तर पर पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय, यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूयल देश भर में प्रशिक्षण प्रक्रिया में एकरुपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान या अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परमर्श से तैयार किए जाए। ।

(6) राज्यों की न्यायिक अकादमी मुख्य मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण के लिए बालमनोविज्ञान, बालअनुकुल प्रक्रियाओं के उपयोग और बालअनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देखरेख, उनके सरंक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूयल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। ।

(7) राज्यों की पुलिस अकादमी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के परामर्श से पुलिस और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बालमनोविज्ञान, बालअनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बालअनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देखरेख, उनके सरंक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूयल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है ।

(8) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा के अधिवक्ताओं और अर्ध-विधायी स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(9) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(10) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉडयूल और मैन्यूयल विकसित कर सकता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

90. लंबित मामले.—(1) किसी भी बालक की इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के फायदों से बंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फायदे ऐसे सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होगे जो अपराध घटित होने के समय बाल थे, यद्यपि वे जांच या विचारण लंबित होने के दौरान बालक नहीं रहे हैं।

(3) कानून का उल्लघन करने वाले बालक के कारावास या आवास या सजा की अवधि की संगणना करते समय, ऐसी सभी अवधियां की जो बालक ने अभिरक्षा, निरोध, आवास या कारावास की सजा में पहले ही बिता चुका है, न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में समाविष्ट की गई आवास या निरोध या कारावास की सजा की अवधि के रूप में गणना की जाएगी ।

91. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मानीटरी.—(1) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अंतर्गत विनिर्दिष्टत कृत्यों के अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोगों आदि निम्नलिखित कृत्य सम्पादित करेगा, अर्थात्:

i अधिनियम के अधीन सृजित की गई सस्थाओं की संरचनाओं की समीक्षा;

(ia) विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों सहित बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण और प्राधिकारियों द्वारा संचालित किए गए निरीक्षणों के अभिलेख का रखरखाव;

ii बालअधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) सामग्री का विकास;

iii बालकों के सुधार और पुनर्वास के लिए नवाचारों का विकास;

iv बालकों के विरुद्ध अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अवैध मानव व्यापार, बालकों का यौन दुरुपयोग और बाल विवाह सहित बालकों का शोषण और बालकों के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूपों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में जागरूकता विकास;

v उन्नत संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान करने और रिपोर्ट करने सहित बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संचेतना कार्यशालाओं का आयोजन;

vi पीडित बाल या साक्षियों और उनके परिवारों के अधिकारों के विस्तृत वर्णन के साथ और स्थानीय भाषा में उपयोगी जानकारी सहित सूचना सामग्री विकसित करना जिसे पीडित और उसके परिवार को उपलब्ध कराना;

vii राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान आदि के साथ पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।

92. गुमशुदा बालक के मामले में जांच।.—(1) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप में सौपी गई है, गायब होने की परिस्थितिया या कारण कुछ भी हो, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा।

(2) जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी।

(3) पुलिस बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

(4) पुलिस निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो /मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएंगी;

(ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्ररूप भरेगी;

(iii) विशेष रूप से बनाए गए गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी;

(iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता-पिता अभिभावक के पता और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ईमेल द्वारा निकटवती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी ।

(v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक ब्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं की प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी ।

(vi) गुमशुदा बालक के फोटो और ब्यौरे को (क) प्रमुख समाचार पत्रों (ख) टेलीविजन/ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (ग) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(vii) लाउड स्पीकरों के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस-पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमा घरों में स्लाईडो का उपयोग किया जा सकता है;

(viii) शहर और कस्बे के सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्डो, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण;

(ix) रूचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमा घरों, शापिंग मालों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों की जहां गुमशुदा और भाग के गए बालवार-बार आते-जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना;

(x) उस क्षेत्र के, जहाँ से बालक के गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस-पास के क्षेत्र में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टेण्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे परागमन गंतव्य बिंदुओं और अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी:

(xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों और अन्य स्थानीय पहुंच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना ;

(xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरों और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(5) जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है, मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।

(6) जब बालक को खोज लिया जाता है:

(i) उसे उपर्युक्त निदेश के लिए बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(ii) पुलिस जिला विधि सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी, जो बालक और परिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा; और

(iii) पुलिस जांच करेगी कि क्या बालक के साथ अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध किया गया है और यदि ऐसा है तो तदनुसार कार्रवाई करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जाँच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी कर सकेगी। ।

93. अधिनियम और नियमों का गैर-अनुपालन.—कोई अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल

रहता है, राज्य सरकार यथोचित जांच के बाद ऐसे अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और साथ-साथ अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कृत्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

94. निरसन.— जी.एस.आर. 679 (ई) तारीख 26 अक्टूबर, 2007 के द्वारा अधिसूचित और जी.एस.आर. 903 (ई) तारीख 26 अक्टूबर, 2011 के द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है:

परन्तु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व 2007 के नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश, जहाँ तक वह नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के उपबंधो के अधीन की गई या जारी किया गया समझा जायेगा |

आदेश द्वारा,

सी0 पी0 वर्मा
सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) |

———————

प्ररूप 1

[नियम 8 (1), 8 (5)]

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

प्राथमिकी /डीडी संख्या .....

धारा के अधीन .....

पुलिस स्टेशन .....

तारीख और समय .....

अन्वेषण अधिकारी का नाम .....

सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का नाम.....

1. नाम .....
2. पिता/माता/संरक्षक का नाम.....
3. आयु/जन्म की तारीख .....
4. पता.....
5. धर्म
   (i) हिंदू (ओसी/ बीसी/एससी/एसटी)
   (ii) मुस्लिम/ ईसाई/ अन्य (कृपया विनिर्धिष्ट करें)
6. क्या बालक दिव्यांग है?

(i) सुनने में अक्षम

(ii) बोलने में अक्षम

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग

(iv) मानसिक रूप से नि:शक्त

(v) अन्य, (कृपया विनिर्धिष्ट करें)

7. परिवार का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम और नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुगणता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)

8. घर छोड़ने के कारण .....

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पुर्ववृत है यदि कोई हो ? हाँ नहीं

10. बालक की आदतें

क

i) धूम्रपान

ii) शराब का सेवन करना

iii) औषधियों का उपयोग विनिर्धिष्ट करें

iv) जुआ खेलना

v) भीख मांगना

vi) कोई अन्य

ख

i) टीवी/फिल्में देखना

ii) अन्तरंग खेल/ बहिरंग खेले खेलना

iii) पुस्तकें पढ़ना

iv) ड्राइंग/चित्रकला/एक्टिंग /गायन

v) कोई अन्य

11. रोजगार के ब्यौरा, यदि कोई हो तो.....

12. आय का उपयोजन :

(i) परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी हाँ नहीं

(ii) स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई : हाँ नहीं

(क) पहनावा सामग्रीहां /नहीं
(ख) जुए के लिए हां /नहीं
(ग) शराब के लिए हां /नहीं
(घ) औशधिओं के लिए हां /नहीं
(ङ) धूम्रपान के लिएहां /नहीं
(च) बचत हां /नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

(i) निरक्षर
(ii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन।
(iii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम ।
(iv) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
(v) कक्षा दस से अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण

(i) पिछली कक्षा में असफलता
(ii) स्कूल की कार्यकलापों में रुचि का अभाव
(iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
(iv) समकक्ष समूह का प्रभाव
(v) अर्जन और परिवार की मदद करना
(vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
(vii) स्कूल में उत्पीडन
(viii) स्कूल का कड़ा वतावरण
(ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
(x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का आभाव
(xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
(xii) स्कूल में अपमान
(xiii) शारीरिक दंड
(xiv) शिक्षण का माध्यम
(xv) अन्य (कृपया , विनिर्दिष्ट करें)

15. फिछला स्कूल जहाँ अध्ययन किया, उसके ब्यौरे :

(i) निगम/नगरनिगम /पंचायत
(ii) सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण स्कूल /पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
(iii) प्राइवेट प्रबंधन
(iv) एनसीएलपी के अंतर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो .....

17. अधिकांश मित्र

(i) शिक्षित

(ii) निरक्षर

(iii) उसी आयु वर्ग

(iv) आयु में बडे

(v) आयु में छोटे

(vi) एक ही लिंग के है

(vii) अन्य लिंग के है

(viii) लतें

(ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के है

18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अधीन रहा है? **हां नहीं**

क्र.सं.	**दुर्व्यवहार का प्रकार**	**अभियुक्ति**
1.	मौखिक दुर्व्यवहार–माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/ नियोक्ता / अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार माता-पिता/ सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता /अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है? हाँ नहीं

20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रह है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रह है : हाँ नहीं

21. माता-पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हमउम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण

.....

22. वे परिस्थितियाँ जिनमें बालक को पकड़ा गया .....

23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्योरा: .....

... 24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका:.....

25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव.....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्ररूप 2

[नियम 8 (7)]

उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दोरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है ।

मैं, ... (नाम) मकान नंबर गली .....गाँव/शहर .....जिला.....राज्य का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मै ..... (बालक का नाम) आयु ..... का उतरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार लेने को तैयार हूं :

1. कि मैंने स्वयं की सही प्रामाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाब्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूं ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोतम करूंगा और उसके रखरखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूंगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जाँच दिलवाई और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा या शोषण अध्याधीन नहीं होगा ।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को सूचित करूंगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

.....20....., के .....दिन

वचनबधता निष्पादित
करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए) किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 3

[नियम 10 (1)(iii)] पर्यवेक्षण आदेश

जब बालक को पुलिस स्टेशन की तारीख : 20.....की एफआईआर/डीडी संख्या ..... की जाँच के लंबन के दोरान उचित व्यक्ति/उचित संस्था/परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा गया है ।

जबकि ..... (बालक का नाम) पर अपराध करने का अभिकथन किया गया है और उक्त ..... द्वारा बांड के निष्पादन पर ..... (नाम)..... (पता) की देखरेख के अंतर्गत रखा गया है और बोर्ड संतुष्ट है कि उक्त बाल के साथ व्यवहार करने सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए पर्यवेक्षक के अधीन रखने के लिए कार्यवाही करना उचित है।

अत: यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बालक को ..... के अंतर्गत के लिए पर्यवेक्षण के लिए ..... निम्नलिखित शर्तों के अद्याधीन..... की अवधि के लिए रखा जाए :—

1. कि बालक ..... की अवधि के लिए ..... पर रहेगा तथा निर्देशानुसार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

2. कि बालक को बोर्ड की अनुमति के बगैर ..... के जिला क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. कि बालक को ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयोजित नहीं होने दिया जाएगा जो नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करते हो ।

4. कि व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक को रखा गया है, वह बालक की उपयुक्त देखरेख, शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।

5. कि उस व्यक्ति द्वारा निवारक उपाय किए जांयगे जिसकी देखरेख में बालक यह देखने के लिए रखा गया है कि बालक ऐसा कोई अपराध नहीं करता है जो भारत में किसी भी कानून के अधीन दंडनीय हो।

6. कि बालक को स्वापक अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अन्य मादक द्रव्यों को लेने से रोकथाम की जाएगी । जिस व्यक्ति के अधीन बालक को पर्यवेक्षण में रखा गया जाएगा वह व्यक्ति ऐसे कृत्य के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।
   तारीख..... 20.....

(हस्ताक्षर)
प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

टिप्पण :— अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हो, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्त: स्थापित किया जा सकेगा ।

———————

प्ररूप 4

[नियम 10 (1)(iv)]

जांच के लंबन के दौरान किसी बालक को बाल देखरेख संस्था में रखने का आदेश

सेवा में
प्रभारी अधिकारी
.....
.....
.....

तारीख..... 20..... को दिन (बालका नाम), पुत्र /पुत्री ..... आयु ....., निवासी.....एफआईआर/डीडी सं. .....पुलिस स्टेशन..... में संलिप्त होने का अधिकथन किया गया है, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है कि बालक को ..... की अवधि के लिए ..... नामक बाल देखरेख संस्था (प्रयवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) में रखा जाएगा ।

आपको यह प्राधिकृत किया जाता है तथा आपसे यह उपेक्षा की जाती है कि उक्त बालक को अपने उतरदायतिव में ले और बालक को बाल देखरेख संस्था (प्रयवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) पर रखा जाए तथा विधि के अनुसार उक्त आदेश के क्रियान्वयन किए जाने हेतु जब भी निर्देश दिया जाए , बालक को प्रस्तुत किया जाए ।

सुनवाई की अगली तारीख.....

मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की सील

तारीख :

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 5

[नियम 10 (2)]

सामाजिक जांच रिपोर्ट का आदेश

एफआईआर संख्या.....

धारा के अधीन .....

पुलिस स्टेशन.....

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/ स्वयंसेवी या गैर-सरकारी संगठन का प्रभारी व्यक्ति।

.....(बालक का नाम), पुत्र/पुत्री ..... आयु ....., निवासी ....., को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि उक्त बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जाँच करें और अपनी सामाजिक जाँच रिपोर्ट .....को अथवा ..... से पूर्व, अथवा बोर्ड द्वारा आपको दिए गए समय के अंदर प्रस्तुत करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि बाल मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जाँच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर)

तारीख : प्रधान मजिस्ट्रेट/
सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 6

[नियम 10 (9), 11 (2), 64(1), 64(3)(i)]
सामाजिक जांच रिपोर्ट

कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों के लिए

क्रम संख्या.....

किशोर न्याय बोर्ड .....(पता) को प्रस्तुत ।

परिवीक्षा अधिकारी/ स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठन.....(व्यक्ति का नाम)

एफआईआर संख्या.....

धाराओं केअंतर्गत.....

पुलिस स्टेशन.....

तथाकथित अपराध की प्रकृति: लघु ☐ गंभीर ☐ जघन्य ☐

1. नाम.....
2. आयु/ तिथि/ जन्म का वर्ष.....
3. लिंग .....
4. जाति.....
5. धर्म.....।
6. पिता का नाम.....
7. माता का नाम .....
8. संरक्षक का नाम.....
9. स्थायी पता.....
10. पते का लेंडमार्क .....
11. पिछले निवास का पता.....
12. पिता/माता/परिवार के सदस्य का संपर्क नंबर.....
13. क्या बालक दिव्यांग है: हां /नहीं

(i) श्रवण अक्षमता

(ii) वाणी अक्षमता

(iii) शारीरिक नि:शक्तता

(iv) मानसिक रूप से अक्षम

(v) अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)

14. परिवार के ब्यौरे :

क्रमांक	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य स्थिति	मानसिक रुग्णता का पुर्ववृत (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)

15. क्या बालक या व्यक्ति विवाहित है, पति/पत्नी और बच्चों का नाम, आयु और ब्यौरा :

.....

.....

16. परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध:

(i)	पिता तथा माता	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(ii)	पिता तथा बालक	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(iii)	माता तथा बालक	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(iv)	पिता तथा सहोदर भाई-बहन	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(v)	माता तथा सहोदर भाई-बहन	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(vi)	बालक तथा सहोदर भाई-बहन	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं
(vii)	बालक तथा दादा-दादी (पैतृक/ मातृक)	मैत्रीपूर्ण/ गैर-मैत्रीपूर्ण/ जानकारी नहीं

17. अपराधों में परिवार के सदस्यों की भागीदारी यदि कोई हो :

क्र सं	नातेदारी	अपराध की प्रकृति	मामले की कानूनी स्थिति	गिरफ्तारी यदि कोई गई हो	कारावास की अवधि	दिया गया दंड
1.	पिता					
2.	सौतेले पिता					
3.	माता					
4.	सौतेली माता					
5.	भाई					
6.	बहन					
7.	अन्य (i) चाचा/चाची (ii)दादा/दादी/ नाना /नानी					

18. बालक तथा परिवार की धर्म के प्रति अभिवृति.....

19. वर्तमान जीवन-निर्वाह की परिस्थितियाँ .....

20. महत्व के अन्य कारण, यदि कोई हों .....

21. (i) बालका की आदतें (जैसे भी लागू हो करें)

(क)	**(ख)**
क) धूम्रपान	छ) टी.वी./फिल्में देखना
ख) शराब का सेवन करना	ज) इनडोर खेल /आउटडोर खेल खेलना
ग) स्वापक का प्रयोग (स्पष्ट करें)	झ) किताबें पढ़ना
घ) जुआ खेलना	ञ) धार्मिक गतिविधियाँ
ङ) भीख मांगना	ट) चित्रकारी/चित्रकला/अभिनय/गायन
च) कोई अन्य	ठ) कोईअन्य

(ii) पाठ्येतर रुचियां.....

(iii) उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व विशेषताएं .....

22. घर में अनुशासन के प्रति बालक की राय/प्रतिक्रिया.....

23. बालक के रोजगार संबंधी ब्यौरे यदि कोई हों .....

24. आय के ब्यौरे तथा आय के उपयोग का तरीका.....

25. कार्य अभिलेख (पेशेवर रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी या नियोक्ताओं के प्रति अभिवृत्ति)...

26. बालक की शिक्षा के ब्यौरे:

i) निरक्षर

ii) कक्षा पांचवीं तक अध्ययन ।

iii) पांचवीं कक्षा से ऊपर लेकिन आठवीं कक्षा से नीचे अध्ययन किया ।

iv) आठवीं कक्षा से ऊपर लेकिन दसवीं कक्षा से नीचे अध्ययन किया ।

v) कक्षा दस से ऊपर अध्ययन किया ।

27. बालक के प्रति साथियों की अभिवृत्ति (रवैया).....

28. बालक के प्रति शिक्षकों तथा साथियों की अभिवृत्ति (रवैया).....

29. स्कूल छोड़ने का कारण (हां/नहीं करें जैसा भी लागू हो)

(i) पिछली कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा था फेल हुआ

(ii) स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव

(iii) शिक्षकों का उपेक्षा पूर्ण रुख

(iv) समकक्ष समूह का अभाव

(v) कमाना और परिवार की मदद करना

(vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु

(vii) स्कूल में डरना धमकाना

(viii) स्कूल का कड़ा वतावरण

(ix) स्कूल से अनुपस्थिति तथा स्कूल से भाग जाना

(x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का आभाव

(xi) स्कूल में दुर्व्यवहार

(xii) स्कूल में अपमान

(xiii) शारीरिक दंड

(xiv) शिक्षण का माध्यम

(xv) अन्य (कृपया , विनिर्दिष्ट करें)

30. पिछला स्कूल,जहां अध्ययन किया, उसके ब्यौरे:

i) निगम/नगरनिगम /पंचायत

ii) सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय/पिछड़ा वर्ग कल्याण विद्यालय

iii) प्राइवेट प्रबंधन

iv) एन.सी.एल.पी के अंतर्गत विद्यालय

31. व्यावसायिक प्रशिक्षण ,यदि कोई हो .....

32. अधिकांश मित्र

i) शिक्षित

ii) निरक्षर

iii) समान आयु वर्ग

iv) आयु में बड़े

v) आयु में छोटे

vi) एक ही लिंग के हैं

vii) अन्य लिंग के हैं

viii) व्यसनी

ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

33. बालक का मित्रों के प्रति अभिवृत्ति .....

34. बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति .....

35. बालक के प्रति पड़ोसियों की अभिवृत्ति .....

36. पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आलांकन करने के लिए)

37. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अधीन रहा है : हां /नही

क्रमांक	दुर्व्यवहार का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार / माता-पिता/ सहोदर भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/ माता-पिता/ सहोदर भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

38. क्या बालक किसी अपराध का शिकार है? हां /नहीं

39. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रह है अथवा बालक को स्वापक के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रह है : हां /नहीं

40. क्या बालक की प्रवृत्ति में घर से भागने की है, यदि कोई हो : हाँ/नहीं

41. वे परिस्थितियाँ जिनमे बालक को गिरफ्तार किया गया था .....

42. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका.....

43. तथाकथित अपराध का कारण:

(i) माता-पिता की उपेक्षा

(ii) माता-पिता की अति संरक्षण

(iii) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(iv) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)

(v) हमउम्र समूह का प्रभाव

(vi) बुरी आदतें (स्वापक /मदिरा खरीदना)

(vii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

44. क्या बालक को पहले भी किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, यदि हां, तो बाल देखरेख संस्था में आवास सहित ब्यौरा दें ।.....हाँ/नहीं

45. पिछली संस्थानिक /मामला पूर्ववृत्त तथा वैयक्तिक देखरेख योजना यदि कोई :

46. बालक का शारीरिक रूप :

47. बालक के स्वास्थ्य की स्थिति (चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, यदि लागू हो)

48. बालक की मानसिक स्थिति:

49. कोई अन्य टिप्पणी

जांच का परिणाम

1. भावनात्मक कारण .....
2. शारीरिक स्थिति .....
3. बुद्धिमत्ता .....
4. सामाजिक तथा आर्थिक कारण .....
5. समस्याओं के सुझाए गए कारण.....
6. अपराध के कारणों/ कारणों में अंशदाई सहयोगी कारकों का विश्लेषण ।
7. परामर्श किए गए विशेषज्ञों की राय.....
8. परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश .....

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो

प्ररूप 7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x) और 69 I (3)]

व्यक्तिगत देखभाल योजना

विधि का उल्लंघन करने वाला बालक / देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक
(जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता /बाल कल्याण अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी का नाम .....
वै. दे .यो. तैयार करने की तिथि.....
20..... मामला /प्रोफ़ाइल संख्या.....
एफआईआर संख्या.....
धारा के अधीन (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में लागू .....

पुलिस स्टेशन.....
बोर्ड या समिति का पता.....
भर्ती संख्या (यदि बाल संस्था में है) .....
भर्ती की तारीख (यदि बाल संस्था में है) .....
बालक का प्रवास (जैसा लागू हो भरें)

(i)	अल्पकालिक (छह महीने तक)	
(ii)	मध्यम कालिक (छह महीने से एक वर्ष तक)	
(iii)	दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)	

उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखा जाता है ।

1. **व्यक्तिक ब्यौरे** (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक /माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)
   (क) बालक का नाम.....
   (ख) आयु/जन्म की तारीख .....
   (ग) लिंग: पुरुष /स्त्री .....
   (घ) पिता का नाम.....
   (ङ) माता का नाम.....
   (च) राष्ट्रीयता.....।
   (छ) धर्म.....।
   (ज) जाति.....
   (झ) बोली जाने वाली भाषा.....
2. शिक्षा का स्तर.....
3. बालक के बचत खाता के ब्यौरे यदि कोई हो .....
4. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार/इनाम के ब्यौरे यदि कोई हो .....
5. बालक के माल- असबाब के ब्यौरे, यदि कोई हो तो.....
6. बालक के माता-पिता की कोई संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो -
7. बालक के माता-पिता के कोई बैंक खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो -
8. बालक की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो -
9. बालक के माता-पिता की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो
10. बालक के माता-पिता के नौकरी प्रतिकर, पेंशन के ब्यौरे, यदि कोई हो ।
11. बालक के जमा निक्षपो, बचत वित्तीय निति, म्यूचुअल फंड के ब्यौरे, यदि कोई हो -
12. माता-पिता के ऋणबंधक अन्य वित्तीय देयताओं के ब्यौरे, यदि कोई हो
13. विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो -
14. क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- a. हाँ b. नहीं
15. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के ब्यौरे-
16. क्या विधिक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- a. हाँ b. नहीं
17. विधिक वारिस प्रमाण पत्र के ब्यौरे -
18. क्या बालक अनाथ/अभित्यक्त /अभ्यर्पित है?
19. मामला पूर्ववृत्त सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता क्षेत्रों और मध्यक्षेपों के ब्यौरे यदि कोई हो - (उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए हैं जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखा जाता है)

क्रमांक	प्रवर्ग	चिंता का क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग आवश्यकताएं		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ		
5.	फुर्सत, सृजनात्मकता और खेल		

6.	आस्तिक और अंतर वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे दुव्य्पा, घरेलू हिंसा पैतृक उपेक्षा विद्यालय में भयभीत होना अदि जिसमें बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया स्पष्ट करें)।		

20. क्या बालक के कोई भाई-बहन हैं? हाँ/नहीं

21. क्या बालक और उसके भाई/बहन को एक साथ रखा जा रहा है? A. हाँ B. नहीं

22. क्या बालक और उसके भाई-बहनों को एकल माता पिता /संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित किए जाते हैं ? उ. हाँ

b. नहीं c. लागू नहीं होता

23. भाई या बहन /भाइयों या बहनों का मामला /प्रोफ़ाइल क्रमांक-

24. दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले या आवधिक रूप से बीमार बालक की दशा में

(यह, यथास्थिति, विधि का उल्लघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)

(i) क्या बालक जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ।हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या ..... दर्शित करें ।

(ii) क्या ऐसे बालक को चिकित्सा उपस्कर, जैसे हियरींग ऐड, बैसाखी आदि प्रदान किए गए हैं हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।

(iii) क्या बालक को अपनी दिव्यांगता के लिए मप्रतिकर /अनुतोष प्रदान किया गया है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

(iv) बालक की शैक्षिक अपेक्षाएं .....

(v) बालक की कोई अन्य विशेष आवश्यकताएँ.....

(vi) कोई अन्य सिफारिश .....

25. यदि बालक सड़क पर घुमने वाले हों / उनका दुर्व्यापार किया गया हो वे / ड्रग्स पेड्लिंग में सम्मिलित हों/बाल श्रमिक हों (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)

(i) क्या बालक सड़क पर घुमने वाला बालक है : हाँ/नहीं।

(ii) क्या बालक बाल दुर्व्यापार का पीड़ित है: हाँ/नहीं।

(iii) क्या बालक ड्रग्स पेड्लिंग में सम्मिलित था: हाँ/नहीं।

(iv) क्या बालक बाल श्रम से पीड़ित है हाँ/नहीं।

(v) क्या बालक, जो बाल श्रम से पीड़ित था, को बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि या किसी अन्य योजना के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया है ? कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

(vi) क्या बालक दुर्व्यापार/ ड्रग्स पेड्लिंग /बाल श्रमसे पीड़ित है या सड़कों पर घुमने वाला है , परामर्श दिया गया है ? हाँ/नहीं

(vii) क्या बालक को प्रतिकर प्रदान किया गया है ? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

26. यदि बालक लैंगिक दुर्व्यवहार सहित किसी दुर्व्यवहार से पीड़ित है: (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)।

(i) क्या बालक को परामर्श दिया गया है?.....

(ii) क्या ऐसे अपराधी/कर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें .....

(iii) क्या बालक, जो लैंगिक हमले का पीड़ित है, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन प्रतिकर योजना के अनुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है.....

(iv) बालक को दिया गया कोई अन्य प्रतिकर या अनुतोष ?.....

(v) कोई अन्य संप्रेक्षण.....

संस्थागत देखरेख में रखे गए बालक के लिए

27. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले तीन माह के लिए प्रति 14 दिन पर तैयार की जाने वाली और उसके पश्चात् प्रत्येक मास में एक बार तैयार की जाने वाली)

[टिपणी : प्रगति रिपोर्ट के लिए अलग शीट का उपयोग करें]

1. परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....
2. रिपोर्ट की अवधि.....
3. दाखिला संख्या .....
4. बोर्ड या समिति.....
5. प्रोफ़ाइल संख्या.....
6. बालक का नाम.....
7. मौखिख परीक्षा का स्थान .....दिनांक.....
8. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का सामान्य आचरण और प्रगति .....
9. इस फॉर्म के भाग क के चिन्ह 19 में वर्णित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्रमांक	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	आवश्यक भावनात्मक और मनोरंजन सहायता		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएँ		

5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल		
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे दुव्य्पा, घरेलू हिंसा पैतृक उपेक्षा विद्यालय में भयभीत होना अदि जिसमें बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया स्पष्ट करें)।		

10. समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही:-
11. बंधपत्र की शर्तों का परिवर्तन:.....
12. बच्चे के निवास स्थान में परिवर्तन:.....
13. अन्य मामले, यदि कोई है :.....
14. .....को पुरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि
15. टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) सहित पर्यवेक्षण का परिणाम:.....
16. माता-पिता या संरक्षक या किसी स्वस्थ व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चे को पर्यवेक्षण पूरा होने के बाद रहना है, का नाम और पता, ...

रिपोर्ट की तारीख:.....

परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

28. पूर्व जारी की गई रिपोर्ट (जारी किए जाने से 15 दिन पूर्व तैयार की जानी है):

1. स्थानांतरण के स्थान तथा स्थानांतरण/जारी किए जाने के स्थान पर उत्तरदायी संबंधित प्राधिकरण का विवरण:.....
2. विभिन्न संस्थानों/परिवारों में बच्चे को रखे जाने का विवरण:.....
3. प्राप्त किया प्रशिक्षण और हासिल किया गया कौशल:.....
4. बच्चे की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जानी है, भाग ख देखें)
5. बच्चे की पुनर्वास और वापसी योजना (बच्चे की प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में तैयार की जनि है)।

क्रमांक	**श्रेणी**	**बच्चे की पुनर्वास और पुवापसी की योजना**
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा	
2.	स्वास्थ्य और पोषण	
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक	
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण	
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल	
6.	लगाव और अन्य -व्यक्तिगत संबंध	

7.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण	
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
9.	कोई अन्य	

6. निर्मुक्ति /स्थानांतरण/पुन: वापसी की तारीख :.....
7. अनुरक्षक की मांग, यदि अपेक्षित हो तो :.....
8. अनुरक्षक की पहचान संबधी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि:.....
9. संभावित प्लेसमेंट/प्रायोजकता सहित शिफारिश की गई पुनर्वास योजना ...
10. पश्चवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए परिवीक्षा अधिकारी/ गैर-सरकारी संगठन का विवरण .....
11. पश्चवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए चिन्हित गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न करें)
12. प्रायोजकता अभिकरण/ व्यक्तिगत प्रायोजन यदि कोई है उसका विवरण:.....
13. प्रायोजकता अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजन, के बीच समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न करें):.....
14. जारी किए जाने से पूर्व चिकित्सा जाँच रिपोर्ट:.....
15. कोई अन्य सूचना :.....

29. बच्चे की पश्चातवर्ती निर्मुक्ति/ प्रतायावर्तन रिपोर्ट:

1. बैंक खाते की स्थिति: बंद/स्थानांतरित
2. बच्चे की कमाई और सामान : बच्चे या उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंप गई – हाँ/नहीं
3. बच्चे को छोड़े जाने के बाद अनुवर्तन हेतु चिन्हित अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्त्ता /सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम वार्ता रिपोर्ट:.....
4. पुनर्वास और वापसी योजना के संदर्भ में हुई प्रगति:.....
5. बच्चे के प्रति परिवार का व्यवहार/रवैया:.....।
6. बच्चे के सामाजिक स्थान, विशेषकर पड़ोसियों/समुदाय का रवैया:
7. बच्चा अपेक्षित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है:.....
8. क्या बच्चे को स्कूल या रोजगार में दाखिल कराया गया है ? स्कूल/संस्थान/किसी अन्य एजेंसी की तारीख और नाम बताएं । हां /नहीं .....
9. क्रमश दो माह और छह माह के पश्चात बच्चे के साथ दूसरी और तीसरी बातचीत रिपोर्ट:.....
10. सामाजिक मुख्यधारा के लिए प्रयास और उसके बारे में बच्चे की राय/विचार:...
11. पहचान पत्र और मुआवजा.....

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (जहाँ लागू हो निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हाँ	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
विद्यालय प्रमाणपत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड			

दिव्यंगता प्रमाणपत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मुआवजा प्राप्त			

[निर्देश: कृपया भौतिक दस्तावेज़ से जाँच लें]

30.दत्तक ग्रहण

(i) क्या बालक को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा चुका है?
हाँ / नहीं / लागू नहीं

(यदि लागू नहीं है, तो आगे के प्रश्न लागू नहीं होते हैं)

(ii) क्या बालक को किसी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या बाल देखभाल संस्था में रखा गया है?

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी / बाल देखभाल संस्थान

(iii) मामले की स्थिति के अनुसार, बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट?

हाँ/ नहीं

(iv) क्या माता-पिता/अभिभावक द्वारा समिति के समक्ष समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे?

हाँ/ नहीं/ लागू नहीं

(v) जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल देखभाल संस्था या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा जिसमें यह बताया गया हो कि बालक के पुनर्वास के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

हाँ / नहीं

(vi) किसी ने भी बालक के जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावक होने का दावा करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखभाल संस्थान या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी से संपर्क नहीं किया है।

हाँ / नहीं

(vii) बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने से पहले अधिनियम की धारा 38 के तहत सभी समय-सीमाओं का पालन किया गया है।

हाँ/ नहीं

संस्थागत देखभाल से इतर रखे गए बच्चों के लिए (दत्तक ग्रहण को छोड़कर)

1. अभिभावक का नाम (यदि लागू हो)
2. माता-पिता/अभिभावक राष्ट्रीयता.....।
3. माता-पिता/अभिभावक धर्म.....।
4. बालक की राष्ट्रीयता-
5. बालक के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड का विवरण.....
6. बालक के माता-पिता के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड का विवरण...
7. जाति.....
8. बोली जाने वाली भाषा.....
9. शिक्षा का स्तर.....

10. क्या बालक को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजा/राहत प्रदान की गई है...?

11. बालक को कहाँ रखा जा रहा है?

(क) अभिभावक (ख) पालक देखभाल (ग) प्रायोजन (घ) एकल अभिभावक

12. क्या बालक को एकल अभिभावक/संरक्षक द्वारा सौंपा जा रहा है?
A. हाँ B. नहीं C. लागू नहीं

13. यदि हाँ, तो क्या आत्मसमर्पण विलेख प्रस्तुत किया गया है? A. हाँ B. नहीं

14. **शिक्षा- (हाँ/नहीं/लागू नहीं)** यदि हाँ, तो

(i) क्या बालक का दाखिला स्कूल या विशेष प्रशिक्षण केंद्र में कराया गया है?

(ii) यदि बालक स्कूल में नामांकित है, तो

(a) स्कूल का नाम.....

(b) सरकारी/निजी .....

(c) कक्षा .....

(iii) उक्त विद्यालय की शिक्षा संहिता के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली.....

(iv) यदि बालक विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित है तो,

(a) यह केंद्र आवासीय है या गैर-आवासीय है.....

(b) नामांकन की अवधि .....

(v) क्या बालक का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत विद्यालय में किया गया है? हाँ / नहीं / लागू नहीं

(vi) क्या बाल कल्याण समिति ने बालक की शिक्षा उसी विद्यालय में जारी रखने की सिफारिश की है जिसमें वह पहले पढ़ रहा था? हाँ / नहीं

(vii) सिफारिश के आधार पर, क्या बालक उसी विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रख रहा है जहाँ वह पहले पढ़ रहा था? हाँ/नहीं

(viii) क्या बाल कल्याण समिति ने बालक के स्कूल स्थानांतरण की सिफारिश की है? हाँ / नहीं

(a) यदि हाँ, तो बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यालय स्थानांतरण की सिफारिश करने के क्या कारण बताए गए हैं?

(ix) क्या बालक का नए स्कूल में प्रवेश हो गया है/स्थानांतरण हो गया है? हाँ/नहीं

(x) नए स्कूल का विवरण और उसका एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली कोड.....

(xi) पता और संपर्क विवरण.....

(xii) जिस कक्षा में प्रवेश/स्थानांतरण हुआ है.....

(xiii) जिस कक्षा में बालक को पिछले स्कूल से स्थानांतरित किया गया था...

(xiv) बाल कल्याण समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, क्या जिस विद्यालय में बालक पढ़ रहा है, वह उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) की उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत लाभ प्रदान कर रहा है? हाँ / नहीं

(xv) क्या बालक को संबंधित सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? हाँ / नहीं

(xvi) क्या बालक किसी छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा है? हाँ / नहीं

a. यदि हाँ, तो छात्रवृत्ति का नाम .....

b. छात्रवृत्ति की राशि .....

(xvii) बाल कल्याण समिति द्वारा बालक की शिक्षा के संबंध में की गई कोई अन्य टिप्पणी एवं अनुशंसाएँ।

15. प्रायोजन

(i) क्या बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को प्रायोजन के लिए अनुशंसित किया गया है?

A. हां B. नहीं (यदि नहीं, तो आगे के प्रश्न लागू नहीं होते)

(ii) क्या बालक के प्रायोजन को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है?

A. हाँ बी. नहीं

(iii) प्रायोजन का स्वरूप: i. सरकारी ..... ii. निजी .....

(iv) प्रायोजन का प्रकार

(a) व्यक्तिगत से व्यक्तिगतप्रायोजन

(b) समूह प्रायोजन

(c) समुदाय यासंगठन प्रायोजन

(d) प्रायोजन के माध्यम से परिवारों को सहायता प्रदान करना

(e) बाल गृहों और विशेष गृहों को सहायता

(f) प्रायोजन के माध्यम से:

i. संस्थानों,

ii. कंपनियों

iii. सार्वजनिक या निजी निगम

(g) कोई और

(v) क्या बालक को प्रायोजन कार्यक्रम के तहत पैसा मिलना शुरू हो गया है?

A. हाँ बी. नहीं

(vi) प्रायोजन की अनुशंसित अवधि:.....

(vii) किसी भी अन्य जानकारी:.....

16. बालक का पुनर्वास:

(i) क्या बालक को वापस सौंपा जा रहा है:-

एकल अभिभावक / जैविक अभिभावक / संरक्षक / रिश्तेदार

(ii) उस व्यक्ति का नाम जिसे बालक वापस सौंपा जा रहा है.....

(iii) उस व्यक्ति का पता और संपर्क विवरण जिसके पास बालक को वापस सौंपा जा रहा है...

(iv) यदि बालक को अभिभावक/रिश्तेदार को वापस सौंपा जा रहा है, तो-

(v) बालक का अभिभावक/रिश्तेदार के साथ संबंध-

(vi) क्या अभिभावक/रिश्तेदार के अपने बालक हैं? A. हाँ B. नहीं

(vii) यदि हां, तो अभिभावक/रिश्तेदारों के बच्चों का विवरण दें-

(viii) अभिभावक/रिश्तेदार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति-

(ix) क्या बालक उसी राज्य में रहेगा जहाँ वह मिला था? हाँ/नहीं

(x) क्या बालक को पुनर्वास के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है? हाँ/नहीं। यदि हाँ:

(a) उस राज्य का नाम जहां बालक को वापस सौंपा गया है-

(b) क्या बालक को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए किसी एस्कॉर्ट की आवश्यकता होती है?

ए. हाँ बी. नहीं

यदि हाँ, तो साथ आने वाले व्यक्ति का पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि...

(c) क्या संबंधित राज्य के उस जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति को स्थानांतरण आदेशों के बारे में सूचित किया गया है, जहां बालक का स्थानांतरण किया जा रहा है?

हां नहीं

(d) क्या बालक के दस्तावेज़/सामाजिक जांच रिपोर्ट/व्यक्तिगत देखभाल योजना/बाल कल्याण समिति के आदेश संबंधित राज्य बाल कल्याण समिति को हस्तांतरित कर दिए गए हैं? हां/नहीं

(e) उस बाल कल्याण समिति का विवरण जहाँ मामला स्थानांतरित किया गया है.....

(xi) बाल कल्याण समिति ने बालक के पुनर्वास के बाद उसकी निगरानी की सिफारिश की है: हाँ / नहीं

(xii) बालक के बैंक खातों की स्थिति.....

(xiii) बालक का सामान बच्चे/माता-पिता/अभिभावक को सौंप दिया जाता है: हाँ/नहीं

(xiv) पहचान पत्र और मुआवजा:

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया टिक करें)जो भी लागू हो)		
	हाँ	नहीं	कार्रवाई की
जन्म प्रमाण पत्र			
विद्यालय प्रमाणपत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड			
विकलांगता प्रमाणपत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मुआवजा प्राप्त हुआ			

बालक की स्वदेश वापसी

(i) क्या बालक को स्वदेश वापस भेजना आवश्यक है? हाँ/नहीं

(ii) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की स्वदेश वापसी है: (जो भी लागू हो उस पर निशान लगाएं)

अंतर-जिला अंतर-राज्यीय अंतर-देश

(iii) क्या बालक की स्वदेश वापसी के संबंध में निम्नलिखित को सूचित किया गया है?

जिला अधिकारी। राज्य सरकार। केंद्र सरकार।

(iv) क्या बालक को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? हाँ / नहीं। विवरण:.....

(v) क्या प्रत्यावर्तित किए जाने वाले बालक का विवरण राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित किया गया है?

(vi) कोई अन्य सुझाव.....

... परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर/
बाल कल्याण अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई
जहां उपलब्ध हो, वहां स्टाम्प और मुहर लगाएं"

प्ररूप 8

[नियम 11(6)]

माता – पिता /संरक्षक/योग्य व्यक्ति, जिसकी देखरेख में कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा गया है द्वारा निष्पादित की जाने वाली वचनबद्धता / बंध-पत्र ।

जबकि मैं, ..., माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार या योग्य व्यक्ति होने के नाते, जिसकी देखरेख में .....(बालक का नाम) को किशोर न्याय बोर्ड ..... द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेश दिया गया है, को उक्त बोर्ड द्वारा रुपये...../- (रुपये .....) की राशि की जमानत सहित या बिना जमानत के वचनबद्धता / बंध-पत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, मैं एतद्द्वारा उक्त ..... के अच्छे व्यवहार और कल्याण के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ और ..... से प्रभावी ..... वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य करता हूँ।

1. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित रूप में पूर्व सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूंगा;
2. कि मैं उक्त बालक को किशोर न्याय बोर्ड की अधिकार सीमा से बाहर बोर्ड की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं ले जाऊंगा;
3. कि मैं उक्त बालक को प्रतिदिन स्कूल/बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी व्यवसाय में भेजूंगा, जब तक कि मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण ऐसा करने में मुझे बाधा न आए;
4. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी की सहायता से व्यक्तिगत देखभाल योजना को पूरी ईमानदारी से लागू करूंगा;
5. कि मैं बोर्ड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बोर्ड को रिपोर्ट करूंगा और निर्देशानुसार बालक को भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करूंगा;
6. कि मैं उक्त बालक को अपनी देखरेख में बोर्ड के समक्ष पेश करूंगा, यदि वह बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करता है या उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है , तो मैं उसे ।
7. कि मैं यदि बालक नियंत्रण / उतरदायितव से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को इसकी सूचना दूंगा;
8. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करूंगा;

यदि मैं इसमें कोई चूक करता हूँ, तो मैं बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का वचन देता हूँ और सरकार को ..... रुपये (रुपये.....)की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हूँ।).

20..... के दिन .....तारीख

वचनबद्धता / बंध-पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।
(मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

यदि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं, तो उन्हें उचित क्रमांकित करके दर्ज किया जा सकता है;
(जमानतदारों के साथ बंध-पत्र निष्पादित किए जाने पर इसे जोड़ें)

मैं/हम ..... के ..... (निवास स्थान का पूरा विवरण) एतद्द्वारा उक्त ..... के लिए (वचनबद्धता / बंध-पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) के लिए स्वयं को ज़मानतदार घोषित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम इस वचनबद्धता / बंध-पत्र की शर्तों और नियमों का पालन करूंगा /करेंगे। यदि .....(अनुबंध निष्पादित करने वाले का नाम) द्वारा कोई चूक करने की स्तिथि में मैं/हम स्वयं/ संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से एतद्द्वारा .....की उपस्थिति में 20..... के दिन ..... तारीख ..... को .....रुपये (.....रूपये की राशी सरकार को जुर्माने के रूप में देगें ।

ज़मानतदार(कों) के हस्ताक्षर
(मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 9

[**नियम 11(7)**]

बालक द्वारा व्यक्तिगत बांड

चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा ..... के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड ..... द्वारा यह आदेश दिया गया है की मुझे ..... निवासी ..... (मकान संख्या, सड़क, गाँव/कस्बा, तहसील, जिला, राज्य सहित पूर्ण विवरण दें) को नीचे उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत बंध-पत्र भरे जाने पर मेरे मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया जाए। अतः, मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूँ ..... अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करने का पूर्णतः वचन देता/देती हूँ।

मैं इसके द्वारा स्वयं को निम्नलिखित शर्तों के लिए बाध्य करता/करती हूँ:

1. ..... अवधि के दौरान सामान्यतः उस गाँव/कस्बे/जिले को नहीं छोड़ूँगाजहाँ मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना न तो ..... लौटूँगा और न ही उक्त जिले से बाहर कहीं जाऊंगा ;

2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव/कस्बे या उक्त जिले में विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लूंगा जहां मुझे भेजा जा रहा है;

3. यदि मैं उक्त जिले में किसी अन्य स्थान पर विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लेता हूँ, तो मैं बोर्ड को अपने सामान्य निवास स्थान की जानकारी दूंगा।

मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं, जिन्हें मुझे पढ़कर सुनाया गया है/समझाया गया है, और मैं उन्हें स्वीकार करता/करती हूं।

(बालक के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तें .....(बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई /समझा दी गई हैं तथा इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

तद्नुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को ..... (तारीख) को छोड़ / रिहाकर दिया गया है।

हस्ताक्षर

प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 10

[नियम 11(9) और 64 (3) (xiii)]

परिवीक्षा पर निर्मुक्त बालक की सामयिक रिपोर्ट

एफआईआर संख्या..... पुलिस स्टेशन .....धाराओं के तहत..... मामले में..... बनाम.....

जबकि (बालक का नाम) ....., आयु....., को .....(तारीख) को कानून का उल्लंघन करने वाला बालक पाया गया है और उसे ..... (माता-पिता/संरक्षक /योग्य व्यक्ति/योग्य संस्थान) की देखरेख में और उसे ..... के (प्रोबेशन अधिकारी का नाम) पर्यवेक्षण में रखा गया है।

पंजीकरण संख्या :-	आयु (लगभग):-	लिंग: बालक / बालिका
नाम:-	पिता का नाम:-	धर्म:-
शिक्षा: -	व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो	भाषा (ओं) का ज्ञान
न्यायालय अगली तारीख:-	नियोजन, यदि कोई हो	प्रवेश की तिथि (योग्य व्यक्ति/ योग्य सुविधा के मामले में)

मामले का विवरण और सारांश

.....
.....
.....

1. प्रारंभिक विवरण:

(i) दौरे की तिथि : ...../...../.....
(ii) अभिभावक/संरक्षक का नाम.....
(iii) गृह में रहने वाले अन्य वयस्कों के नाम, जिनसे परिवीक्षा अधिकारी ने बातचीत की:

2. अवलोकन:

(i) बालक का व्यवहार.....
(ii) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति/आवश्यकताएं तथा परिवार .....
(iii) बालक का परिवार के साथ अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
(iv) मित्रों के साथ अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
(v) परिवार में सुरक्षा और निगरानी.....
(vi) बालक को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.....
(vii) परिवार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.....

(viii)घर में हुए बदलाव.....

(ix) यदि बालक कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहा है तो.....

(x) बालक का समाज-विरोधी कार्यकलापों अथवा हानिकारक कार्यकलापों में शामिल होना (उदाहरण के लिए डरना, धमकाना, हिंसात्म- प्रकोप, तोड़फोड़, स्वयं -हानि, मित्यावादी , अवज्ञा, आवेगशील, सहानुभूति की कमी, यौन विकृत क्रियाएं आदि प्रदर्शित हो सकता है).....

(xi) किसी भी असामाजिक व्यवहार या हानिकारक गतिविधियों में अंतिम बार शामिल होने के बाद से बीता समय.....

3. विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा

(i) विद्यालय/केंद्र का नाम.....

(ii) शिक्षक/प्रधानाचार्य जिनसे मुलाकात हुई.....

(iii) कोई भी असामान्य व्यवहार देखा गया.....

(iv) बालक की प्रगति पर प्राप्त प्रतिक्रिया.....

(v) सहपाठियों का बालक के प्रति रवैया.....

(vi) सहपाठियों के प्रति बालक का रवैया.....

4. कार्यस्थल का दौरा:

(i) कार्य की प्रकृति.....

(ii) कार्य के घंटे.....।

(iii) बालक का काम के प्रति रवैया.....

(iv) श्रम कानूनों का उल्लंघन, कम वेतन या वेतन रोके जाने की स्थिति में, नियोक्ता के खिलाफ की गई .....

5. क्या आपने बालक से अकेले में बात करने में समय बिताया? हाँ □ नहीं □

यदि नहीं, तो कारण बताइए.....

6. वैयक्तिक देखरेख के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अनुसार प्रगति (फॉर्म 7 के बिंदु 14 का संदर्भ).....

7. वैयक्तिक देखरेख योजना के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना में संशोधन के लिए अनुशंसाएँ , यदि कोई:

तैयारकर्ता: .....

(प्रोबेशन अधिकारी ...../...../.... (तारीख)

योजना: अगली दौरे की तारीख: .....

कार्रवाई का मुद्दा यदि कोई हो: .....

(हस्ताक्षर) (परिवीक्षा अधिकारी)

प्ररूप 11

[नियम 12(1)]

केस मॉनिटरिंग शीट

(एक से अधिक बालक होने की स्थिति में अलग-अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है)

किशोर न्याय बोर्ड, जिला.....

मामला संख्या .... से संबंदित

मामले का नाम:

पुलिस थाना ..... धारा.....	तिथि ..... एफआईआर/जीडी/डीडी नंबर .....
परिवीक्षा अधिकारी का नाम..... वकील का नाम..... (यदि आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो सरकारी वकील उपलब्ध कराएं)	आई.ओ. का नाम ..... बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम.....

अपराध की श्रेणी :

गौण

*(*अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद *)*

गंभीर

(अधिकतम दंड: 3 से 7 वर्ष के बीच)

जघन्य

*(*न्यूनतम दंड : 7 *वर्ष तक कैद या इससे अधिक*)

बालक का विवरण			
नाम	माता-पिता /संरक्षक संपर्क नंबर सहित	वर्तमान पता	स्थायी पता

बालक के पकड़े जाने की तिथि और समय ..... **प्रथम प्रस्तुति की तिथि और समय.....**		
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के तहत चिकित्सा परीक्षण की तिथि.....		
आयु निर्धारण ..... अपराध की तिथि को आयु..... आयु निर्धारण करने की तिथि ..... आयु निर्धारण के लिए लिया गया समय ..... निर्धारणकर्ता वह साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया:	बोर्ड दस्तावेज़	न्यायालय चिकित्सा

बालक को संरक्षण में लेना		
प्रेक्षण (निगरानी) गृह/सुरक्षित स्थान में	जमानत मंजूर होने की तारीख	किसके पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्थान का नाम)
.....से..... को		

जांच की प्रगति

(मामले के निपटारे के लिए समय सारिणी सुनवाई के पहले दिन तय की जाएगी)

कार्यवाही	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
पहला दिन: पुलिस द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (फॉर्म संख्या 1 में)	तिथि	
पहला दिन: जमानत पर विचार	तिथि	
दिन 2: आयु निर्धारण	तिथि	
दिन 2: परिवीक्षा अधिकारी द्वारा एसआईआर (फॉर्म संख्या 6)	तिथि	
दिन 2: जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट	तिथि	
तीसरा दिन: आगे की जांच के प्रावधानों पर रिपोर्ट (यदि कोई हो)	तिथि	
दिन 3: धारा 251 सीआरपीसी नोटिस	तिथि	
दिन 4-6: अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (..... से..... तक) गवाहों की संख्या के आधार पर लगातार तिथियां तय की जा सकती हैं।	तिथि	
दिन 7: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 281 के तहत बालक का बयान	तिथि	
दिन 8: प्रतिवादी साक्ष्य	तिथि	
दिन 8: पृथक देखरेख योजना (संस्थागत देखभाल में रखे गए बालक के मामले में, प्रवेश के एक महीने के भीतर पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए)	तिथि	
दिन 9: अंतिम तर्क	तिथि	
दिन 10: निपटान(अंतिम) आदेश	तिथि	
दिन 11: निपटान आदेश के पश्चात् समीक्षा	तिथि	

हस्ताक्षरकर्ता
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा

प्ररूप 12

[नियम 12(2)]

किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट

ज़िला:

.....से..... तक की अवधि की त्रैमासिक रिपोर्ट

किशोर न्याय बोर्ड का विवरण

क्र.सं.	विवरण	नियुक्ति की तिथि	किस प्रशिक्षण में भाग लिया
1.	प्रधान मजिस्ट्रेट		
2.	सदस्य 1		
3.	सदस्य 2		

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा आश्रय गृहों का दौरा

दौरे की तारीख़:

गृह का नाम और पता :

टिप्पणी:

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा कारागार का दौरा

दौरे की तारीख़:

क्या कोई बालक पाया गया:

कार्रवाई:

तिमाही के दौरान दर्ज मामले				
	गौण	**गंभीर**	**जघन्य**	कुल
मामलों की संख्या				
बच्चों की संख्या				
जमानत पर रिहा बच्चों की संख्या				
प्रेक्षण गृह में भेजे गए बच्चों की संख्या				
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारित समय में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई				

लंबित मामले							
मामले की प्रकृति	पुराने मामले	नए मामले	निपटान	वर्तमान में लंबित मामले			
				4 महीने से कम	4 महीने तक 6 महीने	6 महीने 1 वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक
गौण							
गंभीर							
जघन्य							
कुल							

अंतिम आदेश अंतिम रूप से जारी आदेशों की संख्या							
निपटान किए गए	अन्य कि. न्या. बो . को स्थानांतरित	मृत्यु के कारण बंद किए गए	विदेशों को प्रेषित	बाल न्यायालय को स्थानांतरित	उपशमित घोषित एवम फाइल समानुदेशित	नियम के तहत समाप्त / बंद किए गए (पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया)	निर्मुक्त किए गए /आपराधिक विवरण
बालकों द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में निपटान सम्बन्धी आदेशों की प्रकृति (आदेशों की संख्या का उल्लेख करें)							

प्राप्त शिकायत/सुझाव, यदि कोई हो और की गई कार्रवाई

_____

_____

_____

_____

_____

बोर्ड द्वारा टिप्पणी/सुझाव

(क) प्रधान
मजिस्ट्रेट.....

(ख)सदस्य 1.
.....

(ग)सदस्य 2.
.....

प्रधान मजिस्ट्रेट	**सदस्य –1**	**सदस्य -2**

प्ररूप 13

[नियम 13(8)(iv)]

सुरक्षा के स्थान पर बालक की आवधिक समीक्षा

एफआईआर संख्या.....पुलिस थाना ..... धाराएं
..... बनाम ..... के मामले में

जबकि (बालक का नाम) .....,तारीख ....., को आयु....., तारीख.....को विधि के विरुद्ध कार्य करते हुए पाया गया है और उसे ..... (सुरक्षा के स्थान का नाम) में रखा गया है ।

सुरक्षा स्थान में प्रवेश की तिथि –

समीक्षा अवधि: ..... से ..... तक

बालक का नाम : .....

पिता का नाम : .....

प्रवेश तिथि : .....

अगली सुनवाई की तिथि : .....

1. मामले का विवरण और सारांश .....
.....
.....

2. वैयक्तिक देखरेख योजना (प्रतिलिपि संलग्न करें)
.....
.....

3. वैयक्तिक देखरेख योजना के अनुसार पाक्षिक प्रगति .....
.....
.....

4. नये हितों का विवरण .....
.....
.....

5. बालक द्वारा की गई सामाजिक मन:स्थिति में प्रगति: (सामाजिक मन:स्थिति विशेषज्ञ की सहायता से तैयार की जाए) .....

I. मानसिक स्थिति मूल्यांकन

(क) रूप (देखा गया) - संभव विवरण: • रंग-ढंग , वस्त्र , साज-सज्जा।

(ख) व्यवहार (अनुभव किया गया) – संभव विवरण: • तौर-तरीके, हावभाव, मन:स्थिति गतिविधि, अभिव्यक्ति, नेत्र संपर्क, आदेशों/अनुरोधों का पालन करने की क्षमता, विवशताएँ ।

II. व्यवहार (अनुभव किया गया) – संभाव्य निरूपक • सहयोगी, उग्र , खुला, घुन्ना, बहानेबाज, शंकालु, उदासीन, अनमना, केंद्रित, रक्षात्मक।

III. अभिज्ञता का स्तर (अनुभव किया गया) - संभाव्य निरूपक • सतर्क, चौकन्ना, शिथिल, आलसी, भावशून्य, निष्क्रिय, भ्रमित, वैचारिक दृष्टि से अस्थिर।

IV. अभिमुखता (पूछताछ के आधार पर) – संभावित प्रश्न: • "आपका पूरा नाम क्या है?" • "हम कहाँ पर हैं (मंजिल, भवन, शहर, देश और राज्य)?" • "आज की पूरी तारीख क्या है (तारीख, महीना, वर्ष, सप्ताह का दिन और वर्ष का मौसम)?" • "हम किस स्थिति में हैं उसका वर्णन आप कैसे करेंगे?"

V. बोलचाल और भाषा (अनुभव की गई) क. मात्रा - संभाव्य निरूपक • बातूनी, सहज, शांत, ख. दर - संभाव्य निरूपक • तेज़, धीमा , सामान्य, दबावयुक्त, ग. आवाज़ (शैली)।

VI. मनोदशा (पूछताछ के आधार पर): स्थिर आंतरिक स्थिति का अवलोकन – संभाव्य निरूपक • "आप कैसा महसूस कर रहे हैं?" • "क्या आप निराश/उदास/दुखी हैं?" • "क्या आप हाल ही में ऊर्जावान/उत्साहित/उत्साहित/बेकाबू महसूस कर रहे हैं?" • "क्या आप क्रोधित/चिड़चिड़े हैं?"

VII. प्रभाव (अनुभव किया गया): आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति देखी गई ।

VIII. सोच-विचार या चिंतन प्रक्रिया (अनुभव की गई): साक्षात्कार के दौरान सामान्य प्रश्नों के उत्तर में विचारों की तर्कशक्ति, प्रासंगिकता, संगठन, प्रवाह और सुसंगति - संभाव्य निरूपक : निदेशित लक्ष्य, परिस्थितिजनक , शिथिल संबंध, असंगत, टालमटोल करने वाला, एक ही बात को बार-बार दोहराना।

IX. विचार विषयवस्तु (पूछा /अनुभव किया गया)

X. आत्मघाती और हिंसक – मूल्यांकन

XI. आंतरिक नजरिया (पूछा /अनुभव किया गया) –

XII. ध्यान (पूछा /अनुभव किया गया) –

XIII. ग्लानी /पश्चाताप : उपस्थित/अनुपस्थित

6. वर्तमान शैक्षिक/व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रम की स्थिति

- कार्यक्रम के लिए प्रेरणा.....
- सहयोग का स्तर.....
- नियमितता.....
- कार्य/निष्पादनकी गुणवत्ता.....

7. संस्थागतकरण का व्यक्ति पर प्रभाव.....

8. मूल्यांकन/आवधिक अनुवर्ती कार्रवाई का दृष्टिकोण.....

सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरूप कार्यक्रमों/सुविधाओं में उपचार और पुनर्वास में भाग लेने की इच्छा/क्षमता।

सिफारिशें (जिनमें यह भी शामिल है कि क्या व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है या शर्तों के साथ रिहा किया जा सकता है या आगे संस्थागत देखभाल की आवश्यकता है, उचित कारण सहित)

तारीख : ...../...../

स्थान :

नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर :

सिफ़ारिशें/ निष्कर्ष: .....

हस्ताक्षर / मुहर
तैयारकर्ता: .....

(परिवीक्षा अधिकारी ...../...../..... (तिथि)

———————

प्ररूप 14

[नियम 7 (1) (ii), 13(8)(iv)(सी) (सीडी), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69ई(2), 69 I (4), 69जे(1), 69जे(3)]

पुनर्वास कार्ड

एफआईआर /मामला संख्या

धरा :

पुलिस थाना

अपराध की प्रकृति: गौण , गंभीर, जघन्नय, (विधि के विरुद्ध बालक के मामले में)

परिवीक्षा अधिकारी का नाम /बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास एवम स्थापन अधिकारी:

.....

बालक का नाम:

आयु:

लिंग:

पिता का नाम:

माता का नाम:

प्रवेश क्रमांक

प्रवेश की तिथि:

अस्थायी छूट / छूट की तिथि:

वैयक्तिक देखभाल योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाएं –

संकेतक	**बालक की देखभाल और संरक्षण सम्बन्धी अपेक्षाएं**
प्रथम माह	**योजना :** **परिणाम :**
दूसरा माह	**योजना :** **परिणाम :**
तीसरा महीना	**योजना :** **परिणाम :**
चौथा महीना	**योजना :** **परिणाम :**

	स्वास्थ्य एवम पोषण
प्रथम माह	**योजना :** **परिणाम :**
दूसरा माह	**योजना :** **परिणाम :**
तीसरा महीना	**योजना :** **परिणाम :**
चौथा महीना	**योजना :** **परिणाम :**

	पूर्ण एवम मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता
प्रथम माह	योजना : परिणाम :
दूसरा माह	योजना : परिणाम :
तीसरा महीना	योजना : परिणाम :
चौथा महीना	योजना : परिणाम :

शिक्षण एवम प्रशिक्षण	
पहला महिना	योजना : परिणाम :
दूसरा माह	योजना : परिणाम :
तीसरा महीना	योजना : परिणाम :
चौथा महीना	योजना : परिणाम :

मौज-मस्ती , सृजनऔर खेलकूद	
पहला महिना	योजना परिणाम :
दूसरा माह	योजना परिणाम :
तीसरा महीना	योजना परिणाम :
चौथा महीना	योजना परिणाम :
संबंध और अंतर-व्यक्तिगत संबंध	
पहला महिना	योजना परिणाम :

दूसरा माह	**योजना** **परिणाम :**
तीसरा महीना	**योजना** **परिणाम :**
चौथा महीना	**योजना** **परिणाम :**
स्व- देखरेखऔरसभी प्रकार के दुर्व्यवहार ,उपेक्षा तथा दुराचार से बचाव के लिए जीवन सम्बन्धी कौशल का प्रशिक्षण	
पहला महिना	**योजना** **परिणाम :**
दूसरा माह	**योजना** **परिणाम :**
तीसरा महीना	**योजना** **परिणाम :**
चौथा महीना	**योजना** **परिणाम :**
	स्वतंत्र रूप से जीने का कौशल
पहला महिना	**योजना** **परिणाम :**
दूसरा माह	**योजना** **परिणाम :**
तीसरा महीना	**योजना** **परिणाम :**
चौथा महीना	**योजना** **परिणाम :**

	मानव दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, माता-पिता की उपेक्षा, विद्यालयों में डरना, धमकाना आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभव जिसने बच्चे के विकास को प्रभावित किया हो ।
पहला महिना	**योजना परिणाम**
दूसरा माह	**योजना परिणाम**
तीसरा महीना	**योजना परिणाम**
चौथा महीना	**योजना परिणाम :**

बालक को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं, जैसे मुआवजा, अन्य फायदे आदि ।

प्रमाणित मनोविज्ञानी की विस्तृत मनो-वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, पुनर्वास कार्ड के साथ संलग्न की जाए ।

कथित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का कारण और रिपोर्ट की तिथि (अस्थायी छूट/ छूट /या कोई अन्य)

व्यक्तिगत देखरेख योजना के कथित पहलुओं की दृष्टि से बच्चे द्वारा की गई समग्र प्रगति ।

बच्चे द्वारा स्वीकार्यता तथा अपने कार्यो और परिणामो को समझना
बच्चे द्वारा सुधार की इच्छा
बच्चे का व्यवहार और आचरण
कानून विरोधी कार्य करने पर देखरेख संस्थान में न रखे गए बच्चे के मामले में परिवार या पड़ोसी द्वारा बताया गया कोई अपराध जो बच्चे द्वारा किया गया हो।

हस्ताक्षरकर्ता
कि.न्या. बो./बा.क .स .

प्ररूप 15

[नियम 17 (1)(i)]

बाल कल्याण समिति द्वारा अनुरक्षित मामले का सारांश

मामला संख्या.....

मामले का अभिलेख में.....

1. बालक का नाम.....
2. पिता/माता/अभिभावक का नाम (यदि उपलब्ध हो).....
3. बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि .....
4. बच्चे को प्रस्तुतुत करने वाले व्यक्ति का नाम.....
5. अनुवर्ती कार्यवाहियों की तिथियों का विवरण (समिति के समक्ष बच्चे से सम्बंधित).....
6. बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश (लागू पर सही का निशान लगाएं)
   (i) घोषणा कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।
   (ii) बच्चे की आयु का पता लगाना ।
   (iii) चिकित्सा जांच
   (iv) आंतिक अभिरक्षा
   (v) उदघोषणा (माता-पिता, संरशक या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, यदि लागू हो)
   (vi) मामले सम्बन्धी केस वर्कर और गैर सरकारी संगठन आदि की नियुक्ति का आदेश।
   (vii) क्षतिपूर्ति /मजदूरी की वसूली (यदि लागू हो) के लिए आदेश
   (viii) स्थानांतरण आदेश
   (ix) अंतिम आदेश (जांच निष्कर्ष)
   (x) कोई अन्य आदेश।
7. चिकित्सा अभिलेख आयु जांच सहित समग्र रूप से .....
8. सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रपत्र 22 में .....
9. व्यक्तिगत देखरेख योजना के अधीन प्रपत्र 7 .....
10. पुनर्वास कार्ड फॉर्म 14.....

11. मामले का विवरण (केस हिस्ट्री) फॉर्म 43.....

12. प्रायोजन/पालक देखभाल/दत्तक ग्रहण सेवाओं (यदि लागू हो) के संबंध में सभी विवरण, दस्तावेज और अभिलेख।

तारीख:

स्थान :

(हस्ताक्षर) बाल कल्याण समिति

———

प्ररूप 16

[नियम 17(1)(v), 17(1)(v a), और 20(2)]

बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट

ज़िला.....

.....से.....तक की अवधि की तिमाही रिपोर्ट :

क्रमांक नहीं।	विवरण	निक्युक्ति की तिथि	किन प्रशिक्षणों में भाग लिया गया
1.	अध्यक्ष		
2.	सदस्य 1		
3.	सदस्य 2		
4.	सदस्य 3		
5.	सदस्य 4		

बाल कल्याण समिति के समक्ष मामलों का विवरण:

क्रमांक संख्या	तिमाही के आरम्भ में मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	इस दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या	लंबित होने के कारण

अंतिम आदेश

तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या

माता पिता /संरक्षक /स्वस्थ व्यक्ति/ उपयुक्त संस्थान को जारी	अन्य बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित	बाल देखभाल संस्थान में रहने के लिए आदेश	विदेशों को प्रेषित	कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए मुक्त घोषित	पालन /पोषण/ देखरेख/ प्रयोजन/पशात्वर्ती देखबाल की लिए आदेशित	एफआईआर दर्ज करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को सिफारिश की गयी	पात्र होने की स्थितिमें बालक को प्रतिपूर्ति संबधी प्रक्रिया आंरम्भ

बाल कल्याण समिति द्वारा पुनर्स्थापित बच्चों से संबंधित मामले का विवरण:

क्रमांक संख्या	पुनर्स्थापित बच्चों की संख्या			जिन बच्चों को उनके माता-पिता से मिला दिया गया है	स्वस्थ व्यक्ति के साथ पुनर्स्थापित बच्चों की संख्या		पुनर्स्थापित बच्चों की संख्या और अनुशंसित अनुवर्ती कार्रवाई
	उसी जिले	अलग-अलग जिले	अलग राज्य		अभिभावक	रिश्तेदार	

बाल देखभाल संस्थानों में शिशु मृत्यु के मामलों का विवरण:

क्रमांक	मृत बालक का नाम	मृत्यु का कारण	बाल देखभाल संस्थान का नाम जहाँ बच्चे को रखा गया था	बाल देखभाल संस्थान में रहने की अवधि

घर से भागे बच्चों के मामलों का विवरण:

क्रमांक	भागे हुए बच्चे का नाम	उस शिशु देखभाल संस्था का नाम, जहाँ बालक को रखा गया था	एफआईआर संख्या	बालक की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा घरों का दौरा

दौरे की तारीख़:.....
बाल गृह का नाम और पता:.....
समिति की टिप्पणियाँ/सुझाव:.....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर।

प्ररूप 16 ए

[नियम 43(2) और (3)]

बाल कल्याण समिति की मासिक रिपोर्ट

ज़िला

मासिक रिपोर्ट की अवधि: .....से.....तक

कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र मामलों से संबंधित विवरण

बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित मामलों का विवरण										
अनाथ				**परित्यक्त**				**अभित्यक्त**		**कुल**
0-2 वर्ष के बच्चों के लिए		**2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे**		**0-2 वर्ष के बच्चों के लिए**		**2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे**		**0-18 वर्ष के बच्चे**		
2 महीने से लंबित है		4 महीने से लंबित है		2 महीने से लंबित है		4 महीने से लंबित है		2 महीने से लंबित है		
एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ	

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर।

प्ररूप 17

[नियम 18(2), 19(25)]

उत्पादन के समय रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

समिति के समक्ष बालक का मामला

मामला संख्या.....
बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया .....
प्रस्तुत करने की तिथि..... प्रस्तुत करने का समय.....
प्रस्तुत करने का स्थान ... .

1. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण:

(i) उस व्यक्ति का नाम .....
(ii) आयु.....
(iii) लिंग .....
(iv) पता .....

(v) संपर्क संख्या.....

(vi) व्यवसाय/पदनाम.....

(vii) संगठन/सी.सी.आई./एस.ए.ए. का नाम .....

2. प्रस्तुत किया गया बालक :

(i) नाम (यदि कोई हो).....
(ii) आयु (बताई गई आयु/ दिखने के आधार पर आयु) .....
(iii) लिंग .....
(iv) पहचान चिह्न.....
(v) बालक की भाषा.....

3. माता-पिता/सरंक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

(i) नाम .....
(ii) आयु.....
(iii) पता.....।
(iv) संपर्क संख्या.....।
(v) व्यवसाय .....

4. स्थान जहाँ बालक मिला था.....

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बालक पाया गया (यदि कोई हो):

i. नाम .....
ii. आयु.....।
iii. पता.....।
iv. संपर्क संख्या.....
v. व्यवसाय .....।

6. जिन परिस्थितियों में बालक मिला था.....

7. बालक द्वारा किसी भी प्रकार से उसके साथ किए गए किसी भी अपराध/दुर्व्यवहार का आरोप लगाना...

8. बालक की शारीरिक स्थिति.....

9. प्रस्तुति के समय बालक का सामान.....

10. जिस तिथि और समय पर बालक सीसीआई/एसएए में आया था.....

11. बालक के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास .....

12. क्या बालक को चिकित्सा प्रदान की गई .....

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है?

बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।
बालक को लाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवेक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी /समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/सी.सी.आई/एस.ए.ए के प्रभारी व्यक्ति/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरें)

प्ररूप 18

[नियम 18 (5), 18 (9) और 19 (26)]

बालक को किसी भी संस्था में भेजने संबंधी आदेश

(बालगृह /उपयुक्त सुविधा/एसएए)

मामला संख्या.....

सेवा में ,

प्रभारी अधिकारी,

जबकि बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण के अधीन .....(बालक का नाम) पुत्र/पुत्री ....., आयु ....., निवासी ....., को मास .....20 .....के .....दिन ,..... अवधि के लिए बाल गृह/एसएए/उपयुक्त सुविधा, ... में रखने के आदेश जारी करती है।

उपर्युक्त आदेश का कानूनानुसार अनुपालनार्थ, आपको उक्त बालक को अपने संरक्षण में लेने और उसे बाल गृह/ उपयुक्त सुविधा /एसएए में रखने के लिए अधिकृत और बाध्य किया जाता है। अनाथ या परित्यक्त बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी / अधिकारी इसका विवरण ट्रैकचाइल्ड/संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा ।

मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन।

दिनांक .....

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

आदेशों की प्रति, घर का विवरण और पिछला रिकॉर्ड, केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, जो भी लागू हो:

प्ररूप 19

[नियम 18(8), 19 (7)]

जांच लंबित रहने तक बालक को माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का आदेश

.....20.....का मामला सं.

..... के संबंध में

तारीख ..... को पाया गया है कि ..... के लिए ददेखरेख आवश्यक है तथा .....(नाम) के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने पर पर्यवेक्षण में रखा जाता है और समिति संतुष्ट है बालक को उसके पर्यवेक्षण में रखने का आदेश जारी करना उचित होगा।

बालक को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करने का कारण.....

आदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक .....(नाम) को .....(अवधि) के लिए ..... (पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाए । इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :

1. आदेश की प्रतियों और उक्त व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए प्रतिज्ञा पत्र के साथ बालक को समिति के प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. बालक ..... अवधि के लिए ..... पर रहेगा।
3. बालक .....को समिति की अनुमति के बिना ..... के जिले अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
4. बालक नियमित रूप से स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर जाएगा । बालक नियमित रूप से ..... विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर (अगर पहले से बताया गया हो) विद्या / प्रशिक्षण प्राप्त करेगा ।
5. बालक की देखरेख करने वाला व्यक्ति बालक की उचित देखभाल, शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
6. बालक को अवांछित चरित्र वाले लोगों के साथ मेलजोल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से रोका जाएगा।
7. बालक को मादक पदार्थों, या किसी अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से रोका जाएगा।
8. समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा, ताकि उपरोक्त शर्तों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

तारीख___

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति

- यदि आवश्यक हो तो बाल कल्याण समिति द्वारा अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।

प्ररूप 20

[नियम 18(8) और 19(7)]

माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र

मैं ..... निवासी मकान नंबर..... गली .....गांव /शहर.....जिला, ... राज्य....., एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं बाल कल्याण समिति .....के आदेशानुसार निम्न शर्तों के आधार पर .....(बालक का नाम) .....(आयु) को मैं अपनी देखरेख में लेने का इच्छुक हूं :

1. यदि उनका आचरण असंतोषजनक पाया गया तो मैं तुरंत समिति को सूचित करूंगा।

2. जब तक वह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, मैं उसके कल्याण और शिक्षा के लिए अपनी ओर से उतम व्यवस्था करूंगा और उसके भरण-पोषण के लिए उचित व्यवस्था करूंगा।
3. उसके बीमार होने की स्थिति में निकटतम अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊंगा ।
4. मैं समय-समय पर समिति द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का पालन करने और समिति को शर्तों के अनुपालन के बारे में सूचित करता रहूंगा ।
5. मैं आवश्यकता पड़ने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।
6. यदि बालक मेरी देखरेख या नियंत्रण से बाहर चला जाता है, तो मैं तुरंत समिति को सूचित करूंगा।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षरित

प्ररूप 21

[नियम 19(3)]

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की सामाजिक जांच के आदेश

सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी/ सामाजिक कार्यकर्ता/ केस वर्कर/ गृह-प्रभारी/ गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 (2) के तहत ..... (बालक का नाम), आयु ..... (लगभग) पुत्र/पुत्री ..... निवासी ....., के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त हुई है ।

आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त बालक के लिए प्रपत्र 22 के अनुसार सामाजिक जांच करें। आपको उक्त बालक की सामाजिक-आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि सामाजिक जांच रिपोर्ट ..... (तारीख) को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी जाए ।

दिनांक .....

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति

प्ररूप 22

[नियम 19(8)]

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट

(जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

1. क्रम संख्या.....

2.बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत.....

3. मामला सं. .....

4. सामाजिक जांच रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई/ सामाजिक कार्यकर्ता/ केस वर्कर/ गृह प्रभारी/ गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट ।

5. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का विवरण:

(i) नाम.....

(ii) आयु..... दिन/माह/वर्ष .....

(iii) लिंग.....।

(iv) जाति: (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

अन्य (निर्दिष्ट करें.....

ज्ञात नहीं है .....

(v) धर्म.....

(vi) पिता का नाम.....

(vii) माता का नाम .....

(viii) अभिभावक का नाम.....

(ix) स्थाई पता.....।

(x) पते का लैंडमार्क.....

(xi) पिछले निवास का पता .....

(xii) पिता/माता/परिवार का सदस्य/अभिभावक का संपर्क नं. .....

(xiii) क्या बालक को दुभाषिए/अनुवादक की आवश्यकता है: हाँ/नहीं

(xiv) क्या बालक अनाथ है , परित्यक्त है , अभित्यक्त है या अन्य किसी श्रेणी का है

(xv) यदि कोई पूर्व संस्थागत और व्यक्तिगत देखभाल योजना हो तो...

(xvi) परिवार संबंधी जानकारी: (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो:

क्र .सं .	नाम तथा संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास	व्यसन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(xvii) परिवार के सदस्यों के बीच संबंध:

पिता तथा माता	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
पिता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
माता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
पिता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
माता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
बालक तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात
बालक और रिश्तेदार	सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण /अज्ञात

6. समिति के समक्ष पेश किए जाने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था: (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

माता-पिता – माता / पिता / दोनों
भाई-बहन / रक्त संबंधी
अभिभावक/अभिभावक – संबंध
दोस्त
सड़क पर
रातआश्रय
अनाथालय / छात्रावास / इसी प्रकार के अन्य संस्थान
बाल देखभाल संस्थान:
बालगृह
आश्रय गृह
विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
उपयुक्त सुविधा
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें).....

7. अनाथ और परित्यक्त बालक के मामले में-

a. बालक कहाँ मिला? .....
b. बालक के जैविक माता-पिता/रिश्तेदारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कृपया विस्तार से बताएं...
c. यदि बालक के जैविक मूल ज्ञात हों, तो बालक के दोनों माता-पिता की मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाए ।

8. क्या बालक का प्रत्यावर्तन आवश्यक है: हाँ/नहीं। यदि हाँ:

अंतर-जिला प्रत्यावर्तन
अंतर-राज्य प्रत्यावर्तन
अंतर-देशीय प्रत्यावर्तन

9. क्या बालक प्रायोजन के लाभ के लिए पात्र है: हाँ/नहीं

10. क्या बालक किसी योजना या लाभ के लिए पात्र है? हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया स्पष्ट करें)

11. क्या बालक को माता-पिता में से किसी के निधन के संबंध में किसी प्रकार का मुआवजा मिला है: हां/नहीं; कृपया स्पष्ट करें...

12. क्या बालक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए: हाँ / नहीं

13. बालक के लिए अनुशंसित वित्तीय सहायता:

(i) क्या बालक के माता-पिता के पास उनकी अचानक मृत्यु से पहले कोई संपत्ति/फिक्स्ड डिपॉजिट/नकद/बीमा/बैंक खाते थे: हाँ/नहीं; उनका विवरण दें.....

(ii) क्या बालक के माता-पिता पर कोई ऋण, बंधक या वित्तीय देनदारी है?

क. हाँ। ख. नहीं । इसका विवरण.....

(iii) क्या बालक के माता-पिता के पास उस बंधक के बदले कोई गिरवी रखने योग्य संपत्ति है?

क. हाँ ख. नहीं. इसका विवरण.....

(iv) क्या बालक के माता-पिता का कोई पारिवारिक व्यवसाय है?

क. हाँ, ख. नहीं। इसका विवरण...

(v) क्या बालक को मृतक माता-पिता से संपत्ति (स्वयं अर्जित/पैतृक) में कोई अधिकार/हिस्सा प्राप्त हुआ है: हाँ/नहीं; इसका विवरण दें.....

14. बालक की शिक्षा का विवरण:

(i) क्या बालक ने शिक्षा प्राप्त की है: हाँ/नहीं
(ii) यदि हाँ, तो कृपया बताएं कि किस कक्षा तक .....
(iii) यदि बालक स्कूल में नामांकित है, तो स्कूल का नाम-.....
(iv) क्या बालक का विद्यालय एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली में पंजीकृत है? यदि हाँ, तो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली कोड बताएँ।
(v) विद्यालय का प्रकार - सरकारी/निजी।
(vi) क्या बालक का विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन हुआ है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो विशेष प्रशिक्षण केंद्र में बालक के नामांकन की अवधि बताएँ।
(vii) क्या विशेष प्रशिक्षण केंद्र आवासीय /गैर-आवासीय था?
(viii) स्कूल छोड़ने का कारण (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएं)

पिछली कक्षा में असफलता
स्कूल की गतिविधियों में रुचि का अभाव
शिक्षकों का उदासीन रवैया
सहकर्मी समूह का प्रभाव
परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कमाना
माता-पिता का अचानक निधन
स्कूल में बदमाशी
कठोर विद्यालय का माहौल
स्कूल से अनुपस्थिति और फिर स्कूल से भाग जाना

आस-पास उचित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है।
स्कूल में दुर्व्यवहार
विद्यालय में निरादर
दैहिक दंड
अनुदेश का माध्यम
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें).....

(ix) सहपाठियों का बालक के प्रति रवैया (यदि लागू हो) .....
(x) बालक के प्रति शिक्षकों और सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो) .....
(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो).....

15. अन्य महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हों तो...

16. बालक की आदतें: (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

टीवी/फ़िल्में देखना
खेलनाइनडोर/आउटडोर खेल
पढ़ने की किताबें
चित्रकारी/चित्रकला/अभिनय/गायन
धार्मिक गतिविधियाँ
भीख मांगना
जुआ
शराब उपभोग
धूम्रपान
यदि हां, तो मादक पदार्थों के सेवन का विवरण दें।
यदि कोई अन्य जानकारी हो तो कृपया बताएं.....

17. पाठ्येतर रुचियां.....

18. उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व लक्षण.....

19. अधिकांश मित्र (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं) हैं।

शिक्षित
समान आयु वर्ग
उम्र में बड़ा
उम्र में छोटा
पुरुष
महिला
व्यसनी
कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चे

20. यदि बालक वयस्कों के साथ मित्रता रखता है, तो कृपया इसका उल्लेख करें।.....

21. बच्चों का दोस्तों के प्रति रवैया.....

22. बालक के प्रति दोस्तों का रवैया.....

23. पड़ोस के बारे में अवलोकन(बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आकलन करने के लिए).....

24. क्या बालक को किसी प्रकार की लत है?- हां/नहीं, यदि हां, तो स्पष्ट करें.....

25. यदि बालक दिव्यांग है, विशेष आवश्यकताओं से ग्रस्त है या असाध्य रोग से ग्रसित है (यदि हाँ, तो स्पष्ट करें):

A. बालक की स्वास्थ्य स्थिति

(i) श्वसन संबंधी विकार - उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

(ii) श्रवण हानि - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(iii) नेत्र रोग - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(iv) दंत रोग - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(v) हृदय रोग - उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

(vi) त्वचा रोग - उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

(vii) यौन संचारित रोग - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(viii) तंत्रिका संबंधी विकार - उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

(ix) मानसिक विकलांगता - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(x) शारीरिक अक्षमता - मौजूद / अज्ञात / अनुपस्थित

(xi) मूत्र मार्ग संक्रमण – उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

(xii) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें).....

B. क्या बालक दिव्यांग है? हां या ना? यदि हां, तो स्पष्ट करें।

(a) श्रवण बाधित

(b) वाक विकृति

(c) शारीरिक अपंगता

(d) मानसिक विकलांगता

(e) चलने-फिरने में अक्षमता

(f) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें).....।

C. क्या बालक के पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है? (यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें)

D. बालक की मानसिक स्थिति: (वर्तमान और भूतकाल).....

E. बालक की शारीरिक स्थिति: (वर्तमान और भूतकाल).....

F. क्या बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है? - हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो स्पष्ट करें:

G. क्या विशेष शिक्षा वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम में पहले से ही शामिल है: हाँ/नहीं/लागू नहीं

H. क्या बालक को किसी चिकित्सा उपकरण की आवश्यकता है या वह पहले किसी चिकित्सा उपकरण का उपयोग कर रहा है? (यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें)

I. यदि कोई पूर्व संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना हो तो उसकी जानकारी...

J. क्या बालक को विकलांगता योजनाओं के तहत कोई पेंशन मिल रही है? हां/नहीं (यदि हां, तो स्पष्ट करें).....

K. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

26. यदि बालक सड़क पर रहने वाले बच्चों/तस्करी के शिकार बच्चों/नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल बच्चों/बाल श्रम में लगे बच्चों की श्रेणी में आता है:

A. क्या बालक सड़क पर रहने वाले बच्चों की श्रेणी में आता है? हां नहीं।
यदि हां, तो स्पष्ट करें:

(i) बेघर बालक सड़कों पर अकेले रह रहे हैं

(ii) बालक दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में पास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अपने परिवारों के पास घर लौट आते हैं।

(iii) अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे:

B. समिति के समक्ष पेश किए जाने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था?

(i) अभिभावक – माता/पिता/दोनों

(ii) भाई-बहन / रक्त संबंधी

(iii) अभिभावक – संबंध

(iv) दोस्त

(v) सड़क पर

(vi) रात्रि आश्रय

(vii) अनाथालय / छात्रावास / इसी तरह के घर

(viii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें).....

C. यदि बालक में घर से भागने का इतिहास/प्रवृत्ति है। हाँ/नहीं। यदि हाँ:.....

(i) घर में अनुशासन को लेकर माता-पिता का क्या रवैया है और बालक की प्रतिक्रिया कैसी है...?

(ii) परिवार छोड़ने के कारण:

(a) माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

(b) रोजगार की तलाश में

(c) सहकर्मी समूह का प्रभाव

(d) माता-पिता की अक्षमता

(e) माता-पिता का आपराधिक रिकॉर्ड

(f) माता-पिता का अलगाव

(g) माता-पिता का निधन

(h) गरीबी

(i) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें).....

D. कृपया बताएं कि बालक कहाँ मिला था।

E. क्या बालक का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया गया है: हाँ/नहीं

F. क्या बालक कूड़ा बीनने में शामिल रहा है: हाँ/नहीं

G. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गिरोह या वयस्क समूह द्वारा किया जाता है या उसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया है: हाँ/नहीं

H. क्या बालक को किसी भी उद्देश्य से खरीदा, बेचा, प्राप्त किया या तस्करी किया गया है: हाँ/नहीं, यदि हाँ:

I. क्या बालक की तस्करी माता-पिता की जानकारी के साथ की गई थी: हाँ/नहीं

J. क्या बालक को माता-पिता/रिश्तेदारों ने बेचा था: हाँ/नहीं

यदि हां, तो क्या माता-पिता/रिश्तेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है: हां/नहीं

K. क्या बालक को मजदूर के रूप में काम पर लगाया गया था: हाँ/नहीं, यदि हाँ:

(i) जिस उद्योग में बालक कार्यरत था.....

(ii) क्या बालक को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा है: हाँ/नहीं

(a) बिना भुगतान के काम निकाला गया

(b) कम या अल्प वेतन के साथ काम की लंबी अवधि

(c) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें).....

(iii) आय के उपयोग का विवरण.....

(iv) क्या बालक को किसी प्रकार का व्यावसायिक खतरा है: हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें.....

(v) क्या नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं। यदि हां, तो मामले का विवरण दें...

(vi) बालक को दिया गया मुआवजा:

(a) अन्तरिम

(b) अंतिम

(c) बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष

L. यदि कोई पूर्व संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना हो तो...

M. क्या बालक को अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है: हाँ/नहीं

N. क्या बालक के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है, कृपया स्पष्ट करें।

O. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

27. यदि बालक को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, या वह किसी अपराध का शिकार हुआ हो:

A. क्या बालक किसी अपराध का शिकार है: हाँ/नहीं

B. बालक को जिन प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है:

(a) मौखिक दुर्व्यवहार – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)...

(b) शारीरिक शोषण - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)...

(c) यौन शोषण किसके द्वारा किया गया- (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) रक्त संबंधियों

दत्तक ग्रहण के माध्यम से रिश्तेदार विवाह के माध्यम से रिश्तेदार

☐ अभिभावक के माध्यम से ☐ रिश्तेदार, पालक देखभाल में रहने वाले व्यक्ति

एक ही या साझा घर में रहने वाला व्यक्ति

किसी भी संस्था के स्वामित्व, प्रबंधन या स्टाफ में शामिल कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सेवाएं प्रदान करता है विश्वास या अधिकार के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति

☐ अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

(d) अन्य – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

C. बालक के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रकार:

(i) भोजन से वंचित करना – माता-पिता/भाई-बहन, नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)...

(ii) निर्दयतापूर्वक पिटाई की गई – माता-पिता/ भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

(iii) चोट पहुँचाने वाले – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)...

(iv) हिरासत में लिया गया व्यक्ति - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(v) कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें).....

D. यौन शोषण के मामले में:

(i) अपराधी के साथ संबंध.....

(ii) अपराधी का लिंग.....

(iii) अपराधी की आयु.....

(iv) बालक अपराधी के संपर्क में कैसे आया...

(v) उसी स्थान का कोई अन्य बालक जिसे अपराधी द्वारा दुर्व्यवहार/उत्पीड़न/अपहरण/भेजा गया हो...

(vi) क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था?

(vii) क्या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक को किसी मुआवजे की सिफारिश की गई है: हां/नहीं।

यदि कोई अन्य कारण हो तो कृपया स्पष्ट करें.....

E. पुलिस द्वारा दर्ज मामला/एफआईआर: हां/नहीं। यदि हां, तो मामला संख्या/एफआईआर संख्या बताएं।

F. क्या बालक साइबर-बुलीइंग का शिकार हुआ है: हाँ/नहीं। यदि हाँ:

(i) घर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा।

(ii) स्कूल में इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा।

(iii) घर से स्कूल की कक्षाएं अटेंड करते समय साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा।

G. क्या बालक को परामर्श दिया गया है: हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें.....

H. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

I. यदि कोई पूर्व संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना हो तो...

28. यदि बालक बाल विवाह का शिकार है या विवाहित है:

A. पति/पत्नी का नाम.....
B. जीवनसाथी की आयु.....\

C. विवाह की तिथि (दिन/माह/वर्ष).....

D. विवाह - स्थल.....

E. बालक का विवाह कराने के कारण.....

F. बालक की शादी करवाने में शामिल लोग- i. माता-पिता ii. रिश्तेदार iii. अन्य लोग।

G. यदि अन्य विकल्प हों, तो कृपया स्पष्ट करें.....

H. क्या पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

I. यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण दें.....

J. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

29. क्या बालक को स्वदेश वापस भेजना आवश्यक है: हाँ/नहीं। यदि हाँ: (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएँ)

a. अंतर-जिला प्रत्यावर्तन

b. अंतर-राज्य प्रत्यावर्तन

c. अंतर-देशीय प्रत्यावर्तन

जांच में प्रेक्षण

30. भावनात्मक कारक.....

31. शारीरिक स्थिति.....

32. सामाजिक और आर्थिक कारक.....

33. समस्याओं के संभावित कारण.....

34. मामले का विश्लेषण, जिसमें अपराध के कारणों/सहयोगी कारकों का विवरण शामिल है...

35. बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के कारण..... .....

36. जिन विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया उनकी राय.....

37. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का आकलन.....

38. बालक को जीवित माता-पिता/रिश्तेदारों/अभिभावक को वापस सौंपने के लिए जोखिम विश्लेषण.....

39. यदि कोई पूर्व संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना हो तो उसका विवरण...

40. बालक के मनोवैज्ञानिक सहयोग, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता की अनुशंसा और सुझाया गया प्लान.....

हस्ताक्षर
(नियुक्त व्यक्ति का)

प्ररूप 23

[नियम 19(22)]

बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन

सेवा में, तारीख

.....

बाल कल्याण समिति,

जिला.....

मैं/हम .....(आवेदक/आवेदकों का नाम) .....(बालक से संबंध) ..... वर्ष की आयु का है का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष ..... (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है क्योंकि .....(अभ्यर्पण के कारण) ।

मैं/हम पूरी तरह सचेत होकर बाल कल्याण समिति के समक्ष यह आवेदन कर रहा हूँ/ रहे हैं ।..... (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर या अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है। यदि बालक को दत्तक ग्रहण में दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से में पूरी तरह अवगत हूँ ।

नाम और पता।
हस्ताक्षर .....
समिति उचित समझे

आवेदक(कों) के पूर्ण अंगूठे का निशान (यदि बाल कल्याण

(अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर)
जिनके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है)
समिति के उपस्थित सदस्य:.....

दिनांक.....

समय.....

स्थान.....

प्ररूप 24

[नियम 19(22)]

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति द्वारा घोषणा

मामला संख्या.....

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी..... पारिवारिक नाम/प्रथम नाम.....निवासी.....कारणों से .....वर्ष के बालक (नाम).....जिसकी जन्म तिथि.....है, को अभ्यर्पित करते हैं:

(ii) मैं/हम अपने बालक या बच्चों को स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव, विवशता, धमकी, भुगतान, प्रतिफल या किसी भी प्रकार के मुआवजे के बिना अभ्यर्पित कर रहा हूँ /रहे हैं।

(iii) मुझे/हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60वें दिन तक अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अपरिवर्तनीय हो जाएगी और बालक या बच्चों पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं रहेगा।

(iv) मुझे/हमें अभ्यर्पण के निहितार्थों से अवगत कराया गया है और हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अभ्यर्पण विलेख की तिथि से 60वें दिन के बाद, मेरे/हमारे बालक या बच्चों और मेरे/हमारे बीच कानूनी माता-पिता-बालक का संबंध समाप्त हो जाएगा।

(v) मैं/हम समझता हूं /समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक को भारत या विदेश में रहने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है और मैं/हम इस उद्देश्य के लिए अपनी सहमति देते/देते हैं।

(vi) मैं/हम समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक को दत्तक ग्रहण लेने वाले माता-पिता के साथ एक स्थायी माता-पिता-बालक का रिश्ता स्थापित हो जाएगा और उसके बाद बालक को वापस नहीं लिया जा सकता है।

(vii) मैं/हम चाहता हूं /चाहते हैं/नहीं चाहता हूं / नहीं चाहते हैं (कृपया जो भी लागू हो उस पर निशान लगाएं) कि मेरी/हमारी पहचान और पता मेरे/हमारे बालक को तब बताया जाए जब वह मूल खोज के लिए वापस आए।

(viii) मैं/हम घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।

..... बजे ..... को संपन्न हुआ

[हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान]
अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों]

2. गवाहों द्वारा घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है ।

(a) प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता

.....

.....

(b) दूसरे गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता

.....

.....

3. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर नामित या पहचाने गए व्यक्ति और गवाह (गवाहों) ने आज दिनांक को मेरे समक्ष उपस्थित होकर हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।

..... को ..... में संपन्न किया गया

बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

———

प्ररूप 25

[नियम 19(29)]

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के अधीन .....बाल कल्याण समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति के आदेश संख्या .....दिनांक..... द्वारा विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखभाल संस्था (नाम एवं पता) की देखरेख में रखा गया बाल ..... जन्म तिथिको निम्नलिखित आधारों पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए योग्य घोषित किया जाता है:

- परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/मामला कार्यकर्ता/अन्य (जैसा भी मामला हो) की जांच रिपोर्ट;

- बालक के जैविक माता-पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा इस समिति के समक्ष (दिनांक) को निष्पादित समर्पण पत्र;

- जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित बाल देखभाल संस्था या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40(1), नियमों और दत्तक ग्रहण विनियमों के तहत अपेक्षित बहाली के प्रयास किए हैं, लेकिन उक्त घोषणा की तिथि तक किसी ने भी बालक को जैविक माता-पिता या कानूनी संरक्षक के रूप में दावा करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि:

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक, जहां भी उपलब्ध हों, को परामर्श दिया गया है और उन्हें उनकी सहमति के प्रभावों के बारे में विधिवत सूचित किया गया है, जिसमें बालक या बच्चों को गोद लेने के लिए देना भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो जाएगा;

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक ने आवश्यक कानूनी रूप में स्वेच्छा से अपनी सहमति दी है, और यह सहमति किसी भी प्रकार के भुगतान या मुआवजे के बदले में नहीं ली गई है, और माता की सहमति (जहां लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी गई है।

जिस विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखभाल संस्था को उपर्युक्त बालक को सौंपा गया है, वह बालक की तस्वीर और अन्य आवश्यक विवरण CARINGS में प्रकाशित करेगी और अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण के लिए नियुक्त करेगी।

हस्ताक्षर

समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण

(बाल कल्याण समिति की मुहर)

दिनांक:.....

स्थान :.....

सेवा में: बाल देखभाल संस्था/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी/संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई – सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।

हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक:

———

प्ररूप 26

[नियम 20(1)]

समिति द्वारा मामले की मॉनिटरिंग के लिए प्रमाण- पत्र

मामले की मॉनिटरिंग के लिए प्रमाण- पत्र

(एक से अधिक बालक होने की स्थिति में अलग-अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है)

बाल कल्याण समिति, जिला.....

मामला संख्या .....के संबंध में

मामले का नाम:

<table>
<tr><td colspan="2">पुलिस स्टेशन .....
धाराएं .....</td><td colspan="2">तारीख.....
एफआईआर/जीडी/डीडी नंबर
.....</td></tr>
<tr><td colspan="2">परिवीक्षा अधिकारी का नाम.....</td><td colspan="2">जांच अधिकारी का नाम .....</td></tr>
<tr><td colspan="4">बालक का विवरण</td></tr>
<tr><td>नाम</td><td>माता-पिता/संरक्षक
संपर्क नंबर सहित</td><td>वर्तमान पता</td><td>स्थायी पता</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय प्रथम प्रस्तुति की तिथि और समय
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के तहत चिकित्सा परीक्षण की तिथि (यदि कोई हो)
आयु निर्धारण अपराध की तिथि को आयु का निर्धारण की तिथि आयु निर्धारण लिया गया समय निर्धारणकर्ता समिति जिन साक्ष्यों पर निर्भर किया गया: दस्तावेज़ चिकित्सा

बालक का स्थापन	
बाल गृहों में	के पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्था का नाम)
.....से.....तक	

जांच प्रगति

(मामले के निपटारे के लिएप्रथम पेशी के दिन की समय अनुसूची)

कार्यवही	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
आयु निर्धारण	तारीख	
सामाजिक जांच रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 22)	तारीख	
आगामी जांच के प्रावधानों पर रिपोर्ट (यदि कोई हो)	तारीख	
बालक का बयान	तारीख	
व्यक्तिगत देखभाल योजना (संस्थागत देखभाल में रखे गए बालक के मामले में, प्रवेश के एक महीने के भीतर व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाए)	तारीख	
निपटान (अंतिम) आदेश	तारीख	
निपटान आदेश के बाद की समीक्षा	तारीख	

हस्ताक्षरकर्ता
बाल कल्याण समिति

प्ररूप 27

[नियम 21(2) और 22(2)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण हेतु आवेदन

1. बाल देखभाल संस्थान चलाने का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण:

   (i) संस्था का प्रकार .....

(ii) संस्था/संगठन का नाम.....

(iii) संबंधित अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन का पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण तिथि (अनुलग्नक - पंजीकरण संबंधी प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संस्था का ज्ञापन)

(iii a) दर्पण आईडी संख्या.....

(iv) संस्था/संगठन चलाने की वैधता अवधि.....

(v) आवेदक/संस्था/संगठन का पूरा पता.....

(vi) एसटीडी कोड/ टेलीफोन नंबर.....

(vii) एसटीडी कोड/फैक्स नंबर.....

(viii) मेल पता.....

(ix) क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है? यदि हाँ, तो अन्य राज्यों में स्थित इसकी शाखाओं के पते दीजिए।

(x) क्या संस्था/संगठन को पहले पंजीकरण से वंचित किया गया था?हां नहीं

(xi) उस आवेदन का संदर्भ क्रमांक जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई के रूप में पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

a) अस्वीकृति की तिथि.....

b) किस विभाग ने पंजीकरण अस्वीकार किया है?

(xii) सीसीआई के रूप में पंजीकरण अस्वीकार करने का कारण.....

2. प्रस्तावित बाल देखभाल संस्थान का विवरण

(i) प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था का नाम.....

(ii) बाल देखभाल संस्था का प्रकार.....

(iii)प्रस्तावित बाल देखभाल संस्था या संगठन का पूरा पता/स्थान

(iv)एसटीडी कोड/ टेलीफोन नंबर.....

(v) एसटीडी कोड /फैक्स नंबर.....

3. मेल पता.....

4. संपर्क (प्रस्तावित बाल देखभाल संस्थान का नाम और उससे दूरी):

(i) मुख्य सड़क.....

(ii) बस स्टैंड.....

(iii) रेलवे स्टेशन.....

(iv) कोई भी महत्वपूर्ण स्थल.....

5. आधारभूत संरचना

(i) कमरों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें).....

(ii) शौचालयों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें).....
(iii) रसोईघरों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें) .....

(iv) बीमारों के कमरों की संख्या.....

(v) अनुलग्नक - भवन के ब्लूप्रिंट की प्रति (भवन का प्रामाणिक रेखाचित्र)...

(vi) अप्रत्याशित आपदा से निपटने की व्यवस्था में की गई व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख करें:

(i) आग

(ii) भूकंप

(iii) कोई अन्य व्यवस्था

(iv) पीने के पानी की व्यवस्था

(v) स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने की व्यवस्था:

(vi) कीट नियंत्रण

(vii) अपशिष्ट निपटान

(viii) रखने का क्षेत्र

(ix) कोई अन्य व्यवस्था

(x) किराया समझौता/भवन रखरखाव अनुमान (जो भी लागू हो) (अनुलग्नक - किराया समझौते की प्रति)

6. संस्था/संगठन की क्षमता

i. गृह में उपस्थित बच्चों (0-6 वर्ष) की संख्या (यदि कोई हो)

ii. गृह में उपस्थित बच्चों (6-10 वर्ष) की संख्या (यदि कोई हो)

iii. गृह में उपस्थित बच्चों (11-15 वर्ष) की संख्या (यदि कोई हो)

iv. गृह में उपस्थित बच्चों (16-18 वर्ष) की संख्या (यदि कोई हो)

v. गृह में उपस्थित व्यक्तियों (18-21 वर्ष) की संख्या (यदि कोई हो)

7. क्या बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड को संस्था में रखे गए बच्चों के बारे में सूचित किया गया है? हां नहीं

8. उपलब्ध सुविधाएं

(i) शिक्षा सुविधा.....

(ii) स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था, जांच की आवृत्ति, प्रस्तावित जांचों के प्रकार...

(iii) कोई भी अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी

9. स्टाफ

(i) कर्मचारियों की विस्तृत सूची.....

(ii) कर्मचारियों की शिक्षा एवं अनुभव .....

(iii) भागीदार संगठनों के नाम

(iv) संगठन के प्रमुख पदाधिकारी का नाम

10. आवेदक (संस्था/संगठन) की पृष्ठभूमि

(i) पिछले दो वर्षों में संगठन की प्रमुख गतिविधियाँ
(वार्षिक रिपोर्ट की अनुलग्न प्रति)

(ii) संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (अनुलग्नक - वार्षिक बैठक का प्रस्ताव) प्रस्तुत है।

(iii) संगठन की संपत्तियों/बुनियादी ढांचे की सूची

(iv) यदि संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (अनुलग्नक – पंजीकरण प्रमाण पत्र)

(v) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी योगदान का विवरण (अनुलग्नक - संबंधित दस्तावेज)

(vi) अनुदान सहायता निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) योजना/परियोजना के नाम, उद्देश्य, राशि आदि सहित (अलग-अलग) प्रस्तुत करें।

(vii) एजेंसी के मौजूदा बैंक खाते का विवरण, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या शामिल हो।

(viii) क्या एजेंसी प्रस्तावित अनुदान के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने पर सहमत होगी?

(ix) अनुलग्नक - पिछले तीन वर्षों के खातों की फोटोकॉपी:

i.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
ii.	आय और व्यय लेखा
iii.	प्राप्ति और भुगतान लेखा
iv.	संगठन की तुलन-पत्रक

मैंने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2016 को पढ़ और समझ लिया है।

मैं घोषणा करता हूं कि संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही वह किसी अनैतिक कृत्य, बाल शोषण या बाल श्रम के किसी भी कृत्य में शामिल रहा है, और यह कि संगठन को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

.....(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 के तहत बाल देखभाल संस्था के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

मैं इस संबंध में केंद्र/राज्य अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर: .....

नाम:.....

पदनाम:.....

पता.....

जिला.....

दिनांक.....

कार्यालय की मुहर:

हस्ताक्षर:

गवाह संख्या 1: .....

गवाह संख्या 2: .....

———

प्ररूप 28

[नियम 21(3) और 22(4)]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत)

प्रपत्र 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच के बाद, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत बाल देखभाल संस्था के रूप में पंजीकरण संख्या ..... प्रदान की जाती है, जो ..... से ....वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है।

.....बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

.....20 का ..... दिन

(हस्ताक्षर)
मुहर

नाम एवं पदनाम .....

———

प्ररूप 29

[नियम 22(9)]

जिला बाल संरक्षण इकाई को मुक्त आश्रय द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट

1. मुक्त आश्रय का नाम.....
2. प्रभारी का नाम .....
3. पंजीकरण संख्या.....।
4. मुक्त आश्रय का पता.....
5. रिपोर्ट की अवधि.....
6. .....को उपलब्ध बच्चों का ब्यौरा

क्र. सं.	बाल/बालिका नाम	पिता का नाम	बाल/बालिका पता, यदि उपलब्ध हो	प्रवेश तिथि	दाखिले के कारण	रहने की अवधि	उपलब्ध सुविधाएँ	सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत (हां /नहीं	टिप्पणी, यदि कोई हो

7. माह के दौरान भर्ती हुए बच्चों की कुल संख्या.....

8. माह के आखिरी दिन मुक्त आश्रय में बालकों की कुल संख्या...

9. माह के दौरान खुले आश्रय की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की कुल संख्या .....

10. इनमें से उन बालकों की संख्या जिन्होंने महीने में केवल दिन के समय ही सेवाओं का लाभ उठाया: .....

हस्ताक्षर

मुक्त आश्रय का प्रभारी

प्ररूप 30

[नियम 23(9)]

संभावित पालक माता-पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख -
आधार कार्ड संख्या : -सामाजिक कार्यकर्ता का नाम -

घर पर दोरे की तारीख -

संभावित पालक माता-पिता द्वारा प्रारूप भाग -1 भरा जाएगा और भाग-2 का शेष हिसा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित गोद लेने वाले /पालक माता-पिता की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिपनियों साथ एक मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भर जाएगा ।

भाग-I: स्व-मूल्यांकन

A. संभावित पालक माता-पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी

पालक माता-पिता का विवरण	
पूरा नाम	
जन्म तिथि एवं आयु	
जन्म स्थान	

ईमेल आईडी सहित पूरा पता (वर्तमान और स्थायी पता)	
पहचान प्रमाण	
धर्म	
भाषा(एँ)	
विवाह की तिथि	
वर्तमान शैक्षणिक योग्यता	
रोजगार/व्यवसाय	
वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम और पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य स्थिति	

b. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी:

(1) निमनलिखित सूचनाओ के साथ संभावित पालक माता-पिता की सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें।

आवेदक/कों के माता-पिता के बारे में विवरण		
	पिता	**माँ**
पूरा नाम		
आयु		
राष्ट्रीयता/नागरिकता		
व्यवसाय		
पूर्व व्यवसाय		
वर्तमान निवास		

(2) कृपया अपने संबंधित सभी बच्चों (गोद लिए और जैविक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षिक स्थिति (किंडरगार्टन, प्राथमिक विद्यालय आदि) और जन्मतिथि का ब्योरा देकर नीचे दी गई तालिका को पूरा करे

बच्चे का नाम	**लिंग**	**जन्म तिथि**	**शैक्षिणीक स्थिति**

(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हो , तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करे ।

नाम	**संबंध का स्वरूप**	**आयु**	**लिंग**	**व्यवसाय**

(4) कृपया यह बताएं कि आपका पालक देखभाल सम्बन्धी व्ययहार परिवार के सदस्यों (दादा- दादी , रिश्तेदारो और अन्य लोगों) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा ।

B. व्यवसाय /रोजगार का विवरण (पिछले 5 वर्षों की व्ययवसायिक जीविका):

पालक पिता			
संगठन	नियोक्ता का विवरण (नाम और पता)	कार्य पद / स्थिति	से तक

पालक माता			
संगठन	नियोक्ता का विवरण (नाम और पता)	कार्य पद / स्थिति	से तक

D वित्तीय स्थिति:(अपनी आय के सभी स्रोतों जैसे बचत, निवेश, व्यय और देनदारियों और ऋणों आदि का प्रलेखों सहित संक्षिप्त विवरण सहायक दस्तावेजों सहित दें).....

E घर और आस-पड़ोस का विवरण:(घर में जगह की स्थिति का विवरण और पड़ोसियों से संबंध)

(1)आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के खेलने की जगह की उपलबधता बताए .....

(2)कृपया उस पड़ोस का उलेख करे जहां आप रहते है और उस पहलू को भी शामिल करे जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हो ।

F. पालक माता पिता का देखबाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन:

(1) कृपया उन शब्दों पर घेरा लगाएं जिन्हे आप उस दृष्टि से सर्वोतम मानते हो की जिस वजह से पालन पोषण देखबाल करना चाहते है : यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते हैं:

a) अपने अन्य बच्चों के लिए एक साथी उपलब्ध करवाना ;

b) बच्चे को खुशहाल घर प्रदान करें;

c) अन्य (कृपया उल्लेख करें .....।

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोतम मानते हो कि फॉस्टर देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा । यदि लागू हो, तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते हैं:

a) वे अकेलापन कम महसूस करेंगे ;

b) वे अधिक उदार बन सकेंगे :

c) वे अधिक सुस्पषट बनेंगे;

d) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं है;

e) अन्य (कृपया करें_____

G. पालन पोषण देखबाल के प्रति दादा- दादी/ परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और अन्य महत्वपूर्ण महानुभावों का व्ययवहार:(पालन पोषण के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की राय का वर्णन करे जो बच्चों के आगे की बढाने प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो)……

H. बच्चे के लिए संभावित पालक माता-पिता की भावी योजना और परिवार में पालन-पोषण

a. कृपया उल्लेख करे कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसी काम – काज आदि की केसे व्यवस्था करेंगे ।

b. जब आप काम पर हों या परिवार के काम से घर बाहर हो, तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कोन लेगा (घरेलू सहायक, दादा-दादी, पति/पत्नी)?

c. कृपया पिता के रूप में स्व अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करें।

d. अगर पालन- पोषण बच्चे को परिवार में तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बैठाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करे ।

e. अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में दिक्कत बनी रहती है , तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय करने के लिए तैयार होंगे ।

(क) हाँ (ख) नहीं

f. क्या आप पोषित बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के वितिय सहायता हेतु तत्पर है ?

(क) हाँ (ख)) नहीं

I. तैयारी और प्रशिक्षण: (विचार- विनिमय के उन सत्रों का ब्योरा दे जो फॉस्टर देखबाल, बाल देखभाल, बच्चों की जरूरतों को इंतजाम करने आदि और उनकी क्षमता, प्रशिक्षण और/ अनुभव या उनकी जरूरतों यदि कोई हो , सहित पर संभावित पालक माता पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो ।)

J. स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक भावनात्मक और शारीरिक): (कृपया आवेदक/आवेदकों, यदि कोई हो, कि मानसिक भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई विवरण दे , अगर परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करे कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और कैसे प्रस्तावित फॉस्टर देखभाल को प्रभावित कर सकता है।)

(1) क्या आप या आपकी/ आपके पति - पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे है ? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।

(2) क्या आप या आपकी/ आपके पति - पत्नी इस समय मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे है?

(3) क्या आप वर्तमान में कोई निर्धारित दवा ले रहे हैं?

(4) क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का चिकित्सीय इलाज चल रहा हैं?

(5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और अस्पताल में रहने का बीमा है?

संभावित माता-पिता के हस्ताक्षर
तारीख

भाग-II:

सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाना है)

(अभिकरणों /प्राधिकारियों द्वारा इस प्रारूप में दी गई सूचना / तथ्यों को गोपनीय रखा जाएगा।)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन

(i) क्या आपने टेम्पलेट के भाग -I में उल्लिखित तथ्यों /विषय वस्तु की जांच कर ली है?

हां नहीं

(ii) क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरों व साक्षात्कार के समय टिपनियों से संतुष्ट हैं?

हां नहीं

2. मनोसामाजिक मूल्यांकन:

2.1 संभावित माता – पिता से विचार-विमर्श –

(i) क्या आपने संभावित पालक माता-पिता से अलग- अलग और संयुक्त रूप से विचार विमर्श किया है?

(ii) क्या संभावित पालक माता-पिता बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं?

2.2 घर के दौरे के लिए निष्कर्ष

(i) संभावित पालक माता-पिता के घर का आपने कब दौरा किया था ?और आपके दौरे के दौरान कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे?

(ii) घर के दौरान आपने किन-किन लोगों से बातचीत की?

(iii) क्या आपने किसी पड़ोसी/रिश्तेदार से मुलाकात की ? कृपया विचार – विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें?

(iv) क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है**?**

(v) **(**क्या संभावित पालक माता-पिता पालन-पोषण

(vi) क्या संभावित पालक माता-पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुरे के बारे कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?

2.3 परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत

(i) (क्या आपने संभावित पालक माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श किया है? उनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के चारे में क्या राय है? क्या ये पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?

(ii) क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है/हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता था। यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही? उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे।

(iii) क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता के बारे में बातचीत की है? यदि हां तो उसका विवरण दें।

(iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियां तो नहीं सुनी? यदि हां तो पालन-पोषण प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

(i) पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं?

(ii) क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद हुई वित्तीय स्थिति पायी?

(iii) क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं?

2.5 शारीरिक और भावनात्मक क्षमता

(i) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता बालक की देखभाल करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं?

(ii) क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है जिससे संबंधित बालक पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हां तो उसका विवरण दें।

(iii) क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालक की देखभाल करने में भावात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?

3 पालक पोषण के लिए सिफारिश

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश हैं। पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के लिए सिफारिश संबंधी अपने विचार और तर्क का करें।

3.2 यदि आप देखभाल करने के लिए पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएं।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और सरकारी मुहर

प्ररूप 31

[नियम 23(4)]

बाल अध्ययन रिपोर्ट

बाल अध्ययन रिपोर्ट		
क्रमांक	**मद**	**प्रत्युतर**
1	मूल्यांकन की तिथि	
2	निर्दिषट करने का स्रोत	
3	बालक की तस्वीर को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए।	
बालक का ब्योरा		
4	बालक का नाम	
5	जन्म तिथि	
6	जन्म स्थान	
7	आयु	
8	राष्ट्रीयता	
9	धर्म	
10	शिक्षा	
11	मातृभाषा	
12	वर्तमान पता	
13	आधार कार्ड नंबर	
14	सम्पर्क करने का विवरण a) लैंडलाइन नंबर b) मोबाईल	

15	यदि बालक किसी संस्थान से है तो उसके प्लेसमेंट का विवरण । a) स्थापन की तिथि b) बालक का नाम और स्थायी पता c) परिवार छोड़ने का कारण	बालक को दतक ग्रहण नहीं दिया गया है।
16	यदि बालक समुदाय से है तो उसे रखने का कारण	माता या दोनों माता-पिता जेल में हैं माता-पिता लंबे समय से बीमार हैं परिवार में होने वाली समस्याएं (जैसे मादक पदार्थों का सेवन, घरेलू हिंसा आदि) माता-पिता अलग होने की प्रक्रिया में हैं माता-पिता कानूनी हिरासत विवाद की प्रक्रिया में हैं प्राकृतिक आपदा अन्य

मैं ..... सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता/करती हूँ कि बाल ..... के बारे में इस प्रारूप में दी गई जानकारी सही है।

.....सही है।

हस्ताक्षर:

जगह : **नाम:**

तारीख : **पद का नाम:**

प्ररूप 32

[नियम 23(15)]

परिवार के पालन -पोषण के लिए सम्बन्धी देखभाल अथवा सामूहिक पालन –पोषण सम्बन्धी देखभाल का आदेश

श्री..... तथा श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री (नाम और पता) .....लगभग आयु..... है .....को किसी परिवार की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। श्रीमान..... और श्रीमती.....निवासी (पूरा पता और संपर्क नंबर).....को व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह

अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण सम्बन्धी देखभाल में रखने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

या

बाल देखरेख संस्था (नाम और पता).....को व्यक्तिगत देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बालक के पालन –पोषण सम्बन्धी देखबाल साथपन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बाल (नाम)..... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम और संपर्क)..... की देखरेख में ..... समय के लिए पालन- पोषण देखबाल में स्थापन किया जाता है।

———

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य

प्ररूप 33

[नियम 23(16)]

पालन -पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन –पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा दिया गया वचन

मैं/हम ..... निवासी ,मकान संख्या ..... गली.....गांव शहर.....जिला .....राज्य ...../ संघठन द्वारा ..... पता पर चलाए जा रहे पालन-पोषण देखरेख गृह से संबंधित देख रेख प्रदता एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम निमानलिखि नियम और शर्तों के अधीन बाल कल्याण समिति .....के आदेशों के अनुसार .....(बालक का नाम ..... आयु.....) की देखरेख की जिम्मेदारी लेने के लिए का तैयार/तैयार हूँ/हैं। :

i. यदि बालक का व्यवहार असंतोषजनक हुआ तो मै / हम तुरंत समिति को सूचित करेंगे/करूंगा /करूंगी ।

ii. जब तक उक्त बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा,तब तक मैं/हम उसके कल्याण और शिक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे/करेंगे और उसके भरण-पोषण के लिए उचित व्यवस्था करेंगे/करेंगे।

iii. यदि वह बीमार हो जाता है, तो उसे निकटतम अस्पताल में उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी और इसकी रिपोर्ट के साथ एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. मैं/हम पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करेंगे।

v. मैं/हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि बालक को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार न होना पड़े।

vi. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

vii. मैं/हम आवश्यकता पड़ने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

iii. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तुरंत समिति को सूचित करने का वचन देता/ देती हूँ /देते हैं ।

दिनांक .....दिन .....

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता **आवेदक(कों) के हस्ताक्षर**

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

———

प्ररूप 34

[नियम 23(17)]

पालन –पोषण देखरेख में रखे गए बालक का अभिलेख

a) केस नंबर.....

b) बालक का नाम.....

c) आयु.....

d) लिंग.....

e) बाल देखरेख संस्थान का नाम और पता, यदि कोई हो , जहाँ से बालक को पालन – पोषण देख रेख में दिया गया है..... ।

f) व्यक्तिगत देखभाल योजना

g) सिफारिश का कोई अन्य स्रोत.....

h) पालन- पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का विवरण, जिसमें बालक की तस्वीर, पालन- पोषण माता-देखरेख प्रदाता /माता- पिता/अभिभावक, जैविक माता-पिता (यदि उपलब्ध हों) का ब्योरा .....।

i) प्लेसमेंट का विवरण - प्लेसमेंट की तिथि और अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख .....

j) यदि लागू हो तो जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट, जिसमें फोटो भी शामिल हो।

k) फोटो सहित पारिवारिक- व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन – पोषण देख रेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट

l) बाल अध्ययन रिपोर्ट

m) बाल कल्याण समिति का पता

n) बालक को पालन- पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण

o) बच्चे, पालन – पोषण करने वाला परिवार, जैविक परिवार (यदि उपलब्ध हो) के साथ किए गए और बालक के साथ हुई प्रत्येक मुलाकात का रिकॉर्ड (संख्या और महत्वपूर्ण विवरण) ।

p) बालक की नियुक्ति से संबंधित सभी समीक्षाओं का रिकॉर्ड, जिसमें अवलोकन, देखभाल योजना के अनुपालन की सीमा और गुणवत्ता, बालक के विकासात्मक पड़ाव, बालक की शैक्षणिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन शामिल हैं।

q) साथपन का विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में , समाप्ति की तिथि और कारण का रिकॉर्ड ।

r) पालन- पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को सौंपे जाने की तिथि:

s) यदि कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो तो वह अवश्य दें।

t) नियुक्त केस वर्कर का नाम

———

प्ररूप 35

[नियम 23(18)]

पालन –पोषण करने वाले परिवारों / समूह पालन – पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण

(जो लागू हो उसे भरे)

विज़िट की तारीख़:

a) नाम :

b) जन्म तिथि एवं आयु :

c) लिंग

d) नियुक्ति की तिथि

नवीनतम तस्वीर लगाए)

पालक माता-पिता का विवरण

a) पालक माता-पिता के नाम

b) पता

c) सम्पर्क करने का विवरण

i) लैंडलाइन

ii) मोबाईल :

d) आधार कार्ड नंबर:

(हाल की तस्वीर संलग्न करें)

(हाल की तस्वीर संलग्न करें)

e) माता-पिता की तस्वीर

3. पालक बालक के साथ बातचीत

ए)	परिवार का एक हिस्सा होते हुए बालक का अनुभव (क्या बालक की शारीरिक, भावनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी उचित देखभाल के संदर्भ में) वर्णन करें 1. स्वास्थ्य संकेतक क . स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ख . बीमारी का कोई भी रिकॉर्ड ग . बालक का कोई अन्य उपचार चल रहा हो घ . भावनात्मक	☐ खुश और सुव्यवस्थित ☐ समायोजित करने की प्रक्रिया में ☐ कुसमंजीत
बी)	बालक अपनी पढ़ाई में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? (i) बालक द्वारा पिछली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों/ग्रेड के संदर्भ में जांच करें। (ii) पालन- पोषण करने वाले माता –पिता	हाँ ☐ नहीं ☐ कभी-कभी ☐
	बालक से उसकी पढ़ाई और पाठ्येतर गतिविधियों के बारे में बातचीत करना। (iii) क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) की बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ ☐ नहीं ☐ कभी-कभी ☐
सी)	i) माता-पिता (पालन – पोषण करने वाले) बालक के साथ अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं? iii) क्या पोशाक बालक अपने पालन –पोषण करने वाले माता-पिता के साथ घर, स्कूल, पड़ोस में या भावनात्मक रूप से नाखुश होने जैसी समस्याओं को साझा करता है?	☐ वार्तालाप करते समय ☐ भोजन करते ☐ खेलते समय ☐ टीवी देखते ☐ स्कूल जाते ☐ साथ में होमवर्क करना ☐ अन्य (स्पष्ट करें) हाँ, ☐ नहीं ☐ कभी-कभी ☐

डी)	क्या बालक को पालन –पोषण करने वाले माता-पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है ? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते है)	☐ हाँ ☐ नहीं कभी- ☐
ई)	क्या कोई ऐसी घटना घटी है जिससे पालक बालक को भेदभाव का एहसास हुआ हो?	
फ)	क्या कोई ऐसी घटना /घटनाए हुई है जिससे आपको असहज महसूस हुआ हो? i) वह तरीका जिससे आपको पालन – पोषण करने वाले माता- पिता / बड़े भाई-बहन/या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने आपको छुआ हो। ii)वार्तालाप जो पालन- पोषण करने वाले माता-पिता /बड़े भाई-बहन/परिवार के किसी अन्य सदस्य ने आपसे की हो iii) आपको जो भी सामग्री - दृश्य, मुद्रित सामग्री - देखने या पढ़ने के लिए मजबूर किया गया हो। iv) क्या आप कभी यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं?* *यदि उत्तर "हां" है, तो बालक को तुरंत वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए और उसे चिकित्सा एवं मनोसामाजिक चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए। ** पालन पोषण- देखरेख प्रदान करने वालों और अभीभवकों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाए। *** क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो जैविक बालक को भी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ।	☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं ☐ हां ☐ नहीं
जी)	क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों या मुलाकातों के माध्यम से)? स्पष्ट करें	हाँ ☐ नहीं ☐
एच)	क्या आपको पालन- पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?	हाँ ☐ नहीं ☐
मैं)	क्या आपसे कभी इस तरह से बात की गई है जिससे आपको अपमानित महसूस हुआ हो?	हाँ ☐ नहीं ☐
जे)	क्या आपसे घरेलू काम करवाया जाता हैं?	हाँ ☐ नहीं ☐
क)	क्या पालन – पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों से भी वही घरेलू काम करवाया जाता है?	हाँ ☐ नहीं ☐

5. पालन – पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बातचीत

ए)	परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मकहित) के बारे में माता-पिता की विचार	☐ खुश और सुव्यवस्थित ☐ समायोजन की प्रक्रिया में कुसमायोजित ☐
बी)	घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके तालमेल के बारे में उसकी धारणा	☐ खुश और सुव्यवस्थित ☐ समायोजन की प्रक्रिया में ☐ असमान
सी)	आप बालक को अनुशासित कैसे करते हैं?	☐ बालक को संजकर डांटकर ,दंड देकर ☐ बालक को पीटकर ☐ अन्य तरीके (स्पष्ट करें) ☐
डी)	वे कौन से व्यवहारिक लक्षण हैं जो चिंताजनक हैं और माता-पिता के रूप में आप उनसे कैसे निपटते हैं?	☐ ☐ सहयोग का अभाव ☐ समायोजन की कमी ☐ अंतर्मुखी ☐ आक्रामक
		☐ संवादशील नहीं ☐ कोई और
ई)	क्या आप गोद लिए हुए बालक और अपने जैविक बच्चों के साथ समय बिताते हैं? वर्णन कीजिए।	☐ हाँ नहीं ☐ कभी-कभी
एफ)	बालक की शिक्षा और अन्य प्रतिभाओं की प्रगति पर विचार i) बालक स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो क्या आप इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं? (क) बालक से ख) विद्यालय शिक्षक iii) क्या आप पीटीए की बैठकों में भाग लेते हैं?	☐ हाँ ☐ नहीं ☐ नहीं ☐ हाँ ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ कभी-कभी
जी)	क्या पालक माता-पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते हैं?	☐ हाँ ☐ नहीं कभी-कभी ☐

एच)	बालक पालक माता-पिता के निर्णयों के प्रति अपनी सहमति/असहमति कैसे व्यक्त करता है?	☐ इस निर्णय को खुशी से स्वीकार करें ☐ निर्णय स्वीकार हैं लेकिन नाखुश हैं ☐ निर्णय को मानने से इनकार करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना।
मैं)	क्या पालक माता-पिता बालक के सोशल नेटवर्क से अवगत हैं?	☐ हाँ ☐ नहीं
जे)	बच्चों के पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों और शिक्षकों के साथ सामाजिक संबंधों पर विचार।	☐ अच्छा और नियमित संवाद ☐ आवधिक अंतःक्रियाएँ
क)	बालक के लिए उनकी क्या योजना है? (नोट कर लें)	
एल)	क्या पालक बालक अपने मूल परिवार से संपर्क बनाए रखता है? (टेलीफोन, पत्रों, मुलाकातों के माध्यम से)। स्पष्ट करें	☐ हाँ ☐ नहीं ☐ कभी-कभी
एम)	अभिभावक के रूप में पालक बालक के बैंक खाते का प्रबंधन कौन करता है?	

6. पालक माता-पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत:

ए)	वे लोग पालक बालक के साथ मिलकर जो काम करते हैं	☐ भोजन करना ☐ खेलनाटीवी ☐ देखना ☐ स्कूल जाना, होमवर्क करना ☐ एक साथ
बी)	क्या उनके और गोद लिए हुए बालक के बीच कोई झगड़ा या लड़ाई होती है? यदि हाँ, तो कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे सुलझाते हैं? कृपया लिख लें।	☐ हाँ ☐ नहीं कभी-कभी ☐
सी)	जब आपके माता-पिता गोद लिए हुए बालक के प्रति प्यार, स्नेह और देखभाल दिखाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?	☐ खुश ☐ दुखी ☐ गुस्सा ☐ ईर्ष्यालु

7. स्कूल शिक्षकों के साथ बातचीत:

ए)	विद्यालय में बालक के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी (प्रगति कार्ड से सत्यापित करें कि बालक ने कोई प्रगति दिखाई है या नहीं)	☐ अच्छा ☐ औसत संतोषजनक खराब ☐ ☐
बी)	शिक्षक का अवलोकन: क्या बालक अपने पालक माता-पिता के साथ घुलमिल गया है?	☐ खुश और स्वस्थ रहें-समायोजित ☐ समायोजन की प्रक्रिया में ☐ असमान
सी)	क्या पालक माता-पिता अभिभावक-शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?	☐ हाँ ☐ नहीं ☐ कभी-कभी
डी)	क्या वे बालक की पढ़ाई में रुचि रखते हैं? (उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करके)	☐ हाँ, उदासीन ☐ नहीं ☐
ई)	विद्यालय में बालक के व्यवहार का अवलोकन (शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	☐ खुश और सुव्यवस्थित ☐ समायोजन की प्रक्रिया में ☐ असमान
एफ)	क्या बालक को स्कूल से संबंधित कोई चिंता है? यदि हां, तो कृपया विस्तार से बताएं।	

8. जन्मदाता माता-पिता के साथ बातचीत

ए)	क्या जन्मदाता माता-पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (फोन कॉल, पत्रों और मुलाकातों के माध्यम से)? कितनी बार?	☐ हाँ ☐ नहीं कभी-कभी ☐
बी)	क्या बालक उनसे मिलकर खुश हुआ?उनसे मुलाकात के समय अशांत	☐ हाँ ☐ नहीं ☐ मुलाकात के दौरान परेशान उन्हें
सी)	क्या बालक ने अपने पालन पोषण माता-पिता/देखरेख कर्ताओ / अभिभावकों /परिवार के सदस्यों के साथ कोई मुद्दे उठाए है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
डी)	क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन – पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?	☐ हाँ ☐ नहीं कभी-कभी ☐

ई)	बालक को वापस पाने के लिए परिवार की स्थिति	☐ परिवार बालक को वापस लेने में रुचि रखता है और ऐसा करने की स्थिति में भी है। ☐ परिवार को बालक में रुचि तो है, लेकिन वे बालक को वापस लेने की स्थिति में नहीं हैं। ☐ परिवार बालक को वापस लेने में दिलचस्पी नहीं रखता है।
एफ)	पालन – पोषण देखरेखकर्ताओ से बालक को वापस पर्पट करने के लिए उन्हे सहायता देने में सरकार या किसी अन्य एजेंसी से कोई सहायता मिली है? (यदि हां, तो विवरण दें)	हाँ ☐ नहीं ☐

9. पड़ोसियों के साथ बातचीत

ए)	पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन पोषण करने के बारे में जानकारी।	हाँ ☐ नहीं ☐
बी)	पालन पोषण करने वाले परिवार का बालक के प्रति के दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में जानकारी।	☐ सकारात्मक और प्रसन्न ☐ उदासीन रवैया
		☐ नकारात्मक दृष्टिकोण ☐ पालक बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार
सी)	परिवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोसियों और पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा या समस्या देखी है (यदि हां, तो विस्तार से बताएं)	हाँ ☐ नहीं ☐

द्वारा तैयार किया गया

हस्ताक्षर

प्ररूप 36

[नियम 24(5)]

प्रायोजक की स्थापन का आदेश

श्री .....तथा /अथवा श्री मति .....का/की पुत्र /पुत्री को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं..... (कृपया निर्दिष्ट करें)। हेतु प्रायोजक सहायता की आवश्यकता वाले बालक के रूप में पहचाना गया है।जिला बाल संरक्षण इकाई को उक्त बालक को ..... (दिन/माह) की अवधि के लिए एकमुश्त प्रायोजन सहायता के रूप में रु.....

प्रति माह/ रु..... जारी करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नाम..... पर एक बैंक खाता खोलने , जिसका संचालन ..... द्वारा किया जाएगा का निर्देश दिया जाता है ।

बाल न्यायालय/ मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/
अध्यक्ष/ सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 37

[नियम 25(2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सुपुर्दगी आदेश

.....(बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री .....दिनांक .....को .....18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा । पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के उद्देश्य से, और विशेष रूप से ..... (उद्देश्य स्पष्ट करें) हेतु उत्तरवर्ती देखभालके लिए उसे ..... , (संगठन का नाम) के सुपुर्द किया जाता है । संगठन के प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे बालक /बालिका की देखबाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण के लिए सभी संभव अवसर प्रदान करें। बाल /बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु तक या समाज में पुनः एकीकरण होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। प्रभारी बाल/ किशोर/किशोरी की स्थिति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेंगे।

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त व्यक्ति की .....(दिन/माह) तक देखभाल के लिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु आवशयक अनुवर्ती कार्यों के लिए, ... उपयुकत व्यक्ति के नाम पर एक बैंक खाता खोला जा

बाल न्यायालय/ मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/
अध्यक्ष/ सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि: राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के संबंधित विभाग को।

प्ररूप 38

[नियम 27(2)]

सामूहिक पालन-पोषण देखभाल सहित उपयुक्त सुविधा हेतु आवेदन

1.	**उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान/एजेंसी/संगठन का विवरण**	
1.ए	संस्था/एजेंसी/संगठन का नाम	
1.बी	संबंधित अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन का पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण तिथि **(परिशिष्ट- पंजीकरण संबंधी प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन)**	

1. सी	आवेदक/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1.डी	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नंबर	
1.ई	एसटीडी कोड फैक्स नंबर	
1.एफ	मेल पता	
1.जी	क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है? यदि हां, तो अन्य राज्यों में स्थित इसकी शाखाओं के पते दीजिए।	
1.एच	यदि संस्थान को पहले मान्यता नहीं मिली होती? यदि हाँ i. मान्यता अस्वीकृत होने के कारण बने आवेदन का संदर्भ क्रमांक ii. अस्वीकृति की तिथि iii. किसने मान्यता देने से इनकार किया था? iv. मान्यता अस्वीकार करने का कारण	
2.	**प्रस्तावित फिटिंग सुविधा का विवरण:**	
2. एक	प्रस्तावित फिटनेस सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.बी	एसटीडी कोड/टेलीफोन नंबर	
2.सी	एसटीडी कोड फैक्स नंबर	
2.डी	ई-मेल	
3.	**कनेक्टिविटी (प्रस्तावित फिटनेस सुविधा का नाम और उससे दूरी):**	
3.ए	मुख्य सड़क	
3.बी	बस स्टैंड	
3.सी	रेलवे स्टेशन	
3.डी	कोई भी मील का पत्थर	
4.	**आधारभूत संरचना:**	
4. एक	कमरों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें)	
4. बी	शौचालयों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें)	
4. सी	रसोईघरों की संख्या (माप सहित उल्लेख करें)	
4. डी	बीमार कमरों की संख्या	
4. ई	**अनुलग्नक - भवन के ब्लूप्रिंट की प्रति (भवन का प्रामाणिक रेखाचित्र)**	
4. एफ	अप्रत्याशित आपदा से निपटने की व्यवस्था में की गई व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख करें: i) आग ii) भूकंप iii) कोई अन्य व्यवस्था	
4. जी	पेयजल व्यवस्था संबंधी अनुबंध - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग से प्रमाणित।	

4.एच	स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने की व्यवस्था: i. कीट नियंत्रण ii. अपशिष्ट निपटान iii. रखने का क्षेत्र iv. कोई अन्य व्यवस्था	
4.i	किराया समझौता/भवन रखरखाव अनुमान (जो भी लागू हो) (अनुलग्नक - किराया समझौते की प्रति)	
5.	**फिट सुविधा की क्षमता**	
6.	**उपलब्ध सुविधाएं (यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता किस उद्देश्य से दी जानी है)**	
6. सी	कोई भी अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	**स्टाफ**	
7.ए	विस्तृत कर्मचारी सूची	
7.बी	भागीदार संगठनों के नाम	
8.	**आवेदक की पृष्ठभूमि**	
8.ए	पिछले दो वर्षों में संगठन की प्रमुख गतिविधियाँ	
8.बी	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (अनुलग्नक - वार्षिक बैठक का प्रस्ताव) प्रस्तुत है।	
8.सी	संगठन की संपत्तियों/बुनियादी ढांचे की सूची	
8.डी	यदि संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (अनुलग्नक – पंजीकरण प्रमाण पत्र)	
8.ई	पिछले दो वर्षों में प्राप्त विदेशी अंशदान का विवरण (अनुलग्नक-संबंधित दस्तावेज)	
8.एफ	अनुदान सहायता निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) योजना/परियोजना के नाम, उद्देश्य, राशि आदि सहित (अलग-अलग) प्रस्तुत करें।	
8.जी	एजेंसी के मौजूदा बैंक खाते का विवरण, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या शामिल हो।	
8.h	क्या एजेंसी प्रस्तावित अनुदान के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने पर सहमत है?	
8.i	**अनुलग्नक - पिछले तीन वर्षों के खातों की फोटोकॉपी:** **i. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट** **ii. आय और व्यय खाता** **iii. रसीद और भुगतान खाता** **iv. संगठन की बैलेंस शीट।**	

मैंने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम), 2015 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2016 को पढ़ और समझ लिया है।

.....(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2016 के तहत एक उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

मैं घोषणा करता हूं कि संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही वह किसी अनैतिक कृत्य, बाल शोषण, बाल श्रम या नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध में शामिल रहा है, और यह कि संगठन को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं केंद्रीय /राज्य अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन देता हूं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर: .....

नाम:

पद का नाम:

पता:

ज़िला:

तारीख:

कार्यालय की मुहर:

इसका हस्ताक्षर:

गवाह संख्या 1: .....

गवाह संख्या 2: .....

———

प्ररूप 39

[नियम 27(4)]

सामूहिक पालन – पोषण देखरेख सहित उपयुकत सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और..... को संस्थान के निरीक्षण के आधार पर... (संस्था का नाम)को .....से .....किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015,की धारा 51 के तहत एक उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है ।

..... से प्रभावी, अवधि के लिए

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2016 और समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी ।

दिनांक .....दिन .....20 .....

(हस्ताक्षर)

दिनांक .....दिन .....20 ..... (मुहर)

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट

———

प्ररूप 40

[नियम 61(3)(xii)]

बोर्ड या समिति को बाल देखरेख संस्था द्वारा साप्ताहिक आधार पर से प्रस्तुत की जाने वाली बालकों की सूची

बाल देखभाल संस्था का विवरण

क्रमांक	बालक का नाम	एफआईआर/डीडी/केस नंबर	पी.एस.	अगले उत्पादन की तिथि

सप्ताह के दौरान भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या.....

सप्ताह के दौरान छोड़े गए बच्चों की कुल संख्या.....

.....को संस्था में उपस्थित बालकों की कुल संख्या.....

हस्ताक्षर

बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति

तारीख:

प्ररूप 41

[नियम 69 (सी) (1)]

सुरक्षात्मक अभिरक्षा कार्ड

1. बालक का नाम :
2. बालक की उम्र :
3. माता का नाम :
4. पिता का नाम :
5. माता-पिता/अभिभावकों का पता :
6. संगठन/संस्था द्वारा प्राप्ति की तिथि:
7. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण:
8. जांच की तिथि:

आपको अधिकृत किया और निर्देश दिया जाता है कि आप उपर्युक्त नाम के बालक को अपने बाल देखभाल संस्थान में प्राप्त करें और उसे जेजे अधिनियम, 2015 के तहत सुरक्षात्मक हिरासत में रखें।

और बालक तारीख..... को पेश करें सुनवाई की अगली तारीख...

(हस्ताक्षर)
प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य
किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 42
[नियम 69 (डी) (4)]

रात्रिकालीन सुरक्षात्मक प्रवास

जबकि (बालक का नाम) .....को आज पकड़ा गया है उसे .....(संस्था का नाम) रात्रिकालीन सुरक्षात्मक आश्रय की जरूरत हेतु रखा जाता है ।

उक्त बालक को.....(बाल कल्याण पुलिस अधिकारी .....पुलिस स्टेशन, ...) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । बालक को सुरक्षात्मक आश्रय के लिए आवश्यक आवेदन और बालक की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति बताने वाली चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है, जिसका संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अवलोकन किया गया है।

उक्त बालक को ..... बजे संस्था में लाया गया है और संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन .....(समय बताएं) या उससे पहले सौंप दिया जाएगा

बालक के निजी सामान की पूरी तरह से तलाशी ली गई है और निम्नलिखित वस्तुएं ..... (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया है।

यदि संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी समय पर बालक को अपनी हिरासत में लेने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे बालक को यथाशीघ्र किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड / समिति
3. संस्था के प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख _____का_____20

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

संस्था के प्रभारी व्यक्ति बालक कल्याण पुलिस अधिकारी

प्ररूप 43

[नियम 69 (एच) (3)]

बालक का केस इतिहास

(बाल देखभाल संस्था के लिए)

केस/प्रोफ़ाइल संख्या.....

यहां नवीनतम तस्वीर चिपकाएं

दिनांक समय.....

ए. व्यक्तिगत डेटा

1. नाम.....

2. पुरुष / महिला (उपयुक्त श्रेणी पर निशान लगाएं) .....

3. प्रवेश के समय आयु.....

4. वर्तमान आयु.....

5. श्रेणी (जहां लागू हो वहां सही का निशान लगाएं):

(i) परिवार से अलग

(ii) परित्यक्त/वीरान

(iii) शोषण और हिंसा का शिकार (विस्तार से बताएं)

(iv) भाग जाना

(v) कोई और

6. धर्म
(i) हिंदू (ओ.सी./बीसी/एससी/एसटी)

(ii) मुस्लिम/ईसाई/अन्य (बहुवचन में स्पष्ट करें)

7. मूल जिला और राज्य:

8. आवास का विवरण:

(i) कंक्रीट की इमारत/ कच्चा

(ii) तीन शयनकक्ष / दो शयनकक्ष / एक शयनकक्ष / कोई अलग शयनकक्ष नहीं

(iii) स्वामित्व/किराया

9. बालक को बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं):

i. पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/महिला पुलिस

ii. परिवीक्षा अधिकारी

iii. सामाजिक कल्याण संगठन

iv. सामाजिक कार्यकर्ता

v. माता-पिता/अभिभावक (कृपया संबंध स्पष्ट करें)

vi. कोई भी लोक सेवक

vii. कोई भी जनहितैषी नागरिक

viii. बालक स्वयं

10. परिवार छोड़ने के कारण

i. माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

ii. रोजगार की तलाश में

iii. सहकर्मी समूह का प्रभाव

iv. माता-पिता की अक्षमता

v. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

vi. माता-पिता का अलगाव

vii. माता-पिता का निधन

viii. गरीबी

ix. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

11. बालक द्वारा झेले गए दुर्व्यवहार के प्रकार

i. मौखिक दुर्व्यवहार – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (बहुवचन, स्पष्ट करें)

ii. शारीरिक शोषण

iii. यौन शोषण: माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

iv. अन्य – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (बहुवचन: स्पष्ट करें)

12. बालक के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकार।

i) भोजन से वंचित करना – माता-पिता/भाई-बहन, नियोक्ता/अन्य (बहुवचन में स्पष्ट करें)

ii) निर्दयतापूर्वक पीटा गया - माता-पिता/ भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य (बहुवचन में स्पष्ट करें)

iii) चोट पहुँचाने वाले – माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (बहुवचन, स्पष्ट करें)

iv) कैद -अभिभावक/ भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (बहुवचन में स्पष्ट करें)

v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

13. बालक द्वारा झेला गया शोषण

i) बिना भुगतान के काम निकाला गया

ii) कम वेतन और लंबे समय तक काम करना

iii) अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

14. प्रवेश से पहले बालक की स्वास्थ्य स्थिति।

मैं)	श्वसन संबंधी विकार	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
ii)	श्रवण बाधित	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
iii)	आँखरोग	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
iv)	चिकित्सकीयबीमारी	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
v)	हृदय रोग	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
vi)	त्वचाबीमारी	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
vii)	यौन संक्रामक रोग	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
viii)	न्यूरोलॉजिकलविकारों	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
ix)	मानसिकबाधा	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
एक्स)	शारीरिक विकलांगता	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
xi)	मूत्र मूत्रमार्ग संक्रमण	- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित
xii) अन्य (बहुवचन, स्पष्ट करें)		- उपस्थित / अज्ञात / अनुपस्थित

15. प्रवेश से पहले बालक किसके साथ रह रहा था

i. माता-पिता – माता / पिता / दोनों

ii. भाई-बहन / रक्त संबंधी

iii. अभिभावक/अभिभावक – संबंध

iv. दोस्त

v. सड़क पर

vi. रात्रि आश्रय

vii. अनाथालय / छात्रावास / इसी तरह के घर

viii. अन्य (बहुवचन में निर्दिष्ट करें)

16. बालक से मिलने के लिए अभिभावकों का आगमन

संस्थागतकरण से पहले - अक्सर / कभी-कभार / शायद ही कभी / कभी नहीं संस्थागतकरण के बाद -अक्सर/ कभी-कभार / शायद ही कभी / कभी नहीं

17. बालक का अपने माता-पिता से मिलना

संस्थागतकरण से पहले - अक्सर / कभी-कभार / शायद ही कभी / त्योहारों के दौरान / गर्मी की छुट्टियों के दौरान / बीमार पड़ने पर / कभी नहीं

संस्थागतकरण के बाद-- अक्सर / कभी-कभार / शायद ही कभी / त्योहारों के दौरान / गर्मी की छुट्टियों के दौरान / बीमार पड़ने पर / कभी नहीं

18. अभिभावकों के साथ पत्राचार –

संस्थागतकरण से पहले – अक्सर / कभी-कभार / शायद ही कभी / त्योहारों के दौरान / गर्मी की छुट्टियों के दौरान / बीमार पड़ने पर / कभी नहीं

संस्थागतकरण के बाद – अक्सर / कभी-कभार / शायद ही कभी / त्योहारों के दौरान / गर्मी की छुट्टियों के दौरान / बीमार पड़ने पर / कभी नहीं

19. विकलांगता का विवरण

20. परिवार के प्रकार: परिवार / संयुक्त परिवार / टूटा हुआ परिवार / एकल अभिभावक

21. परिवार के सदस्यों के बीच संबंध:

i) पिता और माता	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
ii) पिता और बच्चा	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
iii) माँ और बच्चा	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
iv) पिता एवं भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
v) माता एवं भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
vi) बालक और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं
vii) बालक और रिश्तेदार	सौहार्दपूर्ण/ सौहार्दपूर्ण नहीं/ ज्ञात नहीं

22. यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो उसका इतिहास:

एस। नहीं।	संबंध	प्रकृतिअपराध का	मामले की कानूनी स्थिति	यदि कोई गिरफ्तारी हुई हो तो	कारावास की अवधि	दी गई सजा
1.	पिता					
2.	सौतेले पिता					
3.	माँ					
4.	सौतेली माँ					
5.	भाई (क) (बी) (सी) (डी)					
6.	बहन (क) (बी) (सी) (डी)					
7.	बच्चा					
8.	अन्य (चाचा/चाची/ दादा-दादी)					

23. परिवार के स्वामित्व वाली संपत्तियां:

i. भूमि संपत्तियां (बहुवचन, क्षेत्रफल निर्दिष्ट करें)

ii. घरेलू सामान - गाय/ मवेशी/ बैल

iii. वाहन - दो पहिया/ ति पहिया/ चार पहिया (लॉरी/ बस/ कार/ ट्रैक्टर/ जीप)

iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

24. परिवार के सदस्यों के विवाह संबंधी विवरण:

i)	अभिभावक	आयोजित/ विशेषशादी
ii)	भाई बंधु।	आयोजित/ विशेषशादी
iii)	बहन की	आयोजित/ विशेषशादी

25. परिवार के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियाँ:

i. सामाजिक और धार्मिक समारोहों में भाग लें

ii. सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लें

iii. सामाजिक और धार्मिक समारोहों में भाग नहीं लेता है

iv. ज्ञात नहीं है

26. प्रवेश से पहले बालक के प्रति माता-पिता की देखभाल:

i. अत्यधिक सुरक्षा

ii. स्नेही

iii. सचेत

iv. स्नेही नहीं

v. ध्यान नहीं दे रहा

vi. अस्वीकार

<u>किशोरावस्था का इतिहास (12 से 18 वर्ष की आयु के बीच)</u>

27. बालक ने किस उम्र में यौवनारंभ प्राप्त किया?

28. यदि कोई आपराधिक व्यवहार हो तो उसका विवरण दें।

i. चोरी

ii. जेब कतरना

iii. अराक बेचना

iv. नशीली दवाओं की तस्करी

v. छोटे-मोटे अपराध

vi. हिंसक अपराध

vii. बलात्कार

viii. इनमे से कोई भी नहीं

ix. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

29. अपराधी व्यवहार का कारण

i. माता-पिता की उपेक्षा

ii. माता-पिता की अत्यधिक सुरक्षा

iii. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

iv. माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)

v. साथियों के प्रभाव में आकर ड्रग्स/शराब खरीदना

vi. अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

30. आदतें

ए		बी	
मैं)	धूम्रपान	मैं)	टीवी/फ़िल्में देखना
ii)	शराब का सेवन	ii)	घर के अंदर/बाहर खेल खेलना
iii)	मादक पदार्थों का सेवन (स्पष्ट करें)	iii)	पढ़ने की किताबें
iv)	जुआ	iv)	धार्मिक गतिविधियाँ
v)	भीख मांगना	v)	चित्रकारी/चित्रकला/अभिनय/गायन
vi)	कोई और	vi)	कोई और

रोजगार का विवरण

31. गृह में प्रवेश से पहले बालक के रोजगार संबंधी विवरण:

क्र.सं.	रोजगार का विवरण	समय और अवधि	अर्जित मजदूरी
मैं)	कूली		
ii)	कूड़ा बीनना		
iii)	मैकेनिक		
iv)	होटल का काम		
v)	चाय की दुकान में काम		

vi)	जूता चमकाना		
vii)	घरेलू काम		
viii)	अन्य (बहुवचन में स्पष्ट करें)		

32. आय के उपयोग का विवरण:

परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए परिवार को भेजा गया

i. पोशाक सामग्री के लिए

ii. जुए के लिए

iii. वेश्यावृत्ति के लिए

iv. शराब के लिए

v. दवा के लिए

vi. धूम्रपान के लिए

vii. बचत

33. बचत का विवरण

i. नियोक्ताओं के साथ

ii. दोस्तों के साथ

iii. बैंक/डाकघर

iv. अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

34. कार्य घंटों की अवधि

i. छह घंटे से भी कम
ii. छह से आठ घंटे के बीच

iii. आठ घंटे से अधिक

शैक्षिक विवरण

35. बाल गृह में प्रवेश से पहले बालक की शिक्षा का विवरण

i. निरक्षर

ii. कक्षा पांचवीं तक पढ़ाई की।

iii. पांचवीं कक्षा से ऊपर लेकिन आठवीं कक्षा से नीचे की पढ़ाई की।

iv. आठवीं कक्षा से ऊपर लेकिन दसवीं कक्षा से नीचे की पढ़ाई की है।

v. कक्षा X से ऊपर की पढ़ाई की

36. स्कूल छोड़ने का कारण

a. पिछली कक्षा में असफलता

b. स्कूल की गतिविधियों में रुचि का अभाव

c. शिक्षकों का उदासीन रवैया

d. सहकर्मी समूह का प्रभाव

e. परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कमाना

f. माता-पिता का अचानक निधन

g. कठोर विद्यालय का माहौल

h. स्कूल से अनुपस्थिति और फिर स्कूल से भाग जाना

i. आस-पास कोई आयु-उपयुक्त विद्यालय नहीं है।

j. अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

37. अंतिम बार जिस विद्यालय में अध्ययन किया, उसका विवरण:

i. निगम/नगरपालिका/पंचायत

ii. सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय/अनुसूचित जनजाति कल्याण विद्यालय

iii. निजी प्रबंधन/ मठ

38. शिक्षण का माध्यम:
हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड़/तेलुगु/मराठी/गुजराती/बंगाली/अन्य भाषा (कृपया निर्दिष्ट करें)

39. बाल गृह में प्रवेश के बाद, शैक्षिक उपलब्धि तारीख का आज तक दाखिले;

वर्षों की संख्या	कक्षाअध्ययन	प्रचारित/हिरासत में लिया

40. बाल गृह में प्रवेश की तिथि से लेकर आज तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि (वर्षों की संख्या)।

व्यावसायिक कौशल का नाम और प्राप्त दक्षता का विवरण?

41. बाल गृह में प्रवेश की तिथि से लेकर आज तक विकसित की गई पाठ्येतर गतिविधियाँ

i) स्काउट

ii) खेल (कृपया निर्दिष्ट करें)

iii) एथलेटिक्स (कृपया निर्दिष्ट करें)

iv) चित्रकला

v) चित्रकारी

vi) अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

चिकित्सा का इतिहास

42. प्रवेश के समय कद और वजन:

43. शारीरिक स्थिति:

44. बालक का चिकित्सीय इतिहास (संक्षेप में):

45. अभिभावक/संरक्षक का चिकित्सीय इतिहास (संक्षेप में):

46. बालक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति:

क्रमांक नहीं।	**वार्षिक अवलोकन**	**पहली तिमाही**	**दूसरी तिमाही**	**तीसरी तिमाही**	**चौथी तिमाही**
	समीक्षा की तिथि				
	ऊंचाई				
	वज़न				
	पौष्टिक आहार दिया गया				
	तनाव				
	चिकित्सकीय				
	ईएनटी				
	आँख				

47. ऊंचाई और वजन चार्ट

दिनांक, महीना और वर्ष	ऊंचाई	अनुमेय वजन	वास्तविक वजन

सामाजिक इतिहास

48. बाल गृह में प्रवेश से पहले की दोस्ती का विवरण:

i. सह कार्यकर्ता

ii. स्कूल/सहपाठी

iii. पड़ोसी

iv. अन्य (बहुवचन, निर्दिष्ट करें)

49. अधिकांश मित्र हैं

i. शिक्षित

ii. निरक्षर

iii. समान आयु वर्ग

iv. उम्र में बड़ा

v. उम्र में छोटा

vi. समलैंगिक

vii. विपरीत सेक्स

50. समूह की सदस्यता का विवरण (कृपया विस्तृत जानकारी दें)

i. सिनेमा प्रेमियों के संघ से संबद्ध

ii. धार्मिक समूह से जुड़ाव

iii. कला और खेल क्लब से संबद्ध

iv. गिरोहों से जुड़े हुए

v. स्वयंसेवी सामाजिक सेवा लीग से संबद्ध

vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

51. समूह/लीग में बालक की स्थिति

i. नेता

ii. द्वितीय स्तर का नेता

iii. मध्य स्तर के पदाधिकारी

iv. साधारण सदस्य

52. समूह की सदस्यता लेने का उद्देश्य:

i. सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए

ii. अवकाश के समय बिताने के लिए

iii. आनंद की तलाश में की जाने वाली गतिविधियों के लिए

iv. अनैतिक गतिविधियों के लिए

v. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

53. समूह/लीग का रवैया

i. सामाजिक मानदंडों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें।

ii. नियमों का उल्लंघन करने में रुचि रखने वाले

iii. नियमों का उल्लंघन करने में आवेगी

54. समूहों का स्थान/मिलने का स्थान

i. आमतौर पर एक निश्चित स्थान पर

ii. स्थान अक्सर बदलते रहते हैं

iii. कोई विशिष्ट स्थान नहीं

iv. मिलने का स्थान सुविधाजनक रूप से तय कर लिया गया है।

55. जब बालक पहली बार परिवार से बाहर आया तो समाज की क्या प्रतिक्रिया थी?

i. सहायक

ii. अस्वीकार

iii. दुर्व्यवहार करना

iv. दुर्व्यवहार

v. शोषण

56. बच्चों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया

i. करुणामय

ii. कठोर

iii. आक्रामक और गाली देने वाला

iv. शोषक

v. बीमार का इलाज

57. आम जनता की प्रतिक्रिया बालक के प्रति .....

बालक का इतिहास (संक्षिप्त)

(i) शिक्षा

(ii) स्वास्थ्य

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण

(iv) पाठ्येतर गतिविधियां

(v) अन्य

बालक को प्रशिक्षण देने के बाद बाल कल्याण अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी का सुझाव और प्रशिक्षण के प्रति बालक की प्रतिक्रिया।

बाल कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर/ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई। प्रबंधन समिति द्वारा केस इतिहास की त्रैमासिक समीक्षा।

प्रभारी व्यक्ति/अधीक्षक/बाल कल्याण

अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

प्ररूप 44

[नियम 82 (1)]

निर्मुक्त सह पुनः स्थापन आदेश

बालक/ बालिका का नाम.....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी ..... केस नंबर/ प्रोफाइल नंबर..... जिसे किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा के तहत किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति.....द्वारा दिनाकं .....को .....की अवधि के लिए सम्प्रेषण गृह सुरक्षित स्थल /विशेष गृह/बाल गृह में रखने का आदेश दिया गया था अब ..... संस्थान में है.....स्थान पर हैं को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान .....के कारण से उक्त .....संस्था और पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए ।

यह आदेश इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिया गया है, और इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर इसे रद्द किया जा सकता है।

तारीख .....

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड/ बाल न्यायालय/ बाल कल्याण समिति

स्थान:

शर्तें :

1. रिहा किया गया व्यक्ति ..... जाएगा और बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा/हिरासत में रहने की अवधि समाप्त होने तक ..... की देखरेख और अधिकार के अधीन रहेगा।

निगरानी गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान, जब तक कि छूट को पहले ही रद्द न कर दिया जाए।

2. वह ..... की सहमति के बिना उस स्थान या किसी अन्य स्थान से, जिसका नाम उक्त ..... द्वारा रखा जाए, नहीं हटेगा।

3. वह उक्त व्यक्ति से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन करेगा।.....साथ स्कूल/व्यावसायिक गतिविधियों या अन्य किसी भी गतिविधि में समय पर और नियमित उपस्थिति के संबंध में।

4. वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा और संयमित एवं कर्मठ जीवन व्यतीत करेगा जिससे ..... संतुष्ट हो सके।

6. यदि वह उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो संस्था में रहने की अवधि में दी गई छूट रद्द की जा सकती है और ऐसी रद्द होने पर उसके साथ किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं, जिन्हें मुझे पढ़कर सुनाया गया है/समझाया गया है, और मैं उन्हें स्वीकार करता/करती हूं।

(रिहा किए गए बालक के हस्ताक्षर या चिह्न)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तें (नाम) को पढ़कर सुना दी गई हैं/समझा दी गई हैं।

बालक का) और कि उसने उन्हें अपनी रिहाई की शर्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है।

इसे रद्द किया जा सकता है।

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को ..... को छुट्टी दे दी गई है।

प्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
अर्थात् संस्था के प्रभारी व्यक्ति

प्ररूप 45
[नियम 82(4)]

मार्गरक्षा आदेश

केस संख्या..... ..... बालक/बालिका के मामला में

आयु लगभग ..... दर्ज की गई

बाल/बालिका के माता-पिता के ..... स्थान पर रहने की सुचना है ।

अतः उसे समुचित पुलिस/मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन की देखरेख में ..... की अभिरक्षा में भेजें ।

उक्त बालक /बालिका के माता-पिता या निकट संबंधियों, जो उपरोक्त पते पर या किसी अन्य स्थान पर रहते हों जिसे बच्चा बताए, का पता लगाने तथा उन्हें बच्चे को सुपुर्द करने के लिए, यदि माता-पिता या संबंधी नहीं मिलते हैं या मिल जाने पर भी वे लड़के/लड़की की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उसे अधीक्षक ..... बच्चों का गृह/सुरक्षा स्थल/पर्यवेक्षण गृह, उक्त जिले की अभिरक्षा में रखा जाए तथा उक्त लड़के/लड़की बच्चे को आगे के आदेशों के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

आदेश

एस्कॉर्ट की व्यवस्था होने तक, उक्त लड़का/लड़की बच्चा बच्चों के गृह/सुरक्षा स्थल/पर्यवेक्षण गृह में रहेगा, जो वर्तमान में राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस विभाग तथा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन/चाइल्डलाइन के अधीन है। वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के भीतर तत्काल व्यवस्था करेंगे और उक्त लड़के/लड़की बच्चे को उसके उपर्युक्त निवास स्थान पर भेजेंगे।

दिनांक ....., को 20

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति
किशोर न्याय बोर्ड

सीसी टू:

1. बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति।

2. जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन या चाइल्डलाइन .....को जन्मे ..... नाबालिग का आदेश प्रोफ़ाइल संख्या

"**प्ररूप 46**

[नियम 21(10), 41(3) और 41(9)]

बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण
(जो भी लागू हो भरें)

दौरे की तिथि और समय:
गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम:

1. .....
2. .....
3. .....

संस्था का नाम और पता:

सुविधा का प्रकार:..... **(**बाल गृह/निगरानी गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान/खुला आश्रय/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी/ उपयुक्त सुविधा)
यदि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/समर्थित है: विभाग का नाम:..... यदि सरकार द्वारा संचालित है:.....
प्रभारी व्यक्ति का नाम: .....
संपर्क क्रमांक: .....
ईमेल आईडी: .....।

सूचक	**स्थिति (हाँ या ना)**	**टिप्पणी (अनुपालन न होने की स्थिति में या आंशिक अनुपालन)**	**अधिनियम/नियम**
कानूनी स्थिति			
सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 / इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 / कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंतर्गत मूल संगठन का पंजीकरण			धारा 41/नियम 21: पंजीकरण बाल देखभाल संस्थानों
मूल संगठन की पंजीकरण संख्या (सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 / भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 / कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत)			
मूल संगठन किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत का पंजीकरण ।			
किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत मूल संगठन का पंजीकरण संख्या			
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010, पंजीकरण (यदि कोई हो)			

कामकाज			
स्वीकृत क्षमता (संख्या में)			
संस्था में भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या			नियम 18 और 19: समिति और जांच के समक्ष प्रस्तुति
बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बिना गृह में रहने वाले बच्चों की संख्या			
क्या वहां 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बालक रहते हैं? (संख्या निर्दिष्ट करें)			
क्या वहां 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक रह रहे हैं? (संख्या निर्दिष्ट करें)			
चालू माह में नए प्रवेशों की संख्या (संख्या निर्दिष्ट करें)			
बच्चों की संख्या कौन पास होना बाहर चले गए/रिहा हो गए (संख्या निर्दिष्ट करें)			
इस माह के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संदर्भित बच्चों की संख्या। (संख्या निर्दिष्ट करें)			
इस माह के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए गए बच्चों की संख्या। (संख्या निर्दिष्ट करें)			
पिछले महीने के आखिरी दिन तक बच्चों की संख्या। (संख्या निर्दिष्ट करें)			
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, यदि हाँ, तो विवरण दें। (संख्या निर्दिष्ट करें)			
संस्था में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या इसकी क्षमता से कम है या इसकी क्षमता के अनुसार है।			धारा 41: बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण
4 महीने से अधिक समय से रह रहे बच्चों की संख्या			निगरानी गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान
प्रबंधन समिति			नियम 39: प्रबंधन समिति
एक वर्ष में आयोजित बैठकों की औसत संख्या (संख्या निर्दिष्ट करें)			
बच्चों की समितियों का गठन किया गया			नियम 40:
एक वर्ष में आयोजित बैठकों की औसत संख्या (संख्या निर्दिष्ट करें)			बच्चों की समितियाँ
दत्तक ग्रहण समिति का गठन किया गया			धारा 65: विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
एक वर्ष में आयोजित बैठकों की औसत संख्या (संख्या निर्दिष्ट करें)			

क्या खुले आश्रय गृह/आश्रय गृह में बच्चों के मनोसामाजिक पुनर्वास के अलावा कोई अन्य गतिविधि अल्पकालिक रूप से की जाती है?			खुला आश्रय
बच्चों से संबंधित जानकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है।			
भौतिक मूलढ़ांचा			
भवन (किराए पर या स्वामित्व वाला)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
संस्था का नाम, बाल देखभाल संस्था का प्रकार और संपर्क विवरण दर्शाने वाला साइनबोर्ड प्रदर्शित किया गया है।			
शिक्षा (कक्षा)			
शयनगृह			
रसोईघर			
काउंसिलिंग			
टेलीविजन के साथ मनोरंजन			
बीमार कमरा			
पुस्तकालय			
आगंतुकों का कमरा			
व्यावसायिक प्रशिक्षण			
भोजन कक्ष			
इकट्ठा करना			
रिकॉर्ड कक्ष			
कार्यालय कक्ष			
कर्मचारी आवास			
बाथरूम			
प्रसाधन			
इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर			
सीमा दीवार/बाड़			
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग रहने का क्षेत्र			
संस्थागत सुविधा			
रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए गए हैं।			
आपातकालीन नंबरों सहित आवश्यक विवरण			
ड्यूटी चार्ट			नियम 26: बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और निगरानी
मेनू चार्ट			
उपस्थिति स्थिति			
साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची			
कैंपस के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध है।			

बच्चों के लिए कर्मचारियों और प्रबंधन से अलग व्यवस्था			
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुविधाएं और सहायता (उपकरण, कर्मचारी, शिक्षण और सीखने की सामग्री/सहायक सामग्री)			
दृश्य आवश्यकताएं			
बौद्धिक आवश्यकताएँ			
सुनने की जरूरतें			
कमरे और छात्रावास अस्थिर भारी उपकरणों, फर्नीचर या अन्य ऐसी वस्तुओं से मुक्त होने चाहिए जिन्हें बालक अपने ऊपर गिरा सकते हैं।			
छत, दीवारें, फर्श, पर्दे, ब्लाइंड, फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण अच्छी स्थिति में हैं।			
विशेष रूप से बच्चों के छात्रावासों/शौचालयों में कर्मचारियों/आगंतुकों के प्रवेश के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश।			
दीवारों और मिश्रण चित्रित साथआकर्षक पेंटिंग/कार्टून/चित्र आदि।			विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
क्या बाहरी द्वार के पास पालना रखा गया है या नहीं?			
शिशुओं, छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को अलग रखा जाता है या नहीं।			
शिशु एवं छोटे बच्चों के क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध			
सुरक्षित क्षेत्र में चलने-फिरने वाले शिशुओं और छोटे बच्चों की आवाजाही की स्वतंत्रता			
शौचालयों और स्नान क्षेत्रों में निजता बनाए रखी जाती है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय
बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं			
बच्चों के अनुकूल स्नानघर/स्नान क्षेत्र (1:10) विशेष रूप से बच्चों के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। (संख्या निर्दिष्ट करें)			नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई
बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय (1:7) विशेष रूप से बच्चों के लिए उपलब्ध हैं या नहीं (संख्या निर्दिष्ट करें)			
सुरक्षित और शुद्ध पेयजल भंडारण उपलब्ध है या नहीं			
सभी बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है या नहीं			
उचित जल निकासी और कचरा निपटान की सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं			

कर्मचारी			
एक प्रभारी व्यक्ति			नियम 26: बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और निगरानी
दो परामर्शदाता			
तीन बाल कल्याण अधिकारी/ प्रोबेशन अधिकारी/ केस वर्कर			
चार गृह माता/ गृह पिता			
एक चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)			
एक पैरामेडिकल स्टाफ			
एक स्टोरकीपर सह लेखाकार			
एक (अंशकालिक) कला एवं शिल्प सह संगीत शिक्षक			
एक (अंशकालिक) शारीरिक प्रशिक्षक सह योग प्रशिक्षक			
एक ड्राइवर			
दो रसोइया			
दो सहायक			
दो गृहकार्य			
सुरक्षा गार्ड			
कोई और			
क्या प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत फाइलें उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं- भर्ती के रिकॉर्ड			
संदर्भ जाँच			
कार्य प्रोफ़ाइल			
प्रदर्शन का मूल्यांकन			
लड़कियों की इकाई के लिए महिला अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी उपलब्ध हैं			
कर्मचारियों का प्रशिक्षण			
कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं: सामाजिक कार्यकर्ता			नियम 89: बच्चों के साथ काम करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण
बाल कल्याण अधिकारी			
केस वर्कर			
पुनर्वास सह नियुक्ति अधिकारी			
देखभाल करने वाले			
गृह पिता और गृह माता			
सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी			
बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं			

पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी			नियम 65: पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी
अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी परिसर में ही रहते हैं			नियम 61: बाल देखभाल संस्था के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य
बाल देखभाल सुविधाएं			
बच्चों के लिए पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और उनकी पहुंच है या नहीं।			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और बच्चों के लिए सुलभ है, चाहे वे न हों।			
क्या शिशु देखभाल इकाई में विशेष आपातकालीन चिकित्सा उपकरण (एमसीई) उपलब्ध हैं या नहीं?			
शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित खिलौनों की उपलब्धता है या नहीं।			
व्यक्ति बेड हैं उपलब्ध और बच्चों को प्रदान किया गया या नहीं			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग समूहों में बाँटा जाता है या नहीं, ताकि वे अपने ठहरने और गतिविधियों में भाग ले सकें।			
बच्चों को लिंग के आधार पर अलग-अलग समूहों में रखा जाता है या नहीं।			
बच्चों को चोट लगने के जोखिम को कम करने या यथासंभव शीघ्र प्रतिक्रिया देने के लिए गतिविधियाँ कर्मचारियों की देखरेख में संचालित की जाती हैं।			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य
डर, आघात या बीमारी के कारण भावनात्मक संकट से जूझ रहे बच्चों की सक्रिय निगरानी करना, चाहे वह संकट के कारण हो या न हो।			
दुर्व्यवहार से बचाव और सुरक्षा			
बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया			नियम 76: बालक का दुर्व्यवहार और शोषण
कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।			
दुर्व्यवहार की रोकथाम सहित शिकायत और निवारण के लिए कार्यात्मक और सुलभ तंत्र मौजूद है, जैसे कि- सुझाव बॉक्स			
बाल सहायता लाइन			
सीसीटीवी कैमरे			
बाल समितियाँ			

नियमित कर्मचारी-बालक का संपर्क			
बच्चों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन			
सुझाव या शिकायत पुस्तिका में पाई गई कोई भी शिकायत			
दैनिक दिनचर्या			
दैनिक दिनचर्या का पालन किया जाता है			नियम 32: दैनिक दिनचर्या
बच्चों की समिति से परामर्श करके या आवश्यकतानुसार दैनिक दिनचर्या तैयार की जाती है।			
संस्था के प्रमुख स्थानों पर दैनिक दिनचर्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है।			
पोषण			
कर्मचारी बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं से अवगत हैं।			नियम 33: पोषण और आहार पैमाना
बच्चों से परामर्श करके भोजन की योजना बनाई जाती है।			
भोजन निर्धारित मानदंडों/आहार पैमाने के अनुसार प्रदान किया जाता है।			
बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं			
विशेष खाना है प्रदान किया त्योहारों/अवसरों के दौरान			
बीमार/विशेष स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों को डॉक्टर की सलाहानुसार विशेष आहार दिया जाता है।			
घर प्रायोजित प्राप्त करता है दानदाताओं से प्राप्त पका हुआ/कच्चा खाद्य पदार्थ, दोपहर का भोजन, रात का भोजन आदि।			
यदि भोजन प्रायोजित है, तो परोसने से पहले देखभालकर्ता द्वारा पके हुए भोजन का स्वाद चखा जाता है/जांच की जाती है।			
बच्चों को दूध पिलाते समय आया/देखभाल करने वालों की निगरानी अन्य कर्मचारी करते हैं।			
कपड़े, बिस्तरस्वच्छता			
सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुरूप कपड़े, सामान और शौचालय सामग्री प्रदान की जाती है।			नियम 30: कपड़े, बिस्तर, शौच सामग्री और अन्य वस्तुएँ
सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ और मौसम के अनुकूल चटाई और सोने की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।			
सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग से पहले साफ/कीटाणुरहित किया जाता है।			नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई
कमरों को नियमित रूप से धूमन और कीटाणुशोधन किया जाता है और प्रत्येक बालक को संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है।			

प्रत्येक बालक को निजी सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है।			
कपड़े, चादरें, चटाई, बिस्तर आदि जैसी पुरानी वस्तुएं, यदि दान में दी जाती हैं, तो उपयोग से पहले उन्हें साफ/कीटाणुरहित किया जाता है।			
क्या बाल गृह में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: प्रशंसक			
कूलर			
एयर कंडीशनर			
सर्दियों के लिए हीटर			
स्वास्थ्य देखभाल			
प्रवेश के समय प्रत्येक बालक की स्वास्थ्य जांच की जाती है।			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल/मानसिक स्वास्थ्य
हर बालक की नियमित स्वास्थ्य जांच होती है			
प्रत्येक बालक के पास स्वास्थ्य कार्ड है और रिकॉर्ड/फाइलें नियमित रूप से रखी और अपडेट की जाती हैं।			
रात के समय घर पर नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है।			
बालक को दवाइयां स्टाफ सदस्य/नर्स द्वारा दी जाती हैं।			
कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।			
6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण किया जाता है।			
शिक्षा			
शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक बालक की आवश्यकता का समाधान किया जाता है।			नियम 36/69: बच्चों की शिक्षा/संस्थागत प्रबंधन
सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है।			
शिशुओं को खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रोत्साहित करने पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए।			
आयु के अनुरूप, व्यावहारिक और बाजार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
बच्चे हैं परामर्श में का चयनउन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है			
आयु के अनुरूप जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है।			
मनोरंजन			
बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बच्चों के लिए बाहरी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।			

कर्मचारी बच्चों के साथ इस प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हैं।			
सहयोग/भागीदारी, लचीलापन आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवोन्मेषी गतिविधि का उपयोग किया जाता है।			
प्रवेश एवं रिपोर्टिंग			
गृह में भर्ती किए गए सभी बच्चों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है।			धारा 31/ नियम 18: समिति के समक्ष प्रस्तुति
गृह में सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुपालन में रखा गया है।			
गृह में भर्ती किए गए सभी बच्चों को निर्धारित समय सीमा के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है।			धारा 10/नियम 9: बोर्ड के समक्ष उत्पादन
ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम/प्लेस ऑफ सेफ्टी में सभी बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों के अनुपालन में रखा जाता है।			
प्रत्येक बालक का पुनर्वास बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।			
प्रत्येक बालक का केस इतिहास निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशानुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।			नियम 19/69: बच्चों की जांच/संस्थागत प्रबंधन
संस्था ने बालक के जैविक परिवार/अभिभावक का पता लगाने के प्रयास किए हैं।			
गृह संस्था जैविक परिवारों का पता लगाने के अपने प्रयासों की कोई भी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करती है।			
व्यक्तिगत मामले का रिकॉर्ड			
प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है।			
यदि हां, तो प्रत्येक बालक के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना को लागू किया जा रहा है।			
प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) एक पेशेवर समाज सेवक या अनुभवी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है।			
बालक के प्रवेश के 30 दिनों के भीतर ही गृह में बच्चों के लिए आईसीपी तैयार कर ली गई है।			
अभिलेखों का रखरखाव			
गृह विभाग एक मास्टर प्रवेश रजिस्टर रखता है।			नियम 77: रजिस्टरों का रखरखाव
होम पेज ट्रैक चाइल्ड में मास्टर एडमिशन रजिस्टर को अपडेट करता है।			
होम पेज केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल में मास्टर प्रवेश रजिस्टर को अपडेट करता है।			

बच्चों और गोद लेने के उद्देश्य से भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित।			
उपस्थित बच्चों की संख्या उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्या से मेल खाती है।			
बच्चों से संबंधित मासिक डेटा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजा जाता है, जैसा भी मामला हो।			नियम 22: खुला आश्रय
बहाली का दस्तावेजी प्रमाण - माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र उपलब्ध है।			
क्या संस्था द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चों का विवरण रखा जाता है?			
बाल देखभाल संस्थान बालक से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी रखता है। **यानी --**			
व्यक्तिगत देखभाल के साथ व्यक्तिगत केस फाइल योजना			
व्यक्ति वृत्त			
जांच रिपोर्ट			
बाल कल्याण समिति के आदेश			
चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाण पत्र			
न्यायालय का आदेश			
त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रपट			
परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट, प्रत्येक बालक का सामाजिक इतिहास/केस इतिहास व्यक्तिगत फाइल में उपलब्ध है।			नियम 77: रजिस्टरों का रखरखाव
बालक के साथ हुई बातचीत की प्रारंभिक रिपोर्ट रिकॉर्ड में हैं			
रजिस्टर			
मास्टर प्रवेश एवं निष्कासन रजिस्टर			
पर्यवेक्षण रजिस्टर			
प्रत्येक बालक की केस फाइल			
मेडिकल फाइल और मेडिकल रिपोर्ट			
बच्चों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर			
अॉर्डर - बुक			
जांच रिपोर्ट फ़ाइल			
बच्चों के सुझावों की पुस्तिका/फ़ाइल			

वाउचर, कैश बुक, लेजर, जर्नल और वार्षिक खाते			
अनुदान उपयोग रजिस्टर			
स्टॉक रजिस्टर			
बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड-- प्रबंधन समिति			
शिकायत समिति			
कर्मचारी-बच्चों की बातचीत			
कर्मचारी-बैठकें			
पोषण/आहार रजिस्टर			
बजट विवरण रजिस्टर			
आगंतुकों की पुस्तिका			
कर्मचारी स्थानांतरण रजिस्टर			
व्यक्तिगत सामान रजिस्टर			
बच्चों की आवाजाही रजिस्टर			
यदि कोई विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी			
एजेंसी में बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध हैं।			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक बालक की औपचारिक बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है।			
एजेंसी में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध हैं।			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद, प्रत्येक बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट एक बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है।			
गृह अध्ययन रिपोर्ट का पूरा होना लंबित था			
बाल अध्ययन रिपोर्ट का पूरा होना लंबित था			
चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के पूरा होने का इंतजार था			
दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से बच्चों और दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक माता-पिता से संबंधित सभी रिपोर्टें केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।			
दत्तक ग्रहण संबंधी			
जैसे ही बालक कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, एजेंसी तुरंत बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड कर देती है।			

प्रत्येक बालक के चयन और मिलान का निर्णय दत्तक ग्रहण समिति द्वारा लिया जाता है।			**विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी**
यह एजेंसी गोद लेने योग्य प्रत्येक बालक को गोद लेने वाले परिवार और नए परिवेश में घुलमिल जाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती है।			
एजेंसी ने गोद लेने की प्रक्रिया को दर्शाने वाले पर्चे/पुस्तिकाएँ/साहित्य/अन्य प्रचार सामग्री तैयार की हैं।			
दत्तक ग्रहण रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए प्रत्येक बालक की पूरी दत्तक ग्रहण फाइल उपलब्ध होती है।			
गोद लिए गए बच्चों की नियमित निगरानी			
यह एजेंसी देश के भीतर और अंतरदेशीय गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल बच्चों के संबंध में गोद लेने के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है/रखरखाव करती है।			
दत्तक ग्रहण के बाद के सभी रिकॉर्ड इस प्रकार रखे जाते हैं जिससे आम जनता की उन तक पहुंच बाधित हो सके।			
एजेंसी ने बालक की सभी जानकारी, दस्तावेज़ और सामान को सुरक्षित रखा।			
इस जानकारी को संरक्षित करने और बालक द्वारा मूल कारण की खोज करने की स्थिति में इसे प्रसारित करने की योजना बनाई गई है।			
क्या देश के भीतर गोद लेने की प्रक्रिया में बच्चों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है?			
अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में बच्चों को रखे जाने के मामले में क्या कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है?			
एजेंसी पंजीकृत सभी संभावित दत्तक अभिभावकों की गृह अध्ययन रिपोर्ट शीघ्रता से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करती है।			
एजेंसी, दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने और आवंटन एवं रेफरल प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, बालक को गोद लेने से पहले की पालक देखभाल में रखती है।			
एजेंसी नियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क प्राप्त करती है।			
एजेंसी बालक को सौंपने से पहले जन्म देने वाले माता-पिता से उचित जानकारी प्राप्त करती है।			
यह एजेंसी बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में ही समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करवाती है।			

एजेंसी बालक को माता-पिता को सौंपने के परिणामों के बारे में बताती है, जिसमें विदेशियों द्वारा बालक को गोद लेने की संभावना और उससे आगे कोई संपर्क न होने की संभावना शामिल है।			
एजेंसी अभिभावकों को सूचित करती है कि बालक को सौंपने की तारीख से उन्हें साठ दिनों की पुनर्विचार अवधि मिलेगी, जिसके दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं।			
यह एजेंसी अविवाहित मां और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखती है।			
पुनर्विचार अवधि समाप्त होने के बाद, यदि माता-पिता द्वारा बालक पर दावा किया जाता है, तो एजेंसी बालक को उसके जैविक माता-पिता को वापस सौंप देती है।			
यह एजेंसी भावी दत्तक माता-पिता और बच्चों को आवश्यकतानुसार परामर्श प्रदान करती है।			
यह एजेंसी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार होने से पहले भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करती है।			
यह एजेंसी भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक माता-पिता संघों, दत्तक परिवारों और बड़े हो चुके दत्तक बच्चों से संपर्क करने की सलाह/प्रोत्साहन देती है ताकि वे दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझ सकें।			
एजेंसी दत्तक माता-पिता को सलाह देती है कि वे बड़े बालक का नाम न बदलें ताकि बालक अपनी पहचान बनाए रख सके।			
वित्तीय पारदर्शिता			
वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन के बारे में समग्र रूप से या अलग-अलग रूप से उपलब्ध जानकारी का विवरण।			
वित्तपोषण के स्रोत - सरकारी सहायता/अनुदान			
राष्ट्रीय दानकर्ता			
अंतर्राष्ट्रीय दानदाता (एफसीआरए)			
कॉर्पोरेट दानकर्ता			
स्वयं के स्रोत			
अन्य			
इसके द्वारा परियोजनावार रखे गए बैंक खातों का विवरण, खाता संख्या, उद्देश्य, प्राप्त राशि सहित, उपलब्ध एफसीआरए खाते का विवरण।			लेखा एवं लेखापरीक्षा
गृह संस्था वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से छह महीने के भीतर लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है।			

खातों का वार्षिक ऑडिट एक अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है।			
गृह मंत्रालय ने लेखापरीक्षित लेखा विवरण और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत पिछले 2 वर्षों के रिटर्न की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दी हैं।			
अनुदान निर्धारित नियमों और समय के अनुसार जारी किए जाते हैं।			
एजेंसी ने पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिशु-वार दत्तक ग्रहण शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की है, जिसमें देश के भीतर और देशों के बीच दत्तक ग्रहण के शुल्क अलग-अलग शामिल हैं।			**विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी**
यह एजेंसी निर्धारित मानदंडों से अधिक दत्तक ग्रहण शुल्क प्राप्त करती है।			
एजेंसी वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव करती है, जिसमें दत्तक ग्रहण शुल्क की प्राप्ति और उपयोग शामिल है।			
गृह संस्था वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से छह महीने के भीतर लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है।			
दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण शुल्क के रूप में उपलब्ध धनराशि का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार करती है।			
खातों का वार्षिक ऑडिट एक अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है।			
निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा आवास का निरीक्षण किया जा चुका है।			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
बाल कल्याण समिति द्वारा इस गृह का निरीक्षण किया जा चुका है।			धारा 30: समिति के कार्य और जिम्मेदारियां
बाल कल्याण समिति द्वारा निरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
इस गृह का निरीक्षण उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा किया जा चुका है।			निरीक्षणजेजे कमेटी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा निरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस गृह का निरीक्षण किया जा चुका है।			

महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण पर प्रतिक्रिया प्रदान की गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इस गृह का निरीक्षण किया जा चुका है।			नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निगरानी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगों द्वारा किए गए निरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
इस गृह का निरीक्षण राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जा चुका है।			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों द्वारा किए गए निरीक्षण पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
इससे पहले, इस गृह का सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था और रिपोर्ट सकारात्मक रही है।			
गृह के पास निरीक्षण संबंधी सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड मौजूद है।			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर ही कोई सुधार हुआ है।			
कार्यक्रम संबंधी संपर्क			
बच्चों के लिए चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं			नियम 34: चिकित्सा देखभाल
शिक्षा			नियम 36: शिक्षा
व्यावसायिक प्रशिक्षण			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
जीवन कौशल, कला और नृत्य तथा नाटक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा और अन्य समस्या-आधारित कार्यशालाएँ			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
खेलकूद सहित मनोरंजक गतिविधियाँ			
शौक की कक्षाएं			
स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जिनमें वाक् चिकित्सा/फिजियोथेरेपी शामिल हैं			नियम 35: मानसिक स्वास्थ्य
कानूनी सहायता सेवाएं			नियम 39: प्रबंधन समिति
नशामुक्ति सेवाएं			नियम 27: उपयुक्त सुविधा

जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास।			
इस संस्था ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए अन्य बाल देखभाल संस्थानों के साथ संबंध स्थापित किए हैं।			
बच्चों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा उनका संबंधित संस्थानों से जुड़ाव स्थापित करना- बाल कल्याण समिति			
किशोर न्याय बोर्ड			
बाल सहायता लाइन			
जिला बाल संरक्षण इकाई			
जिला प्रायोजन एवं पालक देखभाल अनुमोदन समिति			
दत्तक ग्रहण करने योग्य बच्चों का विवरण दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के उद्देश्य से बच्चों और संभावित दत्तक माता-पिता से संबंधित केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।			धारा 65: विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी भी इसी परिसर में स्थित है।			
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास।			
इसी परिसर में अन्य संस्थान भी स्थित हैं।			

उल्लंघन

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों का उल्लंघन

2. (क) बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

   (ख) यदि हां, तो क्या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

3. अन्य कोई उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणी: कोई नहीं।

बच्चों के साथ बातचीत

निरीक्षण के दौरान, उपयुक्त आयु वर्ग के बच्चों के एक समूह के साथ एक खुले और मैत्रीपूर्ण वातावरण में अनौपचारिक बातचीत की जा सकती है ताकि संस्था में उनकी सुरक्षा, संरक्षा और अपराध से बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। यह बातचीत शिक्षा, कौशल विकास, खेलकूद और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर केंद्रित हो सकती है। बच्चों की गोपनीयता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

1. बातचीत संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत

बातचीत के दौरान निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:-

(i) गोपनीयता
(ii) पारदर्शिता
(iii) भाग लेना

अपने प्रश्न सरल और सामान्य रखें। यह दर्शाएं कि आप बच्चे/बच्चों में वास्तव में रुचि रखते हैं।

2. **संबंध बनाना और सामान्य बातचीत करना-**चर्चा की शुरुआत विषय से संबंधित एक सामान्य, खुले प्रश्न से करें, जैसे कि बच्चों के रहने वाले गृह के बारे में उनके विचार पूछना। निरीक्षण दल/अधिकारी बच्चों से गृह की सकारात्मक और नकारात्मक बातों के बारे में पूछ सकते हैं।

3. **सामान्य मुद्दों पर चर्चा करना-**निरीक्षण दल/अधिकारियों को बच्चों का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए उनसे सामान्य प्रश्न पूछने चाहिए। ये सामान्य प्रश्न प्रशासन और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों, गृह में रहने के दौरान बच्चों को होने वाली समस्याओं, गृह के कर्मचारियों की सहायता, शिकायत दर्ज करने के उपायों और गृह में बाल संरक्षण नीति के बारे में जानकारी पर केंद्रित हो सकते हैं।

4. अंतःक्रिया पर अवलोकन-

5. यदि बाल शोषण का कोई मामला देखा/संदेह किया जाता है, तो इसकी सूचना पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार तुरंत दी जानी चाहिए।

अवलोकन/टिप्पणियाँ: .....

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम: हस्ताक्षर:
निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम: हस्ताक्षर:
निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम: हस्ताक्षर: निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम: हस्ताक्षर:

प्ररूप 46ए

[नियम 21(3) और नियम 21(15)]

बाल देखभाल संस्था के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए निरीक्षण प्रारूप

राज्य:
ज़िला:
संस्था का नाम:
शैक्षणिक संस्थान:
सुविधा का प्रकार:.....**(**बाल गृह/निगरानी गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान/खुला आश्रय/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी/उपयुक्त सुविधा)
संस्था का नाम और पता: .....

अधिनियम/नियम	**सूचक**	**स्थिति(हां या नहीं)**	**टिप्पणी(अनुपालन न होने की स्थिति में या)आंशिक अनुपालन)**
I. कानूनी स्थिति			
बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण	मूल संगठन का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882/कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत		
	मूल संगठन का पंजीकरण क्रमांक अंतर्गत the सोसायटी पंजीकरण कार्य 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882/द कंपनी अधिनियम 2013		
	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010, पंजीकरण (यदि कोई हो)		

II. भौतिक अवसंरचना			
	बोर्ड पर सीसीआई का नाम, प्रकार और संपर्क विवरण अंकित थे।		
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	सीमा दीवार/बाड़		
	कक्षा		
	शयनगृह		
	रसोईघर		
	काउंसिलिंग		
	मनोरंजन		
	बीमार कमरा		
	पुस्तकालय		
	आगंतुकों का कमरा		
	व्यावसायिक प्रशिक्षण		
	भोजन कक्ष		
	इकट्ठा करना		
	रिकॉर्ड कक्ष		
	कार्यालय कक्ष		
	कर्मचारी आवास		
	बाथरूम		
	प्रसाधन		
	छत, दीवारें, फर्श, पर्दे, ब्लाइंड, फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण अच्छी स्थिति में हैं।		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	बच्चों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध बाल-अनुकूल स्नानघर/स्नान क्षेत्र (1:10)		
	बच्चा दोस्ताना (1:7) उपलब्ध प्रसाधनकेवल बच्चों के लिए		
	सुरक्षित और शुद्ध पेयजल भंडारण की सुविधा उपलब्ध है।		
	सभी बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।		
	उचित जल निकासी कचरा निपटान और उपलब्ध सुविधाएं		
	विशेष रूप से बच्चों के छात्रावासों/शौचालयों में कर्मचारियों/आगंतुकों के प्रवेश के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश।		
III. प्रबंधन/कर्मचारी व्यवस्था			
नियम 26: बाल देखभाल	1 प्रभारी व्यक्ति		
	2 परामर्शदाता		
	3. बाल कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर		

संस्थानों का प्रबंधन और निगरानी	4 गृह माता/ गृह पिता		
	1 चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)		
	1 पैरामेडिकल स्टाफ		
	1. स्टोर कीपर सह लेखाकार		
	1 (अंशकालिक) कला एवं शिल्प सह संगीत शिक्षक		
	1 (अंशकालिक) शारीरिक प्रशिक्षक सह योग प्रशिक्षक		
	1 ड्राइवर		
	2 रसोइया		
	2 सहायक		
	2 हाउसकीपिंग		
	सुरक्षा गार्ड		
	कोई और		
	लड़कियों की इकाई के लिए महिला अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी उपलब्ध हैं		
नियम 89: बच्चों से संबंधित कार्यों में लगे कर्मियों का प्रशिक्षण	बाल अधिकार संरक्षण विषय पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।		
	देखभाल		
	पुनर्वास		
	किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) बाल अधिनियम, 2015		
	मिशन वात्सल्य		
नियम 76: बालक का दुर्व्यवहार और शोषण	देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन		
	बच्चों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन		
नियम 65: पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी	पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी		
नियम 61: बाल देखभाल संस्था के प्रभारी व्यक्ति के कर्तव्य	अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी परिसर में ही रहते हैं।		
IV. कार्यक्षमता			
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर		
	रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए गए हैं।		
	आपातकालीन स्थिति सहित आवश्यक विवरण नंबर		
	ड्यूटी चार्ट		
	मेनू चार्ट		
	उपस्थिति स्थिति		
	साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची		
	कैंपस के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा।		

	कर्मचारियों और प्रबंधन से अलग बच्चों के लिए अलग सुविधाएं।		
	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुविधाएं और सहायता (उपकरण, कर्मचारी, शिक्षण और सीखने की सामग्री/सहायक सामग्री)		
	दृश्य आवश्यकताएं		
	बौद्धिक आवश्यकताएँ		
	सुनने की जरूरतें		
	अन्य		
	कमरों और छात्रावासों में कोई भी अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर या अन्य ऐसी वस्तुएँ नहीं होनी चाहिए जिन्हें बालक अपने ऊपर गिरा सकें।		
नियम 67: सुरक्षा उपाय	शौचालयों और स्नान क्षेत्रों में निजता बनाए रखी जाती है।		
	बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं		
	विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं		
V. दुर्व्यवहार से बचाव और सुरक्षा			
नियम 76: बालक का दुर्व्यवहार और शोषण	बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया		
	दुर्व्यवहार की रोकथाम सहित शिकायत और निवारण के लिए एक कार्यात्मक और सुलभ तंत्र मौजूद है, जैसे कि- सुझाव बॉक्स -		
	बाल सहायता लाइन		
	सीसीटीवी कैमरे		
	बाल समितियाँ		
	नियमित कर्मचारी-बालक का संपर्क		
VI. दैनिक दिनचर्या और सुविधाएं			
नियम 32: दैनिक दिनचर्या	दैनिक दिनचर्या बच्चों की समिति के परामर्श से और/या बच्चों की भागीदारी से या आवश्यकतानुसार तैयार की जाती है।		
	संस्था के प्रमुख स्थानों पर दैनिक दिनचर्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है।		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने हैं उपलब्ध और बच्चों के लिए सुलभ		
	बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और वे इसका उपयोग कर सकते हैं।		
VII. पोषण और मनोरंजन			
नियम 33: पोषणऔर आहार पैमाना	कर्मचारी बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं से अवगत हैं।		

नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।		
	बच्चों के लिए बाहरी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।		
	सहयोग/भागीदारी, लचीलापन आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवोन्मेषी गतिविधि का उपयोग किया जाता है।		
VIII. वस्त्र, बिस्तर की स्वच्छता			
नियम 30: कपड़े, बिस्तर, शौच सामग्री और अन्य वस्तुएँ	स्वच्छ, मौसम के अनुकूल और आयु के अनुरूप कपड़े, सामान और शौचालय संबंधी उत्पाद मानदंडों के अनुसार उपलब्ध हैं।		
	मौसम के अनुरूप साफ-सुथरी चटाइयाँ और सोने की सामग्री मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं।		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग से पहले साफ/कीटाणुरहित किया जाता है।		
	कमरों को नियमित रूप से धूमन और कीटाणुशोधन किया जाता है और प्रत्येक बालक को संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है।		
	प्रत्येक बालक के लिए निजी सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है।		
	क्या बाल गृह में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:		
	प्रशंसक		
	कूलर		
	एयर कंडीशनर		
	सर्दियों के लिए हीटर		
IX. स्वास्थ्य देखभाल			
नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल/मानसिक स्वास्थ्य	रात के समय घर में नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है।		
	कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।		
X. शिक्षा			
नियम 36/69: शिक्षा	आयु के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध है।		
नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण	आयु-उपयुक्त, व्यावहारिक और बाजार-उन्मुख विकल्प उपलब्ध हैं।		
XI. अभिलेख रखरखाव			
	मास्टर प्रवेश एवं निष्कासन रजिस्टर		
	पर्यवेक्षण रजिस्टर		
	मेडिकल फाइल और मेडिकल रिपोर्ट		
	बच्चों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर		

नियम 77: रजिस्टरों का रखरखाव	अॉर्डर - बुक		
	जांच रिपोर्ट फ़ाइल		
	बच्चों के सुझावों की पुस्तिका/फ़ाइल		
	वाउचर, कैश बुक, लेजर, जर्नल और वार्षिक खाते		
	अनुदान उपयोग रजिस्टर		
	स्टॉक रजिस्टर		
	पोषण/आहार रजिस्टर		
	बजट विवरण रजिस्टर		
	आगंतुकों की पुस्तिका		
	कर्मचारी स्थानांतरण रजिस्टर		
	व्यक्तिगत सामान रजिस्टर		
	बच्चों की आवाजाही रजिस्टर		
XII. वित्तीय पारदर्शिता			
	वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन के बारे में समग्र रूप से/अलग से जानकारी उपलब्ध है।		
	वित्तपोषण के स्रोत- सरकारी सहायता/अनुदान		
	राष्ट्रीय दानकर्ता		
	अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं के अंतर्गत विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010		
	कॉर्पोरेट दानकर्ता		
	स्वयं के स्रोत		
	अन्य		
नियम 53: प्राधिकरण के खाते और लेखापरीक्षा	इसके द्वारा परियोजनावार रखे गए बैंक खातों का विवरण, खाता संख्या, उद्देश्य, प्राप्त राशि सहित, उपलब्ध एफसीआरए खाते का विवरण।		

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजीकरण हेतु अनुशंसा –

1. देखे गए उल्लंघनों या विसंगतियों या मानकों के अनुसार न होने के विवरण:–

2. जिले में पहले से ही ..... (संख्या) बाल देखभाल संस्थान (..... चिल्ड्रन होम, ...ऑब्जर्वेशन होम,..... शेल्टर होम, ...स्पेशल होम, ... स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी) और..... किशोर न्याय बोर्ड, ...बाल कल्याण समितियाँ,..... जिला निरीक्षण समितियाँ हैं, तथा अतिरिक्त बाल देखभाल संस्था की आवश्यकता है / नहीं है (जैसा लागू हो, उस पर टिक करें)।

3. उपरोक्त के मद्देनज़र, उक्त बाल देखभाल संस्था को पंजीकरण / पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विचारार्थ अनुशंसित किया जाता है।

या

उपरोक्त के मद्देनज़र, उक्त बाल देखभाल संस्था को पंजीकरण / पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विचारार्थ अनुशंसित नहीं किया जाता है। (जो भी लागू हो)

हस्ताक्षर और मुहर
(नाम)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला.....
राज्य.....
तारीख.....

प्ररूप 47

[नियम 21ए(5), (8) और (9)]

सामूहिक पालक देखभाल के लिए निरीक्षण प्रपत्र

(आवश्यकतानुसार भरें)

यात्रा की तिथि और समय:

गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम:

1. .....
2 .....
3. .....

ग्रुप फोस्टर केयर का नाम और पता:
पालक माता-पिता का नाम: .....
संपर्क नंबर: .....

ईमेल आईडी: .....।

सूचक	**स्थिति (हां / नहीं)**	**टिप्पणी (अनुपालन न होने की स्थिति में या आंशिक अनुपालन)**	
कानूनी स्थिति			
सुविधा का पूर्व पंजीकरण समूह पालक देखभाल			नियम 21ए: पंजीकरण बाल देखभाल संस्थानों
पिछली पंजीकरण अवधि			
क्या समूह पालक का पंजीकरण देखभाल किसी भी समय रद्द की जा सकती थी।		यदि हां, तो कारण बताएं	
प्रत्येक का अनिवार्य पुलिस सत्यापन क्या व्यक्तियों ने ऐसा किया है या नहीं?			
बच्चों की स्थिति			
स्वीकृति क्षमता (संख्या में)			

संस्था में भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या			
जैविक बच्चों की संख्या			
बाल कल्याण समिति द्वारा पालक देखभाल में रखे गए बच्चों की संख्या			
बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना पालक देखभाल में रखे गए बच्चों की संख्या			
पालक देखभाल में रखे गए भाई-बहनों की संख्या			
क्या वहां 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बालक रहते हैं? (संख्या निर्दिष्ट करें)			
चालू माह में नई नियुक्तियों की संख्या			
चालू माह में घर छोड़कर चले गए बच्चों की संख्या, जिनमें शामिल हैं:			
परिवार को लौटाए गए बच्चों की संख्या			
सीसीआई में स्थानांतरित किए गए बच्चों की संख्या			
गोद दिए गए बच्चों की संख्या			
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या जिन्हें पालक देखभाल में रखा गया है			
भौतिक मूलढ़ांचा			
भवन (किराए पर या स्वामित्व वाला)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
बच्चों की स्वीकृत क्षमता के लिए कमरों की संख्या पर्याप्त है।			
रसोई उपलब्ध है या नहीं			
टेलीविजन के साथ मनोरंजन			
बच्चों की स्वीकृत क्षमता के लिए बाथरूमों की संख्या पर्याप्त है।			
व्यक्ति बेड हैं उपलब्ध और बच्चों को प्रदान किया गया			
बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग समूहों में रखा गया।			
बच्चों को लिंग के आधार पर अलग-अलग रखा गया है।			
अवसंरचनात्मक सुविधा			नियम 26: बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और निगरानी
चाहे कमरे अस्थिर भारी उपकरणों, फर्नीचर या अन्य ऐसी वस्तुओं से मुक्त हों जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हों या नहीं।			
क्या छत, दीवारें, फर्श, पर्दे, ब्लाइंड, फर्नीचर, फिटिंग और उपकरण अच्छी स्थिति में हैं?			
शौचालयों और स्नानागारों में निजता बनाए रखी जाती है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय

बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं			
विशेष आपातकाल चिकित्सा देखभाल उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं			
बाल देखभाल सुविधाएं			
बच्चों के लिए पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और उनकी पहुंच है या नहीं।			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और बच्चों के लिए सुलभ है, चाहे वे न हों।			
दुर्व्यवहार से बचाव और सुरक्षा			
क्या बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू है? जगह हो या न हो			नियम 23: पालन पोषण संबंधी देखभाल
बच्चों की गतिविधियों को बांधकर, जकड़कर या किसी अन्य रूप में प्रतिबंधित करना प्रचलित है या नहीं।			
चाहे भोजन, आराम या शौचालय से वंचित रखा जाए या नहीं			
क्या पालक परिवार के खिलाफ पहले से बाल शोषण, उपेक्षा, क्रूरता आदि के कोई मामले दर्ज हैं या नहीं? (विवरण दें)			
पोषण			
क्या पालक परिवार बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं से अवगत है या नहीं?			नियम 33: पोषणऔर आहार पैमाना
चाहे भोजनहैं की योजना बनाई मेंबच्चों से परामर्श करना या नहीं			
कपड़े, बिस्तरस्वच्छता			
क्या सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और आयु-उपयुक्त कपड़े, सामान और शौचालय सामग्री प्रदान की जाती है या नहीं?			नियम 30: कपड़े, बिस्तर, शौच सामग्री और अन्य वस्तुएँ
क्या सोने की सामग्री साफ की जाती है? आवश्यकतानुसार या अनुपयोग के समय नियमित रूप से या पुनः उपयोग से पहले कीटाणुरहित करें			नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई
कमरों की नियमित रूप से सफाई की जाती है			
क्या प्रत्येक बालक को निजी सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है या नहीं?			
स्वास्थ्य देखभाल			
चाहे पालक परिवार को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया गया हो या नहीं			

क्या पालक परिवार को उन बुनियादी दवाओं की जानकारी है जो बीमारी या आपात स्थिति में बच्चों को दी जानी आवश्यक होंगी?			
शिक्षा			
क्या सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है या नहीं?			
क्या सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा या नहीं?			
क्या सभी बालक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं?			
क्या पालक परिवार बच्चों को उनकी शिक्षा में, जैसे कि होमवर्क, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन आदि में मदद कर सकता है या नहीं?			
मनोरंजन			
क्या बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं?			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बच्चों के लिए बाहरी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
अभिलेखों का रखरखाव			
ग्रुप फोस्टर केयर बालक की सभी प्रासंगिक जानकारी को सुरक्षित रखता है, जैसे कि --			
व्यक्तिगत केस फ़ाइल			
सामाजिक जांच रिपोर्ट			
व्यक्तिगत देखभाल योजना			
व्यक्ति वृत्त			
सीडब्ल्यूसी आदेश			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाण पत्र			
त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रपट			
वित्तीय अनुपालन			
पालक परिवार की आय के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।			
पालक परिवार के पास पालक बच्चों की स्वीकृत क्षमता के अनुसार खर्च वहन करने के लिए पर्याप्त आय है।			
अन्य सूत्रों का कहना है का वित्तपोषण (सरकारी/निजी)			
आईटी पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है।			

निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा आवास का निरीक्षण किया जा चुका है।			नियम 44: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी गई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
बाल कल्याण समिति द्वारा हर महीने इस गृह का निरीक्षण किया जाता है।			
इस गृह का निरीक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जा चुका है।			धारा 109/नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निगरानी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगों/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों द्वारा किए गए निरीक्षण पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।			
प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर ही कोई सुधार हुआ है।			

I. उल्लंघन

(a) बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

यदि हां, तो क्या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

(b) कोई अन्य उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणियाँ::

II. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजीकरण हेतु अनुशंसा

उपरोक्त के मद्देनज़र, यह अनुशंसा की जाती है कि उक्त समूह पालक देखभाल पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है, और यदि ऐसा नहीं है – तो पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला.....
राज्य.....
तारीख.....

प्ररूप 48

[नियम 21(A)(7)]

समूह फोस्टर केयर के पंजीकरण का प्रमाणपत्र

दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के पश्चात तथा..... (तारीख) को की गई सुविधा के निरीक्षण के आधार पर, इस सुविधा को किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और

संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अंतर्गत ..... से प्रभावी होकर .....वर्षों की अवधि के लिए समूह फोस्टर केयर के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

समूह फोस्टर केयर किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा।

दिनांक ....., दिन ....., 20 .....

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

नाम और पदनाम .....

प्ररूप 49

[नियम 15(4ए)]

समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र

मैं ..... बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं, ..., यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं अधिनियम की धारा 27(4A) में निर्धारित किसी भी शर्त के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ, अर्थात्— मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का मेरा कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है।

(i) मेरे विरुद्ध मानवाधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है,

(ii) मुझे नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है, और यदि ऐसा कोई दोषसिद्धि हुई भी हो तो उसे निरस्त नहीं किया गया है या उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

(iii) मुझे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से, या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी उपक्रम या निगम से हटाया या बर्खास्त नहीं किया गया है,

(iv) मैंने कभी भी बाल शोषण, बाल श्रम के नियोजन, अनैतिक कार्य या मानवाधिकारों के किसी अन्य उल्लंघन अथवा अनैतिक कृत्य में संलिप्तता नहीं की है, या

(v) मैं किसी जिले में किसी बाल देखभाल संस्था के प्रबंधन का हिस्सा नहीं हूँ।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम और अन्य ब्यौरा

प्ररूप 50

[नियम 21ए (2)]

पोषक देखभाल के लिए आवेदन करने वाले पोषक परिवार/व्यक्तियों द्वारा घोषणा

मैं / हम, एतद्द्वारा सामूहिक पोषक देखभाल के हेतु आवेदन के लिए , प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

(i) मेरा/हमारा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

(ii) मैं/हम किसी भी अनैतिक कार्य में या बाल शोषण या बाल श्रम के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं हैं।

(iii) मुझे/हमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

3. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई और तत्काल अयोग्यता के लिए उतरदायित्व होऊंगा।

(व्यक्ति/पालक परिवार के हस्ताक्षर) नामऔर अन्य विवरण

THE HIMACHAL PRADESH JUVENILE JUSTICE (CARE ANDPROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2026

[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJ&E-A-A(4)-2/2016-Loose dated 21.04.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st April, 2026

No. SJE-A-A(4)-2/2016-Loose .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);

(ii) "Authority" means the Central Adoption Resource Authority constituted under section 68 of the Act;

(iii) "Case Worker" means a representative from a registered voluntary or non-governmental organisation who shall accompany the child to the Board or the Committee and may perform such tasks as may be assigned to him by the Board or the Committee;

(iv) "Child Study Report" means the report which contains details about the child, such as his date of birth and social background;

(v) "community service" means service rendered by children in conflict with law who are above the age of fourteen years and includes activities like maintaining a park, serving the elderly, helping at a local hospital or nursing home, serving disabled children, serving as traffic volunteers etc.

(vi) "conflict of interest" means "a situation in which a person has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties and where such person shall be ineligible to be associated with any statutory structure defined under the Act,

(vii) "Form" means the forms annexed to these rules;

(viii) "Home Study Report" means a report containing details of prospective adoptive parents or foster parents, and shall include social and economic status, family background, description of home and atmosphere, and health status;

(ix) "individual care plan" is a comprehensive development plan for a child based on age and gender specific needs and case history of the child, prepared in consultation with the child, in order to restore the child's self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following, including but not limited to, needs of a child, namely:—

(a) health and nutrition needs, including any special needs;

(b) emotional and psychological needs;

(c) educational and training needs;

(d) leisure, creativity and play;

(e) protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;

(f) rescue, restoration and follow up;

(g) social mainstreaming and rehabilitation; and

(h) life skill training;

(x) "in country adoption" means adoption of a child by a citizen of India residing in India;

(xi) "Medical Examination Report" means the report of a child given by a duly licensed physician;

(xii) "Person-in-charge or Superintendent" means a person appointed for the control and management of the Child Care Institution;

(xiii) "POCSO" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(xiv) "rehabilitation-cum-placement officer" means an officer designated for every Child Care Institution for the purpose of rehabilitation of children;

(xv) "Selection Committee" means a committee constituted by the State Government under **rule 87** of these rules;

(xvi) "social background report" means the report of a child in conflict with law containing the background of the child prepared by the Child Welfare Police Officer;

(xvii) "social investigation report" means the report of a child containing detailed information pertaining to the circumstances of the child, the situation of the child on economic, social, psycho-social and other relevant factors, and the recommendation thereon;

(xviii) "Social worker" means a person with post graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology or Child Development or a graduate with minimum three years of experience in matters relating to child education and development or protection issues, who is engaged by a Child Care Institution or authorised by District Child Protection Unit or State Child Protection Society or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource Authority for preparing social investigation report or individual care plan of the child, child study report, home study report of prospective adoptive parent or foster parents, rendering post-adoption services, and performing any other functions as assigned to such person under the Act or the rules made thereunder;

Explanation.—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the qualifications of the social worker member of the Board shall be as under section 4 of the Act.

(xix) "special educator" shall have the same meaning as assigned to it in the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012;

(xx) "State Child Protection Society" means a society constituted under section 106 of the Act; and

(xxi) "State Government" means Government of Himachal Pradesh.

(10) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

———

CHAPTER – II

JUVENILE JUSTICE BOARD

3. Board.—There shall be one or more Boards in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette.

4. Composition of the Board.—(1) The Board shall consist of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class having at least three years experience to be designated as the Principal Magistrate of the Board and two social worker members, of whom one shall be a woman, forming a Bench.

(2) The social worker members shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Selection Committee constituted under these rules.

(3) The social worker members shall not be less than thirty five years of age and shall not be more than sixty-five years of age on the date of notification and shall have at least seven years of experience of working with children in the field of education, health, or welfare activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or sociology or in the field of law.

(4) As far as possible, the two social worker members so selected for a Board shall be from different fields.

(5) All members of the Board including the Principal Magistrate, shall be given induction training and sensitisation within a period of sixty days from the date of appointment.

5. Term of Members of the Board .—(1) The term of the social worker member of the Board shall not be more than for a period of three years from the date of appointment.

(2) A social worker member of the Board shall be eligible for appointment of maximum of two terms,

(3) The members may resign at any time, by giving one month's notice in writing to the State Government.

(4) Any vacancy in the Board shall be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee.

(5) If any complaint is made against a member of the Board, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of the High Court for action.

(6) The State Government shall complete the inquiry within a period of two months and take appropriate action within one month.

(7) If a criminal case is registered against the member concerned, if necessary the State Government may suspend the member immediately pending inquiry, for such term as appropriate; or after holding an inquiry and giving an opportunity of being heard in the matter.”.

6. Sittings of the Board.—(1) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at a place in proximity to the observation home or, at a suitable premise in any Child Care Institution meant for children in conflict with law run under the Act, and in no circumstances shall the Board operate from within any court or jail premises.

(2) The Board shall ensure that no person(s) not connected with the case shall not remain present in the room when the case is in progress.

(3) The Board shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, are allowed to remain present during the sitting.

(4) The Board shall hold its sittings in a child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Board to interact with the child face to face.

(5) While communicating with the child, the Board shall use child friendly techniques through its conduct and shall adopt a child friendly attitude with regard to body language, facial expression, eye contact, intonation and volume of voice while addressing the child.

(6) The Board shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Board and the child.

(7) The Board shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Magistrate Court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government issues an order in this regard, or the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Board in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) The Board may conduct its sittings through video conferencing, in case there are constraints limiting physical movement of the child alleged to be in conflict with law, or the Board Members including the Chairperson.

Provided if the child's case requires the presence of a doctor or psychiatrist or counsellor or physical attention, the sitting shall be conducted in the premises as provided in sub-rule(1) of rule 6.

(9) When the Board is not sitting, a child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board. For the said purpose, one member of the Board shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and necessary directions required to deal with the emergency situation shall be given by such member to the Special Juvenile Police Unit or the local police of the district. The Principal Magistrate shall draw up a monthly duty roster of the members who shall be so available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Committees, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit. The person who shall be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency situation shall be paid a sitting allowance of the day, but the total sitting of the member which shall be paid, shall not be more than twenty days or as prescribed by Govt. of India, including regular sitting in a month.

(10) The social worker members of the Board shall be paid not less than Rs. 2000/- per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe. The amount of sitting shall be paid from the fund available in State Child Protection Society or District Child Protection Unit or from the Juvenile Justice Fund under section 105 of the JJ Act or from any other fund as shall be provided by the Government.

(11) The Board shall be provided infrastructure and staff by the State Government.

7. Functions of the Board.—(1) The Board shall perform the following additional functions, namely:—

(i) whenever necessary, the Board shall provide a translator or interpreter or special educator who shall be paid not less than Rs.1500 per day and in case of translator, not exceeding Rs.100 per page. For the said purpose, the District Child Protection Unit shall maintain a panel of translators, interpreters and special educators who shall forward the same to the Board, the qualifications of the translator, interpreter and special educator shall be as prescribed under the POCSO Act, 2012 and rules framed thereunder;

(ii) wherever required issue rehabilitation card in **Form 14** to the child in conflict with law to monitor the progress made by the child;

(iii) wherever required, pass appropriate orders for re-admission or continuation of the child in school where the child has been disallowed from continuing his education in a school on account of the pendency of the inquiry or the child having stayed in a Child Care Institution for any length of time;

(iv) interact with Boards in other districts to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law, including sending a child for the purpose of an inquiry or rehabilitation to a Board in another district or State;

(v) inspect Child Care Institutions for children in conflict with law, issue directions in cases of any noticeable lapses, suggest improvements, seek compliance and recommend suitable action, including against any employee found in dereliction of duty to the District Magistrate;

(vi) maintain a suggestion box or grievance redressal box in the premises of the Board or in the Observation Home or Special Home or Place of Safety at a prominent place to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the nominee of the Principal Magistrate.

(vi a) an online grievance redressal system shall also be created by the State Government for receipt of suggestion or grievance which may be accessed by the Board;

(vii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in conflict with law, for realising children's participation in the affairs and management of such Child Care Institutions;

(viii) review the Children's Suggestion or Complaint Book during every visit in the Child Care Institution and also carry out random one to one and group interaction with children in the Child Care Institutions in absence of the Child Care Institution staff and

Person-in-Charge to understand concerns and issues of children, to determine their well-being and provide inputs and recommendations accordingly to such Child Care Institutions;

(ix) ensure that the Legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit and the State or District Legal Aid Services Authority extends free legal services to a child; and

(x) deploy, if necessary, the services of student volunteers or non-governmental organisation volunteers for para-legal and other tasks such as contacting the parents of child in conflict with law and collecting relevant social and rehabilitative information about the child.

CHAPTER III

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW

8. Pre-Production action of Police and other Agencies.-(1) No First Information Report shall be registered except where a heinous offence is alleged to have been committed by the child, or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults. In all other matters, the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer shall record the information regarding the offence alleged to have been committed by the child in the general daily diary followed by a social background report of the child in **Form 1** and circumstances under which the child was apprehended, wherever applicable, and forward it to the Board before the first hearing:

Provided that the power to apprehend shall only be exercised with regard to heinous offences, unless it is in the best interest of the child. For all other cases involving petty and serious offences and cases where apprehending the child is not necessary in the interest of the child, the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall forward the information regarding the nature of offence alleged to be committed by the child along with his social background report in **Form 1** to the Board and intimate the parents or guardian of the child as to when the child is to be produced for hearing before the Board.

(2) When a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the police officer concerned shall place the child under the charge of the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, who shall immediately inform:

(i) the parents or guardian of the child that the child has been apprehended along with the address of the Board where the child will be produced and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board;

(ii) the Probation Officer concerned, that the child has been apprehended so as to enable him to obtain information regarding social background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry; and

(iii) a Child Welfare Officer or a Case Worker, to accompany the Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer while producing the child before the Board within twenty- four hours of his apprehension.

(3) The police officer apprehending a child alleged to be in conflict with law shall:

(i) not send the child to a police lock-up and not delay the child being transferred to the Child Welfare Police Officer from the nearest police station. The police officer may under sub-section (2) of section 12 of the Act send the person apprehended to an observation home only for such period till he is produced before the Board i.e. within twenty-four hours of his being apprehended and appropriate orders are obtained as per **rule 9** of these rules;

(ii) not hand-cuff, chain or otherwise fetter a child and shall not use any coercion or force on the child;

(iii) inform the child promptly and directly of the charges levelled against him through his parent or guardian and if a First Information Report is registered, copy of the same shall be made available to the child or copy of the police report shall be given to the parent or guardian;

(iii a) also inform the child and the parent or guardian immediately regarding the rights and privileges of the child under the Act and rules;

(iii b) rights of the child shall also be displayed in every police station and at prominent places in the Observation Homes, Special Homes, Place of Safety;".

(iv) provide appropriate medical assistance, assistance of interpreter or a special educator, or any other assistance which the child may require, as the case may be;

(v) not compel the child to confess his guilt and he shall be interviewed only at the Special Juvenile Police Unit or at a child-friendly premises or at a child friendly corner in the police station, which does not give the feel of a police station or of being under custodial interrogation. The parent or guardian, may be present during the interview of the child by the police;

(vi) not ask the child to sign any statement; and

(vii) inform the District Legal Services Authority for providing free legal aid to the child.

(4) The Child Welfare Police Officer shall be in plain clothes and not in uniform.

(5) The Child Welfare Police Officer shall record the social background of the child and circumstances of apprehending in every case of alleged involvement of the child in an offence in **Form 1** which shall be forwarded to the Board forthwith. For gathering the best available information, it shall be necessary upon the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer to contact the parent or guardian of the child.

(6) A list of all designated Child Welfare Police Officers, Child Welfare Officers, Probation Officers, Para Legal Volunteers, District Legal Services Authorities and registered voluntary and non-governmental organisations in a district, Principal Magistrate and members of the Board, members of Special Juvenile Police Unit [21] with contact details shall be prominently displayed in every police station.

(7) When the child is released in a case where apprehending of the child is not warranted, the parents or guardians or a fit person in whose custody the child alleged to be in conflict with law is placed in the best interest of the child, shall furnish an undertaking on a non-judicial paper in **Form 2** to ensure their presence on the dates during inquiry or proceedings before the Board.

(8) The State Government shall maintain a panel of voluntary or non-governmental organisations or persons who are in a position to provide the services of probation, counselling, case work and also associate with the Police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, and have the requisite expertise to assist in physical production of the child before the Board within twenty-four hours and during pendency of the proceedings and the panel of such voluntary or non-governmental organisations or persons shall be forwarded to the Board.

(9) The State Government shall provide funds to the police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer or Case Worker or person for the safety and protection of children and provision of food and basic amenities including travel cost and emergency medical care to the child apprehended or kept under their charge during the period such children are with them.

9. Production of the child alleged to be in conflict with law before the Board.—(1) When the child alleged to be in conflict with law is apprehended, he shall be produced before the Board within twenty-four hours of his being apprehended, along with a report explaining the reasons for the child being apprehended by the police.

(2) On production of the child before the Board, the Board may pass orders as deemed necessary, including sending the child to an observation home or a place of safety or a fit facility or a fit person.

(2A) The Board shall ensure that the information regarding the child referred to in sub-rule (2) is uploaded on a portal, as may be specified by the Central Government in this behalf.

(3) Where the child produced before the Board is covered under section 78 and section 83 of the Act, including a child who has surrendered, the Board may, after due inquiry and being satisfied of the circumstances of the child, transfer the child to the Committee as a child in need of care and protection for necessary action, and or pass appropriate directions for rehabilitation, including orders for safe custody and protection of the child and transfer to a fit facility recognised for the purpose which shall have the capacity to provide appropriate protection, and consider transferring the child out of the district or out of the State to another State for the protection and safety of the child.

(4) Where the child alleged to be in conflict with law has not been apprehended and the information in this regard is forwarded by the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer to the Board, the Board shall require the child to appear before it at the earliest so that measures for rehabilitation, where necessary, can be initiated, though the final report may be filed subsequently.

(5) In case the Board is not sitting, the child alleged to be in conflict with law shall be produced before a single member of the Board under sub-section (2) of section 7 of the Act.

(6) In case the child alleged to be in conflict with law cannot be produced before the Board or even a single member of the Board due to child being apprehended during odd hours or distance,

the child shall be kept by the Child Welfare Police Officer in the Observation Home in accordance with rule **69 D** of these rules or in a fit facility and the child shall be produced before the Board thereafter, within twenty-four hours of apprehending the child.

(7) When a child is produced before an individual member of the Board, and an order is obtained, such order shall be ratified by the Board in its next meeting.

10. Post-production processes by the Board.—(1) On production of the child before the Board, the report containing the social background of the child, circumstances of apprehending the child and offence alleged to have been committed by the child as provided by the officers, individuals, agencies producing the child shall be reviewed by the Board and the Board may pass such orders in relation to the child as it deems fit, including orders under sections 17 and 18 of the Act, namely:

(i) disposing of the case, if on the consideration of the documents and record submitted at the time of his first appearance, his being in conflict with law appears to be unfounded or where the child is alleged to be involved in petty offences;

(ii) referring the child to the Committee where it appears to the Board that the child is in need of care and protection;

(iii) releasing the child in the supervision or custody of fit persons or fit institutions or Probation Officers as the case may be, through an order in **Form 3**, with a direction to appear or present a child for an inquiry on the next date; and

(iv) directing the child to be kept in the Child Care Institution, as appropriate, if necessary, pending inquiry as per order in **Form 4.**

(2) In all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than fifteen days of the first summary inquiry and also seek social investigation report from the Probation Officer, or. in case a Probation Officer is not available the Child Welfare Officer or social worker concerned through an order in **Form 5**.

(3) When the child alleged to be in conflict with law, after being admitted to bail, fails to appear before the Board, on the date fixed for hearing, and no application is moved for exemption on his behalf or there is not sufficient reason for granting him exemption, the Board shall, issue to the Child Welfare Police Officer and the Person-in-charge of the Police Station directions for the production of the child.

(4) If the Child Welfare Police Officer fails to produce the child before the Board even after the issuance of the directions for production of the child, the Board shall instead of issuing process under section 84 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 pass orders as appropriate under section 26 of the Act.

(5) In cases of heinous offences alleged to have been committed by a child, who has completed the age of sixteen years, the Child Welfare Police Officer shall produce the statement of witnesses recorded by him and other documents prepared during the course of investigation within a period of one month from the date of first production of the child before the Board, a copy of which shall also be given to the child or parent or guardian of the child.

(6) In cases of petty or serious offences, the final report shall be filed before the Board at the earliest and in any case not beyond the period of two months from the date of information to

the police, except in those cases where it was not reasonably known that the person involved in the offence was a child, in which case extension of time may be granted by the Board for filing the final report.

(7) When witnesses are produced for examination in an inquiry relating to a child alleged to be in conflict with law, the Board shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of **Bharatyia Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023** so as to interrogate the child and proceed with the presumptions in favour of the child.

(8) While examining a child alleged to be in conflict with law and recording his statement during the inquiry under section 14 of the Act, the Board shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which has been alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings, and the influence or the offences to which the child might have been subjected to.

(9) The Board shall take into account the report containing circumstances of apprehending the child and the offence alleged to have been committed by him and the social investigation report in **Form 6** prepared by the Probation Officer or the voluntary or non-governmental organisation, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion.

10 A. Preliminary assessment into heinous offences by Board.—(1) The Board shall in the first instance determine whether the child is of sixteen years of age or above; if not, it shall proceed as per provisions of section 14 of the Act.

(2) For the purpose of conducting a preliminary assessment in case of heinous offences, the Board may take the assistance of psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances. A panel of such experts may be made available by the District Child Protection Unit, whose assistance can be taken by the Board or could be accessed independently.

(3) While making the preliminary assessment, the child shall be presumed to be innocent unless proved otherwise.

(4) Where the Board, after preliminary assessment under section 15 of the Act, passes an order that there is a need for trial of the said child as an adult, it shall assign reasons for the same and the copy of the order shall be provided to the child forthwith.

11. Completion of Inquiry.—(1) Where after preliminary assessment under section 15 of the Act, in cases of heinous offences allegedly committed by a child, the Board decides to dispose of the matter, the Board may pass any of the dispositional orders as specified in section 18 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report in **Form 6** prepared by the Probation Officer or Child Welfare Officer or social worker as ordered, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an individual care plan in **Form 7** for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation

Officer or Child Welfare Officer or a recognised voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(4) Where the Board is satisfied that it is neither in the interest of the child himself nor in the interest of other children to keep a child in the special home, the Board may order the child to be kept in a place of safety and in a manner considered appropriate by it.

(5) Where the Board decides to release the child after advice or admonition or after participation in group counselling or orders him to perform community service, necessary direction may also be issued by the Board to the District Child Protection Unit for arranging such counselling and community service.

(6) Where the Board decides to release the child in conflict with law on probation and place him underthe care of the parent or the guardian or fit person, the person in whose custody the child is released may be required to submit a written undertaking in **Form 8** for good behaviour and well-being of the child for a maximum period of three years.

(7) The Board may order the release of a child in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form 9.**

(8) In the event of placement of the child in a fit facility or special home, the Board shall consider that the fit facility or special home is located nearest to the place of residence of the child's parent or guardian, except where it is not in the best interest of the child to do so.

(9) The Board, where it releases a child on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the child is released on probation and placed under the care of fit facility, it may also order that the child be placed under the supervision of a Probation Officer who shall submit periodic reports in **Form 10** and the period of such supervision shall be maximum of three years.

(10) Where it appears to the Board that the child has not complied with the probation conditions, it may order the child to be produced before it and may send the child to a special home or place of safety for the remaining period of supervision.

(11) In no case, the period of stay in the special home or the place of safety shall exceed the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act.

12. Pendency of Inquiry.— (1) For the purpose of sub-section (3) of section 16 of the Act, the Board shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and every child in **Form 11**. The said **Form** shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 11** is concerned:

(i) time schedule for disposal of the case shall be fixed on the first date of hearing;

(ii) scheduled date given in column No. (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) are to be completed.

(2) The Board shall submit a quarterly report in **Form 12** about the pendency of the cases, visits to Homes etc. to the following:—

(i) Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate;

(ii) District Magistrate.

(2A) The District Magistrate shall on the basis of the quarterly report submitted in sub-rule (2) examine the reasons for pendency, discrepancies observed during visits to the Observation Homes and the like and shall make its recommendations to the authorities like Police, Medical, District Legal Services Authority or any other concerned authority, for reduction of pendency of cases before the Board and to take appropriate action against the authorities as deemed fit.

(2B) Where the review by the District Magistrate discloses the reasons for pendency due to the members of the Board, then the District Magistrate shall inform the State Child Protection Society.

(2C) The State Child Protection Society shall on the basis of the report submitted by the District Magistrate recommend for appropriate action to the State Government.

(3) The District Judge shall conduct an inspection of the Board once every quarter and appraise the performance of the members of the Board on the basis of their participation in the proceedings of the Board and submit a report the Registrar of the High Court and a copy shall also be forwarded to the District Magistrate.

13. Procedure in relation to Children's Court and Monitoring Authorities.—(1) Upon receipt of preliminary assessment from the Board the Children's Court may decide whether there is need for trial of the child as an adult or as a child and pass appropriate orders.

(2) Where an appeal has been filed under sub-section (1) of section 101 of the Act against the order of the Board declaring the age of the child, the Children's Court shall first decide the said appeal.

(3) Where an appeal has been filed under sub-section (2) of section 101 of the Act against the finding of the preliminary assessment done by the Board, the Children's Court shall first decide the appeal.

(4) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that there is no need for trial of the child as an adult, it shall dispose of the same as per section 19 of the Act and these rules.

(5) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that the child should be tried as an adult the Children's Court shall call for the file of the case from the Board and dispose of the matter as per the provisions of the Act and these rules.

(6) The Children's Court shall record its reasons while arriving at a conclusion whether the child is to be treated as an adult or as a child.

(7) Where the Children's Court decides that there is no need for trial of the child as an adult, and that it shall decide the matter itself:

(i) It may conduct the inquiry as if it were functioning as a Board and dispose of the matter in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(ii) The Children's Court, while conducting the inquiry shall follow the procedure for trial in summons case under the **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhtia (BNSS), 2023**.

(iii) The proceedings shall be conducted in camera and in a child friendly atmosphere, and there shall be no joint trial of a child alleged to be in conflict with law, with a person who is not a child.

(iv) When witnesses are produced for examination the Children's Court shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the **Bharatyia Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023.**

(v) While examining a child in conflict with law and recording his statement, the Children's Court shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which is alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the child might have been subjected.

(vi) The dispositional order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan in **Form 7** for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(vii) The Children's Court, in such cases, may pass any orders as provided in sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Act.

(8) Where the Children's Court decides that there is a need for trial of the child as an adult:

(i) It shall follow the procedure prescribed by the **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhtia (BNSS), 2023** of trial by sessions and maintaining a child friendly atmosphere.

(ii) The final order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan for the child as per **Form 7** prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(iii) Where the child has been found to be involved in the offence, the child may be sent to a place of safety till the age of twenty-one years.

(iv) While the child remains at the place of safety, there shall be yearly review by the Probation Officer or the District Child Protection Unit or a social worker in **Form 13** to evaluate the progress of the child and the reports shall be forwarded to the Children's Court.

(v) The Children's Court may also direct the child to be produced before it periodically and at least once every three months for the purpose of assessing the progress made by the child and the facilities provided by the institution for the implementation of the individual care plan.

(vi) When the child attains the age of twenty-one years and is yet to complete the term of stay, the Children's Court shall:

(a) interact with the child in order to evaluate whether the child has undergone reformative changes and if the child can be a contributing member of the society.

(b) take into account the periodic reports of the progress of the child, prepared by the Probation Officer or the District Child Protection Unit or a social worker, if needed and further direct that institutional mechanism if inadequate be strengthened.

(c) After making the evaluation, the Children's Court may decide to: (ca) release the child forthwith;

(cb) release the child on execution of a personal bond with or without sureties for good behaviour;

(cc) release the child and issue directions regarding education, vocational training, apprenticeship, employment, counselling and other therapeutic interventions with a view to promoting adaptive and positive behaviour etc.;

(cd) release the child and appoint a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay. The monitoring authority, where appointed shall maintain a Rehabilitation Card for the child in **Form 14.**

(vii) For the purpose of sub-rule (vi) (c) (cd) of this rule:

(a) A Probation Officer or Case Worker or Child Welfare Officer or a fit person may be appointed as a monitoring authority**.**

(b) The District Child Protection Unit shall maintain a list of such persons who can be engaged as monitoring authorities which shall be sent to the Children's Court along with bi-annual updates.

(c) The child shall for the first quarter after release, meet with the monitoring authority on a fortnightly basis or at such intervals as may be directed by the Children's Court. The monitoring authority shall fix a time and venue for such meetings in consultation with the child. The monitoring authority will forward its observations on the progress of the child on a monthly basis to the Children's Court.

(d) At the end of the first quarter the monitoring authority shall make recommendations regarding the further follow up procedure required for the child.

(e) Where the child, after release is found to be indulging in criminal activities or associating with people with criminal antecedents, he shall be brought before the Children's Court for further orders.

(f) If it is found that the child no longer requires to be monitored, the monitoring authority shall place the detailed report with rec ommendations before the Children's Court which shall issue further directions either terminating the monitoring or for its continuation.

(g) After the first quarter, the child shall meet the monitoring authority at such intervals as may be directed by the Children's Court based on the recommendations made by the monitoring authority at the end of the first quarter and the monitoring authority shall forward its report to the Children's Court which shall review the same every quarter.

14. Destruction of records.- The records of conviction in respect of a child in conflict with law shall be kept in safe custody till the expiry of the period of appeal or for a period of seven years, and no longer, and thereafter be destroyed by the Person-in-charge or Board or Children's Court, as the case may be:

Provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with law under clause (i) of sub-section (1) of section 19 of the Act, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the Children's Court.

CHAPTER-IV

CHILD WELFARE COMMITTEE

15. Composition and Qualifications of Members of the Committee.—(1) There shall be one or more Committees in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette.

(2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Selection Committee under **rule 87** of these rules.

(3) The Chairperson and the members shall be above the age of thirty-five years and not more than sixty five years and shall have a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children and has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for seven years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children.";

(4) A member of the Committee shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous. Provided that nothing contained in this sub-rule shall be a bar in case of a member being appointed as Chairperson;

(4A) The person applying for the post of the Chairperson or member of the Committee shall submit an affidavit, as per Form 49, certifying that the applicant is not barred by any of the conditions laid down in sub-section 4A of section 27 of the Act. The appropriate Government shall then verify the same as per norm.

(4B) A person associated with an organisation receiving foreign contribution shall not be eligible to be a Chairperson or member of the Committee.

(4C) Any person working in the implementation of the Act in any Non-Government Organisation or any organisation, performing such functions which may cause conflict of interest in discharge of their duties as the Chairperson or member of the Committee shall not be eligible for appointment as the Chairperson and member of the Committee.

Explanation.—For the removal of doubt, it is hereby clarified that, this may include but is not limited to any of the following situations within the territorial jurisdiction of the Committee:

(a) any family member is a member of any non-governmental organisation;

(b) close relation is a member of any non-governmental organisation ;

(c) cases of non-governmental organisations or persons working in a district for rescue and rehabilitation;

(d) a person representing a person who runs a Child Care Institution or member of the Board or Trust ofany non-governmental organisation.

(4D) If any complaint is made against a Chairperson or member of the Committee, the State Government shall hold an inquiry and if necessary, suspend the person immediately pending inquiry. The inquiry shall be completed within a period of two months and the State Government may take appropriate action within one month of completion of the inquiry.

(4E) No Chairperson or member of the Committee shall be removed without holding an inquiry by the State Government and until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4F) If a criminal case is registered against the Chairperson or member concerned, if necessary the Government may suspend the concerned Chairperson or member, immediately pending inquiry, for such term as appropriate, or after holding an inquiry and giving an opportunity of being heard in the matter.

(5) All persons, on selection shall mandatorily be given training under **rule 89** within a period of sixty days from the date of appointment.

(6) The Chairperson and the members may resign at any time by giving one month's notice in writing to the State Government.

16. Rules and Procedures of Committee.- (1) The Chairperson and members of the Committee shall be paid such sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe but not less than Rs. 2000 /- per sitting.

(2) A visit to an existing Child Care Institution by the Committee shall be considered as a sitting of the Committee.

(3) The Committee shall hold its sittings in the premises of a children's home or, at a place in proximity to the children's home or, at a suitable premises in any institution run under the Act for children in need of care and protection.

(4) The Committee shall ensure that no person(s) not connected with the case shall not remain, present in the room when the session is in progress.

(5) The Committee shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, shall be allowed to remain present during the sitting.

(6) At least one member of the Committee shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and issue necessary directions to the Special Juvenile Police Unit or local police of the district. For this purpose the Chairperson of the Committee shall draw up a monthly duty roster of the Committee members who shall be available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Board, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit. The person who shall be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency situation shall be paid a sitting allowance of the day, but the total sitting of the member which shall be paid shall not be more than twenty days or as prescribed by Govt. of India, including regular sitting in a month. The amount of sitting shall be paid from the fund available in State Child Protection Society or District Child Protection Unit or from the Juvenile Justice Fund under section 105 of the JJ Act or from any other fund as shall be provided by the Government.

(7) The Committee shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a magistrate court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government concerned issues an order in this regard:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Committee in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) On receiving information about a child or children in need of care and protection, who cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.

(9) While communicating with the child, the Committee members shall use child friendly techniques through their conduct.

(10) The Committee shall hold its sittings in a child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Committee to interact with the child face to face.

(11) The Committee shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Committee and the children

(12) The Committee shall be provided infrastructure and staff by the State Government.

17. Additional Functions and Responsibilities of the Committee.—In addition to the functions and responsibilities of the Committee under section 30 of the Act, the Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:

(i) document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee in **Form 15**;

(ii) maintain a suggestion box or grievance redressal box at a prominent place in the premises of the Committee to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the District Magistrate or his nominee;

(iii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in need of care and protection within its jurisdiction, for realising children's participation in the affairs and management of the said Child Care Institutions;

(iii a) Quarterly reports of inspection conducted under clause (viii) of section 30 of the Act shall be submitted, as and when required, for the purpose of monitoring under section 109 of the Act;;

(iv) review the Children's Suggestion or Complaint Book during every visit in the Child Care Institution and also carry out random one to one and group interaction with children in the Child Care Institutions in absence of Child Care Institution staff and Person-in-Charge to understand concerns and issues of children to determine their well-being and provide inputs and recommendations accordingly to the Child Care Institutions;

(v) send quarterly information in **Form 16** about children in need of care and protection received by it to the District Magistrate with all relevant details on nature of disposal of cases, pending cases and reasons for such pendency;

(v a) for the purposes of sub-section (4) of section 40 of the Act, the Committee shall submit a quarterly information in Form 16 regarding restored, dead and runaway children to the State Government and the District Magistrate;

(vi) wherever required, issue rehabilitation card in **Form 14** to children in need of care and protection to monitor their progress;

(vii) maintain the following records in a register:

(a) entries of the cases listed in a day and next date and the Committee shall prepare a daily cause list of the cases before it;

(b) entries and particulars of children brought before the Committee and details of the Child Care Institution where the children are placed or the address where the children are sent;

(c) execution of bonds;

(d) movement including visits to institutions;

(e) children declared legally free for adoption;

(f) children recommended for or placed in sponsorship;

(g) children placed in individual or group foster care;

(h) children transferred to or received from another Committee;

(i) children for whom follow up is to be done;

(j) children placed in after care;

(k) inspection record of the Committee;

(l) record of Minutes of the meetings of the Committee;

(m) correspondence received and sent;

(n) any other record or register which the Committee may require.

(vii a) maintain case records of at least five years.;

(viii) All information listed in clause (vii) of this rule may be digitised and a software may be developed by the State Government. such that the case records of at least five years are maintained.

(ix) ensure that children without having a legal guardian irrespective of their age are expeditiously declared legally free for adoption within the timeline as provided in the Act, rules and regulations;

(x) interact with older children living in the Child Care Institutions having no guardians and also with such children living in the Child Care Institutions who are not in contact with their guardians for several years and counsel such children about the benefit of family based care including foster care and adoption;

(xi) interact with all concerned both in physical and virtual modes in case of production of the child before the Committee, while giving instructions to the District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, as the case may be, and in the process of declaring a child legally free for adoption.

CHAPTER-V

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION

18. Production before the Committee.- (1) Any child in need of care and protection shall be produced before the Committee during the working hours at its place of sitting and beyond working hours before the member as per the duty roster:

Provided that where the child cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child where the child is located.

(1A) In extraordinary situations, when the movement of the Child or the Committee is restricted due to unforeseen circumstances, the child may be presented before the Committee through virtual mode and the Committee shall physically interact with the Child at the first opportunity;

(2) Whoever produces the child before the Committee shall make a report in **Form 17** containing the particulars of the child as well as the circumstances in which the child was received or found.

(3) In case of a child less than two years of age, who is medically unfit, the person or the organisation who comes in contact with the child in need of care and protection shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

(4) The Committee after interaction with the child may issue directions for placing the child with the parent or guardian or Children's Home, where such Home is available in the vicinity of the Committee before which the child is produced, and in the absence of such Home, to direct the placing of the child in safe custody of a fit person or a fit facility.

(5) The Committee or the member on duty shall issue the order for placing the child in Children's Home in **Form 18.**

(6) The Committee or the member on duty shall order immediate medical examination of the child produced before the Committee or the member on duty, if such examination is needed.

(7) In the case of abandoned or lost or orphaned child, the Committee, before passing an order granting interim custody of the child pending inquiry, shall see that, the information regarding such child is uploaded on a designated portal.

(8) The Committee may, while making an order in **Form 19** for placing a child under the care of a parent, guardian or fit person, pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form 20**.

(9) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Person-in-charge of such institution, a copy of the order of short term placement pending inquiry in **Form 18** with particulars of the Child Care Institution and parents or guardian and previous record. A copy of such order shall also be forwarded to the District Child Protection Unit.

(10)The Committee shall ensure that the information regarding the child referred to in this rule is uploaded on a portal, as may be specified by the Central Government in this behalf.

19. Procedure for inquiry.—(1) The Committee shall inquire into the circumstances under which the child is produced and accordingly declare such child to be a child in need of care and protection.

(2) The Committee shall, prima facie determine the age of the child in order to ascertain its jurisdiction, pending further inquiry as per section 94 of the Act, if need be.

(3) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a socialworker or Case Worker or Child Welfare Officer or designated officer by the District Child Protection Unit or to any recognised non-governmental organisation for conducting the social investigation under sub-section (2) of section 36 of the Act through an order **in Form 21**.

(4) In case of placement of the child in non-institutional care, the Committee shall direct the District Child Protection Unit concerned to develop an individual care plan in **Form 7** and in

case of institutional care, shall direct the management of the Child Care Institution concerned to develop an individual care plan in Form 7, which includes a rehabilitation plan.

(4A) The individual care plan prepared for every child whether in the institutional care or non-institutional care shall be developed based on the case history, circumstances and individual needs of the child.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression non-institutional care does not include adoption

(5) The inquiry shall satisfy the basic principles of natural justice and shall ensure the informed participation of the child and the parent or guardian. The child shall be given an opportunity to be heard and his opinion shall be taken into consideration with due regard to his age and level of maturity. The orders of the Committee shall be in writing and contain reasons.

(6) The Committee shall interview the child sensitively and in a child friendly manner and will not use adversarial or accusatory words or words that adversely impact the dignity or self-esteem of the child.

(7) The Committee shall satisfy itself through documents and verification reports, before releasing or restoring the child, as per **Form 19,** in the best interest of the child.

(7A) The Committee, while disposing the case and placing the child in an institution shall ensure that the institution is a registered Child Care Institution under section 41 of the Act or a fit facility declared under section 51 of the Act

(8) The social investigation conducted by a social worker or Case Worker or designated officer by the District Child Protection Unit or Child Welfare Officer of the institution or any non-governmental organisation shall be as per **Form 22** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

(8A) The District Child Protection Unit after completing the social investigation within fifteen days shall submit the report to the Child Welfare Committee.

(9) Before the Committee releases or restores the child, both the child as well as the parents or guardians may be referred to the Counsellor.

(10) The Committee shall maintain proper records of the children produced before it including medical reports, social investigation report, any other report(s) and orders passed by the Committee in regard to the child.

(11) In all cases pending inquiry, the Committee shall notify the next date of appearance of the child not later than fifteen days of the previous date and also seek periodic status report from the social worker or Case Worker or Child Welfare Officer conducting investigation on each such date.

(12) In all cases pending inquiry, the Committee shall direct the person or institution with whom the child is placed to take steps for rehabilitation of the child including education, vocational training, etc., from the date of first production of the child itself.

(13) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall be ratified by the Committee in its next sitting.

(14) At the time of final disposal of a case, there shall be at least three members present including the Chairperson, and in the absence of Chairperson, a member so nominated by the Chairperson to act as such.

(15) The Committee shall function cohesively as a single body and as such shall not form any subcommittees.

(16) Where a child has to be sent or repatriated to another district or state or country the Committee shall direct the District Child Protection Unit to take necessary permission as may be required, such as approaching the Foreigners Regional Registration Offices and Ministry of External Affairs for a no-objection certificate, contacting the counterpart Committee, or any other voluntary organisation in the other district or state or country where the child is to be sent.

(17) At the time of final disposal of the case, the Committee shall incorporate in the order of disposal, an individual care plan in **Form 7** of such child prepared by the social worker or Case Worker or designated officer by the District Child Protection Unit or Child Welfare Officer of the institution or any non-governmental organisation, as the case may be.

(18) While finally disposing of the case, the Committee shall give a date for follow-up of the child not later than one month from the date of disposal of the case and thereafter once every month for the period of first six months and thereafter every three months for a minimum of one year or till such time as the Committee deems fit.

(19) Where the child belongs to a different district, the Committee shall forward the age declaration, case file and the individual care plan to the Committee of the district concerned which shall likewise followup the individual care plan as if it had passed such disposal order.

(20) The individual care plan shall be monitored by means of a rehabilitation card in **Form 14** issued for the purpose by the Committee passing the disposal order and which shall form part of the record of the Committee which follow up the implementation of the individual care plan. Such rehabilitation card shall be maintained by the Rehabilitation- cum -Placement Officer.

(21) All orders passed by the Committee in respect of a child in need of care and protection shall also be uploaded on the designated portal with due regard to the confidentiality and privacy of the child.

(22) When a parent or guardian, wishes to surrender a child under sub-section (1) of section 35 of the Act, such parent or guardian shall make an application to the Committee in **Form 23.** Where such parent or guardian is unable to make an application due to illiteracy or any other reason, the Committee shall facilitate the same through the Legal Aid Counsel provided by the Legal Services Authority, the deed of surrender shall be executed as per **Form 24**.

(23) The inquiry under sub-section 3 of section 35 of the Act shall be concluded by the Committee expeditiously and the Committee shall declare the surrendered child as legally free for adoption after the expiry of sixty days from the date of surrender.

(24) In case of orphan or abandoned child, the Committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established that the

child is either an orphan having no one to take care, or abandoned, the Committee shall declare the child legally free for adoption.

(25) In case an abandoned or orphan child is received by a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, such a child shall be produced before the Committee within twenty-four hours (excluding the time necessary for the journey) along with a report in **Form 17** containing the particulars and photograph of the child as well as the circumstances in which the child was received by it and a copy of such report shall also be submitted by the Child Care Institution or a Specialised Adoption Agency to the local police station within the same period.

(26) The Committee shall issue an order in **Form 18** for short term placement and interim care of the child, pending inquiry under section 36 of the Act.

(27) The Committee shall use the designated portal to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child while causing the details of the orphan or the abandoned child to be uploaded.

(28) The Committee, after taking into account the risk factors, and in the best interest of the child, may direct the publication of the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in national newspapers with wide circulation within seventy two hours from the time of receiving the child for the purposes of tracing out the biological parents or the legal guardian(s).

(29) The Committee, after making inquiry as per the provisions of the Act, shall issue an order in **Form 25** declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption and send the same information to the Authority.

(30) Where the parents of the child are traced, the procedure for restoration of the child shall be as per **rule 82** of these rules.

20. Pendency of cases.—(1) The Committee shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and in case there is more than one child in one case, a separate sheet shall be used for each child. The case monitoring sheet shall be in **Form 26**. The said Form shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 26** is concerned:

(i) time schedule for disposal of the case should be fixed on the first date of hearing;

(ii) scheduled date given in column (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) is to be completed.

(2) The Committee shall submit a quarterly report to District Magistrate in **Form 16** for review of pendency of cases**.**

(3) The District Magistrate shall review the functioning of the Committee including by inspection once every quarter and also appraise the performance of the Chairperson and the members of the Committee on the basis of their participation in the proceedings of the Committee and submit a report to the State Child Protection Society.

———

CHAPTER VI

REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

21. Manner of Registration of Child Care Institutions.—(1) All institutions running institutional care services for children in need of care and protection or children in conflict with law, whether run by the Government or voluntary organisation, shall be registered under subsection (1) of section 41 of the Act, irrespective of being registered or licensed under any other Act for the time being in force.

(2) All such institutions shall make an application in Form 27 together with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution to the State Government, Darpan Identification from National Institution for Transforming India Aayog and a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the State Government or District Administration;

(3) The State Government shall, after receipt of the application for registration, send the application to the District Magistrate within fifteen days of receipt of the application to call for recommendations of the District Magistrate in Form 46A.

(4) The District Magistrate may examine the requests vis-a-vis need in the district within thirty days from the date of receipt of application from the State Government.

(5) The District Magistrate shall verify credibility, background and previous record of the Child Care Institution and the agency or individual promoting the institution and make specific recommendations to the State Government for consideration.

(6) The following shall be considered by the District Magistrate while making recommendations, namely:–

(i) registration of the organisation under any law for the time being in force;
(ii) details of physical infrastructure, water and electricity facilities, sanitation and hygiene, recreation facilities and nutrition plan;

(iii) financial position of the organisation and maintenance of documents along with audited statement of accounts for the previous three years;

(iv) resolution of the Governing Body to run the institution or an open shelter;

(v) plan of action for providing services for children such as medical, vocational, educational, counselling, and the like, in case of new applicants and details of such services provided in case of existing institutions ;

(vi) arrangements of safety, security, transportation and support and access for differently-abled children;

(vii) details of other support services run by the organisation;

(viii) the institution is near a school within such area or limits of neighbourhood, as may be prescribed under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);

(ix) details of linkages and networking with other governmental, non-governmental, corporate and other community based agencies on providing need-based services to the children;

(x) details of existing staff with their qualification and experience;

(xi) details of registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and funds available, if any;

(xii) a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;

(xiii) any other criteria as prescribed by the State Government.

(xiv) while making the recommendation, the District Magistrate shall assess the actual requirement of additional institutions, keeping in mind the occupancy levels of the existing institutions and the capacity of authorities under section 54 of the Act so that they can ensure compliance of the Child Care Institutions with provisions of the Act; and

(xv) certify to the effect that the relevant provisions of the Act and rules have been complied with.

(7) The State Government shall after verifying that provisions exist in the institution for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the Act and the rules, and taking into account the requirements of the district and recommendation from the District Magistrate about the applicant institution, may issue a registration certification to such institution under sub- section (1) of section 41 of the Act in Form 28.

(8) The State Government, while taking a decision on the application for registration, shall consider the following namely:–

(i) recommendations of the District Magistrate;

(ii) confirm that all the eligibility conditions as per the Act are met with;

(iii) any other criteria as prescribed by the Centre or the State Government has also been followed.

(9) The State Government, shall not grant provisional registration where adequate facilities do not exist in the institution applying for registration and the State Government shall issue an order before the expiry of one month from the date of receipt of the application that the institution is not entitled for even provisional registration.

(10) The District Magistrate shall conduct a detailed annual inspection of all the institutions in the district which have been registered under the Act and such inspection shall be carried out in the format as provided under Form 46.

(11) If the inspection or the annual review reveals that there is unsatisfactory compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution as laid down under the Act and the rules or the facilities are inadequate, the State Government shall, at any time, serve notice on the management of the institution and after giving an opportunity of being heard, declare within a period of sixty days from the date of the detailed inspection or annual review as the case may be, that the registration of the institution or organisation, shall stand withdrawn or cancelled from a date specified in the notice and from the said date, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41of the Act.

(12) When an institution ceases to be an institution registered under the Act or has failed to apply for registration within the time frame laid down in the said provision or has not been granted provisional registration, the said institution shall be managed by the State Government or the children placed therein shall be transferred by the order of the Board or the Committee, to some other institution, registered under subsection (1) of section 41 of the Act.

(13) All institutions shall be bound to seek renewal of registration three months prior to the expiry of the period of registration and in case of their failure to seek renewal of registration before the expiry of the period of registration of the institution, the institution shall cease to be an institution registered under sub- section (1) of section 41 of the Act and provisions of sub-rule (8) of this rule shall apply.

(14) An application for renewal of registration of an institution shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of application.

(15) The decision on renewal of registration shall be based on the annual inspection done by the District Magistrate under Form 46A in the year in which renewal is sought.

(16) The Central Government shall facilitate developing a model online system for receipt and processing of applications and grant or cancellation of registration, and in the interim the systems existing in the States and Union territories shall continue.

21A Manner of registration of Group Foster Care.–

(1) Every Group Foster Care shall be registered under the Act in a manner as prescribed under these rules.

(2) All such Foster Families willing to undertake children under Group Foster Care shall make an application to the State Government. At the time of application, the Foster Family shall also make declaration under Form 50 regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the State Government.

(3) The appropriate Government shall then verify the declaration form of the Foster Family and if found otherwise by the State Government, the Foster Family shall be liable for punitive action and immediate disqualification.

(4) Within a month of receipt of application for registration of Group Foster Care, the application shall be referred to the concerned District Magistrate by the State Government, for conducting inspection of the Group Foster Care and sending its recommendations.

(5) The District Magistrate shall conduct inspection and send its recommendation as per Form 47 within thirty days from the date of receipt of call of recommendation from the State Government.

(6) The District Magistrate while making its recommendations for registration of Group Foster Care shall examine that the Group Foster Care has the following facilities, namely:–

(a) provide adequate food, clothing and shelter and education;

(b) provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;

(c) ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse;

(d) provide age appropriate facilities for recreation, extra-curricular activities such as sports, music, dance,drama, art, and the like;

(e) provide vocational training according to the interests of the child;

(f) mandatory police verification of the individuals;

(g) income tax returns of the individuals for the past three years;

(7) After considering the recommendations of the District Magistrate and verifying that provisions exist in the facility for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities, the State Government may issue a registration certificate in Form 48.

(8) The District Magistrate shall conduct a detailed inspection to review annually after registration of the institution as per Form 47.

(9) As mandated under section 44 of the Act, the Child Welfare Committee shall conduct monthly inspection of Group Foster Care as per Form 47.

(10) The inspection reports of the District Magistrate, the Inspection Committees, and the Child Welfare Committees shall be shared with the District Child Protection Unit within a period of fifteen days of inspection for taking corrective action.

(11) Wherever the District Magistrate or the Inspection Committees or the Child Welfare Committee finds the Group Foster Care to be in violation of the provisions of the Act and these rules, the District Magistrate or the Committee shall recommend cancellation of registration of the facility to the State Government and forthwith shift the children from the facility by following due process.

Explanation.—For the purpose of this rule, cancellation of registration shall be for a term not less than five years.

22. Open Shelter.—(1) The State Government may establish open shelters by itself or through voluntary or non-governmental organisations.

(2) All organisations and persons who wish to establish open shelters or already running open shelters shall, make an application in **Form 27** to the State Government ~~for~~ registration.

(3) The applicants shall submit a report of the need for opening such open shelters along with a survey on the status of children indicating the number of children where the open shelter is proposed to be established. After proper police verification and other inquiry as deemed necessary, the organisation or person may be selected for running the open shelter.

(4) The open shelters shall be registered as provided under sub-section (1) of section 41 of the Act in **Form 28**.

(5) The services provided in the open shelters may include day care and night residential facilities including food, washing facilities and toilets, and any other facility as the State Government may deem fit.

(6) The capacity of an open shelter should be such as to accommodate twenty-five to fifty children at one time and should include a kitchen, dining facilities, bathrooms and toilets, lockers and recreational facilities.

(7) In cases where, the agency in charge of the Open Shelter finds that a child may require more than short term care and protection exceeding twenty- four hours, such child may be produced before the Committee for appropriate further steps.

(8) The open shelter shall not refuse admission to any child in need of care and protection at any time.

(9) Each open shelter shall send monthly information in **Form 29** to the District Child Protection Unit and the Committee regarding the children availing the services of the open shelter.

23. Foster Care.—(1) The State Government may place children in need of care and protection in foster care including group foster care through order of the Committee for a short or extended period of time.

(1A) while placing the child in foster care, the State Government shall ensure the following in order of preference, namely:—

(i) child is placed in a similar social cultural milieu;

(ii) first preference shall be given to the extended family of the child, which does not include child's biological or adoptive parents;

Provided that any of the immediate or extended family members are not the alleged accused/perpetrators of abuse on the child.

(iii) second Preference shall be given to an unrelated family known to the child.

(iv) third Preference shall be given to an unrelated foster family.

(v) fourth Preference shall be given to Group Foster Care;

(2) The District Child Protection Unit shall be the nodal authority for implementing the foster care programme in a district.

(3) All decisions related to placement of a child in foster care shall be taken by the Committee within a period of three months. Childrenin the age group of six years and above may be considered for placement in foster care in the circumstances mentioned in sub-rule (1) of **rule 44** of these rules. Children below six years of age shall be, as far as possible placed in adoption.

(4) Children in need of care and protection who are living in community may also be considered for placement in foster care based on the child study report in **Form 31** prepared by the District Child Protection Unit.

(5) The Committee shall take into consideration the individual care plan and the opinion of the child before deciding the nature of foster care with due regard to his age and maturity. The child shall be informed and prepared throughout the process.

(6) Foster care may be for short term or long term depending upon the needs of the child. The duration of short term Foster care shall be for a period of not more than one year.

(7) Long term foster care, shall be for a period exceeding one year. This can be periodically extended by the Committee till the child attains eighteen years of age on the basis of assessment of the compatibility of the child with the foster care parents or in a group foster care setting.

(8) Recognising that every child has the right to grow in a family environment, every attempt shall be made to reunite the child with his biological family, if possible.

(9) The Committee before placing the child in foster care shall obtain a Home Study Report of the foster family through the District Child Protection Unit in **Form 30**.

(9A) The District Child Protection Unit shall submit the Home Study Report of the Prospective Foster Care Family to the Committee within thirty days from the day of reference.

(10) Children with special needs may be considered either for placement in foster family or group foster care, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness or group setting has facilities for care of such children.

(11) The number of children placed under foster care shall not exceed two children at any given point of time (with the exception of siblings) excluding biological children of the foster family and the number of children under group foster care shall not exceed eight children including biological children of the foster caregiver at any given point of time.

(12) The District Child Protection Unit, while selecting foster family shall consider the following, namely:

(i) both the spouses must be Indian citizens;

(ii) both the spouses must be willing to foster the same child;

(iii) both the spouses must be above the age of thirty-five years and must be in good physical, emotional and mental health;

(iv) ordinarily the foster family should have an income with which they are able to meet the needs of the child;

(v) medical reports of all the members of the foster family residing in the premises should be obtained including reports for Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B etc. to determine that they are medically fit; and

(vi) the foster family should have adequate space and basic facilities.

(13) The District Child Protection Unit, while selecting Group foster care setting shall consider the following illustrative criteria, namely:—

(i) the Group Foster Care setting shall be registered under rule 21A of these rules and the inspections of the Group Foster Care setting shall be conducted as per provisions laid under these rules;

(ii) the Group Foster Care setting having registration under rule 21A of these rules shall follow the norms and standards as given under the Act and these rules and the norms and standards as laid down under these Rules shall be applicable as per children placed in Group Foster Care, which is a maximum number of eight children including biological children of the foster caregiver;

(iii) existence of child protection policy;

(iv) sufficient space and proper amenities for children;

(v) any facility housing more than eight children including biological children in Group foster care shall be registered as a Child Care Institution; and

(vi) medical reports of all the members of the Group Foster Caregivers residing in the premises shall be obtained including reports for Human Immunodeficiency Virus, Tuberculosis and Hepatitis B and the like to determine that they are medically fit.

(14) The Central Government shall issue Model Guidelines for non-institutional care including Foster Care and Group foster care, based on which the process for selection of Foster Care and Group foster care setting shall be notified by the State Government.

(15) The Committee shall pass the final order in **Form 32** for placing the child in foster care, specifying the period for which the child is placed in foster care.

(16) The foster family or group foster care giver shall sign an undertaking for foster-care of the child in **Form 33.**

(17) The District Child Protection Unit shall maintain a record of each child in foster care in **Form 34**.

(18) The Committee shall conduct monthly inspection of the foster families or foster care givers in **Form 35** to check the well-being of the child.

(19) The foster family or group foster care giver shall:

a. provide adequate food, clothing and shelter and education

b. provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;

c. ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse;

d. provide age appropriate facilities for recreation, extra-curricular activities such as sports, music, dance, drama, art, etc.;

e. provide vocational training according to the interests of the child;

f. respect the privacy of the child and his biological family or guardian, and acknowledge that any information provided about them is confidential and is not to be disclosed to another party without prior consent;

g. provide treatment in emergent situations and inform the Committee and biological family about the same which may pass appropriate orders wherever necessary;

h. support contact between the child and his biological family in consultation with the Committee keeping in view the best interest of the child;

i. share and discuss the information pertaining to the progress of the child periodically with the Committee and biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee; and

j. ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes of address, holiday plans and any episodes of running away of the child to the Committee.

(20) The foster family or group foster care shall be black listed from the foster care programme and shall also not be eligible to adopt a child under the Act:

(i) if the foster family or persons in group foster care are convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence;

(ii) if a complaint, of child abuse or violation of human rights or child rights, registered against the foster family or persons in group foster care has been proven by the State Government, based on an inquiry.

Explanation.—For the purpose of this rule, a blacklisted foster family or group foster family shall not be eligible to apply for foster care.

24. Sponsorship.—(1) The State Government shall prepare sponsorship programmes, which may include:

a. individual to individual sponsorship;

b. group sponsorship;

c. community or organisation sponsorship

d. support to families through sponsorship; and

e. support to Children Homes and Special Homes.

f. sponsorship through institutions, companies or corporations either public or private;

Explanation.—For the purposes of this clause, sponsorship shall be prioritised for providing support to families for the purpose of restoration of the child to the family or relative or guardian.

(2) The District Magistrate shall draw up a sponsorship plan for the district in consultation with the stakeholders, generate resources by way of public and private contributions and ensure that the vulnerable children in the district are supported either partially or fully, as per their requirement.

2A) The District Child Protection Unit shall prepare a panel of persons or families or organisations interested in sponsoring a child."

(3) The panel will list sponsors according to the area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc., and the nature of sponsorship.

(4) The District Child Protection Unit shall forward the panel to the Board or the Committee or the Children's Court, for passing appropriate order for placement of the child under sponsorship in Form 36.

(5) The District Child Protection Unit, in case of individual sponsorship, shall open an account in the name of the child to be operated preferably by the mother and the money shall be transferred directly from the bank account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child.

(6) The duration of sponsorship should be as per the Individual Care Plan of the child, which may cover a period up to the age of eighteen years and may also be extended to the aftercare program of the child.".

(7) The procedure for sponsorship through institutions, organisations, companies or corporations either public or private shall be as specified by the State Government.

25. After Care of Children Leaving Institutional Care.—(1) The State Government through the District Magistrate shall [60]prepare a programme for children who have to leave Child Care Institutions on attaining eighteen years of age by providing for their education, giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay to facilitate their re-integration into the mainstream of society.

(2) Any child who leaves a Child Care Institution may be provided after care till the age of twenty-one years on the order of the Committee or the Board or the Children's Court, as the case may be , as per **Form 37** and in exceptional circumstances ,for two more years on completing twenty-one years of age .

(2A) The District Magistrate may facilitate scholarships for higher education; loan for education or starting small business for children leaving the Child Care Institutions and convergence with the Government schemes or private entrepreneurs may be explored for the purpose.

(2B) The District Magistrate may facilitate campus placements and apprenticeship assignments in collaboration with the local businesses and industry, subject to the condition that such business or industry or agency is found suitable for engaging with the children and prescribes to the Child Protection Policy as mandated under the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020.

(2C) The District Magistrate may maintain oversight on such arrangements with the help of the Police and other stakeholders to ensure that the interest of children are not compromised in any manner.

(3) The District Child Protection Unit shall prepare and maintain a list of organisations, institutions and individuals interested in providing after care as per their area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc. and the same shall be forwarded to the Board or the Committee and all Child Care Institutions for their record.

(4) The Probation Officer or the Child Welfare Officer or Case Worker or social worker, shall prepare a post release plan and submit the same to the Board or the Committee, two months before the child is due to leave the Child Care Institution, recommending after care for such child, as per the needs of the child.

(5) The Board or the Committee or the Children's Court, while monitoring the post release plan will also examine the effectiveness of the aftercare programme, particularly whether it is being utilized for the purpose for which it has been granted and the progress made by the child as a result of such after-care programme.

(6) Children who are placed in after care programme, shall be provided funds by the State Government for their essential expenses; such funds shall be transferred directly to their bank accounts.

(7) The services provided under the after-care programme may include:

(i) community group housing on a temporary basis for groups of six to eight persons;

(ii) provision of stipend during the course of vocational training or scholarships for higher education and support till the person gets employment;

(iii) arrangements for skill training and placement in commercial establishments through coordination with National Skill Development Programme, Indian Institute for Skill Training and other such Central or State Government programmes and corporates , etc.;

(iv) provision of a counsellor to stay in regular contact with such persons to discuss their rehabilitation plans ;

(v) provision of creative outlets for channelising their energy and to tide over the crisis periods in their lives;

(vi) arrangement of loans and subsidies for persons in after-care, aspiring to set up entrepreneurial activities; and

(vii) encouragement to sustain themselves without State or institutional support.

26. Management and Monitoring of Child Care Institutions.—(1) The personnel strength of a Child Care Institution shall be determined according to the duty, posts, hours of duty and category of children that the staff is meant to cater to.

(2) The staff of the Child Care Institution shall be subject to control and overall supervision of the Person in-charge who by order, shall determine their specific duties and responsibilities in keeping with the statutory requirements of the Act and these rules.

(3) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution and shall proportionately increase with the increase in the capacity of the institution.

(4) In case of Child Care Institutions housing girls, only female Person-in charge and staff shall be appointed.

(5) Any person associated with a Child Care Institution should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude or hold any office in any political party during his tenure.

(6) No person shall be appointed to or work in a Child Care Institution without police verification.

(17) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 100 children may be as below:

Sl. No.	**Personnel/ Staff**	**Number**
1.	Person-in-charge (Superintendent)	1
2.	Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Workers (NGOs) A Child Welfare Officer may be designated as Rehabilitation-cum-Placement Officer	3
3.	Counselor/ Psychologists/mental health expert	2
4.	House Mother/ House Father	4
5.	Educator/ Tutor	2(Part time)
6.	Medical Officer (Physician)	1 (on call)
7.	Para-medical staff/ Staff Nurse/Nursing Orderly	1
8.	Store Keeper cum Accountant	1
9.	Art & Craft & activity teacher	1(Part time)
10.	PT Instructor-cum-Yoga trainer	1(Part time)
11.	Cook	2
12.	Helper	2
13.	House keeping	2
14.	Driver	1
15.	Gardener	1 (Part time)

(18) In case of institutions housing infants, provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per need.

(19) The security personnel shall be deployed as per nature and requirement of the Child Care Institution, taking into consideration strength of the children, age groups, physical and mental status, segregation facility based on the nature of offence and structure of the Institution.

(20) The security personnel to be engaged or appointed shall be adequately trained and oriented to deal with the children with sensitivity preferably ex-servicemen or retired para-military personnel or through Director General of Resettlement.

(21) The security personnel shall not be with arms or guns but have training and special skills to handle a crisis situation, control violence and escape of children from the institution, conduct search and frisking and security surveillance.

27. Fit Facility.—(1) The Board or the Committee shall on an application from any institution or organisation run by Government or non-governmental organisation, recognise the facility as a fit facility provided the manager of that facility is willing temporarily to receive a child for a specific purpose or for group foster care.

(4) An application in **Form 38** for recognition shall be accompanied with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of the preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organisation.

(5) Any facility for recognition as a fit facility shall:

(i) meet the basic standards of care and protection to the child;

(ii) provide basic services to any child placed with it;

(iii) prevent child placed with it to any form of cruelty or exploitation or neglect or abuse of any kind; and

(iv) abide by the orders passed by the Board or the Committee.

(13) The Board or the Committee, after proper inspection and inquiry to ensure that provisions exist in the institution for the care and protection of children with reference to their health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the rules, and consideration of such other material as may be available, may grant recognition to such institution or organisation as a fit facility in **Form 39:**

Provided that any person associated with such institution or organisation should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(14) A decision on the application for recognition of an institution or organisation shall be taken by the Board or the Committee within a period of fifteen days from the date of receipt of the application.

(15) The recognition to an institution or an organisation as a fit facility shall be initially for a period of three years which may be renewed for a further period of three years in accordance with sub-rule (4) of this rule.

(16) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided, or conditions prevailing in the facility, or the management of the institution or the organisation recognised under the Act or on an adverse report made by an inspection committee appointed under section 54 of the Act, or for any other reason, at any time, by a reasoned order, withdraw the recognition of the institution or the organisation as a fit facility and from the date specified in the order of the Board or the Committee, the institution or the organisation shall cease to be a fit facility recognized under the Act and the rules.

(17) Where the recognition of a fit facility is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children's Court and the Special Juvenile Police Unit and the children placed with such an institution or organisation may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit facility or any other Child Care Institution.

(18) A list of fit facilities approved by the Board or the Committee shall be kept in that office and be sent to the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children's Court, the Special Juvenile Police Unit and the State Child Protection Society.

(19) An institution or organisation shall be recognised as a fit facility for purposes which may include:

(i) short term care;

(ii) medical care treatment and specialised treatment;

(iii) psychiatric and mental health care;

(iv) de-addiction and rehabilitation;

(v) education;

(vi) vocational training and skill development;

(vii) witness protection; and [64]

(20) The services to be provided by the fit facility may include:

(i) food, clothing, water, sanitation and hygiene;

(ii) mental health interventions including counselling;

(iii) medical facilities including first aid and to facilitate specialised treatment;

(iv) formal age appropriate education including bridge education and continuing education and life skill education; and

(v) recreation, sports, fine arts and group work activities.

(21) The placement of a child in a fit facility shall be for a period as deemed fit by the Board or the Committee or the Children's Court.

28. Fit Person.—(1) Any individual who is fit to temporarily receive a child for care, protection or treatment, for a period as may be necessary, may be recognised by the Board or the Committee as a fit person.

(12) The Board or the Committee may identify a panel of persons on the basis of their credentials, respectability, expertise, professional qualifications, experience of dealing with children and their willingness to receive the child and shall recognise them as fit persons for the purposes of the Act:

Provided that such a person should not have been accused of an offence under the Act or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(13) The Board or the Committee may also appoint any person as a fit person on need basis for a child or children after verifying the credentials of such person, and wherever possible, after getting police verification done on such a person.

(14) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided or for any other reason, at any time, by a reasoned order withdraw the recognition of the person as a fit person from the date specified in the order of the Board or the Committee.

(15) Where the recognition of a fit person is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the District Magistrate, the District Child Protection Unit, the Children's Court and Special Juvenile Police Unit and the child placed with such a fit person may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit person or with a fit facility or any Child Care Institution.

(16) A list of fit persons recognised by the Board or the Committee shall be kept in the office of the Board and the Committee and the Children's Court and be sent to the District Magistrate, District Child Protection Unit, Special Juvenile Police Unit and the State Child Protection Society

(17) The Board or the Committee or the Children's Court may place the child with a fit person in cases wherever required, including where the child cannot be sent to a Child Care Institution due to distance and/ or odd time.

(18) The fit person shall:

i) have the capacity and willingness to receive the child; and

ii) provide basic services for care and protection of the child.

(19) The Board or the Committee or the Children's Court, depending on the need of the child and in consultation with the fit person shall determine the period for which a child shall remain with the fit person.

(20) The child shall not be placed with a fit person for a period exceeding thirty days and in such cases where the child requires further care, the Committee may consider the placement of the child in foster care or may consider other rehabilitative alternatives for the child. The Board or the Children's Court in such cases where the period of placement of the child may exceed thirty days, refer the matter to the Committee for further orders in respect of the child.

29. Physical infrastructure.—(1) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:—

a. Observation Home:

i. separate observation homes for girls and boys;
ii. classification and segregation of children according to their age group preferably 7-11 years, 12-16 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

b. Special Home:

i. separate special homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of11 to 15 and 16 to 18 years;

ii. classification and segregation of children on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.

c. Place of Safety:

i. for children in the age group of 16 to18 years alleged to have committed heinous offence pending inquiry;

ii. for children in the age group of 16 to 18 years found to be involved in heinous offence upon completion of inquiry;

iii. for persons above 18 years alleged to have committed offence when they were below theage of 18 years pending inquiry;

iv. for persons above 18 years found to be involved in offence upon completion of inquiry;

v. for children as per the orders of the Board under clause (g) of sub-section (1) of section 18of the Act.

d. Children's Home:

i. while children of both sex below 10 years may be kept in the same home, separate bathing and sleeping facilities shall be maintained for boys and girls in the age group of 5-10 years;

ii. separate children's homes for boys and girls in the age group of 7-11 years and 12- 18 years;

iii. separate facilities for children upto the age of six years with appropriate facilities for infants.

(12) The Child Care Institutions shall be child-friendly and in no way shall they look like a jail or lock-up.

(13) Every Child Care Institution shall keep a copy of the Act and the rules framed by the State Government, for use by both the staff and children residing therein.

(14) Each Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child in the home.

(15) The Child Care Institutions for children in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises as per the criteria elaborated.

(16) The suggested norms for building or accommodation in each institution with 50 children may be as under:

(i)	2 Dormitories	Each 1000 Sq.ft. for 25 children i.e. 2000 Sq. ft.
(ii)	2 Class rooms	300Sq.ft. for 25 children i.e. 600 Sq. ft.
(iii)	Sickroom/First aid room	75 Sq.ft. per children for 10 i.e. 750 Sq. ft.
(iv)	Kitchen	250 Sq. ft.
(v)	Dining hall	800 Sq. ft.
(vi)	Store	250 Sq.ft.
(vii)	Recreation room	300 Sq.ft.
(viii)	Library	500 Sq.ft.
(ix)	5 Bathroom	25 Sq.ft. each i.e. 125 Sq. ft.
(x)	8 Toilets	25 Sq. ft. i.e. 200 Sq.ft.
(xi)	Office rooms	(a) 300 Sq.ft. (b) Person-in-charge room 200 Sq.ft.
(xii)	Counselling and Guidance room	120 Sq.ft.
(xiii)	Workshop	1125 Sq. ft. for 15 children @ of 75 Sq.ft. per trainee
(xiv)	Residence for Person-in-charge	(a) 2 rooms of 250 Sq.ft. each (b) Kitchen 75 Sq.ft. (b) bathroom cum toilet 50 Sq ft.
(xv)	2 rooms for Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee	300 Sq. ft each i.e. 600 Sq.ft.
(xvi)	Playground	Sufficient area according to total number of children
	Total	**8495 Sq.ft.**

(17) The Person-in-charge shall stay within the institution and be provided with quarters and in case he is not able to stay in the Child Care Institution for valid reasons, any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children and take decisions in the case of any crisis or emergency.

(18) There shall be proper and non-slippery flooring for preventing accidents.

(19) There shall be adequate lighting, heating and cooling arrangements, ventilation, safe drinking water, clean and accessible gender and age appropriate and disabled friendly toilets and high walls with barbed wire fencing.

(20) All institutions under the Act shall:

(i) make provision of first-aid kit, fire extinguishers in kitchen, recreation room, vocational training room, dormitories, store rooms and counselling room;

(ii) conduct periodic inspection of electrical installations;

(iii) ensure proper storage and inspection of articles of food; and

(iv) ensure stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

(21) Special infrastructural facilities and necessary equipment shall be provided to differently-abled children. Such facilities and equipment shall be designed under the guidance of specialists or experts.

(22) Other logistical and functional requirements which would be provided may include:

(i) computer sets;

(ii) photocopiers;

(iii) printer, scanner cum fax;

(iv) telephone with internet facility;

(v) web cam;

(vi) furniture for officials, record keeping cabinets, work stations, wheel chair and stretchers for medical room;

(vii) chairs and tables for study and dining hall;

(viii) projector.

30. Clothing, Bedding, Toiletries and other Articles.—(1) The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each child and the minimum standards for clothing and bedding shall be as under:

A. BEDDING		
Sl. No.	Article	Quantity to be provided per child
1.	Mattress	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
2.	Cotton Durry	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 years.
3.	Cotton bed sheets	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
4.	Pillow (Cotton stuffed)	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
5.	Pillow covers	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
6.	Cotton blankets/ Khes	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years.
7.	Cotton filled quilt	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years (in cold region in addition to the blankets).
8.	Mosquito net	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
9.	Cotton towels	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 3 months.

B. Clothing for Girls		
Sl. No.	Article	Quantity per child
1.	Skirts and Blouse or Salwa Kameez or Half Sari with Blouse and Petticoat	5 sets per year for girls depending on age and regional preferences.
2.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
3.	Sanitary Towels	12 packs per year for older girls.
4.	Woollen Sweaters (full sleeves)	2 sweaters yearly.
5.	Woollen Sweaters (Hal sleeves)	2 sweaters yearly.
6.	Woollen Shawls	1 per year.
7.	Nightwear	2 sets every 6 months.
B. Clothing for Boys		
S. No.	Article	Quantity per child
1.	Shirts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
2.	Shorts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for younger boys.
3.	Pants	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for older boys.
4.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
5.	Woollen jerseys(full sleeves)	2 yearly.
6.	Woollen jerseys (half sleeves)	2 yearly.
7.	Woollen Caps	1 in 1 year.
8.	Kurta Pyjama for night wear	2 sets every 6 months.

C. Miscellaneous Articles		
1.	Slippers	1 pair at the time of admission and subsequently after every 6 months.
2.	Sports shoes	1 pair at the time of admission and subsequently 1 pair after every 1 year.
3.	School uniform	2 sets every six months for children attending schools.
4.	School bag	1 every year for children attending schools.
5.	School shoes	1 pair at the time of admission in school and subsequently 1 pair after every 6 months.
6.	Handkerchiefs	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 months.
7.	Socks	3 pairs every six months.
8.	Stationery	As per need.

(2) In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white blouse, a pair of white canvas shoes and a blazer.

(3) In every hospital attached to the institution where there is provision for in-patient cots, the following scale has to be followed:

Sl. No.	Night clothing and bedding	Scale for supply
1.	Mattress	One per bed per 3 years.
2.	Cotton bed sheets	Four per bed per year.
3.	Pillows	One per bed per two year.
4.	Pillow covers	Four per bed per year.
5.	Woollen blankets	One per bed per 2 years.
6.	Pyjamas and loose shirts (hospital type for boys)	3 pairs per child per year.
7.	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 pairs per child per year.
8.	Cotton durry	One per bed per three years.

(4) Toiletry: Every resident of the Child Care Institution shall be issued oil, soap and other material as per the following scale:

Sl. No.	Items	Quantity to be issued per child
1.	Hair Oil for grooming the hair	100 ml per month.
2.	Toilet soap/handwash	2 bars of 100gm per month.
3.	Tooth brush	1 in every 3 months.
4.	Toothpaste	100gm (a tube) per month.
5.	Comb	1 in every 3 month.
6.	Shampoo sachets	8 in a month (10ml/ per sachet).
7.	Bathing soap	2 bars of 125gm per month.
8.	Hair clip/ band	2 bands in 3 month.
9.	Moisturiser or cold cream (during winters)	250 ml in a month.

(5) For washing of clothes and towels, bed-sheet, etc., the following scale may be followed:

(i) washing soap: 3 soaps for one month (125 gms) or equivalent washing powder;

(ii) whitening or bleaching agent to the extent required only for white clothing.

The hospital clothing shall not be mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing. The superintendent may get installed washing machines, as required.

(6) The following items shall be provided for maintaining the Child Care Institutions in a healthy and sanitary condition:

Sl. No.	Items	Scale of Supply
1.	Broom stick	25 to 40 per month depending on the area of the institution.
2.	Pesticide spray	As per the institution doctor's advice.
3.	Effective bugs killing agent	As required.

4.	Phenyl and cleaning acid	Depending on the area of lavatories to be (daily) cleaned as per institution doctor's advice.
5.	Mosquito repellent machines	2 per room per month with adequate fillets.

31. Sanitation and Hygiene.—(1) Every Child Care Institution shall have the following facilities, namely:

(i) sufficient treated drinking water; water filters or RO shall be installed at multiple locations in the premises for easy access such as kitchen, dormitory, recreational rooms etc.;

(ii) sufficient water including hot water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;

(iii) proper drainage system with regular maintenance;

(iv) arrangements for disposal of garbage;

(v) protection from mosquitoes by providing mosquito nets or repellants;

(vi) annual pest control;

(vii) sufficient number of well-lit and airy toilets with proper fittings in the proportion of at least one toilet for seven children;

(viii) sufficient number of well-lit and airy bathrooms with proper fittings in the proportion of at least one bath room for ten children;

(ix) sufficient space for washing and drying of clothes;

(x) washing machine wherever possible;

(xi) clean and fly-proof kitchen and separate area for washing utensils;

(xii) sunning of bedding twice every month and clothing on regular basis;

(xiii) maintenance of cleanliness in the Medical Centre;

(xiv) daily sweeping and wiping of all floors in the home;

(xv) cleaning or washing of the toilets and bathrooms twice everyday;

(xvi) proper washing of vegetables and fruits and hygienic manner of preparing food;

(xvii) cleaning of the kitchen slabs, floor and gas after every meal;

(xviii) clean and pest proof store for maintaining food articles and other supplies;

(xix) disinfection of the beddings at least once a year;

(xx) fumigation of a sick room or isolation room after every discharge in case of contagious or infectious disease; and

(xxi) cleanliness in medical centre.

32. Daily Routine.—(1) Every Child Care Institution shall have a daily routine for children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the Child Care Institution.

(2) The daily routine may provide, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays and national holidays, festive days, birthdays.

33. Nutrition and Diet Scale.—(1) The following nutrition and diet scale shall be followed by the Child Care Institutions, namely:

(i) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;

(ii) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale;

(iii) every Child Care Institution shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale suggested as specified below:

Sl.No.	**Name of the articles of diet**	**Scale per head per day**
1.	Rice/Wheat/Ragi/Jowar	600 gms, (700 gms for16-18 yrs age) of which atleast 100 gms to be either Wheat or Ragi or Jowar or Rice.
2.	Dal/ Rajma/ Chana	120 gms.
3.	Edible Oil	25 gms.
4.	Onion	25 gms.
5.	Salt	25 gms.
6.	Turmeric	05 gms.
7.	Coriander Seed Powder	05 gms.
8.	Ginger	05 gms.
9.	Garlic	05 gms.
10.	Tamarind/ Mango powder	05 gms.
11.	Milk (at breakfast)	150 ml.
12.	Dry Chillies	05 gms.
13.	Vegetables Leafy Non – leafy	100 gms. 130gms.
14.	Curd or Butter Milk	100 gms/ml.
15.	Chicken once a week or Eggs 4 days	115 gms.
16.	Jaggery& Ground Nut Seeds or Paneer (vegetarian only)	60 gms each (100 gms for paneer) Once in a week.

17.	Sugar	40 gms.
18.	Tea/Coffee	5gm.
19.	Sooji/Poha	150 gms.
20.	Ragi	150 gms.
	Following items for 50 Children per day	
21.	Pepper	25 gms.
22.	Jeera Seeds	25 gms.
23.	Black Gram dal	50 gms.
24.	Mustard Seeds	50 gms.
25.	Ajwain Seeds	50 gms.
	On Chicken Day for 10 Kg. of Chicken	
26.	Garam Masala	10 gms.
27.	Kopra	150 gms.
28.	KhasKhas	150 gms.
29.	Groundnut Oil	500 gms.
	For Sick Children	
30.	Bread	500 gms.
31.	Milk	500 ml.
32.	Khichadi	300 gms.
	Other Items	
33.	LP Gas for Cooking only	

(2) Children may be provided special meals on holidays, festivals, sports and cultural day and celebration of national festival.

(3) Infants and sick children shall be provided special diet according to the advice of the doctor on their dietary requirement.

(4) The requirement of each child shall also be taken into account including need for iron and folic acid supplements.

(5) The menu for the day shall be prepared in consultation with the Children's Committee and shall be displayed in the dining hall.

(6) Variation in diet may be as per seasonal and regional variations, a suggested diet variation is given below:-

(i) varieties of dal e g., Toor (Arhar), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be given alternatively;

(ii) on non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 gms of jaggery and 60 gms of groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer;

(iii) leafy vegetables such as Fenugreek (Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) GonguraThotakura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen garden is attached to any institution, leafy vegetables, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week;

(iv) seasonal fruits shall be provided in a non-repetitive manner in sufficient quantities;

(v) the Person-in-charge may make temporary alterations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the advice of the doctor of the institution subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(7) Meal Timing and Menu:

(i) Breakfast – 7.30 a.m. to 8.30 a.m.

(a) upma or chapattis made of wheat or ragi or any other dish;

(b) chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and Putnadal etc., dal or vegetable may be issued as a dish;

(c) milk;

(d) any seasonal fruit in sufficient quantity.

(ii) Lunch at 12.30 to 1.30 P.M. and Dinner – 7.00 P.M. – 8.00 P.M

(a) rice or Chapattis or combination of both;

(b) vegetable curry;

(c) sambar or dal;

(d) butter milk or curd.

(8) Others:

(i) depending on the season, the Person-in-charge shall have the discretion to alter the time for distribution of food;

(ii) on the advice of the institution's doctor or at the discretion of the Person-in-charge, every sick child who is prevented from taking regular food, on account of his ill-health, may be issued with medical diet as per the scale for sick children;

(iii) extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution doctor in addition to the regular diet, to gain weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength;

(iv) special lunch or dinner may be provided to the children at the Child Care Institution at the rate fixed by the Person-in-charge of the Child Care Institution, from time to time on national festivals and festival occasions, including:

(a) Republic Day (26th January);

(b) Independence Day (15th August);

(c) Mahatma Gandhi's Birth day (2nd October);

(d) Children's Day (14th November);

(e) National festivals;

(f) Local festivals;

(g) Annual Day of the Child Care Institution.

(h) Birthday of any of the children in the Child Care Institution.

34. Medical Care.—(1) In all Child Care Institutions, a medical officer shall be made available on call whenever necessary for regular medical check up and treatment of children.

(2) A nurse or a para medic shall be available round the clock in all Child Care Institutions.

(3) Every Child Care Institution may:

(i) arrange for medical examination of each child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty- four hours of admission and in special cases or medical emergencies immediately;

(ii) arrange for a medical examination of child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;

(iii) maintain a medical record of each child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;

(iv) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problems;

(v) have facilities for quarterly medical check-ups including dental check-up, eye testing and screening for skin problems and for treatment of children;

(v a) periodic medical health screening of each child to be conducted with the help of the nearest Government healthcare facilities;

(vi) every institution to have first aid kit and all staff be trained in handling first aid;

(vii) make necessary arrangements for the immunization of children;

(viii) take preventive measures in the event of out-break of contagious or infectious diseases;

(ix) keep sick children under constant medical supervision;

(x) not carry out any surgical intervention in a hospital on any child without the previous consent of his parent or guardian, unless the parent or guardian cannot be contacted and the condition of the child is such that any delay would, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the child or danger to life, or without obtaining a written consent to this effect from the Person-in-charge of the institution;

(xi) provide or arrange for regular counselling of every child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution and referral to specialised mental health centres, where necessary; and

(xii) refer such children who require specialised drug de-addiction and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified persons or running under any Government Scheme of the Ministry or Department where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the child concerned.

(4) Baseline investigation of Complete Blood Count (CBC), Urine Routine, HIV, VDRL, Hepatitis B and Hepatitis C tests and allergy or addiction to drugs shall be conducted for all children at the time of entry into the institution as suggested by the doctor after examining the child.

(5) Test for pregnancy or diseases for victims of sexual offences shall be conducted, if required by the order of the Board or the Committee or the Children's Court. In such cases the District Child Protection Unit shall facilitate following of the procedures laid down in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, if so needed.

(6) The District Magistrate through the Chief or District Medical Officer shall make provisions for those children diagnosed with special problems such as hormonal problems, immuno-compromised diseases, physical and mental disabilities on the recommendation of the medical officer. The children shall be kept in special care homes or hospitals and avail necessary medical/ psychiatric and psychological support or treatment.

(6A) The State Government may be approached in the event of inadequate facilities in the District and the concerned State Government shall make necessary arrangements in all such cases.

(7) All girls who have attained puberty shall undergo health assessment to detect iron deficiency. Necessary dietary plan and medicines shall be prescribed by the nutritionist and appointed doctor, if need be.

(8) A psycho- social profile of every child shall be maintained by the Child Care Institution and updated every month. Special observations may be recorded, when required. Person-in-charge of the institution shall ensure that any recommendations made shall be duly complied with.

35. Mental Health.—(1) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing children to cope with their situation and regain confidence.

(2) All persons involved in taking care of the children in an institution shall be provided necessary training or capacity building so as to facilitate an enabling environment and work in collaboration with the therapists as needed.

(3) Milieu based interventions and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, "milieu based intervention" is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution

so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take decisions regarding their life and thus, develop and identify beyond their negative experiences, such intervention which has a critical emotional impact on the child.

(4) The facilities available under the concerned mental health programme at State or District Level under the Ministry or Department of Health shall be utilized for providing facilities for mental health to the children.

(5) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar Government and non-Governmental agencies, for specialised and regular individual therapy for the child,

(6) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file, as required.

(7) No child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by trained mental health professionals.

(8) Medicines should be administered to the children only by trained medical staff and not by any other staff of the Home.

36. Education.—(1) Every institution shall provide education to all children according to the age and ability, both inside the institution or outside, as per requirement.

(7) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, open schooling, non formal education and learning where needed.

(8) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centres or tutors.

(9) Specialised trainers and experts shall be appointed to cater to the educational needs of children with special needs either physical or mental. Learning disorders shall be identified, assessed and reported in the Individual Care Plan. Further assistance shall be given to the child by trained professionals.

(10) Regularity of the education programme and attendance of the children shall be ensured.

(11) Children should be able to avail scholarships, grants and schemes and sponsorships.

37. Vocational Training.—(1) Every Child Care Institution shall provide gainful vocational training to children according to their age, aptitude, interest and ability, both inside or outside the Child Care Institution.

(4) Vocational training shall include occupational therapy, skill and interest based training, aimed at suitable placement at the end of the course. The institute, preferably government recognised, providing vocational training shall give a certificate, on the completion of the course.

(5) Where vocational training is offered outside the premises of the Child Care Institution, children shall be escorted for such programmes with proper security planning and services, particularly for children who are at risk.

(6) A record shall be maintained for all children attending the programmes and the progress made by each child shall be reviewed. The report in that regard shall be submitted to the District Magistrate, the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, on a quarterly basis.

(7) The District Magistrate may ensure convergence with existing Central or State Government programmes for skilling and vocational training of the children.

(8) Every child aged fourteen and above living in a Child Care Institution or under non-institutional care maybe given the option of skill development and vocational training.

38. Recreational Facilities.—(1) Recreational facilities may include indoor and outdoor games, yoga and meditation, music, television, picnic and outings, cultural programmes, gardening and library, etc.

(2) Sufficient space shall be made available for outdoor sports and games.

(3) Picnic and outings may include education fair or science fair, museum, planetarium, botanical garden, zoological garden, etc.

(4) Cultural event or sports competition shall be held once in a quarter to showcase talent on festivals or on days of national festivals.

(5) Library shall have child friendly environment. There shall be books in regional language, newspapers, children's magazines, puzzle books, picture books, books in braille, audio and video devices, etc.

(6) Space in the home shall be made available for gardening with technical input being given by a gardener to the children.

(7) Music, dance and art therapy may be included in the list of recreational activities to enhance the healing process of each child.

(8) Regularity of the activities shall be maintained with support of institutions and non-governmental organisation, if needed and a report shall be submitted on quarterly basis to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

39. Management Committee.—(1) Every Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, children shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay.

(3) The Management Committee shall comprise of:

(i) District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)- Chairperson;

(ii) Person-in-charge - Member-Secretary;

(iii) Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker – Member;

(iv) Medical Officer – Member;

(v) Psychologist or Counsellor – Member;

(vi) Workshop Supervisor or Vocational Instructor– Member;

(vii) Teacher – Member;

(viii) Social Worker Member of the Board or the Committee – Member;

(ix) two child representatives from each of the Children's Committees – Members;

(x) any other special invitee with the consent of the Chairperson.

(4) The Management Committee shall meet at least once every month to consider and review:

(i) care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;

(ii) medical facilities and treatment;

(iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;

(iv) mental health interventions;

(v) individual problems of children and institutional adjustment;

(vi) quarterly review of individual care plans;

(vii) provision of legal aid services;

(viii) vocational training and opportunities for employment;

(ix) education and life skills development programmes;

(x) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counselling;

(xi) progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the children;

(xii) planning post-release or post-restoration rehabilitation programme and follow up for a period of two years in collaboration with after care services, as the case may be;

(xiii) pre-release or pre-restoration preparation;

(xiv) release or restoration;

(xv) post release or post-restoration follow-up;

(xvi) minimum standards of care, including infrastructure and services available;

(xvii) daily routine;

(xviii) community participation and voluntary participation in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;

(xix) all registers as required under the Act and the rules maintained by the institution, duly stamped and signed and to check and verify the registers in the monthly review meetings;

(xx) matters concerning Children's Committees; and

(xxi) any other matter which the Person-in-charge may like to bring up.

(5) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible to children away from the office set up and closer to the residence or rooms or dormitories of the children.

(6) The key of the Children's Suggestion Box shall remain in the custody of the Chairperson of the Management Committee and shall be checked every week by the Chairperson of the Management Committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

(6A) The District Child Protection Unit shall compile the recommendations of the Management Committees and suggestions of the children received from the Suggestion Box from all Child Care Institutions in the Districts on a monthly basis, action taken on the same and submit a detailed report to the District Magistrate.

(7) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.

(8) The quorum for conducting emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of the Board or the Committee, as the case may be, and the Person-in-charge of the Child Care Institution.

(9) In the event of a serious allegation or complaint against the Person-in-charge of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.

(10) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the monthly meeting of the Management Committee.

(11) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and

follow up shall be communicated to the Children's Committees after every monthly meeting of the Management Committee.

(12) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once a month.

(13) The complaint box shall be accessible by the Chairperson of the Committee or any other person authorised by him.

40. Children's Committees.—(1) Person-in-charge of every institution for children shall facilitate the setting up of children's committees for different age groups of children, that is in the age group of 6 to 10 years, 11 to 15 years and 16 to 18 years and these children's committees shall be constituted solely by children.

(2) Such children's committee shall be encouraged to participate in following activities:

(i) improvement of the condition of the institution;

(ii) reviewing the standards of care being followed;

(iii) preparing daily routine and diet scale;

(iv) developing educational, vocational and recreation plans;

(v) respecting each other and supporting each other in managing crisis;

(vi) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;

(vii) creative expression of their views through wall papers or newsletters or paintings or music or theatre;

(viii) management of institution through the Management Committee.

(3) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees meet every month and maintain a register for recording their activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their monthly meetings.

(4) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.

(5) The Person-in-charge may, as far as feasible, seek assistance from local voluntary organisations or child participation experts for the setting up and functioning of the children's committees.

(6) The local voluntary organisation or child participation expert shall support the children's committees in the following:

(i) electing their leaders and in devising the procedure to be followed for conducting the elections;

(ii) conducting the elections and monthly meetings;

(iii) framing rules for the functioning of children's committees and following it;

(iv) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents; and

(v) any other innovative activity.

(7) The Management Committee shall seek a report from the Person-in-charge on the setting up and functioning of the children's committees, review these reports in their monthly meetings and take necessary action or place the same before the Board or the Committee, wherever required.

41. Inspection.—(1) The State Government shall constitute the State level inspection committee and the District Magistrate shall constitute district level inspection committees.

(2) The State Inspection Committee shall comprise of a maximum of seven members from among the State Government, namely the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, the State Human Rights Commission, State Adoption Resource Agency, medical and other experts, voluntary organisations and reputed social workers. The Member-Secretary, State Child Protection Society shall be the Chairperson of the State Inspection Committee.

(3) The State Inspection Committee shall carry out inspections of the Child Care Institutions as defined under sub-section (21) of section (2) of the Act housing children in the State in **Form 46**.

(4) The State Inspection Committee shall carry out random inspections of the institutions housing children to determine whether such institution is housing children in need of care and protection.

(5) The State Inspection Committee shall submit report to the Secretary of the Department implementing the Act.

(6) The State Inspection Committee shall make recommendations for improvement and development of the Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall forward the same to the District Magistrate and the State Child Protection Society for appropriate action.

(6A) The Inspection report of the State Inspection Committee shall be forwarded to the District Magistrate within a period of two weeks of the visit.

(7) The State Inspection Committee shall interact with the children during visits to the institution to determine their well-being and to get their feedback.

(7A) Appropriate action shall be taken within a month by the District Magistrate and a compliance report for the same shall be submitted to the State Child Protection Society, in two months period.

(8) The District Inspection Committee shall comprise of the following members, namely:–

(i) Additional District Magistrate- Chairperson;

(ii) Member of the Board or the Committee;

(iii) District Child Protection Officer as the Member Secretary;

(iv) one Medical Officer nominated by the Chief or District Medical Officer of the district;

(v) one member of the civil society working in the area of child rights, care, protection and welfare, who is not a part of the management or organisation or has any pecuniary interest in such organisation of any Child Care Institution.

(vi) one mental health expert who has experience of working with children; and

(vii) any other person of repute from society not having conflict of interest, deemed appropriate by the District Magistrate.

(9) The District Inspection Committee shall inspect all Child Care Institutions in the district in **Form 46.**

(10) The inspection of the facilities housing children in the district shall be carried out at least once every three months.

(11)The District Inspection Committee shall submit the report of the findings to the District Magistrate or the State Government and shall also make suggestions for improvement and development of the Child Care Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(12) The District Inspection Committee shall interact with the children during the visits to the institution to determine their well-being and to elicit their feedback.

(13) The District Magistrate shall take necessary action on the report of the District Inspection Committee and ensure corrective measures are taken in a time bound manner.

(14) The District Magistrate shall submit a report on the Child Care Institutions functioning in the District and measures taken for their improvement once every year to the State Government.

42. Evaluation.—(1) The evaluation of functioning of the Board, Committee, special juvenile police units, registered institutions, or recognised fit facilities and persons under the Act may be done by the Central Government or the State Government once in three years through institutions and agencies such as reputed academic institutions, schools of social work of Universities, Management Institutions, multidisciplinary Committee especially constituted for the purpose etc.

(2) The findings of the evaluation as per sub-rule (1) above shall be shared between the Central and State Governments in order to strengthen and improve the functioning of different structures.

CHAPTER-VII
ADOPTION

43. Adoption Related Reporting.—(1) The Child Welfare Committees shall, furnish the data relating to children declared legally free for adoption on a monthly basis in the formats

provided in the Adoption Regulations and also to the respective State Adoption Resource Agencies, with the assistance of the District Child Protection Units.

(2) The information to be provided in sub-rule (1) shall also be provided to the District Magistrate in Form 16A.

(3) The District Magistrate after review of the report submitted by the Child Welfare Committee in Form 16A shall take necessary measures to expedite the process of adoption of children declared legally free for adoption.

44. Children who are not being adopted after being declared legally free for adoption may be eligible for Foster Care.—(1) The following categories of children may be considered for Foster Care in following circumstances:

(a) Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee as legally free for adoption and those who have been declared legally free for adoption shall not as far as possible be considered for placement in foster care. Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations.

(b) Every child who does not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption and is placed under the hard to place category, shall be eligible to be placed in foster care, by the Committee on the recommendation of the District Child Protection Unit or the Specialised Adoption Agency.

(c) Where the child has remained with a foster family for a minimum of two years other than in pre-adoption foster care, the foster family may apply for adoption and shall be given preference to adopt the child after the child has been declared legally free for adoption and "after registering in the portal of the Authority and according to procedures laid down in Adoption Regulations.

45. Procedure before the District Magistrate.—(1) The procedure for obtaining an Adoption Order from the District Magistrate or the Additional District Magistrate (authorized by the District Magistrate), as the case may be, shall be such as provided in Adoption Regulations.

(2) The District Magistrate, for the purpose of an application for adoption order, shall follow the procedure as laid down in the Act and the Adoption Regulations.

(3) All the cases pertaining to adoption matters pending before the Court shall stand transferred to the District Magistrate from the date of commencement of these rules."

46. Period for disposal of applications.—(1) The District Magistrate or the Additional District Magistrate (authorised by the District Magistrate), as the case may be, shall dispose of an application for making an adoption order within a period of two months from the date of filing of the application, as provided under sub-section (2) of section 61 of the Act.

(2) No information or Adoption order issued by the District Magistrate regarding adoption disclosing the identity of the child shall be uploaded on any portal except as may be stipulated in Adoption Regulations.

47. Special provision for protection of adopted children.—Any case of offence committed against adopted child shall be dealt as per the law applicable to any other child.

48. Linkage of Child Care Institutions to Specialised Adoption Agencies.—Linkage of Child Care Institutions with Specialized Adoption Agencies for the purpose of adoption shall be governed by the provisions of section 66 of the Act and Adoption Regulations.

49. Additional Functions of the Authority.-(1) The Authority shall perform the following functions, in addition to the functions specified in sub-section (1) of section 68 of the Act, namely:

a. receive applications of a non-resident Indian or overseas citizen of India or a foreigner living abroad through authorised adoption agency or Central Authority or the Government Department concerned or an Indian Diplomatic Mission and process the same in terms of sub-section (5) of section 59 of the Act;

b. receive and process applications received from a foreigner or an overseas citizen of India residing in India for one year or more, and who is interested in adopting a child from India in terms of subsection (12) of section 59 of the Act;

c. issue no-objection certificate in all cases of inter-country adoptions;

d. issue conformity certificate in the inter-country adoption cases under Article 23 of the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-Country Adoption;

e. intimate the immigration authorities of India and the receiving country of the child about the inter-country adoption cases;

f. maintain Child Adoption Resource Information and Guidance System for transparency in the adoption system;

g. provide support and guidance to State Adoption Resource Agencies, the District Magistrate, District Child Protection Units, Specialised Adoption Agencies and other stakeholders of adoption and related matters, through trainings, workshops, exposure visits, consultations, conferences, seminars and other capacity building programmes;

h. coordinate with State Governments, the State Adoption Resource Agencies and the District Magistrate, and advise them in adoption related matters;

i. establish uniform standards and indicators, relating to-

   i. adoption procedure related to orphan, abandoned and surrendered children and also related to relative adoptions;

   ii. quality child care standards in specialised adoption agencies;

   iii. monitoring and supervision of service providers;

   iv. standardisation of documents in cases of adoptions;

   v. safeguards and ethical practices including online applications for facilitating hassle-free adoptions.

j. (conduct research, documentation and publication on adoption related matters;

k. maintain a comprehensive centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption;

l. maintain a confidential centralised database relating to children placed in adoption and adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;

m. mcarry out advocacy, awareness and information, education, and communication activities for promoting adoption either by itself or through its associated bodies;

n. enter into bilateral agreements with foreign Central Authorities, wherever necessary under the Hague Adoption Convention; and

o. authorise foreign adoption agencies to process applications of non-resident Indians or overseas citizen of India or foreign prospective adoptive parents for inter-country adoption of Indian children.

50. Terms and conditions of appointment of Members of the Steering Committee of the Authority.—(1) A person for being selected or nominated as a member of the Steering Committee of the Authority shall:

a. be an Indian national;

b. not be below the age of twenty-five years and above the age of sixty years, and for the member who is an adoptee as per clause (e) of sub-section (1) of section 69 of the Act, the minimum age would be twenty-one years;

c. not have been convicted or sentenced to imprisonment for an offence under any law for the time being in force; and

d. not have been removed or dismissed from service of the Central or State Government or a body or corporation owned or controlled by Central or State Government.

(2) The members in clause (d) of sub-section (1) of section 69 of the Act, shall be from different zones on rotation basis.

(3) The zones and the States covered for the purpose of selection of the members of the Steering Committee shall be as per the grouping made by Inter-State Council and North-Eastern Council from time to time. The States not covered in any of the zonal councils shall be included in the zone having geographical proximity.

(4) The member from the State Adoption Resource Agency would be selected from the State of the zone under consideration on the basis of:

(i) number of inspections of Specialised Adoption Agencies conducted by the State Adoption Resource Agency;

(ii) regularity in conducting the quarterly meetings of the Specialised Adoption Agencies and uploading of the minutes of such meetings the centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption;

(iii) level of data integrity maintained by the State Adoption Resource Agency among the Specialised Adoption Agencies through the District Child Protection Units concerned;

(iv) capacity building of stakeholders as well as publicity awareness activities of State Adoption Resource Agency for the promotion of adoption in the State; and

(v) level of coordination with other stakeholders in the State as well as with the Authority.

(5) The selected State Adoption Resource Agency would be represented in the Steering Committee by the Secretary of the Department of the State Government dealing with adoption or his representative not below the rank of Deputy Secretary or Joint Director of the State Government.

(6) The members of the Specialised Adoption Agencies would be selected as per the following criteria available in the Child Adoption Resource Information and Guidance System and as per the record available with the Authority:

(i) the number of children given in adoption;

(ii) performance and data integrity in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;

(iii) follow-up of the progress of children placed in adoption;

(iv) record keeping and documentation;

(v) child care standards; and

(vi) no proven complaint of malpractice against the agency.

(7) The Specialised Adoption Agencies shall be represented by their President or Chairperson or General Secretary or Secretary or Managing Trustee or Director or Manager, as the case may be.

(8) The selection of the member from the category of advocate or professor in family law shall be from a combined panel of four names, with two names from each category, received from the Department of Legal Affairs and the Legislative Department, Ministry of Law and Justice.

(9) The members of the Steering Committee, under clause (e) and (f) of sub-section (1) of section 69 of the Act, shall be selected or nominated by a Committee comprising of:

(i) Secretary, Ministry of Women and Child Development as the Chairperson;

(ii) Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of the Authority in the Ministry of Women and Child Development as member;

(iii) one external expert in the field of child protection as nominated by the Minister for Women and Child Development, as member; and

(iv) Member Secretary of the Steering Committee, as the Member-Convener.

(10) The members of the Steering Committee other than ex-officio members shall be appointed with the approval of the Minister for Women and Child Development.

(11) The tenure of the members of the Steering Committee, other than the ex-officio members shall be two years from the date of appointment, unless the member resigns or is removed or attains the age of sixty years.

(12) A non-ex-officio member shall not be eligible for a second term.

(13) In case of any vacancy, a new member will be nominated or selected for the remaining period of the tenure from the same State from the same category.

(14) A non-ex-officio member of the Steering Committee of the Authority shall cease to be a member if:

(i) he resigns as a member, or

(ii) he ceases to hold the position by virtue of which he has been represented as a member; or

(iii) he is removed on the following grounds:

(a) on being adjudged as an insolvent, or

(b) is convicted of a criminal offence involving moral turpitude, or,

(c) fails to attend three consecutive meetings of the Steering Committee without the leave of the Chairperson of the Steering Committee, or

(d) is found working against the objectives of the adoption programme, the interests of the Authority and is found to be not following the regulations as applicable, or

(e) is found divulging any transaction of business or deliberations in the meetings of the Steering Committee or any document or information circulated to them for the purpose, to media or any other agency, without the prior approval or authorisation of the Chairperson, or

(f) is found accepting benefaction from any source that involves conditions or obligations that are contrary to the mandates and objectives of the Authority.

(15) A non-ex-officio member other than State Adoption Resource Agency shall be entitled to a sitting fee of not less than Rupees Two Thousand per sitting, for attending a meeting of the Steering Committee, travelling allowance in economy class air fare, hotel accommodation and food bill as per the Central Government Rules.

51. Transaction of business of the Steering Committee of the Authority.—(1) The Steering Committee of the Authority shall meet once in a month.

(2) The transaction of business of the Steering Committee may also be convened "by video conference, through web or" by circulation in case of urgency and such transaction of business shall have the same effect as if it had been transacted at a formal meeting.

(3) A meeting of the Steering Committee shall be convened by the Member- Secretary with the approval of the Chairperson.

(4) The meeting notice shall be issued by the Member-Secretary at least seven working days before the actual date of the meeting.

(5) An extra ordinary meeting of the Steering Committee may be convened by the Chairperson at any time.

(6) Five members of the Steering Committee shall form the quorum for the meeting.

(7) The meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, a member nominated or designated by the Chairperson.

(8) All decisions in the Steering Committee shall be taken by majority of the members present excluding the special invitees, if any.

(9) In case of tie, the Chairperson shall have the casting vote.

(10) The minutes of the meeting will be authenticated by the Member-Secretary after obtaining the approval of the same by the Chairperson.

(11) Any other matter relating to the transaction of business of the Steering Committee shall be governed by the procedure adopted by the Steering Committee, whenever required.

52. Annual Report of the Authority.—(1) The Chief Executive Officer or any other officer of the Authority duly authorised by the Chief Executive Officer in this behalf shall cause to be prepared the annual report of the Authority under sub-section (1) of section 71 of the Act on or before the 30th day of June following the financial year to which that report relates.

(2) The annual report prepared under sub-rule (1) shall, after approval by the Steering Committee be signed and authenticated by the Chief Executive Officer.

53. Accounts and audit of the Authority.—(1) The annual statement of accounts of the Authority for every financial year shall be prepared by the Chief Executive Officer or such officer of the Authority as may be authorised by the Chief Executive Officer in this behalf.

(2) The Authority shall forward to the Central Government quarterly reviews of expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year.

(3) The Chief Executive Officer shall supervise the maintenance of the accounts of the Authority, the compilation of financial statement and returns and shall also ensure that all account books, connected vouchers and other documents and papers of the Authority required by the office of the Comptroller and Auditor General for the purpose of auditing the accounts of the Authority are placed at the disposal of that office.

(4) The accounts of the Authority shall be maintained in the formats prescribed by the office of the Comptroller and Auditor General of India from time to time.\

(5) The annual statement of accounts shall be signed and authenticated by the Chief Executive Officer.

(6) The annual statement of accounts of the Authority shall be submitted to the office of the Comptroller and Auditor General on or before the 30th of June of the following year to which the accounts relate, which shall audit the accounts of the Authority and submit the audit report.

(7) The Authority shall, within thirty days of the receipt of the audit report, remedy any defect or irregularity pointed out therein, and submit its report to the Central Government and to the office of the Comptroller and Auditor General about the action taken by it.

CHAPTER-VIII

OFFENCES AGAINST CHILDREN

54. Procedure in cases of offences against children.—(1) A complaint of an offence against a child may be made by child, family, guardian, friend or teacher of the child, or any other individual or institutions or organisation concerned.

(2) On receipt of information in respect of a cognizable offence against a child, the police shall register a First Information Report (FIR) forthwith.

(3) On receipt of information of a non- cognizable offence against a child, the police shall make an entry in the Daily Diary which shall be transmitted to the Magistrate concerned forthwith who shall direct appropriate action under sub-section (2) of section 174 of the **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhtia (BNSS), 2023**

(4) In all cases of offences against children, the investigation shall be conducted by the Child Welfare Police Officer.

(5) Where any offence under the Act is committed by a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, the Committee or the Board as the case may be, may pass appropriate orders for placing the children already placed with the Child Care Institution or the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency and recommending the cancellation of the registration and withdrawal of recognition of such institution or agency.

"(5A) The State Government shall take appropriate action on the recommendations of the Committee or the Board, as the case may be.

(5B) The District Child Protection Unit shall ensure transfer of children at the earliest, under intimation to the State Government.".

(6) Where an FIR is registered against a person working with a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency for any offence under the Act and the rules, such a person shall be debarred from working directly with the children during the pendency of the criminal case.

(7) Where a person has been dismissed from service or is convicted of an offence under the Act and the rules, he shall stand disqualified from any further appointment.

(28) In no case a child shall be placed in a police lock-up or lodged in a jail.

(9) The child and his family shall be provided access to paralegal volunteers under the District Legal Service Authority.

(10) An immediate need assessment of the child will be conducted in terms of the need for food, clothing, emergency medical care, counselling, psychological support and the same shall be immediately extended to the child at the police station.

(11) Where a child has been subjected to sexual abuse, the child may be referred to the nearest District Hospital or One-Stop Crisis Centre, as the case may be, if locally available.

(12) Special children's rooms may be designated in every Court Complex with facility for separate space for children waiting and children who are giving their statement or interview; separate entrances, wherever feasible; video-conferencing facilities for interacting with children, wherever possible; provision for entertainment for children such as books, games, etc. Statements and interviews, other than during trial of children who are, victims, or witnesses, shall be recorded through child friendly procedure in a children's room.

(13) The statement or the interview of the victim/ witness child shall be conducted while ensuring the following conditions:

(i) The Magistrate shall record the statement of the child under section 183 of the **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhtia (BNSS), 2023** in the Children's room or, if possible in the child's place of residence including, home or institution where he or she is residing.

(ii) The statement shall be recorded verbatim as spoken by the child.

(iii) The statement may also be recorded by audio-visual means as per the provisions of sub-section (1) of section 183 of the **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhtia (BNSS), 2023**.

(iv) The child may be accompanied by parent or guardian or social worker.

(14) The Legal Services Authority may provide a support person or para legal volunteer for pre-trial counselling and to accompany the child for recording of the statement who shall also familiarize the child with the Court and Court environment in advance, and where the child is found to have been disturbed by the experience of coming to the Court, orders for video-conferencing may be passed by the Court, on an application moved by the support person or para-legal volunteer or by the Legal Services Authority, on behalf of the child.

(15) If the child victim or witness does not belong to the District or State or Country, the statement or interview or deposition of the child may also be recorded through video conferencing.

(16) Where video-conferencing is not possible, all necessary accommodation, travel expenses for the child and a guardian accompanying the child will be provided as per actuals by the State Government or Union Territory Administration.

(17) Separate rooms for vulnerable witnesses may be designated in every Court Complex to record the evidence of child witnesses.

(18) During a trial involving children, as far as possible, the following norms may be followed to ensure a child-friendly atmosphere:

(i) Parents or guardian(s) shall accompany the child at all times (only if it is in the best interest of the child). If the said person has a conflict of interest, another person of the child's choice, or fit person, or representative of the fit institution identified, or psychologist appointed by the Committee or Court, shall accompany the child at all times, on approval of the Court.

(ii) Psychological counselling may also be provided to the child wherever necessary.

(iii) In a situation where parents or guardians may have been involved in the commission of the crime, or where the child is living in a place where the child is at risk of further trauma, and the same is brought to the notice of the Court, or the Court on its own motion shall direct the child to be taken out of the custody or care, or out of such situation and the child should be immediately produced before the Committee.

(iv) For the age determination of the victim, in relation to offences against children under the Act, the same procedures mandated for the Board and the Committee under section 94 of the Act to be followed.

(v) The language(s) used to be familiar to the child and if needed translators and special educators to be made available.

(vi) Before the statement of the child is recorded, the Court to ensure that the child is capable of making a voluntary statement.

(vii) No statement of the child to be disregarded as evidence in the trial solely on the basis of the age of the child.

(viii) Images or statements admissible in the interview of the child not to be detrimental to the mental or physical well- being of the child.

(ix) Length and questions admissible at the interview not to be taxing and to be suitable to the attention span of the child.

(x) In case of young children, or otherwise incapacitated child, alternative methods of interaction and evidence collection that is less intimidating to be adopted.

(xi) The Court to ensure that at no stage during trial, the child comes face to face with the accused.

(xii) Special permission from school and arrangement for remedial classes for days lost to be ensured by the school authorities.

(19) The child may be represented, as the case may be, by:

(i) a lawyer of his choice, or,

(ii) public prosecutor, or,

(iii) a lawyer designated or empanelled by the Legal Services Authority.

(20) All functionaries of the Court and others concerned may be sensitised on the special needs of children and child rights.

(21) After the process of trial:

(i) The child or guardian should be informed of the decision of the judicial proceeding and its implication.

(ii) The child or guardian should be made aware of his legal options.

55. Procedure in case of offence under section 75 of the Act.—(1) For the purposes of section 75 of the Act and this rule, giving a child in marriage shall be considered as cruelty to the child. On receipt of information of risk of a child being given in marriage, the police or any officer authorised under the Act or under the Prohibition of Child Marriage Act,2006 (6 of 2007), shall produce the child before the Committee for appropriate directions and rehabilitative measures.

(2) Where an act of cruelty to a child takes place in a Child Care Institution, or a school, or in any other place of care and protection to the child, considering the best interest of the child, the Board or the Committee or the Children's Court after consultation with the child and or parents or guardians shall provide alternative rehabilitation for the child.

(3) A child covered under the Act requiring immediate medical attention shall be provided with required medical care and treatment by a hospital or clinic or facility upon a direction of the Board or the Committee made in this regard, free of cost. A failure to respond immediately resulting in serious injury, irreversible damage or threat to life or death shall be deemed to be wilful neglect of the child and shall tantamount to cruelty under section 75 of the Act on the direction of the Board or the Committee after a detailed inquiry.

(4) Relevant sections of the **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023** or any other law for the time being in force shall be applicable for offences under section 75 of the Act.".

55A – Procedure in case of offence under section 76 of the Act–

(1) Whenever a child is found to be employed or used for the purposes of begging, an immediate investigation shall be undertaken by the Police in such cases and where an offence is made out under section 76 of the Act, a First Information Report shall be registered forthwith.

(2) In case where the parents have engaged their children in begging, then an investigation shall be undertaken under section 76 of the Act prior to filing of First Information Report.

(3) In case the child engaged in begging is found to be a victim of trafficking then provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 143 of the **Bharatiya Nyaya Sanhtia (BNS), 2023**, which are cognizable offences, shall also be applicable.

(4) In case the child engaged in child begging is found to be a victim of child labour then provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), which are cognizable offences, shall also be applicable.

(5) In case the child engaged in begging, is also found to be kidnapped for the purposes of begging then offences under sections 137 to 149 of the **Bharatiya Nyaya Sanhtia (BNS), 2023**, which is a cognizable offence shall also be applicable.

56. Procedure in case of offence under section 77 of the Act.—(1) Whenever a child is found to be under the influence of, or in possession of intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products, including for the purpose of sale, the police shall enquire as to how the child came under the influence of, or possession of such intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products and shall register an FIR forthwith.

(2) The child who has been administered narcotic drugs or psychotropic substances or is found under the influence of the same may be produced either before the Board or the Committee as the case may be, and the Board or the Committee shall pass appropriate orders regarding rehabilitation and de-addiction of the child.

(3) In case of a child found to be addicted to intoxicating liquor or tobacco products, the child shall be produced before the Committee which shall pass directions for rehabilitation including de-addiction of the child and transfer the child to a fit facility identified for the purpose.

(4) In case any child is found to have been administered intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products in a Child Care Institution, the child shall be produced immediately before the Board or the Committee, except in such cases where the child is not in a position to be produced before the Board or the Committee and requires immediate medical attention.

(5) The Board, shall on its own or on complaint received from the Committee, issue directions to the police to register an FIR immediately.

(6) The Board or the Committee shall also issue appropriate directions for inquiry as to the circumstances in which such product entered the Child Care Institution and reached the child and shall recommend appropriate action against the erring officials and the Child Care Institution.

(7) The Board or the Committee may also issue directions for transfer of the child to another Child Care Institution as the case may be.

(8) Any shop selling intoxicating liquor, tobacco products, must display a message at a prominent place on their shop that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(9) All tobacco products and intoxicating liquor must display a message that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(10) Giving or selling of intoxicating liquor, narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products within 200 meters of a Child Care Institution or any other home registered or recognised under the Act, or the office of a Committee or a Board shall be deemed to be an offence under section 77 of the Act.

57. Procedure in case of offence under section 78 of the Act.—(1) Whenever a child is found to be vending, carrying, supplying or smuggling an intoxicating liquor, narcotic drug, or

psychotropic substance, the police shall enquire how and from whom the child came into possession of the intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance and shall register an FIR forthwith.

(2) A child who is alleged to have committed an offence under section 78 of the Act shall be produced before the Board, which may transfer the child to the Committee, if the child is also in need of care and protection.

57A – Procedure in case of offence under section 79 of the Act–

(1) Whenever a child is found to be employed as a child labour, an immediate investigation shall be undertaken by the Police in such cases and where an offence is made out under section 79 of the Act, a First Information Report shall be registered forthwith.

(2) In case the child is found to be a victim of child labour then provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), which are cognizable offences, shall also be applicable.

(3) In case the child engaged as child labour is found be a victim of trafficking then provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 143 of the **Bharatiya Nyaya Sanhtia (BNS), 2023**, which are cognizable offences, shall also be applicable.

58. Procedure in case of offence under section 80 of the Act.—(1) Where any orphan, abandoned or surrendered child, is offered or given or received for the purpose of adoption without following the procedures as provided in the Act and the rules, the police shall, suo motu, or on receipt of information in that regard register an FIR forthwith.

(2) A child who has been so offered, given or received for the purpose of adoption shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate directions for rehabilitation of the child, including placing such child in a Specialised Adoption Agency.

(3) Wherever any offence under section 80 of the Act is committed by a recognised Specialised Adoption Agency or by a person associated with such an agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency.

59. Procedure in case of offence under section 81 of the Act.—(1) On receipt of information about the selling or buying of a child, the police shall register an FIR forthwith.

(2) Giving or agreeing to give, receiving or agreeing to receive any payment or reward in consideration of adoption, except as permitted under the adoption regulations framed by the Authority, towards the adoption fees or service charge or child care corpus by any prospective adoptive parent(s) or parent or guardian of the child or the Specialised Adoption Agency shall amount to an offence under section 81 of the Act and this rule.

(3) A child, who has been subjected to buying or selling, shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate orders for the rehabilitation of the child.

(4) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a parent or a guardian of the child or any other person having actual charge or custody of the child, the

Committee shall pass appropriate orders for placing the child in a Child Care Institution or fit institution or with a fit person, as the case may be.

(5) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency or by a hospital or nursing home or maternity home, or a person associated with such an institution or agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with such Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home, as the case may be.

(5A) The Committee shall submit a report regarding such children and action taken regarding their rehabilitation to the District Magistrate. The District Magistrate shall ensure action regarding shifting of children to a safe place and closure of the Institution within seven days and recommend cancellation of registration of the agency to the State Government.

(6) The District Magistrate shall recommend to the State Government that the registration or recognition ofsuch agency or institution or the registration or license of such a hospital or nursing home or maternity home or such associated person under any law for the time being in force shall also be withdrawn and the State Government shall take appropriate action within fifteen days.

(7) In case the child that is sold and is also trafficked, then the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) and section 143 of the **Bharatiya Nyaya Sanhtia (BNS), 2023** shall also be applicable.

60. Procedure in case of offence under section 82 of the Act.—(1) A complaint of subjecting a child to corporal punishment under section 82 of the Act may be made by the child or any one on his behalf.

(2) Every Child Care Institution shall have a complaint box at a prominent place in the building to receive complaints of corporal punishment.

(3) The complaint box will be opened in the presence of a representative of the District Child Protection Unit once a month.

(4) All such complaints shall be forthwith presented before the Judicial Magistrate of First Class nearest to the Child Care Institution and copies thereof shall be forwarded to the Board or the Committee.

(5) The Judicial Magistrate shall get the case investigated by the Child Welfare Police Officer concerned and take appropriate measures on receipt of a complaint.

(6) The Board or the Committee may consider transferring the child to another Child Care Institution in the best interest of the child who has made the complaint or who has been subjected to corporal punishment.

(7) Where the Judicial Magistrate First Class finds that the management of the institution is not cooperating with the inquiry or complying with the orders of the court under sub-section (3) of section 82 of the Act, the Judicial Magistrate First Class will either take cognizance of the

offence himself or direct the registration of FIR and proceed against the person in-charge of the management of the institution.

(8) Where the Board or the Committee or the State Government issues any directions to the management of the institution in respect of any incident of corporal punishment in the child care institution, the management shall comply with the same.

(9) In the event of non-compliance, the Board on its own or on the complaint of the Committee or the District Magistrate shall direct the registration of an FIR under sub-section (3) of section 82 of the Act.

(10) Where a person has been dismissed from service or debarred from working directly with children or is convicted of an offence of subjecting a child to corporal punishment under sub-section (2) of section 82 of the Act, he shall stand disqualified from any further appointment under the Act and the rules.

CHAPTER-IX

MISCELLANEOUS

61. Duties of the Person-in-charge of a Child Care Institution.—(1) The primary responsibility of the Person-in-charge is of maintaining the Child Care Institution and of providing care and protection to the children.

(2) The Person-in-charge shall stay within the premises to be readily available as and when required by the children or the staff and in case where an accommodation is not available in the premises, he shall stay at a place in close proximity to the Child Care Institution till such time such accommodation is made available within the premises of the Child Care Institution.

(3) The general duties and functions of the Person-in-charge shall include, to:-

(i) ensure compliance with the provisions of the Act and the rules and orders made thereunder;

(ii) ensure compliance with the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;

(iii) provide homely and enabling atmosphere of love, affection, care and concern for children;

(iv) strive for the development and welfare of the children;

(v) supervise and monitor discipline and well-being of the children and the staff;

(vi) plan, implement and coordinate all activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;

(vii) segregate a child suffering from contagious or infectious diseases on the advice of the medical officer of the institution;

(viii) segregate a child wherever required;

(ix) ensure observance and follow-up of daily routine activities;

(x) organize local and national festivals in the home;

(xi) organize trips or excursions or picnics for children;

(xii) send a list of children in **Form 40** in the Child Care Institution to the Board or the Committee, as the case may be, every week and bring to the notice of the Board or the Committee, if no date is given for the production of any child before the Board or the Committee;

(xiii) allocate duties to personnel;

(xiv) maintain standards of care in the Child Care Institution;

(xv) ensure proper storage and inspection of food stuffs as well as food served;

(xvi) maintain the buildings and premises of the Child Care Institution;

(xvii) maintain proper hygiene in the home;

(xviii) provide accident and fire preventive measures, disaster management within the premises and also keep first aid kit;

(xix) make stand-by arrangements for water storage, power back-up, inverters, generators;

(xx) ensure careful handling of equipment;

(xxi) employ appropriate security measures;

(xxii) conduct periodical inspections, including daily inspection and rounds of the Child Care Institutions;

(xxiii) take prompt action to meet emergencies;

(xxiv) ensure prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;

(xxv) ensure proper and timely maintenance of the case files;

(xxvi) maintain all records and registers required under the Act and these rules;

(xxvii) prepare the budget and maintain control over financial matters;

(xxviii) organise the meetings of the Management Committee set up under **rule 39** of these rules and provide necessary support;

(xxix) ensure monthly verification of all records and registers by the Management Committee set up under **rule 39** of the rules;

(xxx) liaise, co-ordinate and co-operate with the State Child Protection Society and the District Child Protection Unit as and when required;

(xxxi) co-ordinate with the legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit or the District or State Legal Services Authority to ensure that every child is legally represented and provided free legal aid and other necessary support.

(xxxii) ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court on the date of such production and to ensure that the dates for the said purpose are recorded.

(xxxiii) check the Children's Suggestion or Complaint Book daily and inform the District Child Protection Unit and the Committee or the Board promptly about urgent complaints.

(xxxiv) maintain a record of complaints received in the Children's Suggestion or Complaint Book and actions taken thereto.

(4) The Person-in-charge shall inspect the Child Care Institution as often as possible but not less than twice a day. He shall make a record of the timings of his inspection and also note his observations in a separate book maintained for the purpose, especially with regard to:

(i) maintenance of hygiene and sanitation,

(ii) maintenance of order,

(iii) quality and quantity of food,

(iv) hygienic maintenance of food articles and other supplies,

(v) hygiene in the medical centre and provisions for medical care,

(vi) behaviour of the children and staff,

(vii) security arrangements, and

(viii) maintenance of files, registers and books.

(5) Anything irregular that comes to the notice of the Person-in-charge shall be enquired into and resolved and the date, time and nature of the action taken shall be noted in the book.

(6) Where a problem of urgent nature has not been resolved within two working days, the Board or the Committee or the District Child Protection Unit shall be informed.

(7) In case the Person-in-charge is on leave or otherwise not available, the duties of the Person-in-charge shall be performed by the Child Welfare Officer as designated by the Person-in-charge.

62. Duties of the Child Welfare Officer or Case Worker.—(1) Every Child Welfare Officer or Case Worker in the Child Care Institution shall carry out all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The Child Welfare Officer or Case Worker shall establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social re-integration of the children and to ensure the necessary follow up.

(3) The Child Welfare Officer or Case Worker available in the Child Care Institution at the time of receiving a child shall interact with the child received with a view to put the child at ease and befriend him and shall supervise the process of receiving of the child.

(4) On receipt of information from the police or Child Welfare Police Officer or on arrival of a child in the Child Care Institution, the Child Welfare Officer or Case Worker shall forthwith conduct social investigation of the child through personal interviews with the child and his family members, social agencies and other sources, inquire into antecedents and family history of the child and collect such other material as may be relevant, and submit the Social Investigation Report to the Board or the Committee or the Children's Court, within fifteen days.

(5) All the children in the Child Care Institution shall be assigned to a Child Welfare Officer or Case Worker and such Child Welfare Officer or Case Worker shall be responsible for the child assigned to him in all respects viz. care and development of the child, reporting to the Board or the Committee or the Children's Court about the child or maintaining the child's record in the Child Care Institution.

(6) Upon assignment of the child to a Child Welfare Officer or Case Worker, the Child Welfare Officer or Case Worker shall:

(i) Prepare the case file of the child;

(ii) Maintain the Protective Custody Card;

(iii) Prepare and maintain the medical record of the child and ensure that the treatment of the child is not interrupted or neglected;

(iv) Meet the child every day to ensure his safety, welfare and development; assist the child to adjust to the life in the Child Care Institution. A newly received child shall be met more often than once a day;

(v) Gather information about the child within the initial five days to ascertain the child's education, vocational status and aptitude and emotional status;

(vi) Have the necessary medical or mental tests, assessments and examinations of the child conducted;

(vii) Study the reports and prepare in consultation with the child and his family members, an individual care plan for the child in **Form 7** for the period pending inquiry, to be placed in the case file of the child. The Child Welfare Officer or Case Worker may consult the counsellor, psychologists or such other person as he deems fit in this regard.

(viii) In keeping with the individual care plan, a daily routine shall be developed for the child and explained to him;

(ix) Ensure that the child adheres to the routine activities so developed and take timely reports from the caregivers in this respect;

(x) Review periodically the implementation and effectiveness of the individual care plan and if necessary, suitably modify the individual care plan in **Form 7** and/or the routine activities of the child with the approval of the Management Committee;

(xi) Resolve the problems of the child and deal compassionately with their difficulties in life in the Home;

(xii) Participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes in respect of the child and attend parent teacher meetings in schools in respect of children assigned to them;

(xiii) Attend proceedings of the Board or the Committee or the Children's Court and furnish all information and file all reports that may be called for;

(xiv) On receiving the copy of the order of declaration of age, to make the necessary changes in the record as regards the age of the child if any change is required and to place the copy of the said order in the case file of the child;

(xv) Participate in the pre-release programme and help the child to establish contact which can provide emotional and social support to the child after the release;

(xvi) Maintain contact with the children after their release and extend help and guidance to them;

(xvii) Visit regularly the residence of the child under their supervision and also places of employment or school attended by such child and submit fortnightly reports or as otherwise directed;

(xviii) Accompany the child wherever possible from the Board or the Committee or the Children's Court to Child Care Institution as the case may be;

(xix) Maintain record of the next date of production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment and ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment on the said date;

(xx) Maintain the registers as may be specified from time to time;

(xxi) Any other duty assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.

(7) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cleaning in the premises of Child Care Institution shall do so twice a day, one after the morning cleaning and the other after the evening cleaning. The Child Welfare Officer or Case Worker shall make a note of the same in the House-keeping register.

(8) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cooking shall make a note of the same in the Meals Register, in respect of every meal.

63. Duties of the House Mother or House Father.—(1) Every house father or house mother shall abide by the directions of the Person-in-charge.

(1) The general duties, functions and responsibilities of a house father or house mother shall be as follows:

(i) handle every child in the Child Care Institution with love and affection;

(ii) take proper care of the child and ensure his welfare;

(iii) provide each child upon his reception with all necessary supplies like clothing, toiletries and such other items required for daily usage.;

(iv) replenish the provisions or supplies as per scale and need of the child;

(v) maintain discipline among the children;

(vi) ensure that the children maintain personal cleanliness and hygiene;

(vii) look after maintenance, sanitation and maintain hygienic surroundings;

(viii) implement the daily routine of every child in an effective manner and ensure the participation of the children;

(ix) look after safety and security arrangements in the Child Care Institution;

(x) escort the children whenever they go out of the Child Care Institution for purposes other than production before the Board or the Committee or the Children's Court;

(xi) report to the Person-in-charge and to the Child Welfare Officer about the child assigned to the Child Welfare Officer;

(xii) maintain the registers, relevant to their duties; and

(xiii) any other duty as may be assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.

64. Duties of a Probation Officer.—(1) On receipt of information from the Police or Child Welfare Police Officer under clause (ii) of sub-section (1) of section 13 of the Act, without waiting for any formal order from the Board, the Probation Officer shall inquire into the circumstances of the child as may have bearing on the inquiry by the Board and submit a social investigation report in **Form 6** to the Board.

(2) The social investigation report should provide for risk assessment, including aggravating and mitigating factors highlighting the circumstances which induced vulnerability such as traffickers or abusers being in the neighbourhood, adult gangs, drug users, accessibility to weapons and drugs, exposure to age inappropriate behaviours, information and material.

(3) The Probation Officer shall carry out the directions given by the Board and shall have the following duties, functions and responsibilities:

(i) To conduct social investigation of the child in **Form 6**;

(ii) To attend the proceedings of the Board and the Children's Court and to submit reports as and when required;

(iii) To clarify the problems of the child and deal with their difficulties in institutional life;

(iv) To participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes;

(v) To establish co-operation and understanding between the child and the Person-in-charge;

(vi) To assist the child to develop contacts with family and also provide assistance to family members;

(vii) To participate in the pre-release programme and help the child to establish contacts which could provide emotional and social support to the child after release;

(viii) To establish linkages with Probation Officers in other Districts and States for obtaining social investigation report, supervision and follow-up.

(ix) To establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social reintegration of children and to ensure the necessary follow-up;

(x) Regular post release follow-up of the child extending help and guidance, enabling and facilitating their return to social mainstreaming;

(xi) To prepare the individual care plan and post release plan for the child;

(xii) To supervise children placed on probation as per the individual care plan;

(xiii) To make regular visits to the residence of the child under his supervision and places of employment or school attended by such child and submit periodic reports as per **Form 10;**

(xiv) To accompany children where ever possible, from the office of the Board to the observation home, special home, place of safety or fit facility as the case may be;

(xv) To evaluate the progress of the children in place of safety periodically and prepare the report including psycho-social and forward the same to the Children's Court;

(xvi) To discharge the functions of a monitoring authority where so appointed by the Children's Court;

(xvii) To maintain a diary or register to record his day to day activities such as visits made by him, social investigation reports prepared by him, follow up done by him and supervision reports prepared by him;

(xviii) To identify alternatives of community services and to establish linkages with voluntary sector for facilitating rehabilitation and social reintegration of children; and

(xix) Any other task as may be assigned.

65. Rehabilitation-cum-Placement Officer.—(1) A Rehabilitation-cum- Placement Officer shall be designated in all Child Care Institutions, including place of safety.

(2) The Rehabilitation-cum-Placement Officer may have a Masters Degree in Social Work or Human Resource Management and at least three years experience in the field of rehabilitation, employment creation and resource mobilisation.

(3) The Rehabilitation-cum- Placement Officer to perform the following functions:

(i) Identify the skills and aptitude of the children placed in Child Care Institutions through appropriate mechanism and in consultation with the Child Welfare Officer, Case Worker, Counsellor and Vocational instructor;

(ii) Identify and develop linkages with all such agencies that offer vocational and training services with job placement at the end of the course;

(iii) Network with persons, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to mobilise resources for sponsoring training program and support for self-employment;

(iv) Facilitate and coordinate with agencies, individuals, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to set up vocational training units or workshops in Child Care Institutions as per age, aptitude, interest and ability;

(v) Mobilise voluntary vocational instructors who render services to carry out the training sessions in the Child Care Institutions;

(vi) Inculcate entrepreneurial skills and facilitate financial and marketing support for self-employment;

(vii) Prepare rehabilitation plans keeping in mind the nature of the offence and the personality traits of the child;

(viii) Maintain the Rehabilitation Card in **Form 14** and monitor the progress made by the child on regular basis and submit such progress reports to the Management Committee;

(ix) Facilitate the child to get certificates on completion of the education or vocational training courses;

(x) Make efforts for ensuring effective placement of each eligible and trained child;

(xi) Organise workshops on Rehabilitation programmes and services available under Central and State Government Schemes, spread awareness and facilitate access to such schemes and services;

(xii) Organise workshops on personality development, life skill development, coping skills and stress management and other soft skills to encourage the child to become a productive and responsible citizen; and

(xiii) Conduct regular visits to the agencies where the children are placed to monitor their progress and provide any other assistance as may be required.

66. Staff Discipline.—(1) Any dereliction of duty, violation of rules and orders shall be viewed seriously and strict disciplinary action shall be taken or recommended by the Person-in-charge against the erring officials.

(2) No staff of the Child Care Institution shall be present at an unauthorised location within the Child Care Institution.

(3) No staff of the Child Care Institution shall bring any prohibited article into the Institution.

(4) No staff of the Child Care Institution shall consume any addictive substances like liquor, bidi, cigarette, tobacco or any other psychotropic substance within the premises of the Child Care Institution, whether on duty at the relevant time or not or shall report for duty under the influence of any intoxicating substance.

(5) No staff of the Child Care Institution shall sell or let for gain any article to any child or have any business dealings with such child or his parent or guardian.

(6) No staff of the Child Care Institution shall use any abusive or vulgar language or discuss age-inappropriate topics or watch pornographic material or read obscene literature in the premises of the Child Care Institution.

67. Security measures.—(1) Adequate number of security personnel shall be engaged in every Child Care Institution keeping in mind the category of children housed in the Child Care Institution, age group of children and the purpose of the Child Care Institution and the risk factor to and from the child.

(2) While engaging security personnel, preference shall be given to ex-servicemen recruited through the Directorate General of Resettlement or agencies recommended by them.

(3) In Child Care Institutions housing girls, female security guards would be provided for the security inside the Child Care Institution and male security guards may be engaged for the security of the Child Care Institution from outside.

(4) Security personnel should also be available in reserve for any emergency situation.

(5) The Person-in-charge shall ensure that appropriate security measures are employed at all times, including the following:

(i) There shall be sufficient number of guards at all times in different shifts to be posted at the points to be identified by the Person-in-charge in consultation with security in-charge and the Department.

(ii) Any child, who complains of a medical problem or any other problem at night, shall report to the caregiver concerned. The caregiver shall take such necessary steps as may be required and in case of emergency shall inform the medical officer concerned or the Person-in-charge as the need may be, who shall immediately take appropriate steps.

(iii) A duty roster shall be prepared and displayed at some prominent place in the premises of the Child Care Institution by the Person-in-charge.

(6) Every caregiver or other staff of the Home, if he comes to know of any incident or probability of unrest amongst the children, shall bring the same to the notice of the Person-in-charge without any loss of time, who shall take necessary steps as the situation demands and shall inform the Board or the Committee of such information or incident as well as the steps taken by him, in writing.

(7) The Person-in-charge shall make surprise visits to the Child Care Institution during the night as frequently as possible, but not less than once a week. He shall make a record of the timings of his visit and also note his observations in the register maintained by him in that regard.

(8) In a case of disturbance outside the Child Care Institution, the shift in-charge shall immediately inform the police station concerned.

(9) In a case of violence or disturbance inside the Child Care Institution, the shift in-charge shall take assistance of the police with the permission of the Person-in-charge. The shift in-charge shall first issue a warning to the children.

(10) In case of a natural disaster or fire or any such calamity, the shift in-charge shall take suitable steps for evacuation and safety of the children as per the Disaster Management Protocol as developed by the State Disaster Management Authority for Child Care Institutions.

(11) To prepare the officers, children and guards to follow the above steps, a practice drill shall be held once a month, without previous notice by the Person-in-charge.

(12) Closed Circuit Television cameras may be installed at all key points such as all entry and exit points to the Child Care Institution, reception, corridors, kitchen, pantry or store room, dormitories, entry and exit points of the washrooms with due regard to the privacy and dignity of the children.

(13) Adequate number of scanners and metal detectors may be provided in every Child Care Institution.

68. Searches and Seizures.- (1) The Person-in-charge or other authorised functionary of the Home may conduct searches if required, and seize prohibited articles, if found.

(2) The procedure in case of seizures shall be as under:

(i) any prohibited article found during the search, shall be seized by the Person-in-charge and a list of such seizure prepared;

(ii) in case of arms, weapons, articles capable of being used as weapons or tools for criminal activities or addictive substances being found from a child or dormitory, the Person-in-charge shall conduct an inquiry to ascertain the presence of such articles and the persons responsible for such act;

(iii) the Person-in-charge shall furnish his report in this respect to the police and inform the Board or the Committee at the earliest;

(iv) the Board may initiate appropriate action upon such report or on the report forwarded by the Committee for disposal of the seized articles;

(v) the State Government or the District Magistrate shall take appropriate action against the person responsible, if such person is an officer of the Child Care Institution or against the agency through whom the said person has been engaged or the Child Care Institution;

(vi) the child responsible shall be dealt with in accordance with the Act and the rules made thereunder.

(3) All the articles seized shall be destroyed or disposed of having regard to the nature of the articles, on the orders of the competent court, after being satisfied that the seized articles are not required in any inquiry or departmental action against any officer or in any criminal investigation and proceedings.

69. Institutional Management of Children.—

A. (1) Every child shall be received by the Person-in-charge of the Child Care Institution or such other official duly authorised by the Person-in-charge to receive a child, referred to as the Receiving Officer.

(2) The Receiving Officer shall satisfy himself as regards the identity of the child and in case of any doubt, the Receiving Officer shall promptly inform the Person-in-charge who shall forthwith inform the Board or the Committee and produce the child before the Board or the Committee without any delay.

B. Types of Stay at the Child Care Institution.—(1) In case of children in conflict with law, there are three types of stay of children at the Child Care Institution:

(i) protective custody;

(ii) overnight protective stay;

(iii) rehabilitation stay.

(2) In case of children in need of care and protection, there are two types of stay of children at the Child Care Institution:

(i) overnight protective stay;

(ii) rehabilitation stay.

C. Protective Custody.—(1) A Protective Custody Card in **Form 41** duly signed by the Board or a custody warrant duly signed by the Children's Court is required for such stay.

(2) Duration of such stay shall be as directed by the Board or the Children's Court and as extended from time to time by them.

(3) Such a stay shall be during the pendency of the inquiry.

D. Overnight Protective Stay.—(1)The purpose of the stay is to provide shelter to the child and prevent his being kept overnight at the police station or at any other unsuitable place by providing an alternative.

(2) Such stay may be only after 20:00 hrs in the night and till14:00 hrs on the following day.

(3) A child shall be permitted to stay at the Child Care Institution for one night on an application seeking overnight protective stay of the child moved by the Child Welfare Police Officer in writing to the Receiving Officer. The application shall be accompanied with a copy of the relevant documents showing the circumstances in which the child was apprehended or found and the medical condition of the child.

(4) Upon being satisfied about the identity of the child, the child may be received by the Receiving Officer and **Form 42** shall be filled in triplicate. One copy of the form shall be retained as record of the Child Care Institution, one copy shall be handed over to the Child Welfare Police Officer and the third copy shall be forwarded to the Board or the Committee concerned for their record.

(5) The child shall be handed over to the charge of the Child Welfare Police Officer the next day at the time stated in the form under receipt by the said Child Welfare Police Officer in the copy of the form.

(6) In case of the Child Welfare Police Officer not taking the charge of the child at the designated time, the child shall be produced before the Board concerned or the Committee by the Person-in-charge of the Child Care Institution with a report stating such fact.

(7) The particulars of the child shall be entered in the admission and discharge register, noting that the child has been received for overnight protective stay.

(8) The child shall be searched physically and all his personal belongings, if any that are found, shall be handed over to the Child Welfare Police Officer who has produced the child and who shall seize the articles and furnish a copy of such seizure to the Receiving Officer.

(9) The child shall be provided food to eat and drink, if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child.

(10) The child shall be placed for the night in the reception dormitory or the segregation unit as the case may be.

E. Rehabilitation Stay.—(1) A child may be sent to the Children's Home by the Committee for such a stay and to the special home or the place of safety by the Board or the Children's Court.

(2) The child shall be issued the Rehabilitation Card in **Form 14** which shall state the duration of stay of the child, unless the duration is shortened by a specific order in that respect by the Board or the Committee or the Children's Court.

F. Procedure to be adopted at the time of receiving the child.—(1) The Receiving Officer shall follow the following procedure at the time the child is received:

(i) a full personal description of the child shall be entered in the admission and discharge register. In case of rehabilitation stay, the date of release of the child shall also be noted;

(ii) the child shall be searched after explaining the requirements and the process, and with due regard to decency and dignity and all the personal belongings shall be dealt with as stated in **rule 72** of these rules. A girl child shall be searched only by a female member of the staff;

(iii) the child shall be provided food to eat and drink if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child;

(iv) the child shall be provided medical care in case of ill-health, injury, mental ailment, disease or addiction requiring immediate attention;

(v) the child shall be segregated in specially earmarked dormitory or ward or hospital in case he is suspected to be suffering from contagious or infectious disease requiring special care and caution;

(vi) the child shall be asked about any immediate and urgent needs like appearing in an examination or interview, contacting family members. A note of the same or of the fact that no such need is present shall be made by the Receiving Officer and put up before the Child Welfare Officer or Case Worker to whom the child is assigned. The said note shall be placed in the case file of the child.

(2) Every child received in the Child Care Institution shall be kept for the first fourteen days of his stay in the reception dormitory made specifically for the purpose or the segregation unit, so that the child adjust to the life in the Child Care Institution.

G. Procedure to be adopted after the child is received.—(1) The following procedure shall be adopted on the same day or the next day if the child is received in the night:

(i) photograph of the child shall be taken. One photograph shall be kept in the case file of the child and another shall be fixed on the index card with the particulars of the child. A copy shall be kept in an album serially numbered and a copy of the photograph shall be sent to the Board or the Committee as well as to the District Child Protection Unit and be uploaded on the designated portal set up for the purpose;

(ii) the child may have a bath and be provided fresh clothes. The caregiver shall issue the child toiletry items, new sets of clothes, bedding and other outfit and equipment as per **rule 30** of these rules, a list of which shall be kept in his case file. The provisions will be replenished from time to time as per **rule 30** of these rules;

(iii) the Child Welfare Officer or Case Worker shall familiarise every newly admitted child with the Child Care Institution and its functioning, particularly in the following areas:-

(a) personal health, hygiene and sanitation;

(b) discipline of the Child Care Institution and code of behaviour;

(c) daily routine activities and peer interaction; and

(d) rights, responsibilities and obligations within the Child Care Institution.

(iv) the child shall be examined by the medical officer, who shall record the state of health of the child, and of any wound or mark on his person and any other observation which the medical officer thinks fit and a copy of which shall be placed in the medical record of the child;

(v) a Child Welfare Officer or Case Worker shall be assigned to the child by the Person-in-charge.

H. Procedure to be adopted during the first fourteen days of receiving the child.—(1) The assigned Child Welfare Officer or Case Worker shall interact with the child as often as possible.

(2) Within two days of the receipt of the child, if required, he may be examined by a panel of doctors to understand his physical, medical, psychological state and his state of addiction, if any, for assessment of his personality and requirements to assist in the rehabilitation plan to be prepared for him.

(3) The Child Welfare Officer or Case Worker assigned to the child shall also interact with the family members of the child, where available. A case history in **Form 43** shall be prepared and maintained in the case file of the child. Information for the same may be collected through all possible and available sources including the parents or guardians, home, school, friends, employer and community of the child.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall assess the educational level and vocational aptitude of the child on the basis of tests and interviews, conducted with the assistance of other technical staff. Necessary linkages, in this respect, shall be established with outside specialists and community based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and other Government and non-governmental organisations.

I. Procedure to be adopted on the expiry of the first fourteen days.—(1)The child shall be shifted to one of the regular dormitories and assigned a specific bed, cabinet and study table in that dormitory.

(2) Assignment of the dormitory shall be done on the basis of:

(i) age;

(ii) nature of offence committed by or against the child;

(iii) physical and mental status of the child;

(iv) children, requiring special care, shall be kept in a different dormitory.

(3) An individual care plan in **Form 7** of the child shall be prepared by the Child Welfare Officer or Case Worker on the basis of the child's case history, education and vocational aptitude.

In case of rehabilitation stay, the care plan shall be formulated for the complete period of the stay and shall necessarily include any and all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court towards the rehabilitation including bridge courses, formal, informal or continuing education.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall review the individual care plan and note his opinion in the rehabilitation card in **Form 14** on the basis of his own observations, interaction with the child and his teachers or instructors and the feedback received from the house father or house mother.

(5) The Child Welfare Officer or Case Worker shall also maintain a record of any difficulty faced by the child during his stay at the Child Care Institution with a note of the steps taken to resolve the difficulty.

(6) The Child Welfare Officer or Case Worker shall similarly keep a record of the complaints made by the child with regard to the facilities in the Child Care Institution with a note of the steps taken thereon.

(7) The individual care plan shall be reviewed every fortnight during the initial three months and thereafter, every month. A report of its effectiveness or inadequacy shall be prepared with reasons for such opinion.

J. Procedure to be adopted after three months.—(1) The progress of the child shall be examined, with specific reference to the aims and targets noted in the individual care plan for the child. The progress of the child shall be reviewed and noted in the rehabilitation card in **Form 14**.

(2) The quarterly progress report shall be placed before the Management Committee for perusal and consideration.

(3) After deliberation by the Management Committee, the individual care plan shall be appropriately modified. The routine of the child and the approach towards rehabilitation of the child shall also be suitably modified. Record of such modified care plan and daily routine shall be maintained in the case file of the child. The progress shall be reviewed and recorded in the rehabilitation card in **Form 14.**

K. Pre-release planning.—(1) A well-conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from Children's Homes, special homes and places of safety shall be organised in all institutions as per the directions of the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) In the event of a child leaving the Child Care Institution without permission or committing an offen within the institution, the information shall be sent by the Person-in-charge to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the child if the child is missing, shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

(3) The children shall be educated about their rights and the Child Care Institution may encourage the children and indulge them in education, sports and other extra-curricular activities.

L. Daily Routine in the Child Care Institution.—(1) Every child shall obey the order of an officer of the Child Care Institution or house representative and shall remain under discipline.

(2) Every institution shall have a daily routine for the children in consultation with the Children's Committee, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(3) The daily routine shall include, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.

M. Behaviour of the Child.—(1) The children in the Child Care Institution will be oriented and trained to follow the rules and standards of good behaviour.

(2) Every unacceptable behaviour shall be taken note of by the Children's Committee and the child found in violation of rules may be made to give an explanation. The Children's Committee may recommend appropriate action to the Person-in-charge. A copy of the report containing the description of the incident and the action taken thereupon shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court by the Person-in-charge within twenty-four hours. A copy of same shall also be placed before the Management Committee for planning a long term strategy for prevention of such incidents.

(3) A copy of the report shall be kept in the case file of the child concerned

(4) The Person-in-charge may deal with the violation appropriately giving due consideration to the recommendation of the Children's Committee and the safety and dignity of the child.

(5) The Person-in-charge may seek the assistance of the counsellor or the Child Welfare Officer or Case Worker, any non-governmental organisation associated with the Child Care Institution in dealing with the situation.

(6) A child showing exceptionally good behaviour shall be considered for appropriate reward or benefits by the Person-in-charge and note of the same shall be placed in the case file of the child.

N. Manner of dealing with unacceptable behaviour.—(1) The action taken shall be commensurate with the nature and degree of violation and the age of the child and may be any of the following:

(i) formal warning;

(ii) assignment of house-keeping tasks;

(iii) imposition writing i.e. writing a number of times that he shall not repeat the behaviour; and

(iv) forfeiture of privileges viz. permission to watch television, permission to go for outdoor activity, sports and recreation and other preferred activity;

(2) No child shall be subject to corporal punishment or any mental harassment including humiliating behaviour affecting the dignity of the child.

O. Exceptional Good behaviour.—The following shall be considered good behaviour, namely:-

(i) following the rules of discipline and adhering to the routine, assessed over a period of a month;

(ii) preventing, any other child from indulging in any unacceptable behaviour or preventing violence;

(iii) preventing any mishap by raising an alarm, evacuating other children in case of disaster;

(iv) assisting any officer of the Child Care Institution in maintaining order. For the House representatives, in situations that may develop into an emergency, the behaviour before the sounding of the alarm would be considered;

(v) informing the Child Welfare Officer of any plan of creating unrest or of escape;

(vi) inform the Person-in-charge about any prohibited article or contraband;

(vii) helping another child to come out of his trauma;

(viii) performing exceptionally well in an examination in continuation of his studies, or vocational or rehabilitation courses;

(ix) positive and adaptive behaviour;

(x) any other good behaviour as found exceptional by the Person-in-charge.

P. Reward or Benefits for maintaining exceptional behaviour.— The rewards to a child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, may be granted by the Personin-charge as an encouragement for good work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian, who comes to take charge of the child or child himself.

70. Prohibited Articles.— (1) No person shall bring into the Child Care Institution the following prohibited articles, namely:-

a. intoxicants of any description, psychotropic substances, liquor, ganja, bhang, opium, smack etc;

b. all explosives, poisonous substances, acid and chemicals, whether fluid or solid of whatever description;

c. all arms, ammunition and weapons, knives and cutting implements of every kind and articles which are capable of being used as a weapon of whatever description;

d. all obscene matter;

e. string, rope, chains and all materials which are capable of being converted into string or rope or chains, of whatever description;

f. wood, bamboo, club, stick, ladder, bricks, stones and earth of every description;

g. playing cards or other implements for gambling;

h. tobacco items, pan masala or similar item;

i. medicine that has not been specifically prescribed;

j. any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

(2) All bullion, metal, coin, jewellery, ornaments, currency notes, securities and articles of value of every description including electronic items such as mobile phone, digital camera, i-pad, etc,. shall be deposited in safe custody.

(3) The disposal of the prohibited articles shall be as per **rule 72** of these rules.

71. Articles found on search and inspection.—(1) The Person-in-charge shall ensure that every child received in the institution is searched, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the child is kept in the safe custody of the Person-in-charge. In case of search of a female child, the search shall be carried out by female staff only. In every institution, a record of money, valuables and other articles found with a child shall be maintained in the "Personal Belongings Register" which shall contain a description of the articles.

(2) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each child, shall be read over to the child in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Person-in-charge.

72. Disposal of articles.—(1) The money or valuables belonging to a child shall be disposed of in the following manner, namely:

a. on receipt of a child in an institution, the Person-in-charge shall deposit the money belonging to the child in the bank account of the child;

b. the valuables, and other articles, if any, shall be kept in safe custody;

c. when such child is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be transferred along with the child to the Person-in-charge of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description thereof;

d. at the time of release of such child, all valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in the name of the child shall be handed over to the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the parent or the guardian;

e. when a child in an institution dies, the valuables and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the child shall be handed over by the Person-in-charge to the parent or guardian of the child;

f. a receipt shall be obtained from such person for having received such money, valuables and other articles; and

g. if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of a child, the valuables and other articles and money deposited in the name of the child shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee under **rule 39** of these rules.

73. Maintenance of case file.—(1) The case file of each child maintained in the Child Care Institution in safe custody shall be confidential.

(2) The case file shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court on every date of production of the child for perusal of the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The case file shall contain the following namely:

(i) report of the person or agency who produced the child before the Board or Committee including the report of the police;

(ii) copy of FIR or DD entry in case of offence committed by or against the child;

(iii) photo ID, if available;

(iv) order of assignment of the Case Worker or Child Welfare Officer;

(v) case history form;

(vi) report of any urgent need of the child;

(vii) reports of the Person-in-charge, Probation Officer or Child Welfare Officer, counsellor and caseworker;

(viii) the case file of the child maintained in any previous institution, if any;

(ix) report of the initial interaction with the child, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;

(x) source of further information about the child, his family etc.;

(xi) observation reports from staff members;

(xii) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, as the case may be;

(xiii) psycho-social profiling, regular counselling reports, any other mental health intervention report, wherever applicable;

(xiv) report of Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, cognitive assessment, educational or vocational tests, if conducted;

(xv) instructions regarding training and treatment programme and special precautions to be taken;

(xvi) copy of the personal belongings register;

(xvii) copy of order declaring the age of the child;

(xviii) leave and other privileges granted;

(xix) Rehabilitation Card;

(xx) quarterly progress report;

(xxi) social investigation report, order of the Committee, linkage with schemes, individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed and modifications therein;

(xxii) fortnightly and monthly report of the effectiveness of the care plan;

(xxiii) record of difficulties faced by the child and their resolution;

(xxiv) record of the complaints of the child and action taken on them;

(xxv) feedback given by the child;

(xxvi) leave of absence or release under supervision;

(xxvii) report about a visitor visiting the child being found to have objectionable or prohibited articles;

(xxviii) report of the child having such articles and action taken on the same;

(xxix) report of any unacceptable behaviour and outcome;

(xxx) report of any exceptional behaviour and outcome;

(xxxi) special achievements and violation of rules, if any;

(xxxii) note of the rewards or earnings of the child and receipt by the child or his parent or guardian;

(xxxiii) release or restoration order;

(xxxiv) escort order, if any;

(xxxv) compliance report of release in case of children under rehabilitation intervention stay;

(xxxvi) report of the child not being released and compliance report of the directions issued on non-release of a child;

(xxxvii) follow-up reports;

(xxxviii) annual photograph;

(xxxix) follow-up report of post release cases as per the direction of the Board or the Committee or the Children's Court;

(xl) copy of any other report called by the Board or the Committee or the Children's Court in respect of the child; and

(xli) remarks, if any.

(4) The medical record of a child shall contain all reports and records of the child regarding the status of his physical and mental health, addiction status and treatment, etc.

(5) It shall be the responsibility of the Child Welfare Officer or Case Worker concerned to maintain the case file.

(6) All the case files maintained by the institutions may be computerised and the State Government may develop appropriate processes for the same.

74. Visits to and communication with children.—(1) Every child in the Child Care Institution may be permitted to have one meeting in a week with his relatives:

Provided that in special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another State or District, the Person-in-charge may allow the parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children on other days on confirmation of their identity and they being reported not to have been involved in subjecting the child to abuse and exploitation.

(2) A newly received child shall be permitted to meet his parent or guardian or family member on their first visit on any day.

(3) No meeting shall be permitted with the parent or guardian or relatives where such visitors have been found to be involved in subjecting the child to violence, abuse and exploitation or carrying any prohibited articles, except with the express permission granted by the Board or the Committee or the Children's Court or when such meeting has been specifically directed by the counsellor of the child.

(4) Every child shall be allowed to write two letters in a week to his parent or guardian or to his relatives. Necessary stationary and postage for the letters shall be provided by the Person-in-charge.

(5) The Person-in-charge may peruse any letter written by or to the child and may for reasons to be noted in the case file of the child, refuse to deliver or issue the letter. A report of the same shall be prepared and placed before the Management Committee. A copy of the report shall be retained on the case file and another copy shall be sent to the Board or the Children's Court or the Committee.

(6) Every child shall be allowed to bring any written communication for the purpose of handing over to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, and be provided stationary, etc. for the same.

(7) The Person-in-charge may allow a child to speak with his parents or guardians on telephone once a week under supervision of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer and record shall be duly maintained of such calls.

(8) Every person desiring to meet the child shall, before the meeting, disclose his name and address with proof, which shall be noted in the visitors register and signed by the visitor. Copy of the photo identity card containing the address and a photograph of the visitor to be taken before the meeting, shall be retained by the institution. If the visitor refuses to disclose his particulars, he shall be denied the meeting.

(9) The visitor shall, submit himself for a search at the main gate, female visitors shall be searched by female staff only.

(10) Every meeting shall take place in the presence of the Child Welfare Officer or Case Worker or

Probation Officer of the Child Care Institution, who shall be responsible for any irregularity that occurs and who shall be so placed that he is able to see and to prevent any objectionable or prohibited article being passed between the parties.

(11) Every child shall be carefully searched before and after the meeting in the presence of visitor. The child should not be having anything with him before he goes for the meeting.

(12) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted before the meeting:

(i) the said article shall be seized;

(ii) the Person-in-charge shall conduct an inquiry to know the identity of the person(s) responsible for the article reaching the child;

(iii) if the person(s) responsible are from the staff of the Child Care Institution, appropriate action will be initiated against them; and

(iv) a detailed report of the inquiry and its result shall be forwarded to the Department and the Board or court of competent criminal jurisdiction.

(13) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted after the meeting:

(i) the article shall be seized;

(ii) in case of any illegal article being found warranting legal action, the article and the visitor shall be detained and the police informed. The visitor and such article shall be handed over to the police;

(iii) a report of such visitor shall be prepared and placed in the case file of the child;

(iv) a report of the incident shall be forwarded to the Board or court of competent criminal jurisdiction; and

(v) copy of the report shall be placed in the case file of the child.

(14) Any child who abuses the privilege of meeting shall be denied the same for such period as the Person-in-charge may direct. A report of the same shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court and a copy shall be retained in the case file of the child.

(15) Every child shall be entitled to communicate with his legal counsel provided that:

(i) the rules of search and seizure shall apply to all legal counsels also;

(ii) every such interview shall take place within the sight of a home official, though at a safe distance so as to be out of hearing;

(iii) the person wishing to have an interview with the child in the capacity of his advocate shall apply in writing, giving his name, address and enrolment number with a copy of a vakalatnama, duly attested by the Board or the Committee or the Children's Court;

(iv) any child who claims to have no counsel shall be permitted to meet the legal aid counsels who visit the Child Care Institution in the normal course.

75. Death of a Child.—(1) On the occurrence of any case of death or suicide of a child in a Child Care Institution, the procedure to be adopted shall be as under:

a. The institution must ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.

b. In case of natural death or death due to illness of a child, the Person-in-charge shall obtain a reportof the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the nearest Police Station, Board or Committee and the District Magistrate, National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be and the parents or guardians or relatives of the child.

c. Immediate information shall be given by the case-worker or Probation Officer or Child Welfare Officer to the Person-in-charge and the Medical Officer and the Person-in-charge shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee "and the District Magistrate, the National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be[120] and parents or guardians or relatives of the deceased child.

d. If a child dies within twenty-four hours of his admission to the Child Care Institution, the Person-in-charge of the Child Care Institution shall report the matter to the police and the District Magistrate, National or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be and the District Medical Officer or the nearest Government hospital and the parents or guardians or relatives of such child without delay.

e. The Person-in-charge and the Medical Officer of the Child Care Institution shall record the circumstances of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the police, the Board or the Committee or the Children's Court and the District Medical Officer or the nearest Government hospital where

the dead body of the child is sent for examination and determination of the cause of death and the person-in charge and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of death, if any, and submit it to the concerned Magistrate and to the police.

f. The Person-in-charge and the Medical Officer at the Child Care Institution shall make themselves available for any inquiry initiated by the police or the Magistrate regarding the cause of death and other details regarding such child.

g. As soon as the inquest is over, the body of the child shall be handed over to the parent or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Person-in-charge of the Child Care Institution in accordance with the known religion of the child after retaining a photograph of the child for future reference.

76. Abuse and Exploitation of the Child.—(1) Every institution shall evolve a system of ensuring that there is no abuse, neglect and maltreatment and shall include the staff who is aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment, and their early indication and how to respond to these abuses.

(2) In the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of children in an institution by those responsible for care and protection, the following action shall be taken namely:

(i) the incidents of abuse and exploitation shall be reported by any staff member of the institution immediately to the Person-in-charge on receiving such information;

(ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Person-in-charge, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn shall, order for special investigation;

(iia) in the event a case of sexual abuse is reported, procedure under section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), shall be followed;

(iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance of such incidents and conduct necessary investigation;

(iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of inquiry and provide legal aid as well as counselling to the child victim;

(v) the Board or Committee shall transfer such a child to another institution or place of safety or fit person, as the case may be;

(vi) the Person-in-charge of the institution shall also inform the Chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken in its next meeting;

(vii) in the event of any other crime committed in respect of children in institutions, the Board or Committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police or Special Juvenile Police Unit;

(viii) the Board or Committee may consult Children's Committee setup in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from voluntary organisations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of children in an institution.

77. Maintenance of Registers.—(1) The persons mentioned in column (3) shall maintain registers and forms under the Act and the rules made thereunder in column (2) whose custodian shall be the persons mentioned in column (4) thereof as under:

Table

Sl.No. (1)	Register and forms (2)	To be maintained by (3)	Custodian (4)
1.	Admission and Discharge Register which will indicate change of nature of custody.	Child Welfare Officer/Case Worker/Receiving Officer	Person-in-charge
2.	Attendance Registers for staff and children.	Shift Incharge	Person-in-charge
3.	Budget Statement file.	Person-in-charge	Person-in-charge
4.	Case file of each child.	Child Welfare Officer or Case Worker	Person-in-charge
5.	Cash Book.	Accounts Officer/Cashier	Person-in-charge
6.	Children's Suggestion or Complaint Book	Children's Committee	Person-in-charge
7.	Counselling Register.	Counsellor	Person-in-charge
8.	Drug de-addiction programme enrolment and progress register.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
9.	Handing over Charge Register.	Shift Incharge	Person-in-charge
10.	House-keeping and Sanitation Register.	House Parent	Person-in-charge
11.	Inspection Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
12.	Legal Services Register.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
13.	Library Register.	Teacher	Person-in-charge
14.	Log Book.	Driver	Person-in-charge
15.	Meals Register/Nutrition Diet File.	House Parent	Shift Incharge
16.	Medical File of each child.	Staff Nurse	Person-in-charge
17.	Meeting Book.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge

18.	Minutes Register of Children's Committees.	Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
19.	Minutes Register of Management Committee.	Person-in-charge	Person-in-charge
20.	Order Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
21.	Personal Belongings Register.	Child Welfare Officer/Case Worker	Person-in-charge
22.	Production Register	Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Case Worker	Person-in-charge
23.	Staff Movement Register.	Incharge of Security	Person-in-charge
24.	Stock Register.	Store keeper cum accountant	Person-in-charge
25.	Visitor's Book	Security Guards	Main Gate's Keeper

78. Openness and Transparency.—(1) All Child Care Institutions shall be open to visitors with the permission of the Board or the Committee or the Person-in-charge, who may allow voluntary organisations, social workers, researchers, doctors, academicians, and such other persons as the Management

Committee may permit or consider appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.

(2) Where permission referred to in sub-rule(1) is given by the Person-in-charge, he shall make a monthly report of such permission including the orders received from the Board or the Committee to the State Child Protection Society and also to the Board or the Committee, as the case may be.

(3) The Person-in-charge of the Child Care institution shall encourage active involvement of the local community and corporates in improving the condition in the institution or support the child.

(4) The Person-in-charge shall maintain a visitors' book to record the remarks of the visitors.

(5) The Person-in-charge shall take all steps to inform the visitors to maintain the dignity of children.

79. Release of a child from a Child Care Institution.-—(1) The Person-in-charge of the Child Care Institution shall maintain a roster of the cases of children to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The timely information of the release of a child and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be called to the Child Care Institution to take charge of the child on that date and if necessary, the actual expenses of the parent's or guardian's journey both ways and of the child's journey from the Child Care Institution shall be paid to the parent or guardian by the Person in-charge at the time of the release of the child.

(3) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the child on the appointed date, the child shall be taken by the escort of the Child Care Institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort who shall hand over the custody to her parent/guardian.

(4) At the time of release or discharge, a child may be provided with a set of suitable clothing and essential toiletries.

(5) When the child attains the age of eighteen years, he may be placed, if eligible, in an aftercare programme, subject to the consent of the child and the approval of the Board or the Committee or the Children's Court.

(6) In case the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the child may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge.

(7) The Person-in-charge of the Child Care Institution may in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway and/or road fares, as the case may be.

(8) Where a child under eighteen years of age has no place to go after release and requests for stay in the Child Care Institution after the period of stay is over, the Person-in-charge may, subject to the approval of the Board or the Committee or the Children's Court, allow her stay only for a limited period till the time, some other suitable arrangement is made by her.

(9) Where a girl, above eighteen years of age, is released from the Child Care Institution and has no place togo, she shall be provided with accomodation in the Working Women Hostels, or other such government facilities, till the time some other suitable arrangement is made by her.

80. Child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place and transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs.—(1) The Board or the Committee or the Children's Court may send the child to a fit facility for such period as may be certified by a medical officer or mental health expert or on the recommendation of the Person-in-charge or Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker, as necessary for proper treatment of the child who is mentally ill or addicted to alcohol or drugs or any other substance which lead to behavioural changes in a person for the remainder of the term for which he has to stay.

(2) When the child is cured of the disease or physical or mental health problems, the Board or the Committee or the Children's Court may, order the child to be placed back in the care from where the child was removed for treatment and if the child no longer requires to be kept under further care, the Board or the Committee or the Children's Court may order him to be discharged.

(3) The State Government may set up separate Integrated Rehabilitation Centres for child addicts on the basis of appropriate age groups.

81. Transfer or Repatriation of Child.—(1) During the inquiry, if it is found that the child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or the Committee, the Board or the Committee shall order the transfer of the child and send a copy of the order stating the reasons for and circumstances of such transfer to the State Government and District Child Protection Unit.

(2) The District Child Protection Unit shall accordingly:

(i) send the information of transfer to the appropriate Board or the Committee having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and

(ii) send a copy of the information to the Person-in-charge of the institution where the child is to be placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) The child shall be escorted at Government expenses to the place or person as specified in the order and a travelling allowance on a per day basis shall be determined by the Board or the Committee which shall be paid by the District Child Protection Unit of the State which has transferred the child.

(4) On such transfer, case file and records of the child shall be sent along with the child.

(5) Where the child is a national of another country, on the production of the child before the Board or the Committee, the Board or the Committee shall inform the District Magistrate who shall initiate the process forrepatriation of the child immediately through the appropriate Department of the State Government and in consultation with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs, as the case may be.

(5A) The District Magistrate shall prepare a list of children to be repatriated and furnish the same to the Monitoring Authority (National Commission for Protection of Child Rights or State Commission for Protection of Child Rights, as the case may be) as per the protocols.

(5B) The Monitoring Authority shall follow up with the concerned Government or Private Agencies for getting the child repatriated.

(5C) The Monitoring Authority shall then submit a status report of the children who are to be repatriated to the Central Government and the State Government, as the case may be on a quarterly basis.".

(6) During the period pending the finalisation of the repatriation, the child shall be kept in a Child Care Institution.

(7) The expenses for the repatriation of the child to another country shall be borne by the State Government concerned.

82. Restoration and Follow-up.—(1) The Board or the Committee or the Children's Court may make an order in **Form 44** for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Board or the Committee or the Children's Court shall take into account the reports of the Probation Officer, social worker or Child Welfare Officer of Case Worker or non-governmental organization, including report of a home study prepared on the direction of the Board or the Committee or the Children's Court in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the Probation Officer or the social worker or the Child Welfare Officer or Case Worker or non-governmental organization.

(4) The Board or the Committee or the Children's Court, while directing restoration of the child, may pass order for an escort in **Form 45,** where necessary.

(5) Besides police, the Board or the Committee may seek collaboration with non-governmental organizations to accompany the child back to the family for restoration.

(6) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(7) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Committee or the Children's Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(8) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or the Committee or the Children's Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family. The child may also not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the social worker or the Case Worker or the non-governmental organization establishes that restoration to family may not be in the interest of the child. The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back. In all such cases, the Board or the Committee or the Children's Court may provide alternative means for rehabilitation.

(9) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Probation Officer or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organization.

(10) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

82A. Restoration and Follow-up for children in conflict with law–

(1) The Board or the Children's Court may make an order in Form 44 for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of thepersons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Board or the Children's Court shall take into account the reports of the Probation Officer Worker or the designated officer of the District Child Protection Unit or non- governmental organisation, including report of a home visit prepared on the direction of the

Board or the Children's Court in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Board or the Children's Court.

(3) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or the Children's Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family.

(4) The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back and in all such cases, the Board or the Children's Court shall provide alternative means for rehabilitation.

(5) The child may not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Probation officer or designated officer of the District Child Protection Unit or the Child Welfare Officer or the non- governmental organisation establishes that restoration to family may not be in the interest of the child.

(6) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the Probation Officer or the designated officer of the District Child Protection Unit or the non-governmental organisation.

(7) The Board or the Children's Court, while directing restoration of the child, may pass order for an escort in **Form45**, where necessary.

(8) Besides police, the Board may seek collaboration with the District Child Protection Unit to accompany the child back to the family for restoration.

(9) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(10) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Children's Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(11) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(12) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

82B. Restoration and Follow-up for children in need of care and protection- (1) The Committee may make an order in Form 44 for the release of the child placed in a Child Care Institution after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Committee shall take into account the reports of the social worker or Child Welfare Officer or Case Worker or designated officer of the District Child Protection Unit or non-governmental organisation, including report of a home visit prepared on the direction of the Committee in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Committee.

(3) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Committee shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family.

(4) Where the child refuses to go back to the family or the family refuses to take back the child due to reasons of financial constraints, the District Magistrate shall explore all possibilities of providing all Central and Statesponsored schemes including sponsorship under section 45 of the Act, Juvenile Justice Fund under section 105 of the Act, Corporate Social Responsibility funds or any other scheme to strengthen the family financially in the best interest of the child.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, financial capability of the family may be ascertained through any income documents such as bank statement of past one year or Income Tax returns of the past three years or property registration of the family or income certificate, whichever is available.

(5) The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back and in all such cases, the Committee may provide alternative means for rehabilitation.

(6) The child may not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the social worker or the Case Worker or the non-governmental organisation or designated officer by the District Child Protection Unit or management of Child Care Institution, as the case may be, establishes that restoration to family may not be in the interest of the child.

(7) The District Child Protection Unit shall submit the report regarding restoration plan for eligible children and its implementation and the District Magistrate may facilitate restoration of children and intervene wherever required.

(8) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the social worker or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the non-governmental organisation.

(9) The Committee, while directing restoration of the child, may pass an order for an escort in Form 45, where necessary.

(10) Besides police, the Committee may seek collaboration with the District Child Protection Unit to accompany the child back to the family for restoration.

(11) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(12) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Committee to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(13) Where the child has not been declared legally free for adoption, all efforts must be made to restore the child with their guardian or relatives, if they are deemed to be fit by the Committee.

(14) The District Magistrate shall explore all possibilities to provide benefit under all Central and State sponsored schemes including Sponsorship under section 45 of the Act and the Juvenile Justice Fund under section 105 of the Act.

(15) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(16) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

85. Juvenile Justice Fund.—(1) The State Government shall create a fund called the Juvenile Justice Fund for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under the Act and the rules.

(8) The State Government shall make adequate budgetary allocations towards the Juvenile Justice Fund.

(9) The Juvenile Justice Fund may receive donations, voluntary contributions, subscriptions or funds under Corporate Social Responsibility, whether or not for any specific purpose, and shall be directly credited to the Juvenile Justice Fund.

(10) The Juvenile Justice Fund may be utilised by the State Government for the following purposes, namely:-

(i) establishment and administration of Child Care Institutions;

(ii) supporting innovative programmes for the welfare of the children in the Child Care Institutions;

(iii) strengthening of legal assistance and support;

(iv) providing entrepreneurial support, skill development training or vocational training;

(v) providing lump-sum subsistence support to children leaving Child Care Institution on attaining the age of eighteen years;

(vi) providing after care facilities and entrepreneurship fund for providing capital and infrastructure to persons who have crossed the age of eighteen within institutionalized care, for starting up small businesses to support reintegration into mainstream life;

(vii) providing support for foster care, sponsorship and after care;

(viii) rehabilitation of children in special circumstances including children released from militant groups and adult groups;

(ix) meeting the expenses of travel for trial and restoration of children, including the expenses of the escorts including police;

(x) creating child friendly police stations, Boards, courts and Committees;

(xi) Capacity building for parents and caregivers to understand needs of children;

(xii) awareness generation programmes on child rights and offences against children;

(xiii) creating community-based child protection programmes to identify and report offences against children;

(xiv) providing specialised professional services, counselors, translators, interpreters, special educators, social workers, mental health workers, vocational trainers etc. for the children covered under the Act;

(xv) providing recreational facilities and extra-curricular activities for the children covered under the Act including those in Child Care Institutions;

(xvi) palliative care for cancer affected children and stay facilities for their parents; and

(xvii) any other programme or activity to support the holistic growth, development and well-being of a child covered under the Act and the rules.

(11) The Juvenile Justice Fund shall be maintained and administered by Department of the State Government dealing with the implementation of this Act through the State Child Protection Society.

(12) The State Child Protection Society, with the approval of the State Government shall adopt financial rules to govern the utilisation of the Juvenile Justice Fund.

(13) The District Magistrate may submit proposal to the State for seeking funds from the State Juvenile Justice Fund for implementing projects for children in the District regarding any of the activities mentioned under this rule.

86. State Child Protection Society.- (1) The State Child Protection Society shall only comprise of the officials from the State Government and shall perform the following functions namely:

i. overseeing the implementation of the Act and the rules framed thereunder in the State and supervision and monitoring of agencies and institutions under the Act;

ii. addressing road-blocks, issues, complaints received regarding care and protection of children;

iii. ensure that all institutions set up under the Act and the rules are in place and performing their assigned duties;

iv. reviewing reports received from various District Magistrates on the functioning of institutions in various districts and take action to facilitate the protection of children wherever necessary and monitoring the functioning of the District Child Protection Units;

v. develop programmes for foster care, sponsorship and after-care;

vi. inquire into, seek reports and make recommendations in cases of death or suicide in Child Care Institutions and under other institutional care;

vii. ensure inter-department coordination and liaising with the relevant departments of the State and Central Governments and State Child Protection Societies of other States or Union Territories;

viii. networking and coordinating with civil society organisations working for the effective implementation of the Act and the rules;

ix. maintaining a state level database of all children in institutional care and family based non-institutional care and updating it on a quarterly basis;

x. maintaining a database of Child Care Institutions, Specialised Adoption Agencies, open shelters, fit persons and fit facilities, registered foster parents, sponsors, after care organisations and other institutions at the State level;

xi. maintaining a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the State level;

xii. monitoring and administering the Juvenile Justice Fund set up by the State Government including disbursal of funds to the District Child Protection Units, Special Juvenile Police Units and police stations, as the case may be;

xiii. maintaining separate accounts for all funds received by the State Child Protection Society such as the Juvenile Justice Fund, funds under Schemes of Central and State Government and getting the same audited;

xiv. generate awareness among public on various aspects of the Act and the rules made thereunder specifically the existing institutional framework, rehabilitation measures, penalties, procedures for better protection of children;

xv. organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders;

xvi. commission research programmes on child protection;

xvii. co-ordinate with State Legal Services Authority and law schools; and

xviii. any other function for the effective implementation of the Act and the rules made thereunder.

(2) The Member- Secretary of the State Child Protection Society shall be the Nodal Officer in the State for the implementation of the Act and the rules.

84A. State Adoption Resource Agency–

(1) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of the Authority, as per the provisions of section 67 of the Act and the Adoption Regulations.

(2) The Governing Body of the State Adoption Resource Agency shall be headed by the Principal Secretary or the Secretary of the Department of the State Government.

(3) The Director of the Department of the State Government dealing with adoption shall be the Member Secretary and Chief Executive Officer of the State Adoption Resource Agency.

85. District Magistrate and District Child Protection Unit.—(1) The District Child Protection Unit shall function under the supervision of the District Magistrate and shall perform following functions, namely:

i. maintain report of quarterly information sent by the Board about children in conflict with law produced before the Board and the quarterly report sent by the Committee;

ii. arrange for individual or group counselling and community service for children;

(iia) make the social investigation report and the individual care plan for each child as directed by the Board or the Committee.

iii. conduct follow up of the individual care plan prepared on the direction of the Children's Court for children in the age group of sixteen to eighteen years found to be in conflict with law for committing heinous offence;

iv. conduct review of the child placed in the place of safety every year and forward the report to the Children's Court;

v. maintain a list of persons who can be engaged as monitoring authorities and send the list of such persons to the Children's Court along with bi-annual updates;

vi. maintain record of run- away children from Child Care Institutions;

vii. identify families at risk and children in need of care and protection;

viii. assess the number of children in difficult circumstances and create district-specific databases to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;

ix. periodic and regular mapping of all child related services at district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;

x. facilitate the implementation of non-institutional programmes including sponsorship, foster care and after care as per the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;

xi. facilitate transfer of children at all levels for their restoration to their families;

xii. ensure inter-departmental coordination and liaise with the relevant departments of the State Government and State Child Protection Society of the State and other District Child Protection Units in the State;

xiii. network and coordinate with civil society organisations working under the Act;

xiv. inquire into, seek reports and take action in cases of death or suicide in child care institutions and under other institutional care and submit the reports to the State Child Protection Society;

xv. look into the complaints and suggestions of the children as contained in the children's suggestion box and take appropriate action;

xvi. be represented on the Management Committees within the Child Care Institutions;

xvii. maintain a district level database of missing children in institutional care and uploading the same on designated portal and of children availing the facility of Open Shelter and of children placed in foster care;

xviii. maintain a database of child care institutions, specialised adoption agencies, open shelter, fit persons and fit facilities, registered foster parents, after care organisations and institutions etc. at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society, as the case may be;

xix. maintain a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society;

xx. maintain a database of special educators, mental health experts, translators, interpreters, counsellors, psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances at the district level and forward the same to the Boards and the Committees and the Children's Court and the State Child Protection Society;

xxi. generate awareness and organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders under the Act;

xxii. organise quarterly meeting with all stakeholders at district level to review the progress and implementation of the Act;

xxiii. submit a monthly report to the State Child Protection Society and the District Magistrate;

xxiv. notify the State Government about a vacancy in the Board or the Committee six months before such vacancy arises;

xxv. review reports submitted by Inspection Committees and resolve the issues raised through coordination among the stakeholders;

xxvi. provide secretarial staff to the Committees and the Boards;xxvii. all other functions necessary for effective implementation of the Act including liaising with community and corporates for improving the functioning of Child Care Institutions.

xxviii. maintain a panel of social workers for assigning the work to be done by social workers under the Act;

xxix. ensure that rights of the child are displayed in schools, hospitals, government buildings and other such places which are frequented by children.".

(2) The District Magistrate shall be the Nodal Officer in the district for the implementation of the Act and the rules, and may designate any Additional District Magistrate of the District to discharge the duties under the Act.

(3) The District Magistrate shall hold quarterly review meetings with relevant stakeholders including the Police Department, the Education Department, the Health Department, the District Legal Services Authority, to discuss issues related to children in the district.

86. Special Juvenile Police Unit.—(1) The State Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit in each district and city to co-ordinate all functions of police related to children.

(2) The Central Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit for the Railway Protection Force or Government Railway Police at every railway station as per requirement and where a Special Juvenile Police Unit cannot be set up, at least one Railway Protection Force or Government Railway Police Officer shall be designated as the Child Welfare Police Officer.

(3) The Child Welfare Police Officers and other police officers of the Special Juvenile Police Unit shall be given, appropriate training and orientation to deal with matters concerning children.

(4) The transfer and posting of the designated Child Welfare Police Officers may be within the Special Juvenile Police Units of other police stations or the district unit.

(5) The police officer interacting with children shall be as far as possible in plain clothes and not in uniform and for dealing with girl child, woman police personnel shall be engaged.

(6) The Child Welfare Police Officer or any other police officer shall speak in polite and soft manner and shall maintain dignity and self-esteem of the child.

(7) Where questions that may lead to discomfort of the child are to be asked, such questions shall be asked in tactful manner.

(8) When an FIR is registered for offence against a child, a copy of the FIR shall be handed over to the complainant or child victim and subsequent to the completion of investigation, copy of report of investigation and other relevant documents shall be handed over to the complainant or any person authorised to act on his behalf.

(9) No accused or suspected accused shall be brought in contact with the child and where the victim and the person in conflict with law are both children, they shall not be brought in contact with each other.

(10) The Special Juvenile Police Unit shall have a list of:

(i) the Board and Child Welfare Committee in its due jurisdiction, their place of sitting, hours of sitting, names and contact details of Principal Magistrate and members of the Board, names and contact details of Chairperson and members of the Committee and the procedures to be followed before the Board and the Committee; and

(ii) contact details of the Child Care Institutions and fit facilities in its due jurisdiction.

(11) The names and contact details of the Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall be placed at a conspicuous part at the police stations, Child Care Institutions, Committees, Boards and the Children's Courts.

(12) The Special Juvenile Police Unit shall work in close co-ordination with the District Child Protection Unit, the Board and the Committee in the matters concerning the welfare of children within its jurisdiction.

(13) The Special Juvenile Police Unit may coordinate with the District Legal Services Authority to provide legal aid to children.

89. Selection Committee and its composition.(1) The State Government shall constitute a Selection Committee for a period of three years by notification in the Official Gazette consisting of the following members, namely:

i. **Secretary, Social Justice and Empowerment to the Government of Himachal Pradesh,** as the ex-officio Chairperson;

ii. one representative from the Department implementing the Act not below the rank of Director as the ex-officio Member Secretary;

iii. two representatives from two different reputed non-governmental organisations respectively working in the area of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any children's institution;

iv. two representatives from academic bodies or Universities preferably from the faculty of social work, psychology, sociology, child development, health, education, law, and with special knowledge or experience of working on children's issues for a minimum period of seven years; and

v. a representative of the State Commission for Protection of Child Rights.

(10) The Committee shall continue for a maximum period of three months after the completion of its tenure by which time new Committee shall be constituted.

(11) If a vacancy arises in the Selection Committee, the Member Secretary shall intimate the Secretary of the Department implementing the Act who shall take steps to fill the vacancy for the remaining period at the earliest.

(12) The quorum for the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members, including the Chairperson and the Member Secretary.

(13) The Member Secretary of the Selection Committee shall convene the meetings of the Selection Committee at such times as may be necessary for facilitating and carrying out the functions of the Selection Committee.

(14) The Member Secretary shall maintain the minutes of the selection process and all other meetings of the Selection Committee.

(15) The Chairperson and non-official members of the Selection Committee shall be paid such sitting fees and travel allowances as may be fixed by the State Government from time to time.

(16) All communications relating to the working and discharge of the functions of the Selection Committee shall be addressed to the Office of the Member Secretary, who shall place the same before the Selection Committee.

(17) All records relating to selection shall be placed on the website of the State Government Department concerned.

89. Selection of Chairperson and Members of the Child Welfare Committee or Juvenile Justice Board.—(1) The Member Secretary of the Selection Committee shall initiate the process of filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office: Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Chairperson of the Committee or a Member of the Board or Committee the Member Secretary of the Selection Committee shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.

(2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee, the State Government through the Member Secretary of the Selection Committee shall call for applications through public advertisement in the local and national newspapers and official website of the Department implementing the Act.

(3) The Member Secretary shall screen all the applications received and place the applications which fulfil the basic eligibility requirements before the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of qualifications, experience of working with children and personal interaction with the candidate.

(5) A member selected by the Selection Committee should not:

(i) be holding such full-time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules;

(ii) be associated with any Child Care Institution, directly or indirectly, during his tenure as a member of the Board or Committee or have any other conflict of interest.

(iii) hold any office in any political party during his tenure, or

(iv) be insolvent.

(6) Where the Selection Committee is required to consider an application for renewal of tenure of Members of the Board , it shall evaluate the application on the basis of the following criteria, namely:

(i) regular performance appraisals of the Member carried out by the District Judge or District Magistrate quarterly as per a specified format, a copy of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary;

(ii) complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking an extension of tenure; and

(iii) interaction with such applicant.

(7) The Selection Committee shall, on the basis of the evaluation procedure and criteria, select and recommend a panel of names in order of merit to the State Government for appointment as Members of the Board or Chairperson or Members of the Committee as the case may be.

(8) In recommending a panel of names, the Selection Committee shall prepare separate panels for the position of Chairperson of the Committee, Members of the Committee and Members of the Board respectively.

(9) The Selection Committee shall prepare a three member panel for each position, which shall be vaild for a period of one year.

(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government for appointment. The State Government shall constitute one or more Boards or Committees, as the case may be, in each district through notification in Official Gazette within a period of two months of receipt of recommendations of Selection Committee.

(11) Names on the panel shall be valid for consideration for a period of one year which may be extended by six months where a new panel has not yet been constituted, in order to fill in vacancies which may arise during such period either due to non-reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment, or otherwise during the tenure of the Board or Committee.

(12) If a vacancy in the Board or Committee arises, the District Child Protection Unit shall inform the State Government for filling up such vacancy**.**

(13) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of three months from receiving such information from the District Child Protection Unit.[143]

89. Training of Personnel Dealing with Children.—(1) The State Government or the District Administration shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view with their statutory responsibilities and specific jobs requirements.

(2) The training programme shall include:

(i) introduction of the Act and the rules made thereunder;

(ii) orientation on child welfare, care, protection and child rights;

(iii) induction training of the newly recruited personnel;

(iv) refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices; and

(v) conferences, seminars and workshops.

(3) The following categories of personnel shall have to undergo training for minimum period of fifteen days, namely:-

Sl. No.	Personnel
1.	Staff of Children's Court and Principal Magistrates of Juvenile Justice Boards
2.	Members of Juvenile Justice Boards
3.	Chairpersons and Members of Child Welfare Committees

4.	Child Welfare Police Officers and other police officers of Special Juvenile Police Units
5.	Programme Managers and Programme Officers of State Child Protection Societies and State Adoption Resource Agency
6.	Staff of State Adoption Resource Agency
7.	Legal-cum-Probation Officers under District Child Protection Units and Probation Officers in Child Care Institutions
8.	Staff of District Child Protection Units and State Child Protection Society
9.	Persons-in-charge of Child Care Institutions (including Open Shelters)

(4) The State Government shall also provide training to other personnel such as social workers, Child Welfare Officers, Case Workers, rehabilitation cum placement Officers, care givers, house fathers and house mothers of Child Care Institutions, security personnel and other staff of Child Care Institutions, Frontline Workers, bridge course educators, outreach workers and community volunteers, Social Workers of Specialised Adoption Agencies, Directors or Incharge of Specialised Adoption Agencies, chief functionaries of organisations granted registration for running Child Care Institutions under the Act, mental health practitioners, psychologists, psychiatrists, psychiatric social workers, legal services lawyers, members of Committees or societies constituted under the Act and the rules thereunder.

(5) The State Governments, while organising training programmes for the stakeholders at State or District level, shall ensure that training modules and training manuals to be developed by State Child Protection Society are in consultation with National Institute of Public Cooperation and Child Development or Institutions having requisite expertise in order to maintain uniformity in the training process throughout the country.

(6) The Judicial Academy in States may develop training module and training manual for the training of Principal Magistrates including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(7) The Police Academy in States may develop training module and training manual in consultation with National Police Academy for the training of police and Child Welfare Police Officers including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(8) The State Legal Services Authority shall organise training programme for legal service lawyers and para legal volunteers.

(9) The State Child Protection Society in consultation with institutions with requisite expertise shall organise training programme for Probation Officers.

(10) The Central Adoption Resource Authority, may develop appropriate training modules and manuals for Specialised Adoption Agencies and staff of State Adoption Resource Agency and organise training programmes.

90. Pending Cases.—(1) No child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.

(2) The benefits referred to in sub-rule (1) shall be made available to all persons who were children at the time of the commission of the offence, even if they ceased to be children during the pendency of the inquiry or trial.

(3) While computing the period of detention or stay or sentence of a child in conflict with law, all such period which the child had already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

91. Monitoring by National Commission for Protection of Child Rights and State Commissions for Protection of Child Rights.—(1) In addition to the functions specified under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the National Commission or the State Commissions may perform following functions in consultation with the Central and State Government, namely:

i. review setting up of institutions created under the Act;

(ia) inspect the Child Care Institutions including the Specialised Adoption Agencies and maintain a record of inspections conducted by the authorities;

ii. develop Information, Education and Communication (IEC) material on child rights and gender sensitivity;

iii. develop protocols for reformation and rehabilitation of children;

iv. create awareness about identification and reporting of crimes against children such as drug abuse, trafficking, child sexual abuse and exploitation including child marriage, and other aspects of violence against children;

v. conduct sensitisation workshops for panchayati raj institutions and municipal corporations on crimes against children including identification and reporting of crimes for enhanced protection;

vi. develop information material detailing the rights of the child victims or witnesses and their families, and containing useful information in local languages, which may be provided to the victim and her/his family;

vii. develop training module for stake holders along with the State Child Protection Societies and National Institute of Public Cooperation and Child Development etc.

92. Inquiry in case of a Missing Child.—(1) A missing child is a child, whose whereabouts are not known to the parents, legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances or causes of disappearance, and shall be considered missing and in need of care and protection until located or his safety and well-being established.

(2) When a complaint is received about a child who is missing, the police shall register a First Information Report forthwith.

(3) The police shall inform the Child Welfare Police Officer and forward the FIR to the Special Juvenile Police Unit for immediate action for tracing the child.

(4) The police shall:

(i) collect a recent photograph of the missing child and make copies for District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/ Media etc.;

(ii) fill the form on the designated portal;

(iii) fill the specific designed 'Missing Persons Information Form' and immediately send to Missing Persons Squad, District Missing Persons Unit, National Crime Record Bureau, State Crime Records Bureau, Central Bureau of Investigation, and other related institutions;

(iv) send the copy of the First Information Report by post/email to the office of the nearest Legal Services Authority along with addresses and contact phone numbers of parents or guardian of the missing child or the Child Care Institution, after uploading the relevant information onto the designated portal;

(v) prepare sufficient number of Hue and Cry notices containing photograph and physical description of the missing child to be sent for publication.

(vi) give wide publicity by publishing or telecasting the photographs and the description of the missing child, as feasible in (a) leading newspapers (b) Television/electronic media (c) local cable television network and social media and thereafter submit for ratification by the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

(vii) give wide publicity in the surrounding area through the use of loud speakers and the distribution and a□xture of Hue and Cry notice at prominent places. Social networking portals, Short Message Service alerts and slides in cinema halls can be used to reach out to the masses;

(viii) distribute Hue and Cry notice at all the outlets of the city or town, that is, railway stations, bus stands, airports, regional passport o□ces and other prominent places;

(ix) search areas and spots of interest such as movie theatres, shopping malls, parks, amusement parks, games parlours and areas where missing or run away children frequent should be identified and watched;

(x) scan the recordings of the Closed Circuit Television Cameras installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes and transit destination points like bus stands, railway stations, and other places;

(xi) inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals, and clinics, and other local outreach workers, railway police, and other places;

(xii) details of missing children should be sent to the District Crime Record Bureaus of the neighbouring States and Station House Officers (SHOs) of the bordering police stations including in-charge of all police posts in their jurisdiction and shall conduct regular interaction with the concerned so that follow up action is ensured.

(4) Where a child cannot be traced within a period of four months, the investigation of the case shall be transferred to the Anti Human Trafficking Unit in the District which shall make reports every three months to the District Legal Services Authority regarding the progress made in the investigation.

(5) When a child is traced.—(i) he shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, for appropriate directions;

(ii) the police shall send a report to the District Legal Services Authority which shall provide counselling and support services to the child and the family; and

(iii) the police shall conduct an inquiry whether the child has been subjected to any offence under the Act or any other law and if so, proceed accordingly.

(6) The Central Government or the State Government may issue appropriate Standard Operating Procedures for the manner of inquiry in cases of missing children to give effect to these rules.

93. Non-Compliance of the Act and the rules.—Any officer/institution, statutory body etc., who fails to comply with the provisions of the Act and the Rules framed thereunder, the State Government may take action against such officer/ institution, statutory body etc. after due inquiry and simultaneously make alternative arrangements for discharge of functions for effective implementation of the Act.

By order,

C.P. VERMA,
Secretary (SJ&E).

FORM-1

[Rules 8 (1), 8 (5)]

SOCIAL BACKGROUND REPORT

FIR/DD No……

U/Sections……

Police Station……

Date & Time ……

Name of I.O. ……

Name of CWPO……..

1. Name ……..…

2. Father/Mother/Guardian's name…….....…..

3. Age/ Date of birth …….....

4. Address…….....

5. Religion

(i) Hindu (OC/ BC/ SC/ ST)

(ii) Muslim/ Christian/ Other (pl. specify)

6. Whether the child is differently abled:

(i) Hearing Impairment

(ii) Speech Impairment

(iii) Physically disabled

(iv) Mentally disabled

(v) Others (please specify)

7. Family Details:

Sl. No.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health status	History of Mental Illness (if any)	Addictions (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Reasons for leaving home …….....

9. Whether there is a history of involvement of family members in offences, if any

10. Habits of the child

	A	Yes	No	B
i)	Smoking			i) Watching TV/movies
ii)	Alcohol consumption			ii) Playing indoor/ outdoor games
iii)	Drug use (specify)			iii) Reading books
iv)	Gamblingiv)			iv) Drawing/painting/acting/singing
v)	Begging			v) Any other
vi)	Any other			

11. Employment Details, if any……

12. Details of income utilization:

(i)	Sent to family to meet family need	Yes / No
(ii)	Used by self for:	Yes / No

(i)	For dress materials	Yes/No
(ii)	For gambling	Yes/No
(iii)	For alcohol	Yes/No
(iv)	For drug	Yes/No
(v)	For smoking	Yes/No
(vi)	Savings	Yes/No

13. The details of education of the child:

(i) Illiterate
(ii) Studied up to V Standard
(iii) Studied above V Standard but below VIII Standard
(iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
(v) Studied above X Standard

14. The reason for leaving School

(i) Failure in the class last studied
(ii) Lack of interest in the school activities
(iii) Indifferent attitude of the teachers
(iv) Peer group influence
(v) To earn and support the family
(vi) Sudden demise of parents
(vii) Bullying in school
(viii) Rigid school atmosphere
(ix) Absenteeism followed by running away from school
(x) No age appropriate school nearby
(xi) Abuse in school
(xii) Humiliation in school
(xiii) Corporal punishment
(xiv) Medium of instruction
(xv) Others (pl. specify)

15. The details of the school in which studied last:

(i) Corporation/Municipal/Panchayat
(ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School
(iii) Private management
(iv) School under NCLP

16. Vocational training, if any ……

17. Majority of the friends are
(i) Educated
(ii) Illiterate
(iii) The same age group
(iv) Older in age
(v) Younger in age
(vi) Same sex
(vii) Opposite sex
(viii) Addicts
(ix) With criminal background

18. Whether the child has been subjected to any form of abuse: **Yes/No**

Sl. No.	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

19. Whether the child is a victim of any offence: Yes No

20. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes No

21. Reason for alleged offence such as parental neglect or over protection, peer group influence etc.
……
……
……

22. Circumstances in which the child was apprehended ……..
……..
……..

23. Details of articles recovered from the child: ……
……..
……..

24. Alleged role of the child in the offence:……..
……..
……..

50. Suggestions of Child Welfare Police Officer……
……..
……

Signed by
Child Welfare Police Officer.

FORM 2

[Rule 8 (7)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR GUARDIAN OR FIT PERSON GIVEN INTERIM CUSTODY PENDING INQUIRY

Whereas I, ……(Name) resident of House no…….....

Street…….. Village/Town…….District……..State do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child)…….. aged……. under the orders of the Board…subject to the following terms and conditions:

1. That I have annexed true, correct and authentic identification and address proof of myself.

2. That I undertake to produce him/her before the Board as and when required.

3. That I shall do my best for the welfare and education of the child as long as he/ she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.

4. That in the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Board.

5. That I shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse/ neglect or exploitation

6. That if his/her conduct requires further supervision or care and protection, I shall at once inform the Board.

7. That if the child goes out of my charge or control, I shall immediately inform the Board. Date this ……..day of 20.

Signature of person executing the Undertaking/ Bond
(Signed before me)
Juvenile Justice Board.

FORM 3

[Rule 10 (1)(iii)]

SUPERVISION ORDER

When the child is placed under the care of a fit person/fit institution/Probation Officer pending inquiry FIR/DD No. …… of…… 20……..PS……...Whereas ……. (name of the child) is alleged to have committed an offence and is placed under the care of (Name)…….....….. (address) on executing a bond by the said and the Board is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of for a period of subject to the following conditions:

1. That the child shall reside at…… for a period of and shall be produced before the Board as and when directed.

2. That the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of.....without the permission of the Board.

3. That the child shall not be allowed to associate with such person who shall negatively influence the child.

4. That the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.

5. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the child is placed to see that the child does not commit any offence punishable by any law in India.

6. That the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants. The person under whose supervision the child is placed shall report any such act of the child to the Board.

Dated this…….day of…….. 20……

(Signature)

Principal Magistrate/ Member Juvenile,
Justice Board.

Note: Additional, conditions, if any may be inserted by the Juvenile Justice Board.

FORM 4

[Rule 10 (1)(iv)]

ORDER OF PLACING A CHILD IN CHILD CARE INSTITUTION PENDING INQUIRY

To
The Officer in charge

Whereas on the……day of……..20……, ...(Name of the child), son/ daughter of…….aged……..,residing at.....alleged to be involved in FIR/DD No. …… PS ……is ordered by the Juvenile Justice Board to be kept in the

Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety) namely …… for a period of ……..

This is to authorize and require you to receive the said child into your charge, and to keep him in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety).....and to produce the child as and when directed by the Board, for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Next date of hearing…….

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board This …….. day of …….. 20……

(Signature)

Principal Magistrate/Member
Juvenile Justice Board

FORM 5

[Rule 10 (2)]

ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT

FIR No…… U/Sections……..

Police Station……. To,

Probation Officer/ Person in-charge of Voluntary or Non-Governmental Organization.

Whereas …….(Name of the Child), son/daughter of……. age.....residing at....., has been produced before the Board.

You are hereby directed to enquire into the social antecedents, family background and circumstances of the alleged offence by the said child and submit your social investigation report on or before or within such time as allowed to you by the Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling or any other expert for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report.

Dated this …….day of ……20…….

(Signature)
Principal Magistrate/ Member
Juvenile Justice Board.

FORM 6

[Rules 10 (9), 11 (2), 64(1), 64(3)(i)]

SOCIAL INVESTIGATION REPORT

FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW

Sl. No……

Submitted to the Juvenile Justice Board..... (address).

Probation Officer/ Voluntary/Non- Governmental Organization .....(Name of the person)

FIR No……

Under sections……

Police Station……..

Nature of offence alleged: Petty ☐ Serious ☐ Heinous ☐

1. Name……
2. Age/Date/Year of birth…….
3. Sex……
4. Caste……
5. Religion……..
6. Father's Name……..
7. Mother's Name ……
8. Guardian's Name……
9. Permanent Address……
10. Landmark of the address……..
11. Address of last residence……..
12. Contact no. of father/mother/family member…….
13. Whether the child is differently abled: Yes/No

    (i) Hearing Impairment
    (ii) Speech Impairment
    (iii) Physically disabled
    (iv) Mentally disabled
    (v) Others (please specify)

14. Family Details:

Sl. No.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health status	History of Mental Illness (if any)	Addictions (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. If the child or person is married, name, age and details of spouse and children:

…….....
.....

16. Relationship among the family members:

i. Father & mother	Cordial/ Non cordial/ Not known
ii. Father & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iii. Mother & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iv. Father & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
v. Mother & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vi. Child & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vii. Child & grandparents (paternal/maternal)	Cordial/ Non cordial/ Not known

17. History of involvement of family members in offences, if any:

Sl. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any made	Period of confinement	Punishment awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother					
6.	Sister					
7.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

18. Attitude towards religion of child and family……..
19. Present living conditions ……
20. Other factors of importance if any……
21. (i) Habits of the child (Tick as applicable)

A	**B**
(a) Smoking	(g) Watching TV/movies
(b) Alcohol consumption	(h) Playing indoor/ outdoor games
(c) Drug use (specify)	(i) Reading books
(d) Gambling	(j) Religious activities
(e) Begging	(k) Drawing/painting/acting/singing
(f) Any other	(l) Any other

(ii) Extra-curricular interests……..

(iii) Outstanding characteristics and personality traits……

22. Child's opinion/reaction towards discipline in the home……..
23. Employment Details of the child, if any……...

24. Details of income utilization and manner of income utilization……
25. Work record (reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employers)……
26. The details of education of the child:

(i) Illiterate
(ii) Studied up to V Standard
(iii) Studied above V Standard but below VIII Standard
(iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
(v) Studied above X Standard

27. Attitude of class mates towards the child……

28. Attitude of teachers and classmates towards the child……

29. The reason for leaving School (tick **Yes/No** as applicable)

(i) Failure in the class last studied
(ii) Lack of interest in the school activities
(iii) Indifferent attitude of the teachers
(iv) Peer group influence
(v) To earn and support the family
(vi) Sudden demise of parents
(vii) Bullying in school
(viii) Rigid school atmosphere
(ix) Absenteeism followed by running away from school
(x) There is no age appropriate school nearby
(xi) Abuse in school
(xii) Humiliation in school
(xiii) Corporal punishment
(xiv) Medium of instruction
(xv) Others (pl. specify)

30. The details of the school in which studied last:

(i) Corporation/Municipal/Panchayat
(ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School
(iii) Private management
(iv) School under NCLP

31. Vocational training, if any……

32. Majority of the friends are

x) Educated
xi) Illiterate
xii) The same age group
xiii) Older in age
xiv) Younger in age
xv) Same sex
xvi) Opposite sex
xvii) Addicts
xviii) With criminal background

33. Attitude of the child towards friends……
34. Attitude of friends towards the child……
35. Observations of neighbours towards the child……..
36. Observations about neighborhood (to assess the influence of neighborhood on the child)……
37. Whether the child has been subjected to any form of abuse, if applicable:

Yes/No

Sl. No.	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/ siblings / employers / others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

38. Whether the child is a victim of any offence: Yes/No

39. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes/No

40. Does the child has tendency to run away from home, give details if any: **Yes/No**

41. Circumstances of apprehension of the child…….

42. Alleged role of the child in the offence…….

43. Reason for alleged offence:

(i) Parental neglect
(ii) Parental overprotection
(iii) Parents criminal behaviour
(iv) Parents influence (negative)
(v) Peer group influence
(vi) Bad habits (to buy drugs/alcohol)
(vii) Others (pl. specify)

44. Whether the child has been apprehended earlier for any offence, if yes give details including stay in a child care institution Yes/No

……..……
…….....

45. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:
46. Physical appearance of the child:
47. Health condition of the child (including medical examination report, if applicable)
48. Mental condition of the child:
49. Any other remark

RESULT OF INQUIRY

1. Emotional factors ……

2. Physical condition ……..
3. Intelligence ……
4. Social and economic factors……
5. Suggestive causes of the problems……
6. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence
7. Opinion of experts consulted……
8. Recommendation regarding rehabilitation by Probation Officer/Child Welfare Officer…….

Signature of the Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Social Worker
Stamp and Seal where available.

———

"FORM 7

[Rules 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x) and 69 I (3)]

INDIVIDUAL CARE PLAN

Child in Conflict with Law or Child in Need of Care and Protection
(Tick whichever is applicable)

Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation Officer…….

Date of preparing the Individual Care Plan…….....
Case/Profile No……of 20…….....… FIR No…….

Under Sections (Type of offence), applicable in case of Children in Conflict with Law….....….....
Police Station…….....
Address of the Board or the Committee…… Admission No. (If child is in an institution) …..…….
Date of Admission (if child is in an institution ……..... Stay of the child (Fill as applicable)

(i) Short term (up to six months) ☐
(ii) Medium Term (six months to one year) ☐
(iii) Long term (more than 1 year) ☐

FOR BOTH CATEGORIES OF CHILDREN WHO ARE PLACED IN INSTITUTIONAL OR NON-INSTITUTIONAL CARE

1. **Personal details** (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)

(a) Name of the Child……

(b) Age/Date of Birth…….....……

(c) Sex: Male/Female.....……

(d) Father's name……...……..

(e) Mother's name……..……

(f) Nationality…….....……

(g) Religion…….....…….

(h) Caste…….....……

(i) Language spoken…….....……..

2. Level of Education……..

3. Details of Savings Account of the child, if any…….……..

4. Details of awards/rewards received by the child, if any……
5. Details of child's belongings, if any……..……
6. Details of child's parents' property, if any-
7. Details of child's parents bank accounts, if any-
8. Details of child's insurance policy, if any-
9. Details of child's parents' insurance policy, if any-
10. Details of child's parents job compensation, pension if any-
11. Details of child's fixed deposits, savings, financial policy, mutual funds if any-
12. Details of parent's loans, Mortgages, other financial liabilities, if any-
13. Details of property to be inherited, if any-
14. Whether succession certificate issued or not?- a. yes b. no
15. Details of succession certificate-
16. Whether legal heir certificate issued or not?- a. yes b. no
17. Details of legal heir certificate-
18. Whether the child is orphan/abandoned/surrendered?
19. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any- **(This is for both categoriesof children who are placed in institutional or non-institutional care)**

Sl. No.	**Category**	**Areas of concern**	**Proposed Interventions**
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needed		
4.	Educational and training needs		
5.	Leisure, creativity and play		

6.	Attachmentsand interpersonal relationships		
7.	Self-care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
8.	Independent living skills		
9.	Any other significant experiences which may have impacted the development of the child, like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

20. Whether the child has any siblings? Yes/No

21. Whether the child and his/her sibling are being placed together? A. Yes B. No

22. Whether the child and his/her siblings are being surrendered by the single parent/ Guardian? A. Yes

b. No C. Not Applicable

23. Case/Profile No. of the sibling/siblings-

24. In case the child is with disability or special needs or is terminally ill

(This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as thecase may be)

(i) Whether the child who is suffering from disabilities have been provided with disability certificate. Yes/No. If Yes, please state the disability certificate no …….....

(ii) Whether such child has been provided with medical equipment like hearing aid, crutches etc. Yes/No. If Yes, please specify……

(iii) Whether the child has been provided for compensation /relief for his/her disability. Yes/No. If yes, please specify……

(iv) Education requirements of the child……..

(v) Any other special needs of the child…….

(vi) Any other recommendation……

25. **If the child belongs to Children in Street Situations/Trafficked/Involved in Drug Peddling/Child Labour**(This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as the case may be)

(i) Whether the child belongs to Children in Street Situation: Yes/No.

(ii) Whether the child is a victim of child trafficking: Yes/No. If yes,

(iii) Whether the child was involved in drug- peddling: Yes/No.

(iv) Whether the child is a victim of child labour. Yes/No. If yes,

(v) Whether the child who has been a victim of Child-Labour has been provided compensation under the Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund or any other scheme. Please Specify…….

(vi) Whether such child who have been victim of child labour/ child trafficking/drug peddling/ or is a children in street situation provided with counselling? Yes/No

(vii) Whether the child has been provided any compensation? Yes/ No. If yes, please specify……

26. **If the child is a victim of abuse including sexual abuse: (**This may be relevant for both child in conflict with law and child in need of care and protection, as the case may be)

(i) Whether the child has been provided counselling?.....

(ii) Whether any action has been taken against such offender/perpetrator? If Yes, Please specify…….

(vii) Whether the child who has been a victim of sexual assault has been provided compensation as per the compensation scheme under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012…….

(iv) Any other compensation or relief provided to the child?.....

(v) Any other observations……

FOR CHILDREN PLACED IN INSTITUTIONAL CARE

27. Progress report of the child (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to beprepared once a month)

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer…….
2. Period of the report……...…….
3. Admission No……...…….
4. Board or Committee details.....……
5. Profile No…….....……
6. Name of the Child……..……..……..
7. Place of interview ……...……..Dates……....…...…….
8. General conduct and progress of the child during the period of the report …… …..……

9. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 19 of Part A of this form.

Sl. No.	Category	Proposed Interventions	Progress of the Child
1.	Child's expectation from care andprotection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needed.		
4.	Educational and training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments andinter-personal relationships		
7.	Self-care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect andmaltreatment		
8.	Independent living skills		
9.	Any other significant experiences which may have impacted the development of the child, like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school,etc. (Please specify).		

10. Any proceeding held before the committee or Board or Children's Court, details:-

11. Variation of conditions of bond:.....

12. Change of residence of the child:.....

13. Other matters, if any:.....

14. Period of supervision completed. Details:……

15. Result of supervision with remarks (if any):…….

16. Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after thesupervision is over:……

Date of report:…….....…
Signature of the Probation Officer……..

28. Pre-release report (to be prepared 15 days prior to release):

1. Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release:.....

2. Details of placement of the child in different institutions/family:.....
3. Training undergone and skills acquired:.....

4. Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)
5. Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child.

Sl. No.	Category	Rehabilitation and Restoration plan of the child
1.	Child's expectation from care and protection	
2.	Health and nutrition	
3.	Emotional and psychological	
4.	Educational and Training	
5.	Leisure, creativity and play	
6.	Attachments and Inter-personal Relationships	
7.	Self-care and life skill training for Protectionfrom all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
8.	Independent living skills	
9.	Any other	

6. Date of release/transfer/repatriation:…….
7. Requisition for escort if required:…….
8. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhaar Card, etc:……
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships…
10. Details of Probation Officer/Non-Governmental Organization for post-release follow up:……
11. Memorandum of Understanding with Non-Governmental Organisation identified for post-release followup (Attach a copy)
12. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any:……
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy):……
14. Medical examination report before release:……
15. Any other information:……

29. Post-release/restoration report of the child:

1. Status of Bank Account: Closed/Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – Yes/No
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker/social worker/Non-Governmental Organisation identified for follow-up with the child post-release:……
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan:……
5. Family's behaviour/attitude towards the child:…….
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours' / community:…….
7. How is the child using the skills acquired:……
8. Whether the child has been admitted to a school or vocation? Give date and name of the school/institute/anyother agency Yes/No …….
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively:……..
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it:..……
11. Identity Cards and Compensation

IDENTITY CARDS	Present status (Please tick which ever Applicable)			
School certificate		Yes	No	Action taken
Caste certificate				
Below Poverty Line				

Card				
Disability Certificate				
Immunization card				
Birth Certificate				
School certificate				
Caste certificate				
Below Poverty Line Card				
Disability Certificate				
Immunization card				
Ration Card				
Adhaar Card				
Received compensation from Government				

[Instruction: Please verify with the physical document]

30. Adoption:

(i) Whether the child has been declared legally free for adoption?
A. Yes B. No C. Not Applicable

(If not applicable, then subsequent questions do not apply)

(ii) Whether the child has been placed in a Specialised Adoption Agency or Child Care Institution?
A. Specialised Adoption Agency B. Child Care Institution

(iii) Social Investigation Report by Child Welfare Officer/Case worker/social worker, as the case may be submitted?
A. Yes B. No

(iv) Deed of surrender executed by the parents/guardian before the Committee?

A. Yes B. No C. Not Applicable

(v) Declaration submitted by District Child Protection Unit and Child Care Institution or Specialised Adoption Agency that all restoration efforts have been made for the child-
A. Yes B. No

(vi) Nobody has approached District Child Protection Unit and Child Care Institution or Specialised Adoption Agency for claiming the child as biological parents or legal guardians-
A. Yes B. No

(vii) All timelines under Section 38 of the Act have been adhered to before declaring the child legally free for adoption-
A. Yes B. No

FOR CHILDREN PLACED IN NON-INSTITUTIONAL CARE (EXCEPT ADOPTION)

1. Guardian's name (if applicable)

2. Parents/Guardian's Nationality…….....…….
3. Parents/Guardian's Religion……...…….
4. Child's nationality-
5. Details of Adhaar card/voter Identity Card/pan card of the child……..
6. Details of Adhaar card/voter Identity Card /pan card of the child's parents……
7. Caste…….....……
8. Language spoken…….....……..
9. Level of Education……..
10. Whether the child has been provided compensation/relief under various schemes of government……..
11. Where is the child being placed? –

(a) guardian (b)foster care (c) sponsorship (d) single parent

12. Whether the child is being surrendered by the single parent/Guardian?
A. Yes B. No C. Not Applicable

13. If yes, then whether the surrender deed has been made? A. Yes B. No

14. **Education- (Yes/No/Not applicable)** If yes, then

(i) Whether the child has been enrolled in school or a special training center? ……
(ii) If child is enrolled in school, then

(a) Name of the school……
(b) Government/Private ……
(c) Class ……..

(iii) Unified District Information System for Education Code of the said school…….

(iv) If child is enrolled in special training centre then,

(a) Center is Residential or Non-Residential…….
(b) Duration of enrollment ……

(v) Whether the child has been enrolled in school under clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Rightto Education Act, 2009? Yes / No / NA

(vi) The Child Welfare Committee has recommended for continuing of education of the child in the same school as the child was studying in? Yes / No

(vii) On the basis of the recommendation, whether the child is continuing education in the same school as hewas studying in? Yes/ No

(viii) The Child Welfare Committee has recommended for transfer of school for the child? Yes / No

(a) If yes, then what are the reasons given by the Child Welfare Committee for recommending transferof school? .....

(ix) Whether the child has been admitted to/transferred to a new school? Yes/ No

(x) Details of new school along with its Unified District Information System for Education Code…….

(xi) Address and Contact Details…….

(xii) Class in which admission/transfer taken place…….

(xiii) Class in which the child was transferred from previous school……

(xiv) On the basis of the recommendations of Child Welfare Committee, whether the school in which the child is studying in is giving the benefit under clause (c) of sub-section (1) of section 12(1)(c) of the Right to Education Act, 2009 to the child? Yes / No

(xv) Whether the child is being given free education by the appropriate government? Yes / No

(xvi) Is the child availing any scholarship? Yes / No

a. If yes, name of the scholarship ……..
b. Amount of scholarship ……

(xvii) Any other observation and recommendation made by the Child Welfare Committee for education of the child…….

15. Sponsorship

(i) The child has been recommended for sponsorship by the Child Welfare Committee?
A. Yes B. No **(If no, then subsequent questions do not apply)**

(ii) Whether sponsorship for the child has been approved by a Committee headed by District Magistrate:
A. Yes B. No

(iii) Nature of sponsorship: i. Government …… ii. Private ……

(iv) Type of sponsorship

(a) Individual to Individual sponsorship
(b) Group Sponsorship
(c) Community or organisation sponsorship
(d) Support to families through sponsorship
(e) Support to children homes and special homes
(f) Sponsorship through:

i. Institutions,
ii. Companies
iii. Corporations either public or private

(g) Any other

(v) Whether child has started receiving money under the sponsorship program-
A. Yes B. No

(vi) Recommended duration of sponsorship:.....
(vii) Any other information:.....

16. Restoration of the child:

(viii) Whether the child is being restored to:-

Single Parent / Biological Parents / Guardian/ Relative

(i) Name of the person to whom the child is being restored to……..
(ii) Address and contact details of person where the child is being restored to……
(iii) If the child is being restored to Guardian/relative, then-
(iv) Relationship of the child with the guardian/relative-
(v) Does the guardian/relative have children of their own? A. yes B. No
(vi) If yes, Details of guardian/relatives' children-
(vii) Social and financial condition of the guardian/relative-
(viii) Whether the child will be staying in the same State where the child was found? Yes/No
(ix) Whether the child needs to be transferred to another State for restoration? Yes/No. If yes:

(a) Name of the State where the child is restored to-

(b) An escort is required for transfer of the child to another State?
A. Yes B. No.

If yes: Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc……

(c) Whether District Child Protection Unit/ Child Welfare Committee of the concerned district of the State where the child is being transferred to has been informed about the transfer orders?
Yes/No

(d) Whether the child's documents/Social Investigation Report/ Individual Care Plan/ Orders of Child Welfare Committee have been transferred to the concerned CWC of the State? Yes/No

(e) Details of Child Welfare Committee where the case is transferred……..

(xi) Child Welfare Committee has recommended follow-up of the child post restoration: Yes / No

(xxvi) Status of bank accounts of the child……..

(xxvii) The belongings of the child are handed over to the child/parent/guardian: Yes/No

(xxviii) Identity Cards and Compensation:

IDENTITY CARDS	Present status (Pleasetick whichever is applicable)		
	Yes	No	Action taken
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
Below Poverty Line Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

REPATRIATION OF THE CHILD

(i) Whether the child needs to be repatriated. Yes/No

(ii) If yes, whether such repatriation is: (tick whichever is applicable)

inter-district inter-state inter-country

(iii) Whether information about repatriation of the child has been informed to the:-

District Magistrate. State Government. Central Government.

(iv) Has the process of repatriation of the child been initiated? Yes / No . Details:.....

(v) Whether the details of the child to be repatriated has been informed to National or State Commission forProtection of Child Rights, as the case may be?

(vi) Any other recommendation…….

Signature of the Probation Officer/
Child Welfare Officer/District Child Protection Unit
Stamp and Seal where available".

FORM 8

[Rule 11(6)]

UNDERTAKING/ BOND TO BE EXECUTED BY A PARENT/ GUARDIAN/ /FIT PERSON IN WHOSE CARE

A CHILD IN CONFLICT WITH LAW IS PLACED

Whereas I, ……. being the parent, guardian, relative or fit person under whose care……..(name of the child) has been ordered to be placed by the Juvenile Justice

Board ..... having been directed by the said Board to execute an undertaking/ bond with surety in the sum of Rs……../- (Rupees .....) or without surety, I hereby bind myself to be responsible for the good behavior and well-being of the said ..... and to observe the following conditions for a period of …… years with effect from ……...

1. That I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer;

2.. That I shall not remove the said child from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board;

3. That I shall send the said child daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond control;

4. That I shall sincerely give effect to the Individual Care Plan with the help of the Probation Officer;

5. That I shall report immediately to the Board whenever so required by it and also produce the child before the Board as and when directed to do so;

6. That I shall produce the said child in my care before the Board, if he/she does not follow the orders of Board or his/her behavior is beyond my control;

7.. That I shall report to the Board if the child goes out of my control or charge;

16. That I shall render all necessary assistance to the Probation Officer to enable him to carry out the duties of supervision;

In the event of my making default herein, I undertake to appear before the Board and bind myself to pay to Government the sum of Rs …….. (Rupees .....).

Dated this ……..day of ..... 20.

Signature of person executing the Undertaking/Bond.
(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member Juvenile Justice Board.

Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly; (Where a bond with sureties is to executed add)

I/We ……..of.....(place of residence with full particulars) hereby declare myself/ourselves as surety/sureties for the aforesaid …….. (name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of (name of the person executing the bond) making fault therein, I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to government the sum of Rs /- (Rupees…….) dated this the…….. day of ……20 in the presence of ……

Signature of Surety(ties)
(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member, Juvenile Justice Board.

FORM 9

[Rules 11(7)]

PERSONAL BOND BY CHILD

Whereas I, ……inhabitant of……..(give full particulars such as house number, road, village/town, tehsil, district, state) have been ordered to be sent back/restored by the Juvenile Justice Board ……..under section …….. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 on my entering into a personal bond to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I do solemnly promise to abide by these conditions during the period……...I hereby bind myself as follows:

1. That during the period…….. I shall not ordinarily leave the village/town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board;

2. That during the said period I shall attend school/ vocational training in the village/town or in the said district to which I am sent;

3. That in case of my attending school/ vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board informed of my ordinary place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb impression of the child).

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of child) and that he has accepted them as the conditions upon non-compliance of which he/she may be placed in safe custody.

Certified accordingly that the said child has been released/ relieved on (date) …….

Signature

Principal Magistrate/Members Juvenile Justice Board.

———

FORM 10

[Rules 11(9) and 64 (3) (xiii)]

PERIODIC REPORT BY PROBATION OFICER WHEN A CHILD IS RELEASED ON PROBATION

FIR No……. Police Station ……..U/Sections…… In the matter of…….. vs……

Whereas (name of the child) ……., age……, has on .....(date) been found to be a child in conflict with law, and has been placed under the care of …… (parent/ guardian/ fit person/fit facility) and under the supervision of.....(name of Probation Officer)

Reg. No. :-	Age (approximately) :-	Sex:- Male / Female /
Name:-	Fathers Name:-	Religion:-
Education: -	Vocational Training, if any	Language(s) known:-
Next court date:-	Employment, if any	Date of admission (in case off it person/fit facility)

Case details and summary

……
……
……

1. Preliminary details:

   (i) Visit Date: ……/……../……..

   (ii) Name of Parent / Guardian…….

   (iii) Names of Other Adults Living in the Home and with whom the Probation Officer interacted:

2. Observations:

   (i) Child's behaviors……..

   (ii) Physical and mental health status/needs of child and family…….

   (iii) Inter-personal relationship of the child with the family…….

   (iv) Inter-personal relationship with friends……

   (v) Safety and supervision in the family……

   (vi) Difficulties faced by the child…….

   (vii) Difficulties faced by the family……

   (viii) Changes in the household……

   (ix) Vocational training, if any being undertaken by the child…….

   (x) Engagement of child in any anti-social activities or harmful activities (Examples could be exhibiting bullying behaviour, violent outbursts, destructions, self-harm,

lying, defiance, impulsiveness, lack of empathy, sexually deviant actions etc.)……

(xi) Time elapsed since last engagement in any anti-social behavior or harmful activities……..

3. Visit to school/ vocational training centre

(i) Name of the school/centre…….

(ii) Name of the Teacher / Principal met…….

(iii) Any unusual behavior observed…….

(iv) Feedback received on the progress of the child…….

(v) Attitude of the peers towards the child……..

(vi) Attitude of the child towards the peers……..

4. Visit to place of employment:

(i) Nature of work……..

(ii) Working hours…….

(iii) Attitude of the child towards work……..

(iv) Violation of any labour laws, Low wages or wages being withheld, if observed and action taken against employer…….

5. Did you spend time speaking privately with the child Yes □ No □

If no, give reasons……..

5. Progress made as per Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan (refer point 14 of form 7)…… ……

6. Recommendations for modifications in Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan
, if any:

Prepared by: ……..… (Probation Officer …../…../…. (date)

Plan: Date of next visit: …… Action point if any: ……

Signature
(Probation Officer).

———

FORM 11

[Rule 12(1)]

CASE MONITORING SHEET

(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)

Juvenile Justice Board, District……

Case No. .....of.....

Case Name:

Police Station ..... U/S.....	Date..... FIR/ GD/ DD No. .....
Name of Probation Officer..... Name of Lawyer ..... (If not represented provide Legal Aid Lawyer)	Name of IO ..... Name of Child Welfare Police Officer.....

NATURE OF OFFENCE PETTY

(maximum punishment upto three years)

SERIOUS

(maximum punishment between three to seven years)

HEINOUS

(minimum punishment for seven years or more)

PARTICULARS OF CHILD			
Name	Parents/ Guardian with Contact No.	Present address	Permanent address

DATE AN**D** TIME **CHILD** APP**R**EHEN**DED** **DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION**
DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C.
A**G**E **D**ETE**R**MINATION Age on the Date of offence Date of age Determination Time taken for age determination Determination by BOARD COURT Evidence Relied: Documents Medical

CUSTODY OF THE CHILD		
In Observation Home/ Place of Safety	Date of grant of bail	Sent under supervision (Name of Institution)
From.....To.....		

PROGRESS OF INQUIRY

(Time schedule for disposal of the case to be fixed on the first day of hearing)

Steps to be taken	Scheduled Date	Actual Date
Day 1: Social Background Report by Police (in Form No. 1)	Dated……..	
Day 1: Consideration of Bail	Dated……..	
Day 2: Age determination	Dated……	
Day 2: SIR (Form No.6) by Probation Officer	Dated…….	
Day 2: Section 173 CrPC Final Report by Police on completion of Investigation	Dated…….	
Day 3: Submission of Report on Provisions of further investigation, if any	Dated……	
Day 3: Section 251 CrPC Notice	Dated…….	
Day 4-6: Prosecution Evidence (From…… to…….) Depending on the number of witnesses continuous dates may be fixed)	Dated…….. Dated…… Dated…….	
Day 7: Statement of child under Section 281 CrPC	Dated……	
Day 8: Defence Evidence	Dated……..	
Day 8: Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance	Dated…….	
Day 9: Final Arguments	Dated……	
Day 10: Dispositional (Final) Order	Dated……..	
Day 11: Post Dispositional Review	Dated……	

signed ,

by Juvenile Justice Board.

FORM 12

[Rule 12(2)]

QUARTERLY REPORT BY JUVENILE JUSTICE BOARD

Quarterly Report for the period: From…… to…….. Details of JJB

S.No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Principal Magistrate		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		

VISIT TO HOMES BY PRINCIPAL MAGISTRATE

Date of visit:
Name and Address of Home :
Remark:

VISIT TO JAILS BY PRINCIPAL MAGISTRATE

Date of Visit
Whether any children found: Action taken:

CASES INSTITUTED DURING THE QUARTER:				
	PETTY	**SERIOUS**	**HEINOUS**	TOTAL
Number cases				
Number of Children				
Children granted bail				
Children sent to Observation Home				
Number of cases where preliminary reports were submitted in stipulated time				

PENDENCY OF CASES							
Nature of case	Old cases	New cases	Disposal	Current pendency			
				Less than 4 months	4 months to 6 months	6 months to 1 year	More than 1 year
Petty							
Serious							
Heinous							
Total							

FINAL ORDER Total number of final orders passed							
Discharged	Transfer to other JJB	Abated on Death	Repatriated to Foreign Country	Transferred to Children's Court	Declared Compounded & file consigned	Terminated under rule ……. (post-production process)	Acquitted/ Finding of commission in offence
Nature of Dispositional Orders where child has committed Offence (mention the No. of orders)							

COMPLAINT/SUGGESTION, IF ANY, RECEIVED AND ACTION TAKEN

_____

_____

_____

REMARK/SUGGESTION BY BOARD

a. Principal Magistrate _____

b. Member : 1_____

c. Member: 2_____

FORM 13

[Rules 13(8)(iv)]

PERIODIC REVIEW OF A CHILD IN PLACE OF SAFETY

FIR No…….. PS... U/Sections

In the matter of …… vs. ……..

Whereas (name of the child) ……., age……., has of.....(date) been found

to be a child in conflict with law, and has been placed in..... (Name of place of safety)

Date of admission to place of safety –

Period of Review: From…… to……..

Name of the Child……

Father's Name……

Date of admission……Next date of hearing……

1. Case details and summary

……..……...……
……

……..……..
.....

2. Individual Care Plan (Attach a copy)

……
……
……..
.....…

3. Fortnightly progress made as per Individual Care Plan

……
……
……..
.....

4. Development of new interests

……..……
……..
.....

5. Psycho-social progress made by the child: (to be prepared with the help of a psycho-social
expert)…….....
.....

I. Mental Status Evaluation

a. Appearance (Observed) - Possible descriptors: • posture, clothes, grooming.

b. Behavior (Observed) - Possible descriptors: • Mannerisms, gestures, psychomotor activity, expression, eye contact, ability to follow commands/requests, compulsions

II. Attitude (Observed) - Possible descriptors: • Cooperative, hostile, open, secretive, evasive, suspicious, apathetic, easily distracted, focused, defensive.

III. Level of Consciousness (Observed) - Possible descriptors: • Vigilant, alert, drowsy, lethargic, stuporous, asleep, comatose, confused, fluctuating.

IV. Orientation (Inquired) – Possible questions: • "What is your full name?" • "Where are we at (floor, building, city, county, and state)?" • "What is the full date today (date, month, year, day of the week, and season of the year)?" • "How would you describe the situation we are in?"

V. Speech and Language (Observed) A. Quantity - Possible descriptors: • Talkative, spontaneous, quiet B. Rate - Possible descriptors: • Fast, slow, normal, pressured. C. Volume (Tone).

VI. Mood (Inquired): A sustained state of inner feeling – Possible questions: • "How are you feeling?" • "Have you been discouraged/depressed/low?" • "Have you been energized/elated/high/out of control lately?" • "Have you been angry/irritable?"

VII. Affect (Observed): An observed expression of inner feeling.

VIII. Thought Processes or Thought Form (Inquired/Observed): logic, relevance, organization, flow and coherence of thought in response to general questioning during the interview. - Possible descriptors: goal-directed, circumstantial, loose associations, incoherent, evasive, perseveration.

IX. Thought Content (Inquired/Observed)

X. Suicidality and Homicidality – Assessment

XI. Insight (Inquired/Observed) –

XII. Attention (Inquired/Observed) –

XIII. Feelings of guilt/ remorse: present/ absent

6. Status of Current Educational/ Vocational Rehabilitation Programme

- Motivation for the programme…….
- Level of cooperativeness……..
- Regularity…….
- Quality of work/performance……

7. Impact of institutionalization on the person…….

8. Approach to evaluation/ periodic follow ups……

Willingness /ability to participate in treatment and rehabilitation in programs/facilities, consistent with public safety.

RECOMMENDATIONS (including whether the person may be released or released on conditions or requires further institutionalization with justification)

DATE : / /

PLACE :

NAME :

DESIGNATION :

SIGNATURE :

Recommendations/Findings: …… Signature / Seal

Prepared by: ……..…

(Probation Officer …../…../…. (date)

FORM 14

[Rules 7 (1) (ii), 13(8)(iv)(C) (cd), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69E(2), 69 I (4), 69J(1), 69J(3)]

REHABILITATION CARD

FIR No. /Case No.

U/Sections

PS

Nature of Offence: heinous, serious or petty (in case of child in conflict with law)

Name of Probation Officer/Child Welfare Officer/Rehabilitation cum Placement Officer:.....

Name of the child:

Age:

Sex:

Father's name:

Mother's name:

Admission No.

Date of Admission:

Date of Provisional Release / Release:

Services availed under Individual Care Plan –

Indicators	Child's expectation from care and protection
First Month	Plan : Outcome :

Second Month	Plan : Outcome : :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

	Health and Nutrition
First Month	Plan : Outcome : :
Second Month	Plan : Outcome : :
Third Month	Plan : Outcome : :
Fourth Month	Plan : Outcome : :

Emotional and psychological support needed	
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :
Education and Training	
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

Leisure, creativity and play	
First Month	Plan Outcome
Second Month	Plan Outcome
Third Month	Plan Outcome
Fourth Month	Plan Outcome
Attachments and Inter-personal Relationships	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
Self Care and Life Skill Training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :

Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
	Independent living skills
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :

	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school etc.
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :

Other services provided to the child, including compensation, other benefits etc.

Report of the detailed psychiatric assessment done by certified psychiatrist to be attached along with Rehabilitation card.

Date of report and reason for conducting the said assessment (Provisional Release / Release/ Any other)

1. Overall progress shown by the child on the above mentioned aspects of the Individual Care Plan
2. Child's acceptance and understanding of his actions and its consequences
3. Child's willingness to reform
4. Child's behavior and conduct
5. Offence committed by the child , if any reported by family or neighbourhood, in case of a child in conflict with law who is not placed in a Child Care Institution

Signed by
JJB/ CWC

FORM-15

[Rule 17 (1)(i)]

CASE SUMMARY MAINTAINED BY THE CHILD WELFARE COMMITTEE

Case No……...

In Re…….. Case Record……..

1. Name of the child……..
2. Father's/Mother's/Guardian's name (if available)…….
3. Date of production of the child……
4. Name of person producing the child……
5. A list of all follow up dates (of the child, before the Committee)……....
6. Orders passed by the CWC (tick as applicable)
   (i) Declaration that child is in need of care and protection.
   (ii) Finding on age of child
   (iii) Medical Examination
   (iv) Interim custody
   (v) Undertaking (by parent, guardian or fit person, if applicable)
   (vi) Order appointing Case Worker & NGO etc.

(vii) Order for compensation/recovery of wages (if applicable)

(viii)Transfer order

(ix) Final Order (concluding inquiry)

(x) Any other order.

7. Medical Records including but not limited to age verification……..

8. Social Investigation Report under Form 22……

9. Individual Care Plan under Form 7……..

10. Rehabilitation Card in Form 14……

11. Case History Form 43……

12. All details, documents and records with regards to Sponsorship/Foster Care/Adoption services (if applicable).

Date:

Place:

(Signatures)

Child Welfare Committee

———

"FORM-16

[Rules17(1)(v), 17(1)(v a), and 20(2)]

QUARTERLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE

District

Quarterly Report for the period: From…….....…to…….....…….. Details of Child Welfare Committee:

Sl. No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Chairperson		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		
5.	Member 4		

Details of Cases with Child Welfare Committee:

Sl. No.	Number of cases at the beginning ofquarter	Number of Cases received during the quarter	Number of cases disposed ofduring the quarter	Number of cases pendingat the end of quarter	Reasons for pendency

Final Order							
Total number of final orders passed during the quarter							
Releasedto parent/ guardian / fit person/ fitinstitution	Transfer To other Child Welfare Committee	Ordered to stay inChild Care Institution	Repatriated To Foreign Country	Declared Legally free for adoption	Ordered for Foster care/ sponsorship /Aftercare	Recommended to the Juvenile Justice Board For filingFIR	Initiated Process of compensation to child, if eligible

Details of the case regarding Restored children by Child Welfare Committee:

Sl. No	No. of children Restored			No. of children restored with parents	No. of children restored with fit person		No. of children restored and recommended for follow up
	Same District	Different District	Different State		guardian	relatives	

Details of the cases of Death of Child in Child Care Institution:

S. No.	Name of the deceased child	Cause of death	Name of Child Care Institution the child was placed	Period of stay in Child Care Institution

Details of the cases of Runaway children:

S. No.	Name of the runaway child	Name of Child Care Institution, the child was placed	FIR No.	Background of the child

VISIT TO HOMES BY CHAIRPERSON/ MEMBERS

Date of visit:.....

Name and Address of Home visited:..... Remarks/ Suggestions of the Committee:…….

Signature of Chairperson

Seal."

District

"FORM-16 A
[Rule 43(2) and (3)]

MONTHLY REPORT BY CHILD WELFARE COMMITTEE

Monthly Report for the period: From…….....….....……to…….....……..

DETAILS OF THE CASE PERTAINING TO LEGALLY FREE FOR ADOPTION

Break-up of Pendency before Child Welfare Committee										
Orphan				Abandoned				Surrendered		Total
Children for 0-2		Children > 2 years and <18 years		Children for 0-2		Children > 2 years and <18 years		Children 0-18 years		
Pending for >2 months		Pending for > 4 months		Pending for >2 months		Pending for >4 months		Pending for > 2months		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Signature of Chairperson.

Seal.

FORM-17
[Rules 18(2), 19(25)]

REPORT TO BE SUBMITTED AT TIME OF PRODUCTION OF CHILD BEFORE THE COMMITTEE

Case No……

Produced before the Child Welfare Committee……. Date of production…… Time of production…….. Place of production… .....

1. Details of person who is producing the child:

(i) Name of the person …….
(ii) Age……..
(iii) Sex……
(iv) Address ……
(v) Contact number……
(vi) Occupation/ designation……..
(vii) Name of the organization/CCI/SAA ……

2. The child who is being produced:

(i) Name (if any)……..
(ii) Age (stated age/ age based on appearance) ……
(iii) Sex ……
(iv) Identity mark/s……
(v) Language used by the child……..

3. Details of parents / guardians (if available):

(i) Name ……
(ii) Age……..
(iii) Address…….
(iv) Contact number…….
(v) Occupation……

4. Place where the child was found…….
5. The details of the person (if any) with whom the child was found:

i. Name ……
ii. Age……..
iii. Address……
iv. Contact number……
v. Occupation…….

6. Circumstances under which the child was found…….
7. Allegation by the child of any offence/ abuse committed on the child in any manner……
8. Physical condition of the child……..
9. Belongings of the child at the time of production……..
10. Date and Time at which the child came to the CCI/SAA…….
11. Immediate efforts made to trace family of the child ……..
12. Medical treatment, if provided to the child ……..
13. Whether police has been informed …….

Signature/ Thumb impression of the child
Signature/ Thumb impression of the person who produced the child.

Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated child welfare police officer / Railway Police/Probation Officers/ any public servant/Social Welfare Organization/Social Worker/ Person in-charge CCI/ SAA/ any citizen/Child himself/herself (fill as applicable).

FORM 18

[Rules 18 (5), 18 (9) and 19 (26)]

ORDER OF PLACEMENT OF A CHILD IN AN INSTITUTION

(Children's Home/Fit Facility/SAA) Case No……

To,

The Officer-in-Charge,

Whereas on the ……..day of …….20 …… (name of the child).....

……., son/daughter of ……. aged ……..residing at .....being in care and protection under the Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 is ordered by the Child Welfare Committee ……, to be kept in the Children's Home/SAA/Fit Facility……..for a period of ……

This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to keep him/her in the Children's Home/ Fit Facility /SAA…….. for the aforesaid order to be carried into execution according to law. The concerned official shall upload the details in case of an orphan or abandoned child in the TrackChild/ relevant Web Portal.

Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee. This ……. day of ……..

(Signature)

Chairperson/ Member

Child Welfare Committee.

Encl:

Copy of the orders, particulars of home and previous record, case history and individual care plan, as applicable:

FORM 19

[Rule 18(8)]

ORDER FOR PLACEMENT OF CHILD UNDER THE CARE OF A PARENT, GUARDIAN OR

FIT PERSON PENDING INQUIRY

Case No. ….....….of ……20…….....… In..... Re……

Whereas (name of the child) …… has on.....(date) been found to be in need of care and protection, and is placed under the care and supervision of (name)…….. (address)……..on executing a bond by the said and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision. Reason for the child being produced before the CWC…….....

……
…….

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name)……..

(address)……for a period of.....… This shall be subject to the following conditions that:

1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the said……. shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond

2. the child shall reside at …….. for a period of …….

3. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of.....without the permission of the Committee.

4. the child shall go to school/ vocational training centre regularly. The child shall attend …….(name of) school/ vocational training centre (if already identified) at…...(address of school/ vocational training centre).
5. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.

6. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be prevented from coming in conflict with law.

7. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.

8. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated the.....day of.....20.

(Signature)
Chairperson/ Member Child Welfare Committee.

- Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee

---

FORM 20
[Rule 18(8) and 19 (7)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR GUARDIAN OR 'FIT PERSON'

I…….resident of House no…..……Street Village/Town…….District …… State ……..do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child) …….. Aged……. under the orders of the Child Welfare Committee subject to the following terms and conditions:

1. If his conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.

2. I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.

3. In the event of his/her illness, he shall have proper medical attention in the nearest hospital.

4. I agree to adhere to the conditions that may be imposed by the Committee from time to time and also to keep the Committee informed about the compliance with the conditions.

5. I undertake to produce him/her before the Committee as and when required.

6. I shall inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control.

Date this …….day of ……..

Signature
Signed before Child Welfare Committee.

FORM-21

[Rule 19(3)]

ORDER FOR SOCIAL INVESTIGATION REPORT OF CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

To

Child Welfare Officer/ Social Worker/Case Worker/ Person in-charge of Home/ representative of Non- Governmental Organization.

Whereas a report under section 31 (2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 has been received from …….. in respect of (name of the child)……, aged (approximate)……, son/daughter of ……residing at……, who has been produced before the Committee under section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

You are hereby directed to conduct Social Investigation as per Form 22 for the above child. You are directed to enquire into socio economic and family background of the said child.

You are directed to submit the Social Investigation Report on or before .....(date).

Dated this …….day of ……..20……

(Signature)
Chairperson/Member Child Welfare Committee

FORM-22

[Rule 19(8)]

SOCIAL INVSTIGATION REPORT FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

(Tick whichever is applicable)

1. **Sl. No**…….
2. **Produced before the Child Welfare Committee……..**
3. **Case** No……
4. **Social Investigation Report Prepared by**: District Child Protection Unit/ Social Worker/ Case Worker/ Personin charge of Home/ representative of Non- Governmental Organization
5. **Details of child in need of care and protection:**

(i) Name…….
(ii) Age…….. DD/MM/YY ……..

(iii) Gender…….
(iv) Caste: (tick as applicable)

- General
- Scheduled Caste
- Scheduled Tribe
- Other Backward Class
- Others, specify……
- Not Known ……..

(v) Religion……

(vi) Father's Name……

(vii) Mother's Name ……

(viii) Guardian's Name……..

(x) Permanent Address…….

(xi) Landmark of the address……

(xi) Address of last residence ……

(xii) Contact information father/mother/family member/guardian……

(xiii) Whether the child needs an interpreter/translator: Yes/ No

(xiv) Whether the child is- Orphan / Abandoned / Surrendered / Others

(xv) Previous institutional/case history and individual care plan, if any……

(xvi) Family Details: (YES/NO) If yes, then:

Sl. No.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health Status	History of Mental Illness	Addiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(xvii) Relationship among family members:

Father and mother	Cordial/Non cordial/Not known
Father and child	Cordial/Non cordial/Not known
Mother and child	Cordial/Non cordial/Not known
Father and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Mother and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Child and siblings	Cordial/Non cordial/Not known
Child and relative	Cordial/Non cordial/Not known

6. With whom was the child staying prior to production before the Committee:(tick as applicable)

Parent(s) – Mother / Father / Both

Siblings / Blood relative

Guardian(s) – Relationship

Friends

On the street

Night shelter

Orphanages / Hostels/ Similar

Homes

Child Care Institution:

Children's home

Shelter home

Specialised Adoption Agency

Fit Facility

Other (please specify)……..

7. In case of orphan and abandoned child—

d. Where was the child found? …….

e. What steps are being taken to trace the biological parents/relatives of the child? Please specify….

f. If the biological roots of the child are known, reasons for death of both parents of the child……..

8. Whether the child needs to be repatriated: Yes/No. If yes:

Inter- district repatriation
Inter- state repatriation

Inter- country repatriation

9. Whether child is eligible for the benefit of sponsorship: Yes/No

10. Whether the child is eligible for any scheme or entitlement.Yes/No (If Yes, please specify) ……

11. Whether child has received any kind of compensation in regard to the demise of any parent: Yes/No; Please Specify……..…

12. Whether child should get benefit under clause (c) of sub-section (1) of section of Section 12 of the Right to Education Act, 2009: Yes / No

13. Financial support recommended for the child:

(a) Whether the child's parents had any property/FD/Cash/Insurance/bank accounts prior to their sudden demise: Yes/No; Details thereof.……

(b) Whether the child's parents have any loans, mortgages, financial liabilities?

A. Yes B. No. Details thereof.……

(c) Whether the child's parents have any collateral against that mortgage?
A. Yes B. No. Details thereof.…….

(ix) Whether the child's parents have any family business?
A. yes B. no. Details thereof.…

(x) Whether the child has acquired any right/share in the property (self-acquired/ancestral) from the deceased parent: Yes/No; Details thereof.…….

14. Details of education of the child:

(a) Whether the child has received education: Yes/No

(b) If yes, specify education up to which class……

(c) If the child is enrolled in school, then name of the school-…….

(d) Whether the school of the child is registered on Unified District Information System for Education, if Yes, state Unified District Information System for Education Code……

(e) Type of school- Government/ Private.

(f) Whether the child has been enrolled in special training centre. Yes/No. If Yes specify duration of enrolment of child in Special Training center……

(g) Whether the Special Training Center was Residential/Non- Residential

(h) The reason for leaving School (tick as applicable)
Failure in the class last studied
Lack of interest in the school activities
Indifferent attitude of the teachers

Peer group influence
To earn and support the family
Sudden demise of parents
Bullying in school
Rigid school atmosphere
Absenteeism followed by running away from school
There is no appropriate level of school nearby
Abuse in school
Humiliation in school
Corporal punishment
Medium of instruction
Others (please specify)……

(i) Attitude of class mates towards the child (If applicable) ……
(ii) Attitude of teachers and classmates towards the child (If Applicable) ……
(iii) Vocational Training (if any)…….

15. Other factors of importance if any…….

16. Habits of the child: (tick as applicable)

Watching TV/movies
Playing indoor/outdoor games
Reading books
Drawing/painting/acting/singing
Religious activities
Begging
Gambling
Alcohol consumption
Smoking
Drug use, if yes, specify…….
Any other, please specify……

17. Extra-curricular interests……..

18. Outstanding characteristics and personality traits…….

19. Majority of the friends are (tick as applicable)

Educated
The same age group
Older in age
Younger in age
Male
Female
Addicts
Children in conflict with law

20. If child is friends with adults, please specify……

21. Attitude of the child towards friends……..

22. Attitude of friends towards the child…….

23. Observation about neighbourhood (to assess the influence of neighbourhood on the child)…….

24. Whether the child has any addiction- YES / NO, if yes, specify……..

25. In case the child is with disability or special needs or is terminally ill (If Yes, Specify):

A. Health status of the child

(i) Respiratory disorders - present / not known / absent
(ii) Hearing impairment - present / not known / absent
(iii) Eye diseases- present / not known / absent
(iv) Dental disease- present / not known / absent
(v) Cardiac diseases- present / not known / absent
(vi) Skin disease-present / not known / absent
(vii) Sexually transmitted diseases- present / not known / absent
(viii) Neurological disorders- present / not known / absent
(ix) Mental handicap- present / not known / absent
(x) Physical handicap- present / not known / absent
(xi) Urinary tract infections –present / not known / absent
(xii) Others (please specify)……..

B. Whether the child is differently abled- Yes or No, if yes, specify—

(a) Hearing Impairment
(b) Speech Impairment
(c) Physical disability
(d) Mental disability
(e) Locomotive disability
(fi) Others (please specify)…….

C. Whether the child has a valid disability certificate. (If Yes, provide details)

D. Mental condition of the child: (Present and past)…….

E. Physical condition of the child: (Present and past)……

F. Whether the child needs special education- Yes/No. If yes, specify:

G. Special education already included in the current school curriculum: Yes/No/Not Applicable

H. Whether the Child requires or has been using any medical equipment. (If yes, please specify)……

I. Previous institutional/case history and individual care plan, if any……

J. Whether the child is receiving any pension under disability schemes. Yes/No (If yes then specify)……

K. Any other remark/observation……

26. In case the child belongs to Children in Street Situations/Trafficked/Involved in Drug Peddling/ChildLabour:

A. Whether the child belongs to any of the category under Children in Street Situations: Yes/No.
If yes,specify:

(i) Children without support living on the streets all alone
(ii) Children stay on the streets in the day and are back home in the night with their families who reside in anearby slum/hutments.
(iii) Children living on the streets with their families:

B. With whom was the child staying prior to production before the Committee:
(i) Parent – Mother / Father / Both
(ii) Siblings / Blood relative
(iii) Guardian – Relationship
(iv) Friends
(v) On the street
(vi) Night shelter
(vii) Orphanages / Hostels/ Similar Homes
(viii) Other (please specify)……

C. If there is history/ tendency of the child to run away from home.Yes/ No. If yes:.....

(i) What is the parents' attitude towards discipline in the home and child's reaction…….
(ii) Reasons for leaving the family:
(a) Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)
(b) In search of employment
(c) Peer group influence
(d) Incapacitation of parents
(e) Criminal record of parents
(f) Separation of Parents
(g) Demise of parents
(h) Poverty
(i) Others (please specify)……

D. Where was the child found, please specify …….

E. Whether the child has been used for begging: Yes/No

F. Whether the child has been involved in rag-picking: Yes/No

G. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling:Yes/No

H. Whether the child has been bought or sold or procured or trafficked for any purpose: Yes/No, if yes:

I. Whether the child was trafficked with knowledge of parents: Yes/No

J. Whether the child was sold by the parents/relatives: Yes/No

If yes, then whether any action has been taken against the parents/relative: Yes/No

K. Whether the child was employed as a labour: Yes/No, if yes:

(i) Industry in which the child was employed…….

(ii) Whether the child has faced exploitation at work : Yes/No

(a) Extracted work without payment
(b) Little or low wages with longer duration of work
(c) Others (Please specify)……..

(iii) Details of income utilization……..

(iv) Any occupational hazard faced by the child: Yes/No. If yes, specify…….

(v) Whether case filed against employer: Yes/No. If yes, specify case detail…….

(vi) Compensation provided to the child:

(a) Interim
(b) Final
(c) Child Labour Rehabilitation cum Welfare Fund

L. Previous institutional/case history and individual care plan, if any……
M. Whether temporary shelter has been provided to child: Yes/No
N. Has any plan been made for rehabilitation of the child, specify……..
O. Any other remarks/observation……

27. In case the child has faced any kind of abuse, including sexual abuse, or has been a victim of anyoffence:

A. Whether the child is a victim of any offence: Yes/No
B. Types of abuse faced by the child:

(a) Verbal abuse– parents/siblings/ employers/others (please specify)…...…
(b) Physical abuse- parents/siblings/ Employers/others (please specify)…...…
(c) Sexual abuse by- (tick as applicable)

relatives through blood

relatives through adoption

relatives through marriage

☐ relatives through guardianship

☐ persons in foster care

person living in the same or shared household

any person in the ownership, or management, or staff, of any institution providing services to achild

any person in position of trust or authority

☐ Others (please specify)

(d) Others– parents/siblings/ employers/others (please specify)……

C. Types of ill- treatment met by the child:

(i) Denial of food– parents/siblings employers/other (please specify)…….
(ii) Beaten mercilessly– parents/ Siblings/employers/other (please specify)
(iii) Causing injury– parents/ siblings/employers/other (please specify)……
(iv) Detention- parents/ siblings/employers/other (please specify)……
(v) Any other (please specify)……..

D. In case of sexual abuse:

(i) Relationship with the perpetrator……
(ii) Gender of the perpetrator……
(iii) Age of the perpetrator……..
(iv) How the child came in contact with the perpetrator……
(v) Any other child from the same place who is abused / harassed / taken / sent by the perpetrator….
(vi) Whether any other person/s were involved in the offence……
(vii) Whether any compensation has been recommended to the child under the Protection of Childrenfrom Sexual Offences Act, 2012: Yes/No.

If any other, please specify……..

E. Case/FIR registered by the police: Yes/No. If yes, specify Case No./ FIR No…….……..

F. Whether the child has been a victim of cyber-bullying: Yes/No. If yes:

(i) Cyber bullied while using internet system at home
(ii) Cyber bullied while using internet system in school
(iii) Cyber- bullied while attending school classes from home

G. Has the child been counselled: Yes/No, if yes, provide details…….
H. Any other remark/observations……
I. Previous institutional/case history and individual care plan, if any……

28. In case the child is victim of child marriage or is married:

A. Name of the spouse…….
B. Name of the spouse…….
C. Date of marriage (DD/MM/YY)……..
D. Place of marriage……..
E. Reasons for conducting marriage of the child…….
F. People who were involved in getting the marriage of the child conducted- i. Parents ii. Relatives iii. Others.
G. If others, please specify……..

H. Whether any case has been registered by police: Yes/No.If yes, provide details……..

I. If any action taken, details thereof……

J. Any other remarks/observation……..

29. Whether the child needs to be repatriated: Yes/No. If yes: (tick as applicable)

a. Inter- district repatriation
b. Inter- state repatriation
c. Inter- country repatriation

OBSERVATIONS OF INQUIRY

30. Emotional factors……
31. Physical condition……
32. Social and economic factors…….
33. Suggestive causes of the problems……
34. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence…
35. Reasons for child's need for care and protection…… ……..
36. Opinion of experts consulted……..
37. Mental Health Expert assessment…….
38. Risk analysis for the child to be restored to the surviving parent/relatives/guardian…….
39. Previous institutional/case history and individual care plan, if any…....
40. Recommendation of District Child Protection Unit/Case Worker/Social Worker regarding psychologicalsupport, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan……..

Signature
(of the person assigned)

FORM-23

[Rule 19(22)]

APPLICATION FOR SURRENDER OF CHILD

Date …….

To

Child Welfare Committee, District…….

I/ We……(name of the applicant/s) …….(relation with the child) of…….(name of the child), aged about…….years, intend to surrender name of child) before this Child Welfare Committee as ..... (reason/s for surrender).

I/we am /are fully conscious and making this application before this Child Welfare Committee. I have not been forced or unduly influenced by any one to take this decision of surrendering.....(name of child). I shall have no objection if the child is given in adoption. I am fully aware of the consequences of surrendering the child.

Full signature of the applicant(s)/
Thumb impression (if the CWC deems appropriate)

Name and address.

……

(Signature of the Chairperson/ member
Before whom such application is submitted) Committee
member/s present:.....

Date……..

Time……

Place……..

FORM 24

[Rule 19(22)] DEED OF SURRENDER
Declaration by Person surrendering the child or children

Case No……..

In Re…….

I/We, the undersigned……Family name/First name(s)……residing at, surrender the child (named)…….Aged……having date of birth……for the reason:……

(ii) I/we are surrendering my/our child or children on our own and without any coercion, compulsion, threat, payment, consideration, compensation of any kind;

(iii) I/we have been counselled and informed about the implication that I/we can withdraw our consent until 60th day of this surrender deed after which my/our consent will be irrevocable and I/we shall have no claim over the child or children.

(iv) I/we have been made aware of the implications of surrender and are conscious of the fact that after the 60th day from date of the surrender deed, the legal parent-child relationship between my/our child or children and me/us will be terminated.

(v) I/we understand that my/our child may be adopted by person(s) residing in India or abroad and give my/our consent for this purpose.

(vi) I/we understand that the adoption of my/our child will create a permanent parent-child relationship with the adoptive parent(s) and then cannot claim back the child.

(vii) I/we wish/ do not wish (please tick whichever is applicable) my/our identity and address to be disclosed to my/our child when he/she returns for root search.

(viii) I/we declare that I/We have read the above statements carefully and have fully understood the same.

Done at ..... on .....

[Signature or Thumb Impression of
surrendering person(s)]

2. Declaration by Witnesses

We the undersigned have witnessed the above surrender.

(a) Signature, Name and Address of the first witness

.....

.....

(b) Signature, Name and Address of the second witness

.....

.....

3. Certification of child welfare committee

We hereby certify that the person and the witness(es) named or identified above appeared before me this date and signed this document in our presence.

Done at ..... on.....

Signature & Seal of
Members/Chairperson
Child Welfare Committee

FORM 25

[Rule 19(29)]

CERTIFICATE DECLARING THE CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee.....under section 38 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, child…… date of birth……placed in the care of the Specialized Adoption Agency/Child Care

Institution (name & address) vide order no…….dated……. of this Committee, is hereby declared legally free for adoption on the basis of the following:

- Inquiry report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Social Worker / Case Worker/any other (as the case may be);
- Deed of surrender executed by the biological parent(s) or the legal guardian of the child before this Committee on (date);
- Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialized Adoption Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under Section 40(1) of the Act, the Rules and Adoption Regulations, but, nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration.

2. This is to certify that:

The biological parent(s) / legal guardian, wherever available, has/have been counselled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or children in adoption which would result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin;

The biological parents / legal guardian have given their consent freely, in the required legal form, and the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and the consent of the mother (where applicable), has been given only after the birth of the child.

The Specialized Adoption Agency/ Child Care Institution to which the aforesaid child is entrusted shall post the photograph and other essential details of the child in the CARINGS and shall place such child in adoption as per the procedure laid down in the Act and Adoption Regulations.

Signature

Chairperson and Members of the Committee.

(Seal of the Child Welfare Committee)

Date:

Place:

To: Child Care Institution /Specialized Adoption Agency/ District Child Protection Unit Concerned –for information and necessary action.

(Signature: & Seal) Date:

FORM 26

[Rule 20(1)]

CASE MONITORING SHEET FOR COMMITTEE CASE MONITORING SHEET

(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)

Child Welfare Committee, District……

Case No. .....of.....

Case Name:

Police Station ..... U/S.....	Date..... FIR/ GD/ DD No. .....
Name of Probation Officer.....	Name of IO .....

PARTICULARS OF CHILD			
Name	Parents/ Guardian withContact No.	Present address	Permanent address

DATE AND TIME CHILD PRODUCED BEFORE THE COMMITTEE **DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION**		
DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C. (if any)		
AGE DETERMINATION Age on the Date of offenceDate of age Determination Time taken for age determination Determination by Evidence Relied:	Committee Documents	Medical

PLACEMENT OF THE CHILD	
In Children's Home	Sent under supervision (Name of Institution)
From.....To.....	

PROGRESS OF ENQUIRY

(Time schedule for disposal of the case to be fixed on the first day of hearing)

Steps to be taken	Scheduled Date	Actual Date
Age determination	Dated……..	
Social Investigation Report (Form No.22)	Dated……	
Submission of Report on Provisions of further investigation, if any	Dated…….	
Statement of Child	Dated……	
Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance	Dated…….	
Dispositional (Final) Order	Dated……..	
Post Dispositional Review	Dated……	

Signed by
Child Welfare Committee.

FORM 27

[Rule 21(2) and 22 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF CHILD CARE INSTITUTION UNDER THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015

1. Detail of Applicant/ Institution which proposes to run the Child Care Institution:

(i) Type of Institution …….
(ii) Name of the Institution / Organization……
(iii) Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Annex- Relevant documents of registration and bye-laws, memorandum of association)……
(iii a) Darpan ID No .....
(iv) Period of validity to run the Institution / Organization…….
(v) Complete address of the Applicant/ Institution/ organization……
(vi) STD code/ Telephone No……
(vii) STD code/ Fax No……
(viii) E-mail address……..
(ix) Whether the organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other states……..
(x) Whether the Institution/ Organization had been denied registration earlier Yes/No

(xi) Ref. No. of application which resulted in denial of registration as CCI

a) Date of denial.....
b) Which department has denied the registration.....

(xii) Reason for denial of registration as CCI.....

2. Details of the proposed Child Care Institution

(i) Name of the proposed Child Care Institution…….
(ii) Type/Kind of Child Care Institution……..
(iii) Complete address/ location of proposed child Care Institution or organization
(iv) STD code/ Telephone No…….
(v) STD code /Fax No…….

3. E-mail address……..

4. Connectivity (Name and Distance from the proposed Child Care Institution):

(i) Main Road……

(ii) Bus –stand…….
(iii) Railway Station……..
(iv) Any landmark……

5. Infrastructure

(i) No. of Rooms (Mention with measurement)……
(ii) No. of toilets (mention with measurement)…….
(iii) No. of Kitchen (mention with measurement) ……..
(iv) No. of sick room……
(v) Annex -Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building)…
(vi) Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made:
(xi) Fire
(xii) Earthquake
(xiii) Any other arrangement
(xiv) Arrangement of Drinking water
(xv) Arrangement to maintain sanitation and hygiene:
(xvi) Pest Control
(xvii) Waste disposal
(xviii) Storage area
(xix) Any other arrangement
(xx) Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable)(Annex-copy of Rent agreement)

6. Capacity of the Institution/ Organization

i. No. of children (0-6 years) present in the home , (if any)
ii. No. of children (6-10 years) present in the home , (if any)
iii. No. of children (11-15 years) present in the home , (if any)
iv. No. of children (16-18 years) present in the home , (if any)
v. No. of persons (18-21 years) present in the home , (if any)

7. Whether the Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board has been informed about the children being housed in the Institution Yes/ No

8. Facilities Available

(i) Education facility……
(ii) Health Checkup arrangement, frequency of checkup, type of checkups proposed to be done……
(iii) Any other facility that shall impact on the overall development of the child.

9. Staffing

(i) Detailed staff list……
(ii) Education and Experience of the staff ……
(iii) Name of partner organizations
(iv) Name of the chief functionary of the organization

10. Background of the Applicant (Institution / Organization)

(i) Major activities of the organization in last two years
a. (Annex copy of Annual Report)

(ii) An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting).

(iii) List of assets/ infrastructure of the organization

(iv) If the organization registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (Annex –certificate of registration).

(v) Details of foreign contribution received during the last two years (Annex- relevant documents)

(vi) List of other sources of grant- in – aid funding (if any)with the name of the scheme / project , purpose amount, etc. (separately).

(vii) Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no.
(viii) Whether the agency agree to open a separate bank account for the grant proposed
(ix) Annex -Photocopy of Accounts of last three years:

i. Auditors report
ii. Income and expenditure account
iii. Receipt and payment account
iv. Balance sheet of the organization.

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

…….(Name of the Organization / Institution) has complied with all the requirements to be granted registration as a Child Care Institution under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

Signature of the authorized signatory: ……..

Name:……..

Designation:……

Address……..

District……

Date……..

Office stamp:

Signature of:

Witness no.1: ……

Witness no.2: ……

FORM 28

[Rule 21(3) and 22 (4)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION (UNDER SECTION 41 THE JJ ACT)

After perusal of the documents submitted as per Form 27 is granted registration No…….as a Child Care Institution under Section 41(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with effect from….. for a period of ….years.

The Institution which has the capacity of..... Children shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the Central/ State Government from time to time.

Dated this …….. day of …….. 20 ……

(Signature)
Seal.

Name and Designation ……

FORM 29

[Rule 22(9)]

MONTHLY REPORT SUBMITTED BY OPEN SHELTER TO DCPU

1. Name of the Open Shelter……....……
2. Name of the In charge ……....…
3. Registration No……....……....….
4. Address of the Home……....……..
5. Period of the Report……..
6. Details of children available on

Sl. No	Name of the Child	Father's Name	Address of the Child, if available	Date of admission	Reason for admission	Duration of stay	Facilities availed	Produced before CWC (Yes / No)	Remarks, if any

7. Total number of children admitted during the month……

8. Total number of children in the Open Shelter on the last day of the month…….

9. Total number of children who availed the facilities of the Open Shelter during the month…….

10. Out of these the number of children who availed the services only during the day in the month:

Signature .

In charge of the Open Shelter Home.

FORM-30

[Rule 23(9)]

HOME STUDY REPORT FOR PROSPECTIVE FOSTER PARENTS

DATE OF REGISTRATION -

AADHAR CARD NO of PFP : -

NAME OF THE SOCIAL WORKER -

DATE OF HOME VISIT -

Part-I of the format shall be filled up by the prospective Foster parents and Part-II of the template shall be filled up by the Social Worker to submit an assessment report along with his/her observation about suitability of the prospective adoptive/ foster parents.

PART-I : SELF ASSESSMENT

A. Information about the prospective foster parents and their family background

Particulars of the foster parents	
Full Name	
Date of birth & age	
Place of birth	
Complete Address with e-mail ID (Present & Permanent Address)	
Identity Proof	
Religion	
Language(s)	
Date of Marriage	
Present Educational Qualification	
Employment/occupation	
Name & Address of the present Employer/Business concern	
Annual Income	
Health Status	

B. Family background information:

(1) Give a short description of social status and background of the prospective foster parents along with the following information.

Details about Parents of the Applicants		
	Father	**Mother**
Name in full		
Age		
Nationality/Citizenship		
Occupation		

Previous occupation		
Presently residing with		

(2) Please complete the following table with the names of each of your respective children (adopted and biological), their sex, educational status (kindergarten, elementary, etc.) and dates of birth.

Name of the Child	Sex	Date of Birth	Educational Status

(3) If there are other members residing, please furnish the following information in respect of them.

Name	Nature of Relationship	Age	Gender	Occupation

(4) Please describe how you believe the foster care would affect the family members (grand parents, children, relatives and others).

C. Professional/Employment Details (Professional career details for last 5 years):

Foster Father			
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From To

Foster Mother			
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From To

D. Financial Position: (Give a short description of your income from all sources such as savings, investments, expenditures and liabilities and debts along with supporting documents)…….....

E. Description of Home and Neighbourhood: (Describe the accommodation details and neighbourhood relationship)

(1) How many rooms do you have in your home and describe the play area available for the child.....

(2) Please describe the neighbourhood in which you reside, including any aspect that you believe makes it child-friendly……

F. Attitude and Motivation for foster care:

(1) Please circle the term which best describes the reason why you wish to take a child in foster care, you may circle more than one option, if applicable:

(a) Provide a companion to your other children;
(b) Provide a child with a happy home;
(c) Other, please specify ……

(2) Please circle the statement which describes how you think the foster care arrangement will improve the lives of your other children, you may circle more than one, if applicable:

a) They will be less lonely;
b) They will learn to be more accommodating:
c) They will become more empathetic;
d) Not applicable as I have no other children;
e) Other, please specify _____

G. Attitude of grandparents/extended family members, other relatives and significant others towards the foster care: (Give a short description about the opinion of other important persons towards foster care who would have impact in the child rearing process)…….....

H. Anticipated Plans of the prospective foster parents for the child and rearing in the Family:

a. Please describe how you will manage caring for the child and other life commitments such as work.

b. Who will be responsible for caring for the child when you are at work, or absent from the familialhome (domestic help, grandparents, spouse).

c. Please describe your disciplinary approach to parenting.

d. In case the foster child demonstrates adjustment difficulties, please describe the steps that youplan to take to ease his/her transition into the family?

e. Would you be prepared to utilize family counselling if the child continues to have difficulties adjusting?

i. Yes
ii. No

f. Would you be willing to support financially higher professional studies of the foster child

i. Yes
ii. No

I. Preparation and Training: (Give details about the counselling sessions the prospective foster parent(s) have undergone on foster care, child care, handling of needs of children, etc. and their capacity, training and/or experiences in parenting children with their special need, if any)

J. Health Status (Emotional and Physical): (Give details of the state of emotional and physical health status of the applicant(s), if any. If a family member suffers from a particular disease, condition or syndrome, describe how the family copes with it and how this might affect any proposed foster care.)

(1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so, would you please provide details?
(2) Are you or your spouse currently being treated by a psychologist or psychiatrist?
(3) Are you currently taking any prescribed medication?
(4) Are there currently any child/ren in your house being treated for a medical condition?
(5) Does your family have health and hospitalization insurance coverage for all family members?

Signature of the Prospective Foster Parents

Date

PART-II: ASSESSMENT REPORT OF THE SOCIAL WORKER

(To be used by the Social Worker to prepare the assessment report)

(The information/facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies /authorities.)

I. Factual Assessment

(i) Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I of the template?

Yes/No

(ii) Are you satisfied about the facts mentioned in the documents *vis-à-vis* observation during interviews and visits?
Yes/No

(20) Psychosocial Assessment:

a. **Interaction with the prospective** foster parents

(i) Have you interacted with the prospective foster parents individually and jointly?
(ii) Are the prospective foster parents well prepared for fostering the child?

b. Home visit findings

(i) When did you visit the home of the prospective foster parents? Who were the members present during your visit?

(ii) Whom did you interact during the home visit?
(iii) Have you met any neighbour/relative? Give a detailed description about the interaction?
(iv) Whether the home environment is conducive for the child?
(v) Are the prospective foster parents well prepared for foster care?
(vi) Did the prospective foster parents have any doubt about parenting issues or any other issues? Have you cleared their doubts?

c. Interaction with the family members

(i) Have you interacted with other family members of the prospective foster parents? What is their opinion about the proposed foster care? Are they positive about the foster care arrangement?

(ii) Are there any other family member(s) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed foster care? If so, how did you interact? Would you plan to take their views?
(iii) Have you interacted with older child/ren present in the home of the prospective foster parents? If yes, please give details.

(iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members? If so, how far those remarks may have an impact on the foster care process?

d. Financial capacity:

(i) What is your opinion about the financial status of the prospective foster parents? Are they financially sound to welcome another member into their family?

(ii) Have you observed any financial situation which is hidden in the template?

(iii) Would you recommend any financial assistance to them?

e. Physical and emotional capacity:

(i) Are the prospective foster parents in a good physical and emotional state to take care of a child?
(ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective foster parents or any other family members that is going to affect the life of the upcoming child? If so, give details.
(iii) Are the prospective foster parents emotionally equipped enough to take care of a child?

(21) Recommendation for Foster care:

a. Do you recommend the prospective foster parents for foster care? Put your views and rationale for recommending the prospective foster parents for foster care.
b. In case, you do not recommend the prospective foster parents for foster care, cite appropriate reasons for taking such decision.

Signature, name, designation and official seal.

FORM-31

[Rule 23(4)]

CHILD STUDY REPORT

CHILD STUDY REPORT		
Sl. No.	**Item**	**Response**
1.	Date of Assessment	
2.	Source of Referral	
3.	Photograph of the Child to be refreshed periodically	
Profile of the Child		
4.	Name of the Child	
5.	Date of Birth	
6.	Place of Birth	
7.	Age	
8.	Nationality	
9.	Religion	
10.	Education	
11.	Mother Tongue	
12.	Present Address	
13.	Aadhaar Card Number	
14.	Contact Details a) Landline b) Mobile	

15.	Placement history if the child is from institution d) Date of Placement e) Name and Permanent details of the child f) Reason for leaving the family	The child has not been placed in adoption
16.	Reason for placement if the child is from community	Mother or both parents in prison Parents are suffering from long term illness Dysfunctional family(eg substance abuse, domestic violence etc) Parents in process of separation Parents in process of legal custody dispute Natural disaster Others

I …… Social Worker hereby certify that the information given in this form about child……is correct.

Signature:

Place :

Name:

Date :

Designation:

FORM-32

[Rule 23(15)]

ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT WITH A FAMILY OR GROUP FOSTER CARE

The child (name and address) ……approximate age…… d/o or s/o Mr…… and Mrs……is in need of care and protection of a family. Mr…… and Mrs……resident of (complete address and contact numbers)

……are declared fit for foster-care placement of the child after considering the Individual Care Plan, Child Study Report and Home Study Report.

OR

Child Care Institution (Name and address)……is declared fit for foster-care placement of the child after considering the Individual Care Plan and Child Study Report.

The child (name) …….. is placed in foster care for a period of

…… under the supervision of the aforesaid Child Welfare Officer/Social Worker (name and contact) …….

Chairperson/ Member
Child Welfare Committee.

FORM-33
[Rule 23(16)]

UNDERTAKING BY THE FOSTER FAMILY/GROUP FOSTER CARE ORGANISATION

I/We……resident(s) of House no. ……Street Village/Town……District ……State ……/ care giver associated with..... foster care home run by ----------organization at ……(address), do hereby declare that I/We am/are willing to take charge of (name of the child …… Aged……under the orders of the Child Welfare Committee subject to the following terms and conditions:

i. If the conduct of the child is unsatisfactory I/we shall at once inform the Committee
ii. I/We shall do my/our best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.
iii. In the event of his illness, he shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Committee.
iv. I/We shall inform the Committee about any change of address.
v. I/We shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse.
vi. I/We agree to adhere to the conditions laid by the Committee.
vii. I/We undertake to produce him before the Committee as and when required.
viii. I/We undertake to inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control. Date this ……day of ……..

Signature and address of 2 witnesses

Signature of Applicant(s)
(Signed before me)

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

FORM-34

[Rule 23(17)]

RECORD OF A CHILD IN FOSTER CARE

a) Case no.....
b) Name of the Child…….
c) Age……..
d) Gender……
e) Name and address of the Child Care Institution, if any from where the child has been given for foster care…….

f) Individual Care Plan

g) Any other source of referral……..

h) Details of the child placed in foster care including Photograph of the child, foster care giver/parent, biological parents, if available……..

i) Details of the placement - individual or group including date and period of placement

j) Home Study Report of the biological family, where applicable with photograph

k) Home Study report of the foster family- individual or group care, with photograph

l) Child Study Report

m) Address of the Child Welfare Committee

n) Particulars of the order of the Committee placing the child in foster care

o) Record (number and significant details) of each visit with the child, foster family, Biological family, if available and child's school

p) Record of all reviews of the placement including observations, extent and quality of compliance with Care Plan, child's developmental milestones, child's academic progress, and any changes in family environment

q) In the case of extension or termination of the placement, record of date and reason for termination

r) Date of the child being handed over to the foster family:

s) Financial assistance provided, if any

t) Name of the Case Worker appointed

FORM 35

[Rule 23(18)]

MONTHLY INSPECTION OF FOSTER FAMILIES/GROUP FOSTER CARE

(Fill as applicable)

Date of Visit:

a) Name :
b) Date of Birth & Age :
c) Gender
d) Date of Placement

(Affix Recent Photo)

1. Details of Foster Parents
a) Name of Foster Parents
b) Address

c) Contact details

i) Landline
ii) Mobile:
d) Aadhaar Card Number:
e) Photograph of Parents

(Affix recent photo)

(Affix recent photo)

3. **Interaction with the Foster Child**

a)	Child's experience being part of the family (with reference to whether the child is properly cared for – physical, emotional and health) describe i) Health Indicators a) Present Health Status b) Any record of Illness c) Any other treatment that the child is undergoing ii) Emotional	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting maladjusted
b)	How is the child performing in his studies? (i) check in relation with the grades/marks the child achieved in previous examinations, (ii) Foster parents have regular	Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐
	conversations with the child regarding his/her studies, extra curricular activities (iii) Do they attend PTA meetings?	Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐
c)	i) The amount of time parents (foster) spend with the child either alone or	

	together with their own children. ii) How do they spend time together as a family and for what? iii) Does the foster child share with the foster parent's problems he /she is facing either at home, school in the neighbourhood or emotionally feeling not happy?	☐ Having conversations ☐ Dining Playing Watching TV ☐ Going to school ☐ Doing homework together Others (specify) Yes ☐ No ☐ Sometimes ☐
d)	Does the child get support from foster parents' children? (do they mutually help each other)	☐ Yes ☐ No Some times ☐
e)	Has there been any incident that made the foster child feel discriminated against?	
f)	Has there been any incident/incidents that made you uncomfortable? v) The way a foster parent/older sibling/any other member touched you. vi) The conversations foster parents/older siblings/any other member had with you vii) Any materials- visuals, printed you were made to watch or read viii) Were you at any time sexually assaulted or abused?* *if the answers are "yes" immediate steps should be taken to remove the child and send to a place of safety and support the child with medical and psycho-social therapy. ** Actions to be taken against the foster carers or parents according to the procedures laid down. *** Is similar treatment being meted out to their biological child also? Then the biological child should also be treated as a child in need of care and protection and appropriate action may be taken.	☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ No ☐ Yes ☐ Yes ☐ No ☐ No
g)	Whether the child keeps in contact with his/her family of origin (by telephone, letters, visits). Specify	Yes ☐ No ☐
h)	Have you been beaten by the foster parent at any time?	Yes ☐ No ☐

i)	Have you been spoken to in a manner that you felt humiliated?	Yes ☐ No ☐
j)	Are you made to do household chores?	Yes ☐ No ☐
k)	Do the biological children of the foster parents made to do the same household chores?	Yes ☐ No ☐

5. Interaction with Foster Parents

a)	Parent's impressions about the behavior (emotional well-being) of the child in the family	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting Maladjusted
b)	Perception about his/her adjustment with the household and with other members in the family	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting Maladjusted
c)	How do you discipline the child?	
d)	What are the behavior traits that are of concern and how do you as parents deal with them?	☐ Lack of co-operation ☐ Lack of Adjustment ☐ Introvert ☐ Aggressive ☐ Not Communicative ☐ Any Other
e)	Do you spend time together with the foster child and biological Children Describe.	☐ Yes No ☐ Sometimes

f)	Views on the progress of Child's education and other talents (i) Child is faring well in school (ii) If the child is not faring well in school do you seek to find out the reasons a)from the child b) the school teacher	☐ Yes No ☐ ☐ Yes No ☐ ☐ Yes No ☐ Sometimes

	iii) Do you attend PTA meetings?	
g)	Do the foster parents consult the child while taking decisions on behalf of him/her?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
h)	How does the child show his approval/disapproval to the foster parent's decisions?	☐ Accept the decision with happiness ☐ Accept the decisions but unhappy ☐ Refuse to accept the decision and shows aggressive behavior)
i)	Are the foster parents aware of the social networks of the child?	☐ Yes ☐ No
j)	Views on child's social relationship with the neighbors, school friends and teachers.	☐ Good and regular interaction ☐ Periodic Interactions
k)	What is their plan for the child?(To be noted down)	
l)	Does the foster child maintain the contact with his/her family of origin? (by telephone, letters, visits). Specify	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
m)	Who maintains the bank account of the foster child as a parent?	

6. Interaction with biological children of the Foster Parents:

a)	The things they do together with the foster child	☐ Dining ☐ Playing ☐ Watching TV ☐ Going to school ☐ Doing homeworkTogether

b)	Do they have quarrels or fights between themselves and the foster child? If yes, how often, on what issues, and how do they resolve it. Please note down.	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
c)	How do you feel when your parents show love, affection and care to the foster child?	☐ Happy ☐ Unhappy ☐ Angry ☐ Jealous

7. Interaction with the School Teachers:

a)	Information about the academic performance of the child in the school (verify with progress cards to see if the child has shown any progress)	☐ Good ☐ Fair ☐ Satisfactory ☐ Poor
b)	Teacher's observation: if the child has adjusted to his/her foster parents	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
c)	Do the foster parents attend parent-teacher meetings?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
d)	Do they seem interested in the child's studies?(by enquiring of his academic achievements, his relationship with teachers and classmates)	☐ Yes ☐ Indifferent ☐ No
e)	Observation on child's behavior in the school (his relationship with teachers, classmates)	☐ Happy and well-adjusted ☐ In process of adjusting ☐ Maladjusted
f)	Any concerns of the child in the school. If yes, give details	

8. Interaction with Parents of Origin

a)	Have the parents of origin maintained contact with their child (by telephone calls, letters, and visits? How frequently?	☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes
b)	Was the child happy to meet them?	☐ Yes ☐ No ☐ Upset while meeting Them
c)	Did the child raise any issues with regard to his or her foster carers/parents/family with them?	☐ Yes ☐ No
d)	Do they have any interaction with the foster family regarding the wellbeing of the child?	☐ Yes No ☐ ☐ Sometimes
e)	The family's status to receive back the child	☐ Family is interested and in a position to receive back the child. ☐ Family is interested but not in a position to receive back the child. ☐ Family is not interested to receive back the child.
f)	Received any support from the government or any other agency in helping them to receive back the child from the foster carers(If yes, give details)	☐ Yes ☐ No

9. Interaction with Neighbours

a)	Knowledge about the neighbor fostering a child.	☐ Yes ☐ No
b)	Information about the attitude and behavior of the foster family towards the child.	☐ Positive and Happy ☐ Indifferent Attitude
		☐ Negative Attitude ☐ Misbehavior towards foster children
c)	Observed any quarrel or issues between the family members and foster child or between neighborhood and the foster child (if yes, give detail)	☐ Yes ☐ No

Prepared by Signatures

FORM 36

[Rule 24(5)]

ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT

The child (name and address) ……..age…… d/o or s/o Mr…… and/or Mrs ..... has been identified as a child needing sponsorship support for education/ health/ nutrition/ other developmental needs.....(please specify). The District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs……per month/ Rs……. as one time sponsorship support to the said child for a period of …… (days/month) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the child…….. to be operated by

……..

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/ Chairperson/Member, Child Welfare Committee

---

FORM 37

[Rule 25(2)]

ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT

The child (name) ……. d/o or s/o.....has/ will be completing 18 years of age on (date)……. She/ he is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration and specifically for …….. (specify the purpose). She/he is placed in (name of organization)……. for providing aftercare. The In-charge of the Organization is directed to admit the child and provide all possible opportunities for her/ his rehabilitation and reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The in-charge will send half yearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee.

The State/ District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs ..... per month towards aftercare support to the said person for a period of.....(days/month) and carryout necessary follow up and or the said purpose shall open a bank account in the name of the person……..

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/ Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/ District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government.

FORM 38

[Rule 27(2)]

APPLICATION FOR FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE

1.	**Detail of Institution/ Agency/ Organization which seeks recognition as fit facility**	
1.a	Name of the Institution /Agency/ Organization	
1.b	Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act **(Annex- Relevant documents of registration, bye-laws, memorandum of association)**	

1. c	Complete address of the Applicant/ Institution/ organization	
1.d	STD code/ Telephone No.	
1.e	STD code Fax No.	
1.f	E-mail address	
1.g	Whether the organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other states	
1.h	If the Institution had been denied recognition earlier? If yes v. Reference No. of application leading to denial of recognition vi. Date of denial vii. Who had denied the recognition viii. Reason for denial of recognition	
2.	**Details of the proposed fit facility:**	
2.a	Complete address/ location of proposed Fit Facility	
2.b	STD code/ telephone no	
2.c	STD code fax no	
2.d	E-mail	
3.	**Connectivity (Name and Distance from the proposed Fit Facility):**	
3.a	Main Road	
3.b	Bus –stand	
3.c	Railway Station	
3.d	Any landmark	
4.	**Infrastructure:**	
4.a	No. of Rooms (Mention with measurement)	
4.b	No. of toilets (mention with measurement)	
4.c	No. of Kitchens (mention with measurement)	
4.d	No. of sick room	
4.e	**Annex -Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building)**	
4.f	Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made: iv) Fire v) Earth quake vi) Any other arrangement	
4.g	Arrangement of Drinking water **Annex-Certified from public health engineering (PHE) Department**.	
4.h	Arrangement to maintain sanitation and hygiene: v. Pest Control vi. Waste disposal vii. Storage area viii. Any other arrangement	

4.i	Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable)**(Annex- copy of Rent agreement)**	
5.	**Capacity of the Fit Facility**	
6.	**Facilities Available (would depend on the purpose for which recognition as fit facility is to be given)**	
6.c	Any other facility that shall impact on the overall development of the child	
7.	**Staffing**	
7.a	Detailed staff list	
7.b	Name of partner organizations	
8.	**Background of the Applicant**	
8.a	Major activities of the organization in last two years	
8.b	An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (**Annex- resolution of the annual meeting**)	
8.c	List of assets/ infrastructure of the organization	
8.d	If the organization is registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (**Annex – certificate of registration**)	
8.e	Details of foreign contribution received last two years (**Annex-relevant documents**)	
8.f	List of other sources of grant- in – aid funding (if any)with the name of the scheme / project , purpose amount, etc. (separately)	
8.g	Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no.	
8.h	Whether the agency agrees to open a separate bank account for the grant proposed	
8.i	**Annex -Photocopy of Accounts of last three years:** **v. Auditors report** **vi. Income and expenditure account** **vii. Receipt and payment account** **viii. Balance sheet of the organization.**	

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act), 2015; and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

……..(Name of the Organization / Institution) has complied with all the requirements to be granted recognition as a Fit Facility under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour or an offence involving moral turpitude and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

I undertake to abide by the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Signature of the authorized signatory: …… Name:

Designation:

Address:

District:

Date:

Office stamp:

Signature of:

Witness no.1: …… Witness no.2: ……

FORM 39

[Rule 27(4)]

CERTIFICATE OF RECOGNITION OF FIT FACILITY

After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the Institution conducted on……. the (Name of the Institution) is recognized as a Fit Facility under Section 51 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with effect from….. for a period of…..years.

The Facility shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time.

The Facility shall remain bound to comply with the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Dated this……day of ……20 …….

(Signature)

Dated this……day of ……20 …….
(Seal) (Signature)

Chairperson, Child Welfare Committee / Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

---

FORM 40

[Rule 61(3)(xii)]

LIST OF CHILDREN SUBMITTED BY CCI TO BOARD OR COMMITTEE WEEKLY

Details of the Child Care Institution:

Sr. No.	Name of Child	FIR/DD/Case No.	PS	Date of Next Production

Total Number of Children admitted during the week……... Total Number of Children released during the week…… Total Number of Children in the Institution as on……

Signature Person-in-charge of the CCI

Date:

FORM 41

[Rule 69 (C) (1)]

PROTECTIVE CUSTODY CARD

1. Name of the child :
2. Age of the child :
3. Mother's Name :
4. Father's Name :
5. Address of parent/guardians :
6. Date of receiving by Organization/Institution:
7. Name & contact details of the person producing child:
8. Date of Inquiry:

This is to authorize and direct you to receive the above named child in your Child Care Institution and keep her/him in your charge for protective custody under the J.J. Act, 2015.

And to produce the child on …... Next Date of hearing……..

(Signature) Principal Magistrate/ Member, Juvenile Justice Board

FORM 42

[Rules 69 (D) (4)]

OVERNIGHT PROTECTIVE STAY

Whereas (name of the child) .....has this day been apprehended/ found to be in need of overnight protective stay at the ..... (Name of the Institution).

The said child has been produced by .....(Name of the child welfare police officer, from ……Police station , ……) . The child has been brought along with the required application seeking protective stay, medical report stating the general health condition of the child which has been duly perused by the person in-charge of the Institution.

The said child has been brought to the Institution at.....(time) and shall be handed overon the following day to the concerned jurisdiction of the child welfare police officer on or before

…….(mention time).

The personal belongings of the child have been thoroughly searched and the following articles

……. (if any) have been handed over to the concerned child welfare police officer.

In case the concerned child welfare police officer fails to report in due time to take custody of the child, such child shall be produced before the Juvenile Justice Board/ Child Welfare Committee by the Officer in charge of the Institution at the earliest.

Copy to:

1. Child Welfare Police Officer
2. Board / Committee
3. The Person in charge of the Institution

Dated this__day of 20

(Signature) (Signature)

The Person-in-charge of the Institution Child Welfare Police Officer

---

FORM 43

[Rule 69 (H) (3)]

CASE HISTORY OF THE CHILD (FOR CHILD CARE INSTITUTION)

Case/Profile No…….

Affix a latest photograph here

Date & Time…….

A. PERSONAL DATA

1. Name……

2. Male / Female (tick the appropriate category) ……..

3. Age at the time of admission……..
4. Present age……

5. Category (tick as applicable):

   (i) Separated from family

   (ii) Abandoned/deserted

   (iii) Victim of exploitation and violence (give detail)

   (iv) Run-away

   (v) Any other

6. Religion

   i) Hindu (OC/BC/SC/ST)

   (ii) Muslim/Christian/Other(pl. specify)

7. Native District & State:

8. Description of the Housing:

   (i) Concrete building/ Kuchha

   (ii) Three bedroom/ two bedroom/ one bedroom/ no separate bedroom

   (iii) Owned / rental

9. By whom the child was brought before the Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board (tick as applicable):

   i. Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated Child Welfare Police Officer / Railway Police/ Women Police

   ii. Probation Officers

   iii. Social Welfare Organization

   iv. Social Worker

   v. Parent(s)/Guardian (s) (please Specify the relationship)

   vi. Any public servant

vii. Any public spirited citizen

viii. Child himself/herself

10. Reasons for leaving the family

i. Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)

ii. In search of employment

iii. Peer group influence

iv. Incapacitation of Parents

v. Criminal behaviour of Parents

vi. Separation of Parents

vii. Demise of Parents

viii. Poverty

ix. Others (please specify)

11. Types of abuse met by the child

i. Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others (pl. specify)

ii. Physical abuse

iii. Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others(Pl. specify)

iv. Others – parents/siblings/ employers/others (pl. Specify)

12. Types of ill-treatment met by the child.

i) Denial of food –parents/siblings employers/other (pl. specify)

ii) Beaten mercilessly-parents/ Siblings/employers/other (pl. specify)

iii) Causing injury – parents/ siblings/employers/other (pl. specify)

iv) Detention - parents/ siblings/employers/other (pl. specify)

v) Other (please Specify)

13. Exploitation faced by the child

i) Extracted work without payment

ii) Little (low) wages with longer duration of work

iii) Others (pl. specify)

24. Health status of the child before admission.

i)	Respiratory disorders	- present / not known / absent
ii)	Hearing impairment	- present / not known / absent
iii)	Eye diseases	- present / not known / absent
iv)	Dental disease	- present / not known / absent
v)	Cardiac diseases	- present / not known / absent
vi)	Skin disease	- present / not known / absent
vii)	Sexually transmitted diseases	- present / not known / absent
viii)	Neurological disorders	- present / not known / absent
ix)	Mental handicap	- present / not known / absent
x)	Physical handicap	- present / not known / absent
xi)	Urinary tract infections	- present / not known / absent
xii)	Others (pl. specify)	- present / not known / absent

15. With whom the child was staying prior to admission

i. Parent(s) – Mother / Father / Both

ii. Siblings / Blood relative

iii. Guardian(s) – Relationship

iv. Friends

v. On the street

vi. Night shelter

vii. Orphanages / Hostels/ Similar Homes

viii. Other (pl. specify)

16. Visit of the parents to meet the child

Prior to institutionalization- Frequently / Occasionally/Rarely/Never After institutionalization- Frequently/ Occasionally / Rarely / Never

17. Visit of the Child to his parents

Prior to institutionalization - Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / NeverAfter institutionalization-- Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

18. Correspondence with parents -

Prior to institutionalization – Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

After institutionalization – Frequently / Occasionally / Rarely / During festival times / During summer holidays / Whenever fallen sick / Never

19. Details of disability

20 Type Family: Family / joint family/ broken family / single parent

21. Relationship among the family members:

i) Father & mother	Cordial/ Non-cordial/ Not known
ii) Father & child	Cordial/ Non-cordial/ Not known
iii) Mother & child	Cordial/ Non-cordial/ Not known
iv) Father & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
v) Mother & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
vi) Child & siblings	Cordial/ Non-cordial/ Not known
vii) Child & relative	Cordial/ Non-cordial/ Not known

22. History of crime committed by family members, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any Made	Period of confinement	Punishment Awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother (a) (b) (c) (d)					
6.	Sister (a) (b) (c) (d)					
7.	Child					
8.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

23. Properties owned by the family:

i. Landed properties (pl. specify the area)

ii. Household articles- Cows/ Cattle/ Bull

iii. Vehicles- two wheeler/ three wheeler/ four wheeler (lorry/ bus/ car/ tractor/ jeep)

iv. Others (please specify)

24. Marriage details of family members:

iv)	Parents	Arranged/ Special Marriage
v)	Brothers	Arranged/ Special Marriage
vi)	Sisters	Arranged/ Special Marriage

25. Social activities of family members:

i. Participate in social and religious functions

ii. Participate in cultural activities

iii. Does not participate in social and religious functions

iv. Not known

26. Parental care towards child before admission:

i. Over protection

ii. Affectionate

iii. Attentive

iv. Not affectionate

v. Not attentive

vi. Rejection

ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 years)

27. At what age did the child attain puberty?

28. Details of delinquent behaviour if any

i. Stealing

ii. Pick pocketing

iii. Arrack selling

iv. Drug pedaling

v. Petty offences

vi. Violent crime

vii. Rape

viii. None of the above

ix. Others (please specify)

29. Reason for delinquent behaviour

i. Parental neglect

ii. Parental overprotection

iii. Parents criminal behavio

iv. Parents influence (negative)

v. Peer group influence - To buy drugs/alcohol

vi. Others (pl. specify)

30. Habits

A		B	
i)	Smoking	i)	Watching TV/movies
ii)	Alcohol consumption	ii)	Playing indoor/outdoor games
iii)	Drug use (specify)	iii)	Reading books
iv)	Gambling	iv)	Religious activities
v)	Begging	v)	Drawing/painting/acting/singing
vi)	Any other	vi)	Any other

EMPLOYMENT DETAILS

31. Employment details of the child prior to entry into the Home:

S.No.	Details of employment	Timing and Duration	Wages earned
i)	Cooly		
ii)	Rag picking		
iii)	Mechanic		
iv)	Hotel work		
v)	Tea shop work		
vi)	Shoe polish		

vii)	Household works		
viii)	Others (pl specify)		

32. Details of income utilization:
Sent to family to meet family need

i. For dress materials

ii. For gambling

iii. For prostitution

iv. For alcohol

v. For drug

vi. For smoking

vii. Savings

33. Details of savings

i. With employers

ii. With friends

iii. Bank/Post Office

iv. Others (pl. specify)

34. Duration of working hours

i. Less than six hours

ii. Between six and eight hours

iii. More than eight hours

EDUCATIONAL DETAILS

35. The details of education of the child prior to the admission to Children's Home

i. Illiterate

ii. Studied up to V Standard

iii. Studied above V Std but below VIII Standard

iv. Studied above VIII Std but below X Standard

v. Studied above X Standard

36. The reason for leaving the School

a. Failure in the class last studied

b. Lack of interest in the school activities

c. Indifferent attitude of the teachers

d. Peer group influence

e. To earn and support the family

f. Sudden demise of parents

g. Rigid school atmosphere
h Absenteeism followed by running away from school

i. There is no age appropriate school nearby

j. Others (pl. specify)

37. The details of the school in which studied last:

i. Corporation/Municipal/Panchayat

ii. Government/SC Welfare School/BC Welfare School

iii. Private management/ Convents

38. Medium instruction: Hindi/English/Urdu/Tamil/Malayalam/Kannada/ Telugu/ Marathi / Gujarati/ Bengali / Other language (please specify)

39. After admission to Children's Home, the educational attainment from the date of admission till date; No. of years Class studied Promoted /detained

40. Vocational training undergone form the date of admission into Children's Home till date. No. of years Name of Vocational Trade Proficiency Attained Details of certification?

41. Extra-curricular activities developed form the date of admission into the Children's Home till date

i) Scout

ii) Sports (please specify)

iii) Athletics (please specify)
iv) Drawing
v) Painting
vii) Others (pl. specify)

MEDICAL HISTORY

42. Height and weight at the time of admission:

43. Physical condition:

44. Medical history of child (gist):

45. Medical history of parent/guardian (gist):

46. Present health status of the child:

Sl. No.	Annual Observation	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
	Date of Review				
	Height				
	Weight				
	Nutritious diet given				
	Stress				
	Dental				
	ENT				
	Eye				

47. Height and Weight Chart

Date, Month and Year	Height	Admissible Weight	Actual Weight

SOCIAL HISTORY

48. Details of friendship prior to admission into Children's Home:

i. Co-workers

ii. School/Classmate

iii. Neighbours

iv. Others (pl. specify)

49. Majority of the friends are

i. Educated

ii. Illiterate

iii. The same age group

iv. Older in age

v. Younger in age

vi. Same sex

vii. Opposite sex

50. Details of membership in group (please specify details)

i. Associated with cine fans association

ii. Association with religious group

iii. Associated with arts and sports club

iv. Associated with gangs

v. Associated with voluntary social service league

vi. Others (please specify)

51. The position of the child in the groups/league

i. Leader

ii. Second level leader

iii. Middle level functionary

iv. Ordinary member

52. Purpose of taking membership in the group:

i. For social service activities

ii. For leisure time spending

iii. For pleasure seeking activities

iv. For deviant activities

v. Others (please specify)

53. Attitude of the group / league

i. Respect the social norms and follow the rules

ii. Interested in violating the norms

iii. Impulsive in violating the rules

54. The location/meeting point of the groups

i. Usually at fixed place

ii. Places are changed frequently

iii. No specific places

iv. Meeting point is fixed conveniently

55. The reaction of the society when the child first came out of the family

i. Supportive

ii. Rejection

iii. Abuse

iv. Ill-treatment

v. Exploitation

56. The reaction of the police towards children

i. Compassionate

ii. Harsh

iii. Aggressive and abusive

iv. Exploitative

v. Ill-treated

57. The response of the general public towards the child …….

HISTORY OF THE CHILD (Brief)

(i) Education

(ii) Health

(iii) Vocational training

(iv) Extra curricular activities

(v) Others Suggestion of Child Welfare Officer/ Probation Officer after orientation to child and the response towards orientation.

Follow up by Child Welfare Officer/ Probation Officer/ Case Worker/ Social WorkerQuarterly Review of Case History by Management Committee

PERSON IN CHARGE/ SUPERINTENDENT/

CHILDWELFARE OFFICER/

PROBATION OFFICER

FORM 44
[Rule 82 (1)]

RELEASE CUM RESTORATION ORDER

(Name of the Child)…….son/ daughter of…… residence……..

Case No./ Profile Number… .....who was ordered to be placed in an observation home/place of safety/ special home/Children's Home/ by the Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare Committee …….under section…….. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, for a term of…… on the day of……..20 and who is now in the ……. Institution, at…is directed to be released from the

said……Institution and supervision and the authority of .....during the remaining period of stay asreason for discharge). This order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any of which it shall beliable to be revoked.

Dated ……

Signature

Juvenile Justice Board/ Children's Court/ Child Welfare CommitteePlace:

Conditions:

1. The discharged person shall proceed to……. and live under the supervision and authority of ..... until the expiry of the period of his stay in Children's Homes or fit facility/ detention in observation home/ special homes/ place of safety unless the remission is sooner cancelled.

2. He shall not, without the consent of the ..... remove himself from that place or any other place, which may be named by the said ……...

3. He shall obey such instruction as he may receive from the said.....with regard to punctual and regular attendance at school/vocation or otherwise.

4. He shall not get involved in any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of……..

5. In the event of his committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of stay in the Institution hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with under section 97 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/ explained to me and that I accept the same.

(Signature or mark of the released child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name

of child) and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her release may be revoked.

Certified accordingly that the said child has been discharged on the…….

Signature and Designation of the certifying authority
i.e. Person-in-charge of the institution

FORM 45

[Rules 82(4)]

ESCORT ORDER

Case No……. In the matter of Boy/Girl Child

……

…….

Aged

about….....year

taken

The Parents of the boy/girl child are reported to be residing at……..

He/She therefore be sent under supervision of a proper police / recognized non governmental organization escort to the……

For tracing and for handing over to the parents or close relatives of the said Boy Child/Girl Child residing at the aforesaid address or at other Place which may be shown by the Child, if no such parents or relative are traced or if traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in the custody of the Superintendent .....Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes

of the said district and the said Boy/Girl child be produced before the concerned Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board for further orders.

Orders

Pending Escort, the said Boy/Girl Child shall remain in Children's Home/ Place of Safety/ Observation Homes, residing at present at ---------- The State/District Child Protection Unit, or Police Department and recognized Non-governmental organization/ Childline shall positively make immediate arrangement not less than 15 days from the date of receipt of this order by him and send the said Boy Child/Girl Child at his/her aforesaid place of residence.

Dated this……..day of 20

CC to:

3. The Person in charge, Child Care Institution.

Chairperson/Member Child Welfare Committee Juvenile Justice Board

4. The District Child Protection Unit or non-governmental organization or Childline Ref.: 1. Order of admission of minor……born on……..Profile No……

"**FORM 46**

[Rule 21(10), 41(3) and 41(9)] INSPECTION OF CHILD CARE INSTITUTIONS
(Fill as applicable)

Date and time of visit:
Name of the officials inspecting the Home :
1. ……
2. ……
3. ……
Name and address of Institution:
Type of Facility:(Children Home/Observation Home/Special Home/Place of Safety/Open Shelter/Specialised Adoption Agency/Fit Facility)

If aided/supported: by State Government, Name of Department:…… If run by Government:……..
Name of Person-in-charge: …….. Contact No. …….

E-mail ID: ……

Indicator	**Status (Yes or No)**	**Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)**	**Acts/Rules**
LEGAL STATUS			
Registration of the Parent Organization under the Societies Registration Act1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013			Section 41/Rule21: Registration of the Child Care Institutions
Registration No. of theParent Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/The Companies Act 2013			
Registration of the Parent OrganizationJuvenile under the Justice (Care & Protection) Act 2015			
Registration No. of the Parent Organization under the Juvenile Justice(Care & Protection) Act 2015			
Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Registration (if any)			

FUNCTIONING			
Sanctioned capacity (in numbers)			
Total number of Children placed in the Institution			Rule 18 and 19: Production beforea

Number of Children living in the Home without the order of the Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board			Committee and Inquiry
Are there children in the age group of 0-5 years staying there? (Specify number)			
Are there children above 18 years staying there? (Specify number)			
No. of new admissions in the currentmonth (Specify number)			
No. of children who have moved out/released (Specify number)			
No. of children referred by Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board during the month. (Specify number)			
No. of children produced before Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board during the month. (Specify number)			
No. of children as on last day of the previous month. (Specify number)			
No. of children with special needs, if yes, give details. (Specify number)			
Total number of children present in the Institution are less than its capacity or as per its capacity			Section 41: Registration of Child Care Institutions
Number of children residing for morethan 04 months			Observation Home/Special Home/Place of Safety
Management Committee			Rule 39: Management Committee
Average Number of meetings conductedin a year (Specify number)			
Children's Committees constituted			Rule 40:

Average Number of meetings conductedin a year (Specify number)			Children's Committees
Adoption Committee constituted			Section 65:

Average Number of meetings conductedin a year (Specify number)			Specialised Adoption Agency
Open Shelter/Shelter Home has any other activity apart from psycho-social rehabilitation of children for a short period of time			Open Shelter
Information regarding the children is uploaded on a portal, as specified by the Central Government.			
PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
Building (Rented or owned)			Rule 29: Physical Infrastructure
Sign board displayed indicating name, type of Child Care Institution, contact details			
Education (Class room)			
Dormitories			
Kitchen			
Counseling			
Recreation with television			
Sick room			
Library			
Visitors' room			
Vocational training			
Dining hall			
Store			
Record room			
Office room			
Staff Residence			
Bathrooms			
Toilets			
Computer with internet			
Boundary wall/fencing			
Separate living area for children below 10 years			
INSTITUTIONAL FACILITY			
Records stored safely			
Essential Details including- Emergency Numbers			
Duty Chart			Rule 26: Management and Monitoring of
Menu Chart			
Attendance Status			

Weekly Programme Schedule			Child Care Institutions
Safe transport facility for children attaining education outside the campus			
Separate facilities for children from staff and management			
Facilities and support (equipment, staff, teaching and learning materials/aids) for children with special needs			
Visual needs			
Intellectual needs			
Hearing needs			
Rooms and dormitories being free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that children could pull down on themselves			
Good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment			
Clear guidelines regarding access of staff/visitors in identified areas especially in children's dormitories/toilets			
Walls and compound painted with attractive paints/cartoons/pictures etc.			Specialised Adoption Agency
A cradle has been placed near the outside gate or not			
Infants, toddlers and older children are segregated or not			
Restrictions on entry in the infants and toddler areas			
Freedom of movement of mobile infants and toddlers in a safe area			
Privacy maintained in toilets and bathing areas or not			Rule 67: Security Measures
Basic emergency medical care equipment available or not			
Special emergency medical careequipment available or not			
Child friendly bathrooms / bathing areas (1:10) available exclusively for children or not. (Specify number)			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Child friendly toilets (1:7) available exclusively for children or not (Specify number)			
Safe and purified drinking water storage is available or not			

Safe and purified drinking water is provided to all children or not			
Proper drainage and garbage disposal facilities available or not			
STAFF			
One Person- in-Charge			Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions
Two Counselor			
Three Child Welfare Officer/ probation officer/Case workers			
Four House Mother/ House Father			
One Medical Officer (Physician)			
One Para medical staff			
One Store keeper cum accountant			
One (part time) Art and Craft cum music teacher			
One (part time) PT instructor cum Yoga Trainer			
One Driver			
Two Cook			
Two Helper			
Two House Keeping			
Security Guard			
Any Other			
Whether personal files of each staff are available including- Records of Recruitment			
Reference Check			
Work Profile			
Performance Appraisal			
Female Superintendent / Manager /In-Charge available for girls' unit			
TRAINING OF STAFF			
Training organised for the staff viz: Social Workers			Rule 89: Trainingof Personnel Dealing with Children
Child Welfare Officers			
Case Workers			
rehabilitation cum placement Officers			
care givers			
House Fathers and House Mothers			
Security personnel and other staff			

The staff of the Child Care Institution has been given refresher trainings or not			
Rehabilitation-cum-Placement Officer			Rule 65: Rehabilitation-cum-Placement Officer
Superintendent/Manager/ In-charge stay on the campus			Rule 61: Duties of the Officer-in-charge of a Child Care Institution
CHILD CARE FACILITIES			
Enough/safe toys are available and accessible to children or not			Rule 38: Recreational Facilities
Enough suitably equipped outdoor space for play is available and accessible to children or not			
Availability of Baby Care Unit with special emergency medical care equipment (MCE) or not			
Availability of safe toys for infants and toddlers to stimulate their healthy development or not			
Individual beds are available andprovided to children or not			Rule 29: Physical Infrastructure
Children segregated according to age group for stay and activities or not			
Children segregated according to gender for stay and activities or not			
Activities are conducted under staff supervision to minimize the risk of injury to children or respond as promptly as possible or not			Rule 34/35: Medical Care and Mental Health
Active supervision of children in emotional distress (due to fear, trauma, or illness) or not			
PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Standard operating procedure for child protection			Rule 76: Abuse and Exploitation ofthe child
Standard operating procedure is adhered to by staff and Management			
Functional and accessible complaint and grievance redressal mechanism including for abuse prevention is in place, such as- Suggestion Box			
Child helpline			
CCTV Cameras			
Children Committees			

Regular Staff-Children Interface			
Training and Orientation of children			
Any complaint found in the Suggestion or Complaint Book			
DAILY ROUTINE			
Daily routine of activity is followed			Rule 32: Daily Routine
Daily routine is drawn up in consultation with the children's committee or as per the need			
Daily routine is on public display at prominent places in the institution			
NUTRITION			
Staff is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development			Rule 33: Nutrition and Diet Scale
Meals are planned in consultation with children			
Meals are provided in accordance with prescribed norms/diet scale			
Birthdays of children are celebrated			
Special meal is provided duringfestivals/occasions			
Special diet is provided to sick/special health children, as per advice of Doctor			
Home receives sponsored cooked/uncooked food items, lunch, dinner etc. from donors			
Cooked food if sponsored is tasted/checked by care giver before serving			
Ayah/caretakers are supervised by other staff while babies are fed			
CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
All children are provided individual, clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms			Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles
All children are provided individual, clean, seasonally appropriate mats and sleeping materials as per norms			
Sleeping material is cleaned /sanitized regularly or before reuse as needed			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Rooms are regularly fumigated, disinfected and material provided to each child for prevention of infection and disease			

Each child has been allocated a secured space to store personal belongings			
Old articles like clothes, bed sheets, mats, bedding, etc. if donated, are cleaned/ disinfected before use			
Whether following facilities available in Home for children: Fans			
Coolers			
Air Conditioner			
Heaters for Winter			
HEALTH CARE			
Every child undergoes a health check-up on admission			Rule 34/35: Medical Care/ Mental Health
Every child has regular health checkups			
Every child has health card and the records/files are maintained and updated			
Nurse/paramedical staff is available in the home at night			
Medicines are administered to the child by a staff/ nurse			
Staff is trained to provide First Aid			
Mandatory Immunization is done of children up to 6 years of age			
EDUCATION			
Educational assessment is conducted and need of every child addressed			Rule 36/69: Education/ Institutional Management of Children
All children are provided with age appropriate formal education			
Enough emphasis on stimulating infants to learn through a play way learning process			
Age appropriate, feasible and market oriented vocational training is provided			Rule 37: Vocational Training
Children areconsulted in selecting vocational training being provided tothem			
Age appropriate life skill education is provided			
RECREATION			
Indoor recreation facilities are available for children			Rule 38: Recreational Facilities
Outdoor recreation facilities are available for children			

Staff engage with children in such recreation activities			
Any innovative activities to develop cooperation/ participation, resilience, etc. are harnessed			
ADMISSION AND REPORTING			
All children admitted to the Home are produced before the Child Welfare Committee within the prescribed time limit			Section 31/ Rule 18: Production before Committee
All children in the Home are housed in compliance with the Child Welfare Committee orders			
All children admitted to the Home are produced before the Juvenile Justice Board within the prescribed limit			Section 10/Rule 9: Production beforea Board
All children in the Observation Home Special Home/Place of Safety are housed in compliance with the Juvenile Justice Board Orders			
Every child is restored through the Child Welfare Committee or the Juvenile Justice Board			
The case history of each child is submitted before the Child Welfare Committee within the stipulated time period as directed			
The Home has made efforts to trace the biological family/guardian of the child			Rule19 / 69: Inquiry/ Institutional Management of Children
Home submits any report of its own efforts to trace biological families to the Child Welfare Committee			
INDIVIDUAL CASE RECORD			
Individual Care Plan is prepared for every Child			
If yes, Individual Care Plan is prepared for every child is being implemented			
A professional Social Worker or experienced personal has prepared the Individual Care Plan (ICP) for every child			
ICP has been prepared for children in the Home within 30 days of admission of the child			
MAINTENANCE OF RECORDS			
Home maintains a master admission register			Rule 77: Maintenance of Registers
Home updates the master admission register in Track Child			
Home updates the master admission register in centralised database and portal			

relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			
Number of children present tallies with the attendance register as on date			
Monthly data about children is sent to State Adoption Resource Agency/ District Child Protection Unit as the case may be			Rule 22: Open Shelter
Documentary proof of restoration-parent/guardian letter with identity proof regarding the same is available			
Whether details of legally free children for adoption is maintained by the institution			
The Child Care Institution maintainsall the relevant information of the child i.e. --			
Individual case file with individual care plan			
Case History			
Inquiry report			
Child Welfare Committee Orders			
Medical Examination Report (MER)			
Child Study Report (CSR)			
Home Study Report (HSR)			
Birth Certificate			
Court order			
Quarterly Progress Report			
Health report			
Report of counselor or social worker,social history/case history of each child is available in the personal file			Rule 77: Maintenance of Registers
Initial reports of interaction with the child are on record			
REGISTERS			
Master Admission and discharge register			
Supervision register			
Case file of each child			
Medical File and Medical Report			
Attendance register of children and staff			
Order Book			
Inquiry report file			
Children's suggestion book/file			

Voucher, Cash Book, Ledger, Journal and Annual Accounts			
Grant utilization register			
Stock register			
Record of minutes of meetings of-- Management Committee			
Complaints Committee			
Staff-Children interaction			
Staff-Meetings			
Nutrition/diet register			
Budget statement register			
Visitors' book			
Staff movement register			
Personal belonging register			
Children's movement register			
IF A SPECIALISED ADOPTION AGENCY			
There is a professional social worker/ experienced personnel available in the agency for preparing Child Study Report			
Formal Child Study Report of each child is prepared after the child is declared free for adoption by the Child Welfare Committee			
There is a professional social worker/experienced personnel available in the agency for preparing Home Study Report			
Medical Examination Report of eachchild is prepared after the child is declared free for adoption by the Child Welfare Committee by a pediatrician			
There was pendency of completion ofHome Study Report			
There was pendency of completion ofChild Study Report			
There was pendency of completion of Medical Examination Report			
All the reports are uploaded on centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			
ADOPTION RELATED			
The agency expeditiously uploads Child Study Report, Medical ExaminationReport, as soon as children become legally free for adoption			

The decision for referral and matching of each child is taken by the Adoption Committee			**Specialised Adoption Agency**
The agency prepares every adoptablechild psychologically for his or her assimilation with the adoptive family and the new surroundings			
The agency has developed leaflets/pamphlets/literature/ any other publicity materials depicting the process of adoption			
Adoption register is maintained and complete adoption file of each child placed in adoption is available			
Regular follow-ups of children placed in adoption			
The agency receives/maintains post placement progress reports in respect of children placed in in-country adoption and inter-country adoption			
All post-adoption records are kept in a manner, which prevents accessibility of larger public			
The agency kept all the information and documents as well as belongings of the child in safe custody			
There has been a plan how to preserve the information and how to disseminate incase the child comes for searching theroot			
There has been any disruption occurred in case of children placed in in-country adoption			
There has been any disruption occurred in case of children placed in inter-country adoption			
The agency completes the Home Study Report of all Prospective Adoptive Parents registered, expeditiously and within stipulated time frame			
The agency places a child in pre-adoption Foster Care on completion of assigning and referral processes and after observing necessary formalities as laid down in the Guidelines			
The agency receives Adoption fees as per the Norms			
The agency obtains appropriate information from birth parent(s) before surrender of the child			
The agency gets the surrender deed executed only in the presence of the Child Welfare Committee			

The agency explains the implications of surrendering their child to the parents including the possibility of adoption ofthe child by foreigners and of no further contact with him or her			
The agency informs the parent(s) that from the date of surrender they would get a reconsideration period of sixty days during which period they can take back the child			
The agency maintains the confidentiality of the unwed mother and the biological parents			
The agency restores the child to the biological parents after the reconsideration period is over, if claimed by the parents			
The agency provides counselling to Prospective Adoptive Parents and children as and when required by them			
The agency provides counselling to Prospective Adoptive Parents before the Home Study Report is prepared			
The agency advices/encourages Prospective Adoptive Parents to contact Adoptive Parents Associations, adoptive families and older adoptees to understand the entire process of adoption			
The agency counsels the adoptive parents, not to change the name of an older child so as to help the child keep his or her identity			
FINANCIAL TRANSPARENCY			
Details of information about the sources of funding and that of the organisation as whole or separately available			
Sources of Funding-Govt. aid/grant			
National Donors			
International Donors (FCRA)			
Corporate Donors			
Own sources			
Others			
Details of project wise Bank Account(s) maintained by it with A/c No, purpose, amount received including FCRA Account available			Accounts and Audit
The Home submits a copy of audited accounts of organization with its audit report and Annual Report within six months from date of closing of financial year, to State Government			

The accounts are audited annually by an authorized Chartered Accountant			
The Home has provided copies of Audited Statement of Accounts and Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Returns for last 2 years to the competent authority			
Grants are released as per norm and time taken for			
The agency has provided information about the details of child wise adoption charges received during last two years for in-country and inter-country separately			**Specialised Adoption Agency**
The agency receives adoption chargesover and above the prescribed norms			
The agency maintains financial records including receiving and utilization of adoption fee			
The Home submits a copy of audited accounts of organization with its audit report and Annual Report within six months from date of closing of financial year, to State Government			
The Adoption Agency utilizes funds available in the form of Adoption fee in accordance with the specified norms			
The accounts are audited annually by an authorized Chartered Accountant			
INSPECTIONS			
The Home has been inspected by the Inspection Committee			Rule 41: Inspection
Feedback was provided on the inspection by the Inspection Committee			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by theChild Welfare Committee			Section 30: Functions and Responsibilities of Committee
Feedback was provided on the inspection by the Child Welfare Committee			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the Juvenile Justice Committee of the High Court			Inspections conducted by JJ Committee and Department of WCD
Feedback was provided on the inspection by the Juvenile Justice Committee of the High Court			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the appropriate authority of Department of Women and Child Development			

Feedback was provided on the inspection by appropriate authority of Department of Women and Child Development			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the National Commissions for Protection of Child rights			Rule 91: Monitoring by National/State Commission for Protection of Child Rights
Feedback was provided on the inspection by the National Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
The Home has been inspected by the State Commissions for Protection of Child rights			
Feedback was provided on the inspection by State Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
Previously, Social audit has been conducted of the Home and the report has been positive			
The Home has a copy of the inspection recommendations and record of action thereof			Rule 41: Inspection
Any improvement has taken place based on the Inspection Reports			
PROGRAMMATIC LINKAGES			
Medical care and Mental health services for children			Rule 34: Medical Care
Education			Rule 36: Education
Vocational training			Rule 37: Vocational Training
Life Skills, Art and Dance and Drama therapy and Occupational therapy and other issue-based workshops			Rule 38: Recreational Facilities
Recreational activities including sports			
Hobby classes			
Health including speech/physiotherapy			Rule 35: Mental Health
Legal aid services			Rule 39: Management Committee
De-addiction services			Rule 27: Fit Facility
With appropriate authorities for birth registration, identity proof and reserved/ special category certificate			

The Home has established linkages with other Child Care Institution for rehabilitation of children with special needs			
Restoration and Rehabilitation of children and their linkage established with- Child Welfare Committee			
Juvenile Justice Board			
Child Helpline			
District Child Protection Unit			
District Sponsorship & Foster Care Approval Committee			
Details of adoptable children have been uploaded on centralised database and portal relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption			Section 65: Specialized Adoption Agency
Specialised Adoption Agency is locatedin the same premises			
With appropriate authorities for birth registration, identity proof and reserved/ special category certificate			
Any other Institution is also located in the same premises			

Violations

1. Violation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Rules

2. (a) Violation of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(b) If yes, whether Section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 was followed?

3. Any other Violation/Observation/Remarks: None.

Interaction with Children

During the Inspection, informal interaction with the children may be held with a group of children of appropriate age group in an open friendly environment to find out about their safety, security and protection from offence in the Institution. The interaction may focus on education, skilling, sports, co-curricular activities. The confidentiality of the children also needs to be ensured.

4. General Principles to Conduct the Interaction

The following General Principles has to be followed throughout the conduct of Interaction:-

(i) Confidentiality

(ii) Transparency

(iii) Participation

Keep the questions simple and general. Show that you are genuinely interested in the child/children.

2. **Rapport Building and generic Conversation-** Begin the discussion with a general, open-ended question about the topic such as asking about the views about the Home that the children are staying in. The inspecting team/officials can ask the children about the positives and negatives of the Home.

3. **Discussing general issues-** The inspecting team/officials should ask general questions to the children to gain their trust and confidence. The general questions can be focussed on issues with the administration and staff, issues faced by children while staying in the Home, how helpful are the staff of the Home, measures for reporting a complaint and information about child protection policy in the Home.\

4. OBSERVATIONS on the interaction-

10. If any case of child abuse is observed/suspected, then it should be immediately reported as per provisions of Section 19 of the POCSO Act.

Observations/ Remarks: .....

Name of inspection Committee member: Signature:
Name of inspection Committee member: Signature:
Name of inspection Committee member: Signature: Name of inspection Committee member: Signature:"

FORM 46A

[Rule 21(3) and Rule 21(15)]
INSPECTION FORMAT FOR REGISTERATION AND RENEWAL OF A CHILD CARE INSTITUTION

State:

District:

Name of Institution:

Educational facility:

Type of Facility: _____(Children Home/Observation Home/Special Home/Place of Safety/Open Shelter/Specialised Adoption Agency/Fit Facility)

Name and address of the Institution: ……

Acts/Rules	Indicator	Status (Yes or No)	Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)
I. LEGAL STATUS			
Registration of the Chi Care Institutions	Registration of the Parent Organizatic under the Societies Registration A 1860/The Indian Trusts Act 1882/Tl Companies Act 2013		
	Registration No. of the Pare		

	Organization under the Societies Registration Act 1860/The Indian Trusts Act 1882/Th Companies Act 2013		
	Foreign Contribution (Regulation) A 2010, Registration (if any)		
II.PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
	Sign board displayed indicating name, type of CCI, contact details		

Rule 29: Physical Infrastructure	Boundary wall/fencing		
	Classroom		
	Dormitories		
	Kitchen		
	Counseling		
	Recreation		
	Sick room		
	Library		
	Visitors' room		
	Vocational training		
	Dining hall		
	Store		
	Record room		
	Office room		
	Staff Residence		
	Bathrooms		
	Toilets		
	Good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment		
Rule 31: Sanitation and Hygiene	Child friendly bathrooms / bathing areas (1:10) available exclusively for children		
	Child friendly (1:7) availabl e toilets exclusively for children		
	Safe and purified drinking water storage isavailable		
	Safe and purified drinking water is provided to all children		

	Proper drainage garbage disposal andfacilities available		
	Clear guidelines regarding access of staff/visitors in identified areas especially in children's dormitories/toilets		
III. MANAGEMENT/ STAFFING PATTERN			
Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions	1 Person in Charge		
	2 Counselor		
	3 Child Welfare Officer/ probation officer/Case workers		
	4 House Mother/ House Father		
	1 Medical Officer (Physician)		
	1 Para medical staff		
	1 Store keeper cum accountant		
	1 (part time) Art and Craft cum music teacher		
	1 (part time) PT instructor cum Yoga Trainer		
	1 Driver		
	2 Cook		
	2 Helper		
	2 House Keeping		
	Security Guard		
	Any Other		
	Female Superintendent / Manager /In-Charge available for girls' unit		
Rule 89: Training of Personnel Dealing with Children	Training organized for the staff on - Child Rights Protection		
	Care Giving		
	Rehabilitation		
	Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015		
	Mission Vatsalya		
Rule 76: Abuse and Exploitation of the child	Training and Orientation of care givers		
	Training and Orientation of children		
Rule 65: Rehabilitation-cum-Placement Officer	Rehabilitation-cum-Placement Officer		

Rule 61: Duties of the Person-in-charge of a Child Care Institution	Superintendent/Manager/ In-charge stay onthe campus		
IV. FUNCTIONALITY			
Rule 29: Physical Infrastructure	Computer with internet accessibility		
	Records stored safely		
	Essential Details including- Emergency Numbers		
	Duty Chart		
	Menu Chart		
	Attendance Status		
	Weekly Programme Schedule		
	Safe transport facility for children attainingeducation outside the campus		
	Separate facilities for children from staff andmanagement		
	Facilities and support (equipment, staff, teaching and learning materials/aids) for children with special needs		
	visual needs		
	Intellectual needs		
	hearing needs		
	others		
	Rooms and dormitories is free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that children could pull down on themselves		
Rule 67: Security Measures	Privacy maintained in toilets and bathing areas		
	Basic emergency medical care equipment available		
	Special emergency medical care equipment available		
V. PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Rule 76: Abuse and Exploitation of the child	Standard operating procedure for child protection		
	Functional and accessible complaint and grievance redressal mechanism including forabuse prevention is in place, such as- Suggestion Box -		
	Child Helpline		
	CCTV Cameras		
	Children Committees		
	Regular Staff-Children Interface		

VI. DAILY ROUTINE AND FACILITIES			
Rule 32: Daily Routine	Daily routine is drawn up in consultation with the children's committee and/or with children's participation or as per the need		
	Daily routine is on public display at prominent places in the institution		
Rule 38: Recreational Facilities	Enough/safe toys are available andaccessible to children		
	Enough suitably equipped outdoor space forplay is available and accessible to children		
VII. NUTRITION AND RECREATION			
Rule 33: Nutrition and Diet Scale	Staff is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development		
Rule 38: Recreational Facilities	Indoor recreation facilities are available forchildren		
	Outdoor recreation facilities are available forchildren		
	Any innovative activities to develop cooperation/ participation, resilience, etc. areharnessed		
VIII. CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles	clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms are available		
	clean, seasonally appropriate mats and sleeping materials as per norms are available		
Rule 31: Sanitation and Hygiene	Sleeping material is cleaned /sanitized regularly or before reuse as needed		
	Rooms are regularly fumigated, disinfected and material provided to each child for prevention of infection and disease		
	secured space to store personal belongingsis available for each child		
	Whether following facilities available in Home for children:		
	Fans		
	Coolers		
	Air Conditioner		
	Heaters for Winter		

IX. HEALTH CARE			
Rule 34/35: Medical Care/ Mental Health	Nurse/paramedical staff is available in theHome at night		
	Staff is trained to provide First Aid		
X. EDUCATION			
Rule 36/69: Education	To provide age appropriate education optionis available		
Rule 37: Vocational Training	Option for age appropriate, feasible and market oriented is available		
XI. RECORD MAINTENANCE			
Rule 77: Maintenance of Registers	Master Admission and discharge register		
	Supervision register		
	Medical File and Medical Report		
	Attendance register of children and staff		
	Order Book		
	Inquiry report file		
	Children's suggestion book/file		
	Voucher, Cash Book, Ledger, Journal andAnnual Accounts		
	Grant utilization register		
	Stock register		
	Nutrition/diet register		
	Budget statement register		
	Visitors' book		
	Staff movement register		
	Personal belonging register		
	Children's movement register		
XII. FINANCIAL TRANSPARENCY			
	Details of information about the sources of funding and that of the organisation as whole/ separately available		
	Sources of Funding- Government aid/grant		
	National Donors		
	International Donors under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010		
	Corporate Donors		
	Own sources		
	Others		

Rule 53: Accounts and audit of the Authority	Details of project wise Bank Account(s) maintained by it with A/c No, purpose, amount received including FCRA Account available		

I. RECOMMENDATION BY DISTRICT MAGISTRATE FOR REGISTRATION –

1. Details of violations or discrepancies or not as per norms observed:–

2. The district already has _____No. of Child Care Institutions (viz.,_____Children Home,_____Observation Home,_____Shelter Home Special Home,_____Special Adoption Agency) and Juvenile Justice Boards,_____Child Welfare Committees,_____District Inspection Committees and **has /does not have** (tick as applicable) a requirement for additional Child Care Institution.

3. In view of the above, the said Child Care Institution is recommended for consideration for registration/renewal of registration.

OR

In view of the above, the said Child Care Institution is not recommended for consideration for registration / renewal of registration. (which ever is applicable)

Sign and Stamp
(Name) District Magistrate
District_____
State_____
Date_____
****"

"Form 47
[Rule 21A(5), (8) and (9)]

INSPECTION FORM FOR GROUP FOSTER CARE

(Fill as applicable)
Date and time of visit:
Name and designation of the officials inspecting the Home :
1. …….
2. ……..
3. ……
Name and address of Group Foster Care:
Name of Foster Parents: …….. Contact No. …….
E-mail ID: …….

Indicator	Status (Yes or No)	Remarks (In case of No Compliance or Partial Compliance)	
LEGAL STATUS			
Previous registration of the facility as a Group Foster Care			Rule 21A: Registration of the Child Care

Duration of previous registration			Institutions
Whether the registration of Group Foster Care was cancelled at any time		If yes, specify reason	
Mandatory police verification of each of the individuals has been done or not			
STATUS OF CHILDREN			
Sanction capacity (in numbers)			
Total number of Children placed in Institution			
Number of biological children			
Number of children placed under foster care by the Child Welfare Committee			
Number of children placed under foster care without the orders of the Child Welfare Committee			
Number of siblings placed in the foster care			
Are there children in the age group of 0-5 years staying there? (Specify number)			
No. of new placements in the current month			
No. of children who have moved out in the current month, including:			
No. of children restored to family			
No. of children moved in CCI			
No. of children given in adoption			
Number of children with special needs placed in the foster care			
PHYSICAL INFRASTRUCTURE			
Building (Rented or owned)			Rule 29: Physical Infrastructure
Number of rooms are sufficient for sanctioned capacity of children			
Kitchen, available or not			
Recreation with television			
Number of Bathrooms are sufficient for sanctioned capacity of children			
Individual beds are available andprovided to children			
Children segregated according to age group for stay			
Children segregated according to genderfor stay			
INFRASTRUCTURAL FACILITY			Rule 26: Management and Monitoring of Child Care Institutions
Whether rooms are free of unstable heavy equipment, furniture, or other items that could harm children, or not			

Whether good condition of ceilings walls, floor coverings, draperies, curtains, blinds, furniture, fixtures, and equipment			
Privacy maintained in toilets and bathingareas or not			Rule 67: Security Measures
Basic emergency medical care equipment available or not			
Special emergency medical careequipment available or not			
CHILD CARE FACILITIES			
Enough/safe toys are available and accessible to children or not			Rule 38: Recreational Facilities
Enough suitably equipped outdoor space for play is available and accessible to children or not			
PREVENTION AND PROTECTION FROM ABUSE			
Whether Standard operating procedurefor child protection is in place or not			Rule 23: Foster Care
Whether restricting/restraining children's movements by binding, tying or any other form, is practiced or not			
Whether food, rest or toilet is witheld or not			
Whether any previous cases of child abuse, neglect, cruelty etc. reported against the foster family or not (Give Details)			
NUTRITION			
Whether Foster Family is aware of the nutritional requirement of children at varying stages of development or not			Rule 33: Nutrition and Diet Scale
Whether meals are planned in consultation with children or not			
CLOTHING, BEDDING HYGIENE			
Whether all children are provided individual, clean, seasonal and age appropriate clothes, articles and toiletries as per norms or not			Rule 30: Clothing, Bedding, Toiletries and other articles
Whether sleeping material is cleaned /sanitised regularly or before reuse as needed or not			Rule 31: Sanitation and Hygiene
Rooms are regularly cleaned			
Whether each child has been allocated a secured space to store personal belongings or not			
HEALTH CARE			
Whether Foster Family is trained to provide First Aid or not			

Whether Foster Family is aware of basic medicines which would be required to be administered to children in case of sickness, emergencies or not			
EDUCATION			
Whether all children are provided with age appropriate formal education or not			
Whether all children are admitted in school or not			
Whether all children are attending and going to school regularly or not			
Whether Foster Family is able to help the children with their education like homework, projects, presentations or not			
RECREATION			
Whether indoor recreation facilities are available for children or note			Rule 38: Recreational Facilities
Whether outdoor recreation facilities areavailable for children or not			
MAINTENANCE OF RECORDS			
Group Foster Care maintains all the relevant information of the child i.e. --			
Individual case file			
Social Investigation Report			
Individual Care Plan			
Case History			
CWC Orders			
Child Study Report (CSR)			
Home Study Report (HSR)			
Birth Certificate			
Quarterly Progress Report			
Health report			
FINANCIAL COMPLIANCES			
Details of information about the sourcesof income of Foster Family is available			
Foster Family has sufficient income to provide for sanctioned capacity of foster children			
Other sources of funding (Government/Private)			
IT returns record of each of the individuals for the last three years			
INSPECTIONS			
The Home has been inspected by the Inspection Committee			Rule 44: Inspection

Feedback was provided on the inspection by the Inspection Committee			
The feedback report is positive			
The Home is being inspected by the Child Welfare Committee every month			
The Home has been inspected by the National Commissions for Protection of Child rights/State Commissions for Protection of Child Rights			Section 109/Rule 91: Monitoring by National/State Commission for Protection of Child Rights
Feedback was provided on the inspection by the National Commissions for Protection of Child rights/ State Commissions for Protection of Child rights			
The feedback report is positive			
Any improvement has taken place based on the Inspection Reports			

I. Violations

(a) Violation of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
If yes, whether Section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 was followed:

(b) Any Other Violation/Observation/Remarks:

II. RECOMMENDATION BY DISTRICT MAGISTRATE FOR REGISTRATION

In view of the above, it is recommended that the said Group Foster Care is fit for providing registration/renewal of registration and if not the case – not fit to provide registration/ renewal of registration.

Sign and Stamp
(Name)
District Magistrate
District_____
State_____
Date_____

FORM 48

[Rule 21(A)(7)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF GROUP FOSTER CARE

After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the facility conducted on (date) the facility is recognized as a Group Foster Care under the Juvenile Justice (Care and Protection of

Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 with effect from..... for a period of years.

The Group Foster Care shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time.

Dated this.....day of .....20 .....

(Signature)

(Seal)

Name and Designation……

FORM 49

[RULE 15(4A)]

AFFIDAVIT BY THE PERSON APPLYING FOR CHAIRPERSON OR MEMBER OF THE COMMITTEE

I ..... applying for the position of Chairperson/Member of Child Welfare Committee
., hereby certify that I am not barred by any of the conditions laid down in Section 27(4A) of the Act, i.e.,

(i) I do not have any past record of violation of human rights or child rights,

(ii) I have not been convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence,

(iii) I have not been removed or dismissed from service of the Government of India or State Government or an undertaking or corporation owned or controlled by the Government of India or State Government,

(iv) I have never indulged in child abuse or employment of child labour or immoral act or any other violation of human rights or immoral acts, or

(v) I am not part of management of a child care institution in a District.;

2. If found otherwise by the State Government, I shall be liable for punitive action.

(Signature of the person)
Name and other
particulars

FORM 50

[RULE 21A (2)]

DECLARATION BY THE FOSTER FAMILY/PERSONS APPLYING FOR GROUP FOSTER CARE

I/we applying for the Group Foster care hereby certify that:

(i) I/we do not have any previous conviction record.

(ii) I/we are not involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour.

(iii) I/we have not been black listed by the Central or State Government.

2. If found otherwise by the State Government, I shall be liable for punitive action and immediate disqualification.

(Signature of persons/foster family)
Name and other particulars".

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla- 4, 2nd May, 2026

No. VS/Estt./6-62/81-III.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Sh. Jeevan Singh, Section Officer to the post of Under Secretary in Pay Matrix Level-21-₹67400-201200 on regular basis with immediate effect.

2. He will be entitled to exercise option for fixation of pay under provisions of the F.R. 22 within a period of one month from the date of issue of this Notification.

3. He will join on promotion within 15 days from the date of issue of this Notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotion will be issued separately.

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla- 4, 2nd May, 2026

No. VS/Estt./6-62/81-III.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of

Sh. Pawan Kumar, Superintendent Grade-II to the post of Section Officer in Pay Matrix Level-16 - ₹48700-154300 on regular basis with immediate effect.

2. On promotion he will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this order.

3. He will be entitled to exercise option for fixation of pay under provisions of the F.R. 22 within a period of one month from the date of issue of this Notification.

4. He will join on promotion within 15 days from the date of issue of this Notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotion will be issued separately.

Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

CHANGE OF NAME

I, Shagun Thakur d/o Sh. Anil Verma, r/o Viilage Harlot, P.O. Basantpur, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my School record, my mother's name is wrongly entered as Aruna Verma. Whereas, her correct name is Aruna Devi. All concerned please note.

SHAGUN THAKUR
d/o Sh. Anil Verma,
r/o Viilage Harlot, P.O. Basantpur,
Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sulochna Devi w/o Sh. Kartar Chand, r/o Ward No. 2, Gadiara, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Suaochna Devi to Sulochna Devi for all purposes in future. All concerned note.

SULOCHNA DEVI
w/o Sh. Kartar Chand,
r/o Ward No. 2, Gadiara,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Primla Devi w/o Sh. Onkar Chand, r/o Vill. Kandhi, P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Promila Devi to Primla Devi. I shall be known as Primla Devi for all purposes in future. All concerned please note.

PRIMLA DEVI
w/o Sh. Onkar Chand,
r/o Vill. Kandhi, P.O. Sai,
Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dolu w/o Sh. Hari Ram, r/o Vill. Cheeh, P.O. Sidhot, Tehsil Churah, Distt. Chamba, Himachal Pradesh-176 321 do hereby declare that in my Aadhar Card, my name has been inadvertently recorded and mentioned as "Doli" instead of Dolu. My correct and legal name is Dolu. Concerned please note.

DOLU
w/o Sh. Hari Ram,
r/o Vill. Cheeh, P.O. Sidhot, Tehsil Churah,
Distt. Chamba, Himachal Pradesh-176 321.

CHANGE OF NAME

I, Kanauri Devi w/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Vill. Talwana, P.O. Slapper Colony, Sundernagar, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-175 017 declare that name of my minor daughter is wrongly entered in her Aadhar Card as Radhika. But correct name of my daughter is Radha. All concerned please note.

KANAURI DEVI
w/o Sh. Ramesh Kumar,
r/o Vill. Talwana, P.O. Slapper Colony, Sundernagar,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi,Himachal Pradesh-175 017.

CHANGE OF NAME

I, Koushlya Devi d/o Sh. Rum Singh, r/o V.P.O. Jari, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that in the Aadhar record, my name is wrongly mentioned as Koshlya Devi due to clerical mistake. Now, I have corrected my name from Koshlya Devi to Koushlya Devi. Today onwards consider correct as name Koushlya Devi for all purposes.

KOUSHLYA DEVI
d/o Sh. Rum Singh,
r/o V.P.O. Jari,
Sub-Tehsil Jari,
Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Aditya 19 years s/o Sh. Sunil Kumar, r/o V.P.O. Bagora, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Aditiya to Aditya. All concerned please note.

ADITYA
s/o Sh. Sunil Kumar,
r/o V.P.O. Bagora, Tehsil Palampur,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anshu Katoch 44 years d/o Sh. NC Katoch, r/o Ward No. 7, Nagar Nigam Palampur, Loharal, P.O. Bindraban, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my son's name from Suyyash Negi to Suyash Negi. All concerned please note.

ANSHU KATOCH
d/o Sh. NC Katoch,
r/o Ward No. 7, Nagar Nigam Palampur, Loharal,
P.O. Bindraban, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Saroj Devi Dhiman w/o Sh. Sanjay Kumar Dhiman, r/o Village Muhalkar, P.O. Chahri, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my son Sarthak Dhiman's school record is wrongly entered as Saroj. Whereas, my correct name is Saroj Devi Dhiman. All concerned please note.

SAROJ DEVI DHIMAN
w/o Sh. Sanjay Kumar Dhiman,
r/o Village Muhalkar, P.O. Chahri,
Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Geeta Devi w/o Sh. Khemraj, r/o Village Khangad, P.O. Ghanaghughat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that my son’s name Saumya Gautam is wrongly entered in the Gram Panchayat Dauti Family Register. My son’s correct name is Surya Gautam. This should be corrected. All concerned please may note.

GEETA DEVI
w/o Sh. Khemraj,
r/o Village Khangad, P.O. Ghanaghughat,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pooja w/o Sh. Mannu Tamang, r/o Jhakri, P.O. Jhakri (105), Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Pooja to Sita Rawat. All concerned please may note for future.

POOJA
w/o Sh. Mannu Tamang,
r/o Jhakri, P.O. Jhakri (105),
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sonam Chokyi w/o Sh. Tenpa Yeshi, r/o Village Dolanji, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sonam Chokyi to Sonam Choekey. All concerned please note for future.

SONAM CHOKYI
w/o Sh. Tenpa Yeshi,
r/o Village Dolanji, P.O. Oachghat,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Kali Ram, r/o Village Sharan, P.O. Raila, Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Kamli Devi in my Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Kamla Devi in the Aadhar Card. All concerned please note.

KAMLA DEVI
w/o Sh. Kali Ram,
r/o Village Sharan, P.O. Raila,
Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rattan Lal s/o Smt. Santi Devi, r/o Village Mandlohu, P.O. Kothipura, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Surekha Sharma to Vedanshi Sharma. All concerned please note.

RATTAN LAL
s/o Smt. Santi Devi,
r/o Village Mandlohu, P.O. Kothipura,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunil Dutt s/o Sh. Khandu Ram, r/o Village Sharog, DPF Sherog (78), District Shimla (H.P.)-171 223 declare that I have changed my minor son's name from "Baby two of Vijay" (Old Name) to Mayank (New Name). All concerned please may note.

SUNIL DUTT
s/o Sh. Khandu Ram,
r/o Village Sharog, DPF Sherog (78),
District Shimla (H.P.)-171 223.

CORRECTION OF NAME

I, Sanjay Kumar Dhiman s/o Late Sh. Desh Raj, r/o Village Muhalkar, P.O. Chahri, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) declare that my name in my son Sarthak Dhiman's school record is wrongly entered as Sanjay. Whereas my correct name is Sanjay Kumar Dhiman. All concerned please note.

SANJAY KUMAR DHIMAN
s/o Late Sh. Desh Raj,
r/o Village Muhalkar, P.O. Chahri,
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meera Devi w/o Sh. Hans Raj, r/o Village Kopra, P.O. Chaukath, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 3269 1555 8731, is wrongly entered as Meeran Devi. Whereas my correct name is Meera Devi. All concerned please note.

MEERA DEVI
w/o Sh. Hans Raj,
r/o Village Kopra, P.O. Chaukath,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harbans Kumar 60 yrs. s/o Sh. Prem Chand, r/o Ward No. 5, Bhagotla, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare the I have changed my name from Harbans Lal to Harbans Kumar. All concerned please note.

HARBANS KUMAR
s/o Sh. Prem Chand,
r/o Ward No. 5, Bhagotla,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Namrata Manchanda w/o Sh. Brij Mohan Manchanda, r/o Manchanda Niwas, Kanlog, District Shimla (H.P.) declare that Namrata Manchanda and Namrata is one and same person. My name should be entered as Namrata Manchanda in all documents.

NAMRATA MANCHANDA
w/o Sh. Brij Mohan Manchanda,
r/o Manchanda Niwas, Kanlog,
District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kulwant Singh s/o Shri Bakshi Ram, r/o Village Soi, P.O. & Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Kulwant in my son Prikshit's matriculation and 10+2 certificate instead correct name is Kulwant Singh. All concerned note.

KULWANT SINGH
s/o Shri Bakshi Ram,
r/o Village Soi, P.O. & Tehsil Ghumarwin,
Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Siddharth Dogra aged about 42 years s/o Sh. Surender Dogra, r/o Village Katal, P.O. Makraug, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171 211 declare that I have changed my son's name from Vishruta Dogra (Old Name) to Vishrut Dogra (New Name). All concerned please may note.

SIDDHARTH DOGRA
s/o Sh. Surender Dogra,
r/o Village Katal, P.O. Makraug,
Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171 211.

CHANGE OF NAME

I, Satpal s/o Sh. Jeevan Singh, r/o Village Taproli Parya Hechar (82), Jarol Taproli, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Satpal to Satya Pal. Please note all concerned for further.

SATPAL
s/o Sh. Jeevan Singh,
r/o Village Taproli Parya Hechar (82),
Jarol Taproli, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajivna Kumari Thakur w/o Shri Chaman Lal Bisht, r/o Village Nagni, P.O. Gahidhar, Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.) declare that my husband is serving in BSF and in his Service Record, PMIS data & in our children Anjali Bisht & Arjun Bisht educational certificates, my name is recorded as Rabina Bisht, which is incorrect. Whereas, my name in my education certificates and other documents is Rajivna Kumari Thakur, which is correct. Hence, I may be known as Rajivna Kumari Thakur. All concerned to note.

RAJIVNA KUMARI THAKUR
w/o Shri Chaman Lal Bisht,
r/o Village Nagni, P.O. Gahidhar,
Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahender Singh s/o Sh. Kumbh Dass, r/o Village Ghorla, Palehi (20/64), Kullu (H.P.) declare that I have changed my name to Mohinder Chauhan and shall hereafter be known as Mohinder Chauhan for all purposes.

MAHENDER SINGH
s/o Sh. Kumbh Dass,
r/o Village Ghorla, Palehi (20/64), Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Saritri Devi w/o Sh. Yograj Verma, r/o Village Starnala, P.O. Surangani, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Saritri Devi to Savitri Devi. I shall be known as Savitri Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SARITRI DEVI
w/o Sh. Yograj Verma,
r/o Village Starnala, P.O. Surangani,
Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rattan Dev s/o Late Sh. Shyam Singh, r/o V.P.O. Moorang, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that my son's name has been changed from Trijal Fanyan to Sarthak Fanyan for all future purposes.

RATTAN DEV
s/o Late Sh. Shyam Singh,
r/o V.P.O. Moorang,
Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Balwant Singh s/o Shri Thakur Lal, r/o Village Moorang, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.) hereby declare that my son, whose name is recorded as "Baby One of Abhilasha" in Aadhar Card No. 2907 5496 7011, shall henceforth be known as "Agastya Khokam" for all purposes. All concerned authorities please note.

BALWANT SINGH
s/o Shri Thakur Lal,
r/o Village Moorang,
Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Asha Devi w/o Sh. Surender Kumar, r/o Village Jugar (211), P.O. Shillai, Tehsil Junga, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Dhruv to Dharuv. Please note all concerned for further.

ASHA DEVI
w/o Sh. Surender Kumar,
r/o Village Jugar (211), P.O. Shillai,
Tehsil Junga, Distt. Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।